राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का पैंसठवां दिवस [संख्या 37

मंगलवार,

दिनांक 18 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पुनर्वास, सिचाई, विधि, पंचायत, वित्त, अकाल राहत, यातायात, चिकित्सा, विद्युत, वन, शिक्षा, अकाल सहायता, आयुर्वेद, खाद्य विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 816

श्री अब्दुल हादी

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह तो आये नहीं।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण को बाद में ले लेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर

अधिशाषी अभियन्ता के लिए निर्धारित योग्यता

817. श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डिप्लोमा होल्डर को 12 वर्ष पूरे होते ही अधिशाषी अभियन्ता बनने की योग्यता मानी गई जबकि डिग्री होल्डर्स को 5 वर्ष बाद ऐसी योग्यता होना माना गया है ?

(2) गत तीन वर्षों में कितने डिग्री होल्डर्स और कितने डिप्लोमा होल्डर्स को अधिशाषी अभियन्ता बनाया गया है ?

(3) कितने डिग्री होल्डर्स 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी और कितने डिप्लोमा होल्डर्स 12 वर्ष पूरे होने के बाद भी सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

Page No 2

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(4) कितने डिप्लोमा होल्डर्स सहायक अभियन्ता 12 वर्ष पूरे करने के बाद अधिशाषी अभियन्ता बनाये गये हैं ?

(5) क्या पहले डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 15 वर्ष तक सहायक अभियन्ता रहने पर अधिशाषी अभियन्ता बनने की योग्यता मानी जाती थी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी हां।

(2) गत तीन वर्षों में 38 डिग्री होल्डर्स को तथा 6 डिप्लोमा होल्डर्स को अधिशाषी अभियन्ता बनाया गया।

(3) इस समय 112 डिग्री होल्डर्स सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जो 5 साल तक इस पद पर कार्य कर चुकने के बाद भी अभी भी सहायक अभियन्ता ही हैं। ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स दो हैं जिन्हें सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करते हुए 12 साल हो गये हैं तथा अभी भी सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(4) 5 डिप्लोमा होल्डर्स सहायक अभियन्ताओं को इस पद पर 12 साल कार्य करने के पश्चात् उन्हें अधिशाषी अभियन्ता बनाया गया है।

(5) जी हां।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 15 से 12 साल क्यों किया गया ? क्या आधार था आपके पास यह करने का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 15 से 12 साल इसलिए किया गया कि डिप्लोमा होल्डर्स को असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनने के लिए 15 साल तक काम करना पड़ता है और उसके बाद में फिर 15 साल तक वह अगर काम करता है तो चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि 1962 से पहले के डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स के बीच में सर्विस कन्डीशन्स में कोई डिफरेन्स नहीं था। इसलिए यह रिलेक्सेशन किया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह बताया गया है दोनों बराबर के केसेज में किसको प्राथमिकता देंगे ? 5 साल का ग्रेजुएट असिस्टेन्ट इन्जीनियर है और 12 साल का डिप्लोमा होल्डर असिस्टेन्ट इन्जीनियर है उसमें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सीनियर होगा उसको।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : How do you fix the seniority ? 12 साल की सिनीयोरिटी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर ग्रेजुएट 5 साल से ऊपर का हो गया है और वह डिप्लोमा होल्डर 12 साल के ऊपर का हो गया है तो एलिजिबिलिटी तो हो गई तो सीनियोरिटी जिसकी होगी उसको मिलेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एलिजिबिलिटी क्या है यही तो मैं पूछना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्वालिफिकेशन है। He must have worked as Assistant Engineer for five years. 5 साल तक असिस्टेन्ट इन्जीनियर की हैसियत से काम कर लेने पर ग्रेजुएट इन्जीनियर अधिकारी हो जाता है

Page No 3

(श्री राम प्रसाद लड्ढा ।)

एक्स० ई० एन० के लिए और उसकी सीनियोरिटी से उसको प्रोमोट करते हैं। इसी तरह से डिप्लोमा होल्डर अगर 12 साल की सर्विसेज असिस्टेन्ट इन्जीनियर कर लेता है तो वह तो अधिकारी हो जाता है प्रोमोशन के लिए एक्स० ई० एन० के पद पर एज पर सीनियोरिटी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एलिजिबिलिटी दोनों की है। एक को 12 साल हो गये असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद पर काम करते हुए और 5 साल हो गये ग्रेजुएट को तो किन को प्राथमिकता देंगे? एलिजिबिलिटी क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्राथमिकता 12 साल की एलिजिबिलिटी में आती है जहां कि सीनियोरिटी फिक्स हो गई है। पांच साल के ऊपर वाले भी उससे सीनियर हो सकते हैं। डेट आफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में उसका नाम तो है लेकिन एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी तब होती है जबकि असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद पर इतने साल काम कर लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एलिजिबिलिटी का आधार क्या है ? क्या 12 साल का है वह सीनियर हो गया 5 साल वाले से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 5 साल का सवाल नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो एलिजिबिलिटी का आधार क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि He must have fulfilled the prescribed qualifications.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसका मतलब यह हुआ कि 12 साल का है वह सीनियर हो गया। डिप्लोमा होल्डर 12 साल का है तो सीनियर हो गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि कितने अर्से से 5 नाम एलिजिबिलिटी के आधार पर सीनियोरिटी में आये हैं जबकि 100 से ऊपर दूसरे आ गये हैं ग्रेजुएट इन्जीनियर्स। इसलिए आपकी जो धारणा है वह सही नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी समझ में नहीं आ पाया कि धारणा क्या है ? 12 Years is always senior to five years. क्या आधार है कि एक युनिवर्सिटी का बी० ई० डिग्री होल्डर है और डिप्लोमा होल्डर 12 साल का है वह न्याय संगत तो नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिलकुल न्यायसंगत है। आपके हिसाब से डिप्लोमा होल्डर को जो करीब करीब दो ही कोर्स पढ़ता है ग्रेजुएट तो नहीं है लेकिन जिसको ग्रेजुएट से दुगुना, तिगुना एक्सपीरियन्स हो जाय तब भी उसको प्रोमोशन का चान्स न रहे यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसी वजह से 1962 के इन इन्जीनियर्स के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी और उस कमेटी ने इसके रूल्स फ्रेम किये और रूल्स फ्रेम

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

किये और रूल्स फ्रेम करने के बाद यह किया कि इनको चान्स मिलना चाहिए। इससे पहले तो इनके लिए असिस्टेन्ट इन्जीनियर डिप्लोमा होल्डर है तो 10 साल था तो 10 साल का 15 साल किया और फिर 12 साल हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पांच साल के डिग्री होल्डर्स जो इन्जीनियर्स हैं उनको सीनियर माना है और जो डिप्लोमा होल्डर हैं चाहे उनकी 12 साल की सर्विस हो उनको नहीं माना है तो डिप्लोमा होल्डर्स को सीनियोरिटी प्राप्त करने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर श्री ईयर्स डिग्री कोर्स प्राप्त करने के लिए प्रवेश चाहते हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिलकुल सेपेरेट प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : थ्री ईयर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 818

राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मदनसिंह दांता।

रानोली के सरपंच पर बकाया

819. **श्री मदनसिंह** : (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-जिला विकास अधिकारी सीकर ने दि॰27-2-68 को अतिरिक्त विकास आयुक्त जयपुर को एक पत्र क्रमांक एफ॰ 56 (शि) 68 नं॰ 1235 लिखकर यह सूचित किया है कि रानोली पंचायत के सरपंच श्री हीरालाल शर्मा में खाद बीज की रकम में 45,000) रु॰ बकाया है जिसे बिना निलंबित किये रेकार्ड आदि का निरीक्षण तक नहीं हो सकता ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 16-4-66 से दिनांक 6-8-68 तक सरपंच श्री हीरालाल शर्मा रानोली को खाद-बीज की रकम जमा कराने हेतु 18 बार उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर द्वारा नोटिसेज दिये गए (क्रमांक 2523 दिनांक 28-8-68) परन्तु सरपंच ने न तो रकम जमा कराई है और न हिसाब पेश किया ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच रानोली जान-बूझ कर सरकारी नोटिसेज की अवहेलना कर रहा है ?

(4) उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर द्वारा जो रकमें सरपंच रानोली में बकाया निकाली हैं वह किस अवधि की हैं तथा किस किस कार्य हेतु ली गई रकमें हैं ?

(5) उपरोक्त रकमें इतने अधिक समय तक अपने पास रखना तथा सरकार द्वारा बराबर मांगने पर भी जमा न कराने के सम्बन्ध में सरपंच रानोली के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

Page No 5

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : इस प्रश्न की सूचना एकत्रित नहीं हो सकी इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद मैं बहुत कम प्रश्न रखता हूं और रखता हूं तब तथ्यों के आधार पर रखता हूं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अगर करप्शन का बड़ा नम्बर किसी का है तो रामोली के सरपंच का है। 61 से गवर्नमेंट····

श्री अध्यक्ष : लेकिन, माननीय सदस्य, इसके तथ्य नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : इसके तथ्य गवर्नमेन्ट के लोगों के पास में हैं। ठाकुर मदनसिंह के पास में हो गये तथ्य और गवर्नमेन्ट के पास में नहीं आ सकते? सीनियर मंत्री महोदय को मैं खुद देकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : तो प्रश्न आप पढ़ दें और उत्तर भी आप दे दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न क्वेश्चन अवर में नहीं उठाया करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक इन्फोर्मेशन के लिए है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नकर्ता खड़े हैं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछूंगा कि यह मेरे प्रश्न को कितना अर्सा हो गया, एक महीना तो हो गया।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आर्डर।

श्री मदनसिंह : शिकायत किये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को सूचना की है और आपको भी अवगत किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सम्बन्ध में मैंने प्रश्न रखा था तो माननीय मंत्री महोदय ने 69-70 के अन्दर रिप्लाई दिया है। इसी प्रश्न के बारे में आज मंत्री महोदय कैसे कहते है कि जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है तो यह प्रश्न वापिस नहीं आना चाहिए। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदया कैसे कहती हैं कि इसकी जानकारी नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : पंचायतों में भ्रष्टाचार के संबंध में जितने प्रश्न हैं उनमें सबमें यही शिकायत है।

श्री मदनसिंह : 45 हजार का गबन है जो कि सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए उनको पैसा दिया गया उसमें जो जिला स्तर के अधिकारी हैं पंचायतों के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मंत्री को उन्होंने प्रेस किया है, हमने प्रेस किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी लेता हूं। आप स्थान ग्रहण करें। (मंत्रीजी से) कितने दिनों में तथ्य संग्रह कर लेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : नेक्स्ट टर्न पर जरूरी मेटेरियल इकट्ठा करके उत्तर देने का कहा गया तो दे दूंगा। अगर इन्फर्मेशन मेरे

(श्री परसराम मदेरणा)

पास होती तो कोई कारण नहीं था कि पोस्ट-पोन करना चाहे 45 हज़ार का हो या 75 हजार का हो । एलिगेशन दे दिये लेकिन उनके सम्बन्ध में कुछ मेटेरियल को और सूचना की आवश्यकता थी वह सूचना प्राप्त नहीं हुई। अगर एक्सटेन्ड नहीं कर सकते तो मैं अधूरा जवाब सदन में नहीं देना चाहता। जब कभी भी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एडजोर्न किया है। बीच में एडजोर्न करके अपने आपको और राज्य सरकार को एम्बेरेसिंग पोजीशन में नहीं डालना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिया है और आज कह रहे हैं ... ...

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह आशा नहीं करता था कि वे इस प्रकार का जवाब देंगे। इनके पास जवाब है और वे पोलीटीकल बेसिज पर इसको दबा रहे हैं। इसकी सूचना मैंने हाउस में दी.........

श्री परसराम मदेरणा : कोई पोलीटीकल बेसिज नहीं है। मेरे पास कोई पोलीटीकल प्रेशर नहीं है। यह केवल आपका ख्याल है, ठाकुर साहब ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह प्रश्न तो वसूली का है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आपका भी प्रश्न है।

स्थगित किया गया। इसी सत्र में ले लूंगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह तो इजाजत दे दें कि जो फाइल है वह सदन की मेज पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, जब प्रश्न आयेगा तब विचार कर लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज से एक साल पहले मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, फिर आज कैसे कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगित किया है, इसी सत्र में ले लूंगा। और आप ने जो पत्र सदन की मेज पर रखने को कहा है, उस पर भी मैं विचार कर लूंगा।

नैक्सट श्री लाभचन्द वैद।

जूनियर अकाउन्टेंट के केडर में नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र

820. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने लेखालिपिकों से जूनियर एकाउन्टेन्ट के केडर में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया उसके निर्धारित प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने आवेदन पत्र लेने से पहले इस संबंध में नियम प्रसारित कर दिये हैं ?

(श्री लाभचन्द वैद)

(4) यदि नहीं, तो कृपया बतायें कि बिना नियमों को देखे लेखा लिपिक किस प्रकार यह निर्णय कर सकते हैं कि जूनियर एकाउन्टेन्ट के पद में उनकी नियुक्ति लाभदायक होगी अथवा नहीं ?

(5) क्या उपरोक्त मांगा गया आवेदन पत्र जूनियर एकाउन्टेन्ट के पद में अन्तिम विकल्प माना जायेगा ?

(6) क्या कारण है कि नियम प्रसारित करने से पूर्व ही ये आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं ?

(विराम)

श्री देवीदत्त गाड़िया : बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी देर लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी आप खड़े हो गये। आश्चर्य तो मुझे प्रकट करना है।

एक माननीय सदस्य : 820 इज एबसेंट।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसको थोड़ी देर बाद में ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

रूरल वर्क्स प्रोग्राम

821. **श्री शंकरलाल** (बेतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत 31 मार्च, सन् 1971 तक पाली जिले में कितनी धनराशि किन किन कार्यों के लिये स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी धनराशि किन किन कार्यों पर व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा न हो कि समय समाप्त हो जाये और मेरा प्रश्न रह जाये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : समय तो सभी का समाप्त होने वाला है।

श्री शंकरलाल : ये जो रूरल वर्क्स के तहत कार्य किये गये हैं वे किस एजेन्सी द्वारा और किस आधार पर किये गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : रूरल वर्क्स के अन्तर्गत जो काम सेंक्शन किये गये हैं वे भारत सरकार द्वारा किये गये हैं और जितनी भी एग्जीक्युटिंग एजेन्सीज हैं, इर्रीगेशन, पी. डब्लू. डी वगैरा, इनके प्रस्ताव आये थे और उन प्रस्तावों पर इन्जीनियर्स की एक टेक्नीकल कमेटी बिठाकर उन्होंने जो प्रस्ताव दिये एग्जामिन करने के बाद, वे प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये और उन पर भारत सरकार अपनी स्वीकृति देती है।

श्री शंकरलाल : ये जो एजेन्सीज आपने बताई वे किस आधार पर प्रस्ताव देती हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आधार तो राजस्थान के हित को दृष्टि में रखना होता है। जहां पर सूखे की स्थिति है वहां पर लांग टर्म स्ट्रेटेजी को लेकर, स्केयरसिटी को कम करने के लिये, ओवर आल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाता है। उन सारी स्कीम्स को इन्टीग्रेट करते हुए भारत सरकार को सुझाव भेजे जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे काम हैं जो पहले से इनकम्पलीट पड़े हुए हैं और कुछ नये काम हैं, लेकिन ज्यादातर वे काम है जो पिछले साल से अधूरे पड़े थे। और नये कामों में माइनर और मीडियम इर्रीगेशन वर्क्स को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद अफारेस्ट्रेशन और कन्जर्वेशन आफ सोइल को प्रायोरिटी दी जाती है, और तीसरी प्रायोरिटी रोड्स को दी जाती है।

श्री शंकरलाल : जब इस आधार पर लिये गये हैं कि जो फैमिन अफेक्टेड एरियाज में अधूरे काम हैं उनको पहले लिया जाये तो पहले उन कामों को लेना चाहिये जो कि इस वर्ष में ही पूरे हो जाते या जिसमें कम पैसा लगता। छोटे छोटे एनीकट्स हैं, उनको पहले लेना चाहिये था, वे तो लिये नहीं गये और बड़े बड़े काम पहले लिये गये, इसका क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैमिन एडवाइजरी कमेटी थी जिसको पता रहता था कि कौन से काम अधूरे रह गये और वे उनके लिये सजेस्ट करते थे। लेकिन अब विभागों के द्वारा जो प्रपोजल्स मांगे गये उनमें नान आफिशियल्स से कोई सहयोग नहीं लिया गया और विभाग ने अपनी मर्जी से जो आये वे प्रपोजल्स भेज दिये और आपने स्वीकृति दे दी। इससे तो आपका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज, स्पष्टीकरण।

श्री परसराम मदेरणा : फैमिन के इनकम्पलीट कामों के लिये भी जो भारत सरकार द्वारा क्राइटेरिया निर्धारित है उसके अनुसार काम लेने पड़ते हैं। फैमिन अफेक्टेड एरिया कितनी हैं, क्या कन्डीशन्स हैं, रेन फाल का एवरेज क्या है, कौन सा एरिया ज्यादा अफेक्टेड रहता है उसकी सिवीयरिटी जो है तो कौन से तरीके हैं जिससे परमानेन्टली फैमिन की सिवीयरिटी को कम कर सकते हैं इरिगेशन, अफारेस्टेशन और सोयल कन्जर्वेशन के काम लिये गये और बहुत से काम माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी लिये गये। जिन कामों पर लाखों रुपये खर्च हो चुके थे और जिनसे बड़ी बड़ी एरियाज को फायदा मिल सकता था उनको नजर अन्दाज नहीं कर सकते थे। इरिगेशन के 24 कार्य थे जिन पर टोटल एस्टीमेट 56 लाख के आस पास था, उनमें से भारत सरकार ने जो ऐलोकेशन किया वह केवल 30 लाख रुपये का किया। भारत सरकार ने स्वीकृति भेजी, उसमे उनमें से काफी कार्य प्रारम्भ हो गये और कुछ प्रारम्भ नहीं हो सके क्योंकि उनकी स्वीकृति जनवरी के महीने में आई थी।

श्री शंकरलाल : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छोटे छोटे सिचाई कार्य भी हैं, अफारेस्टेशन के काम भी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे एनीकट्स हैं जो 31 मार्च तक समाप्त हो सकते थे उनको आपने नहीं लिया। अब क्या आप उनको लेने का इरादा रखते हैं ? इसके अलावा यदि आप नान-आफिशियल्स की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके पैसे का सही उपयोग होगा। यह सुझाव आपको मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । भाषण नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टेक्नीकल कमेटी कलेक्टर के तहत बनाई गई, जिनमें दूसरे विभागों के जिलास्तर के अधिकारी, जिला परिषद् के सदस्य भी हैं। वे एक मास्टर प्लान बना देंगे। उस मास्टर प्लान में यदि कोई हेरफेर या आल्टरेशन करना आवश्यक हुआ तो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की राय ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री जयनारायण सालोदिया ।

प्रश्न संख्या 822

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफणा ।

रानी स्टेशन पर डिस्पेन्सरी का निर्माण कार्य

823. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानी स्टेशन पर दानदाता की सहायता से बनवाई जाने वाली डिस्पेन्सरी का भवन निर्माण कार्य अधूरा है व उस अधूरे भवन को पूर्णरूप से निर्माण करवाने की योजना जून, 1971 तक है ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त भवन सरकार व दानदाता के बीच हुए एक एग्रीमेंट के अनुसार बनवाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि दानदाता ने बार बार भवन के प्लान मांगे हैं परन्तु अब तक केवल डिस्पेन्सरी भवन का ही प्लान भेजा गया है लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार स्टॉफ क्वार्टर का प्लान दानदाता के बार बार मंगवाने पर भी अभी तक नहीं भेजा गया है ?

(4) एग्रीमेंट के अन्तर्गत बनाये जाने वाले स्टॉफ क्वार्टर्स का प्लान नक्शा अभी तक दानदाता को नहीं भेजे जाने का क्या कारण हैं ?

(5) स्टॉफ क्वार्टर का नक्शा प्लान (एग्रीमेंट के अनुसार प्लान) दानदाता को अब कितने वर्षों में भेजने का इरादा है ? निश्चित कालावधि बताई जावे ।

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं, मुख्य भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स का नक्शा दानदाता को भिजवाया जा चुका है ।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(5) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में उत्तर दिया गया था सरकार की ओर से कि जून तक सारा भवन का काम पूर्ण हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर कहां है और किन शब्दों में है ?

श्री फूलचन्द बाफणा : मेरे पास नकल तो नहीं है, लेकिन इसी सत्र में दिया गया है। पहले जून तक कहा था और आप आज कह रही हैं शीघ्रातिशीघ्र या तो कहिये कि जून तक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : वे कैसे बतायें ? आप कारोबोरेट करते नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की शर्तों के मुताबिक दानदाता को एक लाख रुपया जमा करवाना था, उसने अपनी पूरी राशि जमा करवा दी, लेकिन आप जानते हैं सरकार द्वारा डोनेशन एक्सेप्ट होने के बाद निर्माण का काम पी.डब्लू.डी. द्वारा होता है। चूंकि एक लाख 2 हजार के अन्दर स्टाफ क्वार्टर, डिस्पेन्सरी सारी नहीं बनती और बनाना जरूरी है इसलिये पी. डब्लू. डी. ने कहा कि पैसा और ज्यादा लगेगा। दानदाता कहते हैं कि एक लाख दो हजार से ज्यादा देंगे नहीं। यह विभाग और दानदाता के बीच में डिस्प्यूट थोड़ा सा चल रहा है। मैं समझती हूं कि यह डिस्प्यूट जब खत्म होगा तब जाकर काम पूर्ण हो सकेगा।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का दानदाता से शर्तनामा किया है और दानदाता ने उस पर हस्ताक्षर करके दिये हैं, सरकार ने इस तरह की शर्त रखी है कि वह 1 लाख 12 हजार 450 रुपये भरेंगे। वह उन्होंने भर दिये, शर्तनामे में स्टाफ क्वार्टर की शर्त भी लिखी हुई है। अन्तिम शर्त में लिखा हुआ है कि अगर पैसा बचेगा तो उसे फर्निशिंग के काम में लायेंगे। यह आपके लिये हुए शर्तनामे की चौथी शर्त है। यह भवन के शर्तनामे में दी हुई है। मैंने पहले प्रश्न में पूछा था कि क्या आपने अधूरे भवन को जून तक निर्मित कराने की घोषणा की थी ? इसका जवाब आपने नहीं दिया है, घोषणा को थी या नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : घोषणा की।

श्री फूलचन्द बाफणा : दानदाता से जो शर्तनामा हुआ है, उसे एग्रीमेंट भले ही न कहा जाय, उसमें यह शर्त है कि बाकी पैसा बचेगा वह फर्निशिंग के काम में आयेगा क्या यह शर्त नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं जवाब दे दूं। पहले मैंने उस बाधा का बयान कर दिया है, जो जून तक भवन को पूर्ण कराने की बात के बीच में आई। उसका बयान कर दिया है.........

श्री फूलचन्द बाफणा : जो उत्तर दिया है उसमें यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण और कर दें।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने कहा, जून तक निर्माण पूरा कराना था, लेकिन बीच में यह बाधा आगई, उस बाधा को मैंने बयान कर दिया है। आप कहते हैं कि पैसा बचता तो वह फर्निशिंग के काम में आता। लेकिन पैसा कम पड़ गया। फिर आपने कहा कि इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था, तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि इस पार्टी के ऊपर जो सुपरविजन चार्जेज लगते पी. डब्लू. डी. के वह सुपरविजन चार्जेज वेव किये गये हैं। उसको जोड़ा जाय तो पैसा और जमा कराना पड़े।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि दान लेने से पहले पार्टी

(श्री दौलतराम सारण)

से तय हुआ था कि इतना रुपया जमा कराना होगा ? उसके बाद कोई रुपया देने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है ? राज्य सरकार ने इसका प्लान एस्टीमेट बना कर दिया था, मेप दिया था और उस मेप के अनुसार दानदाता से पैसा लिया गया था ?

श्रीमती सुमित्रा : वह बात सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुपरविजन चार्जेज पी. डब्लू. डी. को देने पड़ते हैं, जो भवन निर्माण होता है, उसके लिए और खर्च के अलावा। इस सम्बन्ध में डी.एम.एच.ओ., पार्टी और पी.डब्लू.डी. इन तीनों के अधिकारी बैठ कर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाय।

श्री दौलतराम सारण : दानदाता बिल्डिग बना रहा है या सरकार बिल्डिग बना रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : दानदाता बिल्डिग बना रहा है या सरकार बना रही है ?

श्रीमती सुमित्रा : पी. डब्लू. डी. बना रही है।

श्री दौलतराम सारण : दानदाता बिल्डिग बनाता है तब सुपरविजन चार्जेज का सवाल पैदा होता है, गवर्नमेंट बिल्डिग बनाती है तो सुपरविजन चार्जेज का सवाल पैदा नहीं होता है। आप गलत रिप्लाई दे रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मैं जवाब ठीक दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या यह सही है कि दानदाता ने मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की थी, उसके बाद में यह शर्तनामा तैयार किया गया था ? आप कुछ कहती हैं और पी. डब्लू. डी. कुछ कहता है। तो दानदाता सोचता है कि सरकार का एक हिस्सा ऐसा बोलता है और दूसरा हिस्सा ऐसा बोलता है। ऐसा है तो आप पहले दानदाता को कह देते कि हम अलग अलग बोल सकते हैं। यह कहा नहीं। एक महकमा कुछ कहेगा और दूसरा महकमा कुछ कहेगा इसलिए आप सावधानी बरत कर दान दें–यह आपने कहा नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 2 हजार के अन्दर जितनी बिल्डिग और जितने स्टाफ क्वार्टर ····

श्री फूलचन्द बाफणा : आपका गलत बयान है।

श्रीमती सुमित्रा : आप पेसेन्स रखिये, जरा सुन लीजिये। मैं निवेदन कर रही थी 1 लाख 2 हजार में जितने स्टॉफ क्वार्टर और डिस्पेन्सरी का जितना भवन निर्माण का काम कराया जाना सम्भव होगा वह करवा दिया जायगा और बाकी पड़ा रहेगा। यह ठीक है ?

श्री फूलचन्द बाफणा : शर्तनामे में यह नहीं है कि सम्भव होगा या नहीं। दानदाता ने 1 लाख 12 हजार रुपया भरा

(श्री फूलचन्द बाफणा)

है, उसमें डिस्पेन्सरी और स्टाफ क्वार्टर बनायेंगे- यह उसमें लिखा है। यह सम्भव की बात कह रही हैं यह उसमें नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी से कान्ट्रेक्ट हो गया और 1 लाख 12 हजार जमा करवा लिया तो फिर क्या कारण है कि यह संभव नहीं होगा, या जितना काम होगा वह कराया जायगा ? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि काम पूरा करायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, जो रुपया दानदाता ने दिया है इसके अलावा रुपया यदि लगता है तो वह गवर्नमेंट को लगाना चाहिए क्योंकि जब पार्टी से एग्रीमेंट होगया कि हम बनवा कर देंगे तो पार्टी पर अब जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, यह काम गवर्नमेंट को पूरा कराना चाहिए।

श्री लाभचन्द वैद अध्यक्ष महोदय, जिसने लाख रुपया दान दिया....

श्री फूलचन्द बाफणा : 1 लाख 12 हजार।

श्री लाभचन्द वैद : वह निन्दा का पात्र माना जायगा या बधाई का पात्र माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बधाई का पात्र।

श्री लाभचन्द वैद : जिसके पास 1 लाख 12 हजार दान देने के लिए है वह और भी दे सकता है। इसलिए बेशक निंदा का पात्र होना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा : 1 लाख 12 हजार नहीं है, 1 लाख 2 हजार है।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे तरीके से सोचने लग गए।

श्री लाभचन्द वैद : आखिर समाजवाद में दान से पैसा नहीं आयेगा तो कहां से आयेगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आप पर समाजवाद का अच्छा असर पड़ रहा है।

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या यह सही है कि 1 लाख 12½ हजार का नक्शा दानदाता के पास भेजा गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता दूं, मेरी सूचना के अनुसार 1 लाख 2 हजार 450 रुपया है। आप दस हजार रुपये को गलती को दूर कर लें पहले।

श्री फूलचन्द बाफणा : आपने शर्तनामे को नहीं पढ़ा है उसमें 1लाख 12हजार 450 लिखा है। यह भी लिखा है कि जो दस हजार रुपये से बाउंड्री वाल बनाई है वह शामिल है। आप दस हजार रुपया माइनस करके बता रही हैं। यह शर्तनामे में शामिल है अध्यक्ष महोदय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक प्रश्न मेरा भी है....

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या डिपार्टमेंट ने दानदाता के पास नक्शा नहीं भेजा अगर भेजा है तो क्या भेजा ? इसके अलावा इसका जो एस्टीमेट है वह क्या सरकार ने

(श्री फूलचन्द बाफणा)

नहीं भेजा ? जब ऐस्टीमेट और नक्शा सरकार ने भेजा है और बिल्डिंग सरकार बनाती है, कोई दानदाता नहीं बनाने जा रहा तो फिर अब कैसे यह कहते हैं कि हम नहीं बनाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : एग्रीमेंट के मुताबिक भवन दानदाता को बनवाना था, सरकार को नहीं बनवाना था। आप एग्रीमेंट को फिर पढ़िये। पी० डबलू० डी० को भवन बनाने का काम सौंप देते हैं तो सुपरविजन चार्जेज उनको देने पड़ेंगे यह व्यवस्था की थी।

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेंट के अनुसार किस को भवन बनवाना था ?

श्री फूलचन्द बाफणा : इस एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा है कि भवन दानदाता बनायेगा इसमें लिखा है कि दानदाता दान देगा। इसलिए ही दानदाता को एस्टीमेंट बना कर भेजा है, नक्शा बनाकर भेजा है।

श्रीमती सुमित्रा : कौन बनायेगा यह नहीं लिखा है।

श्री फूलचन्द बाफणा : इसमें लिखा है पी. डबलू. डी. बनायेगा।

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेंट में लिखा है पी. डब्लू. डी. बनायेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, चीफ इन्जीनियर इस बात के लिए एम्पावर है कि दानदाता द्वारा भवन बनाया जाता है तो सुपरविजन चार्जेज वसूल न करें उनकी स्वीकृति से वह माफ कर दिया जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्षमहोदय, जब दानदाता को कहा कि 1 लाख 12 हजार दानदाता जमा कराये और उसने वह जमा करा दिया फिर प्रश्न और जमा कराने का पैदा नहीं होता है ••

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको पूर्ण कराये।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, आप शर्त पढ़ लीजिए, इसमें यह साफ लिखा है। उसमें लिखा है कि पी. डब्लू. डी.••••••

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा : जब पी. डब्ल्यू. डी. बनायेगा, तो इससे बात साफ हो गई। हमारे विभाग की परम्परा है कि दानदाता का डोनेशन एक्सेप्ट करने के बाद पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत क्योंकि विभाग के पास और कोई एजेन्सी नहीं है, निर्माण का कार्य करवाया जा सकता है और सारा कार्य पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत होता है तो उसके सुपरविजन चार्जेज दानदाता अलग देता है। वह सुपरविजन चार्जेज वेव किये गये हैं। अब 1 लाख 2 हजार रुपये के अन्दर जो काम होगा वह जून के आखिर तक सम्पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : परम्परा की बात गलत है। नवलगढ़ के रावल ने दान दिया था यह आपको मालूम है और आपने काम कम्प्लीट कराया था।

श्रीमती सुमित्रा : मेरी बात नहीं सुन रहे हैं मैं कह रही हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. के सुपरवीजन चार्जेज लगते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा क्या निकला ?

श्रीमती सुमित्रा : 30 जून 1971 तक दानदाता के 1 लाख 2 हजार 450 रुपये को लागत का काम करा दिया जायगा।

श्री फूलचन्द बाफणा : यह तो गलत बात है।

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार बोल रही है ? यह आप गलत जबाब दे रही हैं। गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है, उसके खिलाफ बोले जा रही हैं, कभी सुपरवीजन चार्जेज की बात कर रही हैं, कभी कुछ। आपको अगर पता नहीं है जानकारी नहीं है तो पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत बात है।

श्री दौलतराम सारण : प्राइवेट एजेंसी काम कराती है तब जाकर सुपरवीजन चार्जेज होते हैं पी. डब्ल्यू. डी. के।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह गवर्नमेंट है या बनिये की दूकान है।

श्री फूलचन्द बाफणा : यह आपने कहा कि बनिये की दूकान है। मैं कहता हूं कि बनियां भी जो भाव तय करता है उससे डबल भाव होते हैं तब भी वह माल सप्लाई करता है। आप सरकार से कोई आश्वासन दिलाइये, नहीं तो ऐसी परम्परा बन गई तो कोई भी दानदाता दान देने में हिचकिचायेगा। फिर कैसे समाजवाद आयेगा.......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री फूलचन्द बाफणा : और कोई काम होगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मंत्री, जितनी राशि है, उसके अन्तर्गत यह काम सम्पन्न करा दिया जायगा –यह आपका उत्तर है ?

श्रीमती सुमित्रा : मेरा उत्तर स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब यह है कि इकरारनामे में यह भवन इस नक्शे के मालिक सम्पन्न कराने का उल्लेख है। यदि उल्लेख है तो आपका यह उत्तर उस सन्दर्भ में कहां तक ठीक जंचता है।

श्री मदन सिंह : सीमेंट के बजाय मिट्टी लगा दें।

श्रीमती सुमित्रा : जैसा कि मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है, मैं नहीं समझती हूं कि इतना निवेदन करने के बाद माननीय सदस्य और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि मैंने साफ कहा है कि जितनी दानदाता की राशि है उससे जितना काम करना सम्भव होगा वह करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह शर्तनामा शाइलाक्स पाउण्ड आफ फ्लेश हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा : यदि कुछ काम बाकी रहा और यह संपूर्ण कराना सम्भव नहीं है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह बाकी का कार्य पूर्ण करवाये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न सं. 821 विद्युत मन्त्री जी ।

श्री खेतसिंह : प्रश्न कर्ता नहीं है ।

प्रश्न संख्या 824

श्री प्रेमसिंह सिंघवी :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : आगे चलता हूं ।

श्री परसराम गंगाराम ।

आनन्द आश्रम होम के क्वार्टर्स

825. **श्री परसराम गंगाराम (परबतसर)** : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या आनन्द आश्रम होम, राजा-पार्क, सिन्धी कोलोनी, जयपुर के खाली क्वार्टर्स इन्मेटस को न देकर अन्य जो इनमेटस नहीं है उनको बसा रखा है ? क्या उन के विरुद्ध सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है । अगर हां तो कब ? नहीं. तो क्यों नहीं ?

(2) क्या जिन्होंने अन-ऑथोराइज्ड कब्जा किया है उनसे खाली न कराने की कार्यवाही की बजाय अलोटमेंट को कार्यवाही चल रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) दिनांक 7-4-71 को श्रीमती सीता देवी जो कि होम की इनमेट न थी फिर भी उनको क्वार्टर नम्बर 338 बिना आदेश के आवंटित करके पजेशन दिया गया है ? अगर हां तो क्यों ?

(4) क्या श्रीमती लक्ष्मीबाई विधवा पत्नी मूलचन्द जो कि होम की इनमेट थी और वह वर्तमान में कलेक्टर (रिहेबिलीटेशन) से कैशडोल भत्ता प्राप्त कर रही है उनके बार बार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से निवेदन करने पर भी जानबूझकर उसे वंचित रखा जा रहा है और उनके आवेदनों को दबाया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(5) क्या इनमें से कोई क्वार्टर इनमेटस के नाते सरकार द्वारा उनको अलाट-मेंट करने का विचार किया जा रहा है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या इन क्वार्टर्स पर 3 व्यक्तियों ने अनआथोराइज्ड कब्जा किया हुआ है ? क्या उन पर कार्यवाही किये जाने का सर-कार सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा)

(1) जी नहीं । दो अनधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं । बाकी के खिलाफ मामला विचाराधीन है ।

(2) ये मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

Page No 16

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(5) ऐसे इनमेटस जो आनन्द आश्रम होम के इनमेटस थे तथा जो राजाज्ञा को मानकर आमेर होम चले गये हैं । उनको आवंटन करने पर विचार किया जा रहा है ।

(6) जी हां, कई अनधिकृत कब्जे हैं जिन पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री परसराम गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सीता देवी को आपने एलाट किया है और उसकी रसीद भी मेरे पास में है । आपने जी नहीं कह कर सफेद झूंठ बोला है इसलिए आपका उत्तर गलत है ।

श्री अध्यक्ष : झूठ शब्द की केटेगरी हो गई है ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : आपके पास कोई रसीद है तो वह वैसी ही होगी ।

श्री परसराम गंगाराम : रसीद नम्बर है ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं आपको बता दूं कि सीता देवी को कोई क्वार्टर एलाट नहीं किया गया है ।

श्री परसराम गंगाराम : यह बताने की कृपा करेंगे । प्रश्न नंबर 3 में आपने 'जी नहीं कहा है । क्या यह सही है कि 7-4-71 को तहसीलदार ने मौके पर जाकर उनको कब्जा संभलवाया है और उनसे तारीख 6-4-71 को 500/- और 1827/75 पैसे जमा करवाये थे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि कोई भी राजाज्ञा कोई भी आदेश सीतादेवी को क्वार्टर एलाट होने के लिए नहीं हुआ है । जो रकम जमा हुई है वह और किसी मद में ज.ा हुई होगी ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : कलेक्टर के यहां पर जमा हुई है और उसकी रसीद है और क्वार्टर नम्बर भी है ।

श्री अध्यक्ष : क्या लिखा है रसीद में ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : "Government of Rajasthan, Cellector (Rehabilitation), Jaipur.

Received from Shrimati Sita Devi with letter No........ a sum of Rs. 500 only in cash on account of H. B. in payment of quarter No. 338."

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं जानकारी के लिये कह दूं कि इसमें सीतादेवी जो है वह एक सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, और एक सीतादेवी आमेर होम की एक्स इनमेट्स है । माननीय सदस्य जैसा कि यहां पर कह रहे हैं सीतादेवी को कोई क्वार्टर एलाट नहीं किया गया हैं और एक सीतादेवी सुपरिन्टेन्डेन्ट है उसका मामला विचाराधीन हैं ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : इस क्वेश्चन में सुपरिन्टेन्डेन्ट कहां पर लिखा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं सोरी फील करता हूं । मैंने आपको जो जवाब दिया था उसमें एक मामला आया था एक सीतादेवी के अलाटमेंट का मामला

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आया था। मेरी जानकारी यह थी कि सीता देवी जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है उसका यह मामला है। यह जो केस इनमेटस का है उसके लिये कलेक्टर ने सिफारिश की थी।

श्री मदन सिंह: कब्जा दे दिया गया है और कोई शिकायत नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : दूसरा सवाल पैदा हो गया है, अध्यक्ष महोदय। आपने कहा हैं कि कुछ केसेज विचाराधीन हैं तो यह आपके विभाग में कब से विचाराधीन हैं। इनकी डेटस बता दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सब मामले चल रहे हैं। 28 क्वार्टर का एलाटमेंट का प्रश्न चल रहा है। जो इनमेटस हैं उनको देने के लिये। इनमें से दो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। दो चपरासी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इनमेटस में चपरासी भी है। इस तरह से 17 क्वार्टर्स ऐसे लोगो के पास में हैं जो आनन्द आश्रम से सम्बन्धित हैं और उनके मामले विचाराधीन हैं।

श्री श्रवण लाल: यह विचाराधीन कब से है?

अध्यक्ष महोदय इस मामले को 8 साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सख्या 826.

गुड़गांव कैनाल पर पत्थर की लाइनिंग का ठेका

826. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गुड़गांव कैनाल पर पत्थर की लाईनिग का ठेका दिया गया? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को कितनी मोटाई के किस रेट पर कुल कितने रुपये के ठेके दिये गये? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, अलवर के खिलाफ राज्य सरकार के सामने इसी ठेके के कार्य के सम्बन्ध में शिकायत पेश हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि आज भी एन्टी-करप्शन विभाग में अधिशासी अभियन्ता सिचाई के मुकदमें चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या उनके वहीं रहते हुए सही जांच हो सकेगी?

उपमन्त्री, सिचाई (श्री जसराज): (1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता के पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच जारी है।

(3) जी हां, इस कार्य के बारे में डी. वाई. एस. पी. एन्टी-करप्शन भरतपुर द्वारा जांच की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति से जांच में कोई किसी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट दी गई है उसमें 9 इन्च की मोटाई की लाईनिग को डालने का ठेका दिया गया था। इसमें कोई शिकायत आपके पास आई है? वह आप बतायेंगे।

श्री जसराज : शिकायत आई है कि वह 9 इन्च की मोटाई की होनी चाहिये थी वह 9 इन्च की नहीं है और कम की है।

श्री मोहनलाल मोदी : कितनी है ?

श्री जसराज : इसकी जांच कराना बाकी है।

श्री मोहनलाल मोदी : शिकायत क्या है ?

श्री जसराज : 6 से 8 इन्च के बीच की शिकायत आई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत भी तो कवर करना पड़ता है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या अतिरिक्त भुगतान किया गया है उसकी भी शिकायत आई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्ष जी, गुड़गांव कैनाल के सिलसिले में एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के पास में शिकायत गई है। उसमें ओवर पेमेन्ट का भी मसला है वह माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है और जिसमें पेचिंग के बारे में भी है कि वह 9 इन्च के बजाय कम होने की शिकायत की है। ऐसी ही कई शिकायतें हैं और वे शिकायतें एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के पास जेर तफ्तीश है और कार्यवाही चल रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : जांच चल रही है तो क्या उस अधिकारी को वहां पर रखना उपयुक्त होगा और उसको नहीं बदला गया तो क्या जांच सही होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच सही ढंग से हो रही है।

श्री अध्यक्ष : जब जांच हो रही है तो उस अधिकारी को उस स्थान पर रखना कहां तक उपयुक्त होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया है कि यह शिकायत है और उसकी जांच एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट कर रहा है। तो क्या इसके लिये विभागीय इन्क्वायरी नहीं की जायेगी सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स की कि जिनकी लापरवाही के कारण यह घोटाला करने का अवसर मिला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी डिपार्टमेन्ट की तरफ से एस. ई. इरिगेशन जांच कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कौनसे ईयर का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी ईयर का है।

झालावाड़ चिकित्सालय में अव्यवस्था

827. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय झालावाड़ में रात्रि को कोई डाक्टर ड्यूटी पर नहीं रहते जिसके कारण जनता को शिकायतें हैं ?

Page No 19

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सालय में पूर्ण अव्यवस्था है और जिला चिकित्सा अधिकारी नये आये हैं ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जी हां, डा० विशम्पायन शर्मा ने दिनांक 15-3-71 को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ का पद संभाला है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह 'जी नहीं' कहा, कोई ऐसा उत्तर प्राप्त हुआ है ? क्या जांच कराई गई थी ? आज से लगभग तीन साल पहले से इस डाक्टर की शिकायत आ रही है। बिना पैसे रोगियों को पलंग नहीं मिलता है। आज तक जांच नहीं हुई। किस आधार पर कहा जा रहा है अव्यवस्था नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : नाइट ड्यूटी और इमरजेंसी ड्यूटी में हमेशा कोई न कोई जिनकी ड्यूटी लगी हुई रहती है, करते रहते हैं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जो कागज वहां से आये हैं उन्हीं को पढ़ दिया जाता है। कोई जांच नहीं कराई गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, अभी एक आदमी 15 दिन पहले ही मर गया। कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जांच का भी आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर क्या...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है। माननीय सदस्य के नोटिस में शिकायत आई है। केवल वही डाक्टर उत्तर दे दें जिसके लिये शिकायत है और वही उत्तर यहां पढ़ दें तो यह कहां तक उचित है ? इन्डिपेन्डेन्टली इन्क्वायरी कराई जाय तो उसका कोई औचित्य भी है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अव्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा इस तरह की शिकायत आई है उस पर राज्य सरकार ने डी. एम. एच. ओ. से पूछा है और डी. एम. एच. ओ. ने बताया है कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और यह भी बताया है कि इस प्रकार पहले से आदेश मौजूद हैं कि कोई न कोई डाक्टर इमर्जेंसी ड्यूटी पर और नाइट ड्यूटी पर रहेगा। माननीय सदस्य, यह तो आप भी जानते हैं साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में से कोई एक दिन ऐसा भी हो सकता है कोई डाक्टर न रहे लेकिन उस हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने के लिये 9-4-71 को फिर से नये आदेश निकाले हैं और सब डाक्टरों के नाम भी दिये हैं कि कौन कौन से डाक्टर किस किस समय, किस किस प्रकार की ड्यूटी देगा। आप चाहें तो नाम बता सकती हूं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जो अभी डाक्टर हैं उनके पुत्र भी वहीं पर डाक्टर हैं और पुत्र वधू भी वहीं पर हैं। उनके परिवार के सभी लोग एक साथ काम करें यह कहां तक उचित है ? इस प्रकार की शिकायतें बराबर तीन साल

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

से आ रही हैं। दो दो हजार रुपये कत्ल के काण्ड में रिश्वत के खा जाते हैं और उसकी रिपोर्ट इस तरह बता देते हैं कि वह बीमार था इसलिये मर गया। कत्ल तक के मामलों में रिश्वत खाकर रिपोर्ट को बदल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : क्या एक ही परिवार के तीन तीन सदस्य वहां डाक्टर हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं क्या ? इसकी मेरे पास अभी सूचना नहीं है।

श्री मदन सिंह : सरकार ने ऐसा नहीं कर रखा है कि हस्बेन्ड और वाईफ एक जगह ही रहें। क्या यह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपको इस समय जानकारी नहीं है, यह ठीक है क्या आप जानकारी करके पिता, पुत्र और पुत्रवधू जो एक जगह हैं उन्हें अलग अलग करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : निश्चित रूप से।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने कहा है शिकायतें की गई हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय उन शिकायतों को मालूम करके, जांच करायेंगी अध्यक्ष महोदय, शिकायत बड़ी गंभीर प्रकृति की है—कत्ल के जैसे मामलों में गलत सर्टिफिकेट दे देना कहां तक उचित कहा जा सकता है। क्या मंत्री महोदय उनकी जांच करायेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो निश्चित रूप से जांच कराई जायगी।

श्री दौलतराम सारण : शिकायत तो दी हुई है, आप स्पेसिफिक की क्या बात कर रही हैं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : उनके पुत्र और पुत्रवधू कितने समय से वहां पर हैं ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : 15-3-71 को जोइन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य ने यह कहा उनके पिता, पुत्र और पुत्रवधू को अलग अलग करेंगे ? मंत्री महोदय ने कहा 'जी हां'। तो क्या हस्बेन्ड और वाईफ को एक साथ रखने के नियम नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : पति-पत्नी के लिये नहीं कहा है।

श्री रामचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट की पालिसी है पति पत्नी को एक जगह रखना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा देवी : हां, हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, रात को चकवा-चकवी भी नदी के दो किनारे अलग अलग हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या काव्य रस लिया है आपने। नेक्स्ट।

बांस कूप के ठेके

828. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 में बांस कूप के ठेके आबू ब्लॉक नम्बर

Page No 21

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

3 व आबू ब्लाक नं० 1 कम्पार्टमेंट नम्बर 9 (41, 44, 45, 47 व 51) के नीलाम किये गये थे। अगर हां, तो कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में।

(2) बांस की कटाई का मौसम कब से कब तक होता है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों ठेकों की अवधि बढ़ाई गई थी ? अगर हां, तो कब, क्यों व कितनी अवधि के लिये। कृपया दोनों ठेकों की अवधि बढ़ाये जाने के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा): (1) जी नहीं।

(2) 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नम्बर 1 में आपने 'जी नहीं' बताया। मैं जानना चाहता हूं यह मामला 67-68 का नहीं 68-69 का है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जंगलात का ठेका 68-69 में दिया गया था।

श्री नारायणसिंह मसूदा: जो प्रश्न पूछा गया था उसकी सूचना मैंने दे दी है।

श्री अध्यक्ष : उसके आस पास दिया गया था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय ने जानकारी की कभी जंगल का ठेका ही नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : देखिये वे तो उस पाइन्ट पर अड़ गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं परस्यूएड करता हूं—इसके आसपास में ध्यान लगायें।

श्री अध्यक्ष : ध्यान लगाइये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : ध्यान कैसे लगाऊं, अब, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

जिला सवाईमाधोपुर में सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अवाप्त भूमि

829. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में मध्यम सिंचाई योजना अन्तर्गत बान्ध जगर, काली सिंध, मोरेल, गोपालपुरा, जैतपुरा, भगवतगढ़ आदि जितने बान्ध बने है उनमें अवाप्त भूमि के मुआवजे का अवार्ड अभी तक अवाप्ति अधिकारी ने नहीं दिया है ?

(2) उक्त बान्धों में आई भूमि का अवाप्ति अधिकारी राज्य सरकार ने किस अधिकारी को नियुक्त किया था ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड के कारण खातेदारों को आज तक जमीन का मुआवजा

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

नहीं दे सकी ? यदि हां, तो फिर इन खातेदारों के खातेदारी अधिकार क्यों कर समाप्त कर दिये गये ?

(4) राज्य सरकार हजारों बीघा डूब में आई भूमि के इन खातेदारों को इस विषम परिस्थिति में क्या राहत देने का उपाय सोचती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी हां ।

(2) प्रारम्भ में भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर और तत्पश्चात सम्बन्धित राजस्व उपजिलाधीश द्वारा यह कार्य किया जा रहा है ।

(3) जी हां, सिंचाई कार्यों के काम में आने के कारण खातेदारों से उनकी जमीन लेनी पड़ी।

(4) डूब में आई भूमि का शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे जब अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया तो खातेदारी के अधिकार कैसे समाप्त हो गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जमीन डूब में आई है वह सिंचाई विभाग के काम में आयेगी। अब खातेदारी अधिकारों में क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है इस समय जानकारी नहीं है । लेकिन यह जानकारी जरूर है जो जमीन पाल में या नहर में आई है वहां 12 महीने पानी नहीं भरा रहता है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 10 वर्ष का लगभग समय हो गया लेकिन अभी मुआवजे का फैसला नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, 10 हजार बीघा जमीन डूब में आई हुई है । उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला । कभी कहते हैं सार्वजनिक विभाग से संबंधित हैं, कभी कहते हैं राजस्व विभाग से सम्बन्धित है । पता ही नहीं चलता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे अत्यन्त खेद है इन मामलों में इतनी देर हो रही है यद्यपि उसके लिये सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । राजस्व अधिकारियों के सामने काफी अर्से से मामला चलता हो गया है । आपने प्रश्न पूछा है, मैंने आवश्यक आदेश गवर्नमेंट की तरफ से भिजवाये हैं और इसके लिये अधिकारियों की भी नियुक्ति की है, अगर उनको डे टू डे काम करना पड़ता है तो भी करें लेकिन जल्दी से फैसला करें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि ये मामले जल्दी से जल्दी निपट जायें ।

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान के मामले या इसी जिले के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं सवाई माधोपुर की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ये कब से अधिकारी नियुक्त किये हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम से कम तीन साल हो गये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री श्रवणलाल : जितनी भी डूब में जमीन आई है उसका मुआवजा बहुत लम्बे अर्से से बकाया चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी 62 से लगातार सवाई माधोपुर के बान्धों और तालाबों के बारे में असेम्बली में कई बार प्रश्न उठा चुका हूं लेकिन मंत्री महोदय इस मामले में हर प्रश्न का यही उत्तर दे देते हैं अति शीघ्र कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब तो आदेश दे दिये हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं मंत्री महोदय के द्वारा यह आश्वासन चाहूंगा, वे यह बता दें एक साल, दो साल, 5 साल या 10 साल। कोई अवधि तो निश्चित हो जाय।

श्री अध्यक्ष : अवार्ड उनके अधिकार में नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिन अधिकारियों ने नहीं किया तो उन अधिकारियों का क्या कर रहे हैं। 3 वर्ष से जिला विकास अधिकारी को कहा गया था। यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें 10 साल का अर्सा कैसे लग गया? ऐसे कौन से राजस्थान के अधिकारी हैं जो सोते रहे हैं? यह तो जरा बताने की कृपा करें। आपके अधिकारियों ने उनकी जमीनें ले लीं और उन पर कब्जा कर लिया और रोते रहे तो किसान।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सार्वजनिक निर्माण एवं इरिगेशन का एक ही लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर रहा करता था। वह पोस्ट गवर्नमेंट ने एबालिश कर दी और यह अधिकार कलेक्टर्स को दे दिये और कलेक्टर्स ने रेस्पेक्टिव एस० डी० ओज० को, जिनका कि जमीनों पर जुरिस्डिक्शन है, को दे दिये, तीन साल से जो एस० डी० ओज० हैं वे लैण्ड एक्वीजिशन का काम करते हैं सेकशन 61 में।

सवाईमाधोपुर के मामले में मैंने जितनी चिट्ठियां लिखी हैं उनका हवाला अभी यहां नहीं देना चाहता। इसके बाद में मैंने इस मामले को चीफ सेक्रेटरी साहब को मूव किया है और उन्होंने इस पर सवाई माधोपुर का खास रेफरेन्स देते हुए एक सर्क्यूलर सारे राजस्थान के लिए निकाला, और मैं खुद अपने लेवल पर प्रयत्न करूंगा कि यह मामला जल्दी से निपटाया जाय।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि मुआवजे की रकम पर ब्याज भी उनको मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, ब्याज भी मिलता है। जागीरदारों को मुआवजे पर ब्याज मिला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या 830

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित) (कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

केन्द्र द्वारा चुने गये अभावग्रस्त जिले

831. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने दस जिले चुने हैं जो साधारणतया

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

अभावग्रस्त रहते हैं और पिछड़े हुए हैं व उन पर दो करोड़ प्रति जिला के हिसाब से विकास पर खर्चा किया जावेगा? अगर हां, तो जिलों की विकास योजना किस आधार पर बनाई गई है और आज तक उपरोक्त योजना किन 2 जिलों में प्रारम्भ की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने अभी ऐसा निर्णय लिया है कि जब तक जिलेवार विभागवार मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है तब तक उपरोक्त राशि नहीं दी जावेगी? अगर हां, तो आज तक किन किन जिलों का मास्टर प्लान उपरोक्त योजना के लिए बनाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें और जैसलमेर व बाड़मेर जिलों का विस्तृत मास्टर प्लान क्या है? प्रति सदन की मेज पर रखें। अगर नहीं बनाई गई तो क्या कारण हैं?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगा राम चौधरी) : (1) जी हां, केन्द्रीय सरकार ने 10 जिले चुने हैं जो साधारणतया अभावग्रस्त रहते हैं और पिछड़े हुए हैं व उन पर दो करोड़ प्रति जिले के हिसाब से विकास पर व्यय किया जावेगा। जिले की विकास योजनाएं वहां की विद्यमान परिस्थितियों, समस्याओं एवं जिले की पोटेन्शियेलिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। उपरोक्त योजना जैसलमेर के अतिरिक्त सभी जिलों में आरम्भ कर दी गई है।

(2) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने यह चाहा है कि जिलेवार विभागवार मास्टर प्लान बना कर ही इस योजना को कार्यान्वित किया जाय। किन्तु जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता है तब तक उसके लिए उन्होंने वर्ष 70-71 में जो कार्य भारत सरकार की पूर्वानुमति के आरम्भ कर दिये गये हैं या स्वीकृत हो गये हैं उनके लिए तथा कुछ और नई आवश्यक योजनाओं के लिए जो बाद में मास्टर प्लान में सम्मिलित की जा सकती हैं को भारत सरकार की स्वीकृति से आरम्भ कर सकने की अनुमति दी है। अभी तक किसी जिले का मास्टर प्लान उपरोक्त योजना के लिए तैयार नहीं हो सका है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने और जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के विस्तृत मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। मास्टर प्लान बनाये जाने के लिए विभाग द्वारा योजनाएं तैयार की जा रही हैं और जिला स्तरीय तकनीकी समितियों की सलाह को ध्यान में रखते हुए यदि और कोई योजना तैयार करना आवश्यक हुआ तो उन योजनाओं के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड (1) में आपने बताया कि जैसलमेर के अतिरिक्त तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसलमेर के साथ यह व्यवहार क्यों? जसलमेर में आज तक कोई कार्य नहीं खोलने या इस योजना के तहत किसी कार्य को नहीं लेने का क्या कारण है?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसलमेर में, अध्यक्ष महोदय, केवल सिंचाई विभाग के मद में कुछ स्वीकृत हुआ था और सिंचाई विभाग पिछले वर्ष में समय पर कार्य आरम्भ नहीं कर पाया, लेकिन इस वर्ष जल्दी ही आरम्भ कर लेंगे ऐसा उन्हें कह दिया गया है।

Page No 25

श्री बालसिंह सोढ़ा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जिस योजना के तहत यह जिला 10 जिलों में आता है और अकाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वहां आज तक एक भी विकास योजना का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें 5-6 मुद्दे हैं। सभी सेक्टर्स में काम स्वीकृत होने के लिए मास्टर प्लान के फैसले के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन पिछले वर्ष केवल सिंचाई विभाग की मद में अकाल राहत में कुछ कार्य प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने दी थी वह शुरू हो जायेंगे नये कार्यों के सम्बन्ध में मास्टर प्लान तैयार होकर जल्दी ही आरम्भ कर दिये जायेंगे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि गत वर्ष आवश्यकता होते हुए भी रुपया खर्च नहीं किया है सिंचाई विभाग ने ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि 70-71 में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद वित्त मंत्री महोदय।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला महत्वपूर्ण है। जिलेवार ईअर-मार्क कर देते हैं कि इतना रुपया खर्च होगा तो राज्य सरकार द्वारा एक जिले की उपेक्षा करने का क्या कारण है ? उनमें बहुत सी मदे हैं तो एक भी मद में रुपया नहीं रखने और नहीं बनाना प्रारम्भ करने का क्या कारण है ? वहां पर आज तक एक भी रुपया खर्च नहीं करने का क्या कारण है, क्या जैसलमेर की जनता राजस्थान की जनता नहीं है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपमंत्रीजी निवेदन कर चुके हैं कि जैसलमेर में 70-71 के लिए 9,7,6000 रु० इरिगेशन के काम, जो कि अपूर्ण पड़े हुए थे, पूर्ण कराने के लिए स्वीकृत किये गये थे। भारत सरकार ने ये रुपये रिलीफ डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिये थे। उन्होंने टेन्डर इन्वाइट करने में देरी कर दी और उस अरसे में फाइनेन्सियल ईअर का एण्ड हो गया। फाइनेन्सियल ईअर के समाप्त होने के बाद भारत सरकार को रिक्वेस्ट की कि मास्टर प्लान के बनने में यह राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है पूरे हिन्दुस्तान के दूसरे जिले हैं उनका भी है जिस तरीके का मास्टर प्लान वह चाहते हैं और जिस तरीके का क्राइटेरिया उन्होंने तैयार किया है उस तरह का मास्टर प्लान जल्दी से तैयार नहीं हो सकता है, उसमें देरी हो सकती है, इसलिए पिछले वर्ष के कार्य जो स्वीकृत कर दिये गये हैं वे इस साल चालू किये जायें। उनके लिए भारत सरकार की स्वीकृति आ गई है और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है इसमें पैसा लैप्स होने का प्रश्न नहीं है। पिछले वर्ष में जो एलोकेशन हुआ था वह लैप्स नहीं हुआ है।

दूसरा प्रश्न कुछ खडीनों के काम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लिये जा रहे हैं जहां भी पासिबिलिटी है, हालांकि पूरी स्कीम फ्रेम नहीं की जा सकी है उनके लिए टेन्डर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्वाइट कर रहा है। रोड वर्क्स के काम इरिगेशन के माध्यम से

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये गये हैं। दूसरे और जो सामाजिक इम्पोर्टेन्ट काम हैं, जैसे शिक्षा का काम है मेडिकल का काम है, तो किससे ज्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए एक कमेटी बना रखी है। सब जगह एक ही क्राइटेरिया को एप्लाई करने से काम नहीं चल सकता है वह हमारी कान्फ्रेंस में भी डिसकस हुआ था और यह मामला केबिनेट के सामने भी प्रस्तुत किया गया है। किसी एक मामले पर ही राज्य सरकार विचार करके भारत सरकार को सिफारिश नहीं करती है इसलिए प्रस्तावित नहीं किया जा सका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मदनसिंह : वहां की जनता का यह मामला है इस वजह से नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस तरह से उस जिले की अवहेलना कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों से मिसाल लेनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : मिसाल तो मुझे मालूम है।

जैसलमेर के सम्बन्ध में यह जो प्रायोरिटी निर्धारित की थी तो उसमें पीने के पानी की किल्लत है उसको मिटाने के लिए प्रावधान भारत सरकार ने इस स्कीम में नहीं रखा था, क्योंकि यह डिपार्टमेंट.....

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री परसराम मदेरणा : उससे सम्बन्ध नहीं रखता था। उस वक्त हमने भारत सरकार को कहा था कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण पेय-जल योजना को हमे प्रारम्भ करना पड़ेगा। पानी की वहां पर किल्लत है। खासतौर से उसकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए इस चीज को योजना में सम्मिलित करें। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार के एक्सप्लेनेशन को मान लिया है तो टोटल जिलों से एलाटमेन्ट में से किन योजनाओं के अन्दर पैसा खर्च किया जा सकता है तो जैसलमेर के लिए 75 ट्यूब वैल खोदे जाने की टेन्टेटिव योजना तैयार की गई है और वह वाटर बोर्ड को भेजी गई है ताकि टेक्निकल कमेटी द्वारा एक्जामिन किया जा सके। उसकी एक कापी हमने इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को भेजी ताकि इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर उसको एक्जामिन करके उसके एस्टीमेट्स और प्रपोजल्स तैयार करके राज्य सरकार के पास भेजें ताकि योजना को लिया जा सके।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसा मैंने...

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, माननीय सदस्य, कई प्रश्न हैं मेरे पास स्थगित प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। बाकी जिलों में हो गया, जैसलमेर में नहीं हुआ, सिंचाई की योजना बनाई और योजनायें क्यों नहीं बनाई ?

श्री परसराम मदेरणा : जो काम स्वीकृत हो गये थे वह सब जिलों में चालू हो गये हों– यह स्थिति नहीं है। सिंचाई के अलावा सोइल कन्जर्वेशन के काम थे, फारेस्ट वगैरह के काम थे–उनमें से कुछ चालू हुए हैं और कुछ चालू नहीं हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गवर्नमेंट की एफीसियेन्सी है ! भारत सरकार रुपया दे रही है रूरल डवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम के लिए, फिर भी राजस्थान सरकार राजस्थान के अकालग्रस्त और अभावग्रस्त जिलों में वह काम चालू नहीं कर रही है । यह एफीसियेन्सी है कि भारत सरकार स्वीकृति दे योजना की, पैसा दे, फिर भी राज्य सरकार काम चालू नहीं करे ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, छः जिलों की स्वीकृति भारत सरकार से दिसम्बर के एन्ड में आई थी, चार जिलों की स्वीकृति भारत सरकार से फरवरी के तीसरे सप्ताह में आई थी । उसके बाद में कन्सर्न्ड विभाग को, एजेन्सी को योजना दी गई, उस समय तक एक दो महीने कम रह गये ईअर के, इसमें वह स्टॉफ रिक्रूट नहीं कर सके । इरिगेशन के काम में एक बात और थी, इसमें रूरल वर्क्स के लिए अलग स्टॉफ को अपाइन्ट करना था, वह फाइनेन्सियल ईअर में नहीं कर सके । फिर भी इसमें रुपया लेप्स होने का सवाल नहीं है । जो जो काम सेंक्शन किये गये हैं वह चालू कर दिये जायेंगे । इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि जैसलमेर जिले की स्वीकृत स्कीम है वह चालू कर दी जायं । वहां पानी की स्कीम खासतौर से ले रहे हैं । इस जिले को लेकर भारत सरकार के सामने यह मामला उठाया था और भारत सरकार ने इन प्रिन्सिपल तय कर दिया है कि राजस्थान के मामले में सिंचाई की योजनायें ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मोहन लाल मोदी : सीकर, झुंझुनू इसमें शामिल हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे प्रश्न का क्या हुआ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आप स्थान ग्रहण करें । अब प्रश्न नहीं होंगे । (श्री बाल सिंह सोढ़ा के खड़े होने पर) मैं अलाउ नहीं करूंगा ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं फैक्ट की बात कह रहा हूं—...

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायगा

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझे एक छोटी सी बात निवेदन करनी है । चार साल से मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन राज्य सरकार ऐसी जगह दवाखाने नहीं खोल रही है, जहां दस दस मील तक दवाखाने नहीं है और बीमार बिना दवा के मरते हैं । इसलिए मेरे प्रश्न को ले लें तो बड़ी कृपा होगी

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उत्तर से संतोष नहीं होगा, औषधालय खुलवा दें तो संतोष होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद ।

जूनियर एकाउन्टेन्ट के केडर में नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र

820. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने लेखालिपिकों से जूनियर एकाउन्टेन्ट के कैडर में नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र माँगे है ?

Page No 28

(श्रीलाभचन्द वैद)

(2) यदि हां, तो कृपया उसके निर्धारित प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने आवेदन-पत्र लेने से पहले इस सम्बन्ध में नियम प्रसारित कर दिये हैं ?

(4) यदि नहीं, तो कृपया बतायें की बिना नियमों को देखे लेखालिपिक किस प्रकार यह निर्णय ले सकते हैं कि जूनियर एकाउन्टेन्ट के पद में उनकी नियुक्ति लाभदायक होगी अथवा नहीं ?

(5) क्या उपरोक्त मांगा गया आवेदन पत्र जूनियर एकाउन्टेन्ट के पद में अन्तिम विकल्प माना जायेगा ?

(6) क्या कारण है कि नियम प्रसारित करने से पूर्व ही ये आवेदन-पत्र मांगे जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री वित्त, (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) :

(1) जी हां।

(2) प्रति सदन की मेज पर पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने दिनांक 16-11-70 को राज्य विधान सभा में कनिष्ठ लेखाकारों की वेतन श्रृंखला (170-390), कनिष्ठ लेखाकारों का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का एक अंग बनाने हेतु और उसको भविष्य में पदोन्नति आदि का विवरण है।

(5) जी हां।

(6) राजस्थान में लेखा लिपिक समस्त विभागों में कार्य कर रहे हैं। उन सबके विवरण शीघ्रातिशीघ्र इकट्ठे करने हेतु उनके आवेदन पत्र मांगे गये हैं ताकि जैसे ही नियमों में संशोधन होवे कनिष्ठ लेखाकारों का पृथक संवर्ग बनाने में और समय न लगे।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री लाभचन्द वैद : जब रूल्स नहीं बने हैं तब इनको फाइनल कैसे माना जायगा ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उनसे एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है, उनकी दरख्वास्त आ जायगी, नियमों के बारे में जैसा निवेदन किया ....

श्री लाभचन्द वैद : उनको ज्ञान कैसे होगा कि इस पद पर जाने से लाभ है या नहीं ? और जब रूल्स नहीं बने है तो फाइनल कैसे मानेंगे ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उनको क्या वेतन मिलेगा इसकी उन्हें जानकारी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जब रूल्स की एबसेन्स में एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं, तो वह कैसे जानेंगे कि पद लाभ का है या नहीं? How they will apply in absence of the rules.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : यह दरख्वास्त दे सकते हैं, जब हम दरख्वास्त मांगते है। इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार का निर्णय है

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

उसके अनुसार तीन श्रेणियों में आने वाले अकाउन्ट्स क्लर्क सीधे तौर पर लिये जायेंगे। इसमें आल ग्रेजुएट्स-आर्ट्स, साइस, कामर्स Graduates who have passed the Accounts Clerks' test and who are working as Accounts Clerk or offg Accountants on 31—3—1970 irrespective of their length of service or their being temporary or permanent.

Matriculates who are substantive U. D. Cs. and are working as Accounts Clerks.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार तीन श्रेणियों में आने वाले अकाउन्ट्स क्लर्क को जूनियर अकाउन्टेन्ट के संवर्ग में ले लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसको अभी तक रूल्स के जरिये लीगल फार्म नहीं दिया है। मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन इसमें लीगल डिफीकल्टी है कि कभी कोई एम्प्लाई हाई कोर्ट में जाकर रिट कर दे कि यह रूल्स से पहले एप्लीकेशन किस बुनियाद पर ले ली है। It is only a good intention of the Government which has not been published. You have to legally publicise it in the Gazette notification.

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री!

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : बाकायदा नोटिफाई करके एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन यह नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने 16-11-70 को इस सदन को सूचित किया था एक वक्तव्य के द्वारा "विभागों में लेखा लिपिकों के सभी पद समाप्त कर दिये जावेंगे और इनके स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद बना दिये जावेंगे।"

यह पद सृजित किये नहीं हैं, रूल्स बनाये नहीं हैं, कैटेगरीज बनाई नहीं हैं तो एप्लीकेशन इन्वाइट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। पहले आप रूल्स बनायें।

वित्त मंत्री (श्री मथुरा दास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेशन इन्वाइट करने के लिए नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने निकाला है। रूल्स के बारे में निवेदन कर दूं रूल्स ड्राफ्ट हो चुके हैं, और फाइनल स्टेज पर हैं, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी वह पब्लिश हो जायेंगे। एक बात, दूसरी बात, इस मामले में डिले नहीं हो और जितने अकाउन्ट्स क्लर्क हैं उनकी भी मांग थी कि डिले नहीं हो इसलिए नोटिफिकेशन के जरिये एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं। उन एप्लीकेशन पर डिसीजन करेंगे उसके पहले रूल्स पब्लिश हो जायेंगे, घोषणा के सब पाइन्ट उसमें इन्कोर्पोरेट हो जायेंगे। अकाउन्ट्स क्लर्क की रिक्वेस्ट के ऊपर एप्लीकेशन मांगी हैं और रूल्स के ड्राफ्टिंग का काम पूरा कर दिया है, अब रूल्स की फार्मेलिटी भी पूरी हो जायगी। लॉ डिपार्टमेंट से वह निकल चुके हैं ··

श्री लाभचन्द वैद्य : यह छपे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : तब तक अकाउन्टस क्लर्क एप्लीकेशन दे दें ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। उसके सलेक्शन रूल्स के मातहत करेंगे ताकि उनमें कोई लीगल फ्लो नहीं रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एप्लीकेशन से क्या डिसाइड करेंगे ?

श्री मदनसिंह : रूल्स का काम हो जायगा और तब तक एप्लीकेशन आ जायेंगी, लेकिन उनकी सानियोरिटी रहेगी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : सीनियोरिटी का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा था वर्तमान लेखा-लिपिकों में से निम्नांकित श्रेणी के लोग स्वतः ही. कनिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त कर दिये जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए तीन केटेगरीज हैं, जो एप्लीकेशन मांगी गई हैं, तो इन तीन केटेगरीज का तो ओटोमेटिक हो जायगा बाद में रह जायेंगे, उनके लिए रूल्स में प्राविजन है, उसके अनुसार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है।

श्री दौलतराम सारण : स्थगित प्रश्नों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्नों के सम्बन्ध में चर्चा

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : स्थगित प्रश्नों का क्या हुआ। राज्य सरकार मेरे प्रश्नों का उत्तर देती नहीं है और उनको स्थगित करवाती है। एक बार प्रश्न स्थगित हो जाता है, दुबारा स्थगित प्रश्न के रूप में आता है तो वह फिर स्थगित हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्नों के बारे में ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फूलचन्द बाफणा का प्रश्न तीन बार स्थगित हुआ है। रामचन्द्र आर्य का दो बार स्थगित हुआ ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केसरीसिंह जी का स्थगित हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि दो दो तीन तीन बार स्थगित क्वेश्चन होते है और यह सेशन समाप्त होने वाला है 25 तारीख को। यह इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है जो स्थगित हुआ है। यह क्वेश्चन आज लगे हैं, अब आज भी स्थगित हो तो चार पांच पांच दिन के अन्दर यानि 24, 25 को यह रख दिये जायं।

श्री दौलतराम सारण: मेरा निवेदन है मेरे प्रश्न स्थगित होते हैं, जो प्रश्न स्थगित हो कर दुबारा ही आता है तो मेरा दूसरा प्रश्न नहीं लगता और पहले स्थगित दुबारा हो जाता है। फिर आता है तो मेरा नया प्रश्न नहीं लगता। इस प्रकार मेरे प्रश्न स्थगित करते हैं और नये नहीं लगते हैं। इस कारण मेरे प्रश्न आने से महरूम रह

(श्री दौलतराम सारण)

जाते हैं और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है, इसलिए स्थगित प्रश्नों के परिणाम स्वरूप, आप इस प्रकार का आदेश प्रदान करें, मेरे स्थगित प्रश्न आयें तो वह आगे के ही लिए स्थगित न हों और स्थगित प्रश्न के साथ मेरे और प्रश्न भी लगाये जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 24 तारीख केवल स्थगित प्रश्नों के लिए रख दी जाय।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न स्थगित होते हैं, उसके बाद में दूसरा प्रश्न नहीं आता है, और दूसरी बार भी स्थगित होता है तो तीसरा नहीं आता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं••••

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह महत्वपूर्ण है••• •••

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री कुछ प्रश्न नहीं हुए मेरे प्रश्न पर।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, कोई प्रश्न नहीं। स्थगित प्रश्नों के प्रश्न पर थोड़ी चर्चा आरम्भ हुई है। स्थान ग्रहण करें।

श्री लाभचन्द वैद : सप्लीमेन्ट्री कुछ नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब नहीं। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लाभचन्द वैद : ऐसे कैसे समाप्त हुए ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही होते हैं।

श्री लाभचन्द वैद : सप्लीमेन्ट्री नहीं करने दिये तो प्रश्न समाप्त कैसे हुए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गालाल बादवार : एक प्रश्न मेरा भी है उसके बारे में सूचना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, आपको भी सहयोग देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है वह उचित है। दूसरा प्रश्न है श्री सारणजी के स्थगित प्रश्नों के बारे में प्रश्न उठाया है कि उनके प्रश्न अक्सर स्थगित हो जाते हैं। यह उनके लिये बड़ी भारी चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्य के प्रश्न स्थगित हो जाते हैं और उनके जो नये प्रश्न आने चाहिये वह आने से रह जाते हैं। मैं माननीय सदस्यों को इस बारे में यह कह देना चाहता हूं कि मैं यथाशक्ति सहयोग प्रदान करता हूं और माननीय सदस्यों द्वारा जब स्थगित प्रश्न के बारे में पूरक प्रश्न उठाये जाते हैं और इतने अधिक प्रत्येक प्रश्न पर पूछे जाते हैं उन पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है दूसरे प्रश्न को लेने के सम्बन्ध में ही संघर्ष करता रहता हूं, मुझे ही संघर्ष करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के लिये शीघ्र ही व्यवस्था की जाये। दूसरा प्रश्न है कि जितने भी प्रश्न सूची में हों उन सबको ले लिया जाया करे, यह संभव है कि जब उन पर पूरक प्रश्न होते हैं वे बन्द हो जाएं, आसन की यह कदापि

(श्री अध्यक्ष)

मंशा नहीं रहती है और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई प्रश्न पूछे जाने से रह जाय या स्थगित हो जायं। इस सन्दर्भ में दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्थगित प्रश्न हों वे सब स्थगित प्रश्न इस सत्र में ही रख लिये जायं। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं या तो प्रश्न सूची में नये प्रश्न ही कम रखे जायं और स्थगित प्रश्नों को ही पहले लिया जाय या फिर नये प्रश्न लिये ही नहीं जायं और जितने भी स्थगित प्रश्न हों उन्हें ही लिया जाय। इस बारे में विचार करके अपना निर्णय दे दूंगा कि इस समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें विचार करने का क्या प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सत्र 25 तारीख तक चलेगा, 25 को ही समाप्त हो रहा है, तारीख 19, 20 को सैशन है और इसके बाद 21, 22 व 23 तारीख को अवकाश रहेगा तो इन दिनों में अवकाश नहीं रख कर दो तीन दिन में सदन की बैठक रख ली जाय और उसमें जितने भी ऐसे प्रश्न हों उन्हें ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न—इस सत्र में ले लिये जायं, किस रूप में लिये जायं यह तो मैं सोचूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो हम यह आप पर छोड़ते हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों के बारे में एक कठिनाई है कि वे हमेशा स्थगित होते रहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रश्नों का जवाब देना ही नहीं चाहती है और उनको टालती रहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आर्य, माननीय आर्य, मैं खड़ा हूं The chair is on its legs, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, माननीय आर्य।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर) श्री आर्य साहब प्रश्न समाप्त हो गये हैं। श्री आर्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्थगित प्रश्नों पर अपनी व्यवस्था दे दी है और आप उसी मुद्दे को फिर उठा रहे हैं। श्री आर्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री आर्य के बोलते रहने पर) स्थगित प्रश्नों के बारे में व्यवस्था दे चुका हूं।

एक माननीय सदस्य : आप माननीय सदस्यों को दबा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दबा नहीं रहा हूं। दबाने का प्रश्न है नहीं। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी स्थगित प्रश्न हैं इस सत्रावधि में ही ले लिये जायेंगे।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न का जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि अब प्रश्न रहता है दूसरा श्री सारणजी के प्रश्नों के बारे में कि उनके प्रश्न हमेशा स्थगित हो जाते हैं। उन्हें इसकी बड़ी चिन्ता है। मैं उनको

(श्री अध्यक्ष)

विश्वास दिलाता हूं कि उनके जितने भी स्थगित प्रश्न हैं उन्हें बिना उत्तर दिया हुआ इस सत्र में नहीं रहने दिया जायेगा।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मेरे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। (श्री मुकटबिहारीलाल के बोलते रहने पर) अब आपने भाषण देना प्रारम्भ कर दिया है। माननीय सदस्य मैंने बार बार आपको निवेदन किया है प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का प्रश्न नहीं एक सुझाव है.........

श्री अध्यक्ष : क्या है ? दीजिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि स्थगित प्रश्न हों उनको पहले ही ले लिया जाय और उसके लिये एक ऐसी परम्परा का निर्माण किया जाय कि जो प्रश्न सूची प्रकाशित होती है उसमें पहले स्थगित प्रश्नों को लिया जाय और बाद में नये प्रश्नों को लिया जाय ताकि स्थगित प्रश्न के स्थगित रहने का कोई टन्टा ही नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि कई विधान सभाओं में ऐसी व्यवस्था है कि जो प्रश्न आते हैं उनके साथ उनके उत्तर भी आते हैं। उसी प्रकार यहां प्रश्नों के उत्तर उनके साथ छपे हुए प्रस्तुत कर दिये जायं ताकि माननीय मन्त्री को उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे और प्रश्नोत्तर काल का जितना भी समय बाकी बच जाय उसमें हम जो भी सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहें वह पूछ लें। ऐसी व्यवस्था लोकसभा में है और दूसरी विधान सभाओं में भी है। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य मैं समझ गया हूं। आप एक छोटे से प्रश्न पर इस सदन का इतना समय क्यों ले रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में ही समाप्त कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मेरा तीसरा सुझाव है कि जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न लैप्स हो जाते हैं या माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण रह जाते हैं जैसे कि प्रश्न नम्बर 420, यह मान लीजिये रह गया तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों का रिटन रिप्लाई उस माननीय सदस्य को भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : जो भी आपने सुझाव दिये हैं और जब 25 तारीख को क्योंकि यह सत्र समाप्त हो रहा है इसलिये किस प्रकार से इन प्रश्नों को लाने की व्यवस्था की जाय इसके बारे में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 21, 22 व 23 तारीख को अवकाश होगा, अध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय, उन दिनों में विधान सभा की बैठक बुला ली जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें ऐसे जितने भी मुद्दे हैं, ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, उन पर विचार करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी जब इन सारे मुद्दों पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है यह शिरोधार्य है पर मेरा निवेदन है कि मेरे स्थगित प्रश्नों के उत्तर का जहां तक सम्बन्ध है उसमें गवर्नमेन्ट आपको सहयोग देगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मैं सरकार को बराबर सहयोग देते रहने के लिये कहता हूं। मैंने राज्य सरकार को यह निर्देश दे दिया है कि जो भी प्रश्न स्थगित किये जायं या प्रश्न स्थगित कराया जाना सरकार आवश्यक समझती हो तो उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार पहले इस सचिवालय को सूचना दे ताकि माननीय सदस्यों को पहले से अवगत कराया जा सके कि उनका प्रश्न स्थगित हो रहा है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)।

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

भारत पाक युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सहायता

816. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 1965 में भारत-पाक आक्रमण के वक्त मिठड़ाऊ, दीपला, सोमड़ार के कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स के परिवार बेघर हो गये थे, और क्या सरकार ने कुछ परिवारों को मकान मरम्मत के लिए पैसे देना मन्जूर किया था? यदि हां, तो प्रत्येक ग्राम में कितने परिवारों को?

(2) क्या यह सही है कि मकान मरम्मत के लिए पैसा देने की सिफारिश कलेक्टर बाड़मेर ने की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार को सिफारिश की है अभी तक मन्जूरी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां।

माउन्ट आबू में प्रचलित कानून

818 **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) माउन्ट आबू किस साल राजस्थान में मिला?

(ख) इस वक्त माउन्ट आबू में बम्बई के कानून लागू हैं या राजस्थान के?

(श्री रूपसिंह)

(ग) क्या राजस्थान ने माउन्ट आबू के लिए कोई नये लॉ बनाये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) माउन्ट आबू दिनांक 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान में मिला।

(2) इस वक्त माउन्ट आबू में कतिपय विषय सम्बन्धित राजस्थान के तथा अन्य विषय सम्बन्धित पूर्व बम्बई राज्य के कानून लागू हैं।

(3) जी नहीं। राजस्थान ने माउन्ट आबू पर वे सब कानून लागू किये हैं जो आबू के राजस्थान में विलय होने के पश्चात् सम्पूर्ण राजस्थान के लिये समय समय पर लागू किये गये हैं। इनके अलावा 1 नवम्बर, 1956 के पूर्व के भी कतिपय राजस्थान के कानून भी, जैसा-कि संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं, समय 2 पर लागू कर दिये गये हैं। केवल माउन्ट आबू के लिये ही कोई अलग से नये कानून नहीं बनाये गये हैं। जो शेष कानून बम्बई के अब भी माउन्ट आबू पर लागू है उन्हे निरस्त करने हेतु एक विधेयक तैयार कर लिया गया है जो कि केवल माउन्ट आबू के लिये ही है। जो सदन में वितरित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सद्भावना सप्ताह

823. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन द्वारा सद्भावना सप्ताह मनाया गया था ? यदि हां, तो उस पर प्रचार, इनामों आदि पर कितना खर्चा किया गया ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सद्भावना सप्ताह के दौरान जयपुर-अजमेर रूट पर इनामी योजना चलाई थी ? यदि हां, तो इस मार्ग को किस आधार पर चुना गया बाकी रूटों पर ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रचार तथा इनामों इत्यादि पर लगभग 12,000/–रुपये की धन राशि का व्यय हुआ। व्यय की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। इस मार्ग पर अनधिकृत वाहनों का चलन अधिक होने के कारण, यात्रियों को निगम की गाड़ियों में आकर्षित करने के उद्देश्य से इस मार्ग को चुना गया था। यह एक नवीन प्रयास था। इसलिए केवल एक ही मार्ग चुना गया। अन्य मार्गों पर इस प्रकार की योजनाएं विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

बमोरी घाटा ग्राम में बिजली के लिये जारी किये गये डिमाण्ड नोटिस

824. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद तहसील के बमोरी घाटा ग्राम में 12 मह

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

पहले डिमाण्ड नोटिस निकाल दिये जाने के बाद भी जब कि कन्जूमर ने सारी कनेक्शन में पड़ने वाली तकमीलें पूरी करा दी थीं, समय पर कनेक्शन नहीं दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि बमोरी घाटा ग्राम के दो कुओं पर विद्युत लाइनें खींचने के लिये कन्जूमर पर ही भार डाला गया था—जैसे (1) खम्बे छीपाबड़ौद से बमोरी घाटा पहुंचाना, (2) खम्बे खड्डे खोदकर खड़े करना, (3) बिजली की लाइन के लिये तार का छीपाबड़ौद से बमोरी घाटा पहुंचाना (4) खम्बों पर तार बिछाकर पूरी लाइनें खेंचना ?

(3) क्या यह सही है कि कन्जूमर से तीन सौ रुपये तीन होर्स पावर की मोटर की लाइन के लिये व 375 रुपये 5 होर्स पावर की मोटर के लिये इसी बात के लिये जाते हैं कि विद्युत विभाग ही अपनी तरफ से लाइन खिचवायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि बार बार विद्युत मन्त्री के आदेश तीन बार उपमंत्री विद्युत के आदेश के बाद भी कोटा के अधिकारियों ने तथा सबोर्डिनेट स्टाफ ने उक्त बमोरी घाटा ग्राम के काश्तकारों को समय पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जब कि इसी गांव के एक कुए पर जो प्राथमिकता के क्रम में पीछे था, कनेक्शन दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिये 10 होर्स पावर की मोटर तक सर्विस कनेक्शन चार्जेज 300 रुपये लिये जाते हैं और 15 रुपये प्रति हार्स पावर सिक्यूरिटी के लिये जाते हैं।

(4) जी नहीं, प्रार्थियों ने जैसे ही विभागीय कार्यवाही पूरी की वैसे ही उनको कनेक्शन दे दिये गये। सभी कनेक्शन क्रमानुसार ही दिये गये हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक

830. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- -

(1) राजस्थान में अब तक किन किन अध्यापकों को किस किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा किस किस प्रकार का अनुदान या सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? इस प्रावधान के अनुसार अब तक किस किस अध्यापक को कब कब किस किस प्रकार की सहायता दी गई और किन किन को नहीं और क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) समस्त पुरस्कृत शिक्षकों को सेवाकाल में राज्य सरकार की ओर से 3 वर्ष की अभिवृद्धि की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं आर्थिक सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नशाबन्दी के लिये केन्द्र से अनुदान

721. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शराब के ठेके या अनिवार्य स्कीम से हर साल खजाने में कितना रुपया जमा होता है ?

(2) राज्य में नशाबन्दी के लिये केन्द्रीय सरकार से कितना अनुदान मिलता है ? पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्रीय सरकार से जो अनुदान हर साल नशाबन्दी के लिये मिलता है उसको किस काम में खर्च किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य को देशी शराब के ठेकों से वर्ष 1967-68 से वर्ष 1969-70 तक क्रमश: 6,58,42,242, 7,90,97,427 व 6,81,67,130 रुपये की आय हुई।

(2,3) केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान नहीं मिला है। अतः अनुदान अथवा उसके खर्चे के आंकड़े देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज-ऋषि कॉलेज अलवर की केन्टीन

722. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के राज ऋषि कालेज में एक केंटीन चलाई जा रही है ? यदि हां, तो यह केंटीन कब से चलाई जा रही है ?

(2) इस केंटीन की व्यवस्था कौन करता है ?

(3) क्या इस केंटीन के आय-व्ययक का कोई हिसाब रखा जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस केंटीन का भवन सरकारी है, फर्नीचर सरकारी है, बिजली पानी का खर्च भी सरकार देती है तथा नौकर का वेतन भी सरकार देती है ?

उत्तर

(1) यह सही है। राजऋषि कालेज अलवर में एक केंटीन चलाई जा रही थी। अब यह केंटीन दिनांक 4-3-71 से विभागीय आंतरिक जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार बन्द करदी गई है। यह केंटीन जुलाई 65 से चालू की गई थी।

(2) इस केंटीन की व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थापक नियुक्त किया हुआ था, जो कॉलेज द्वारा नियुक्त एक प्रोफेसर की निगरानी में कार्य करता था।

(3) इस केंटीन के आय व्यय का हिसाब उपरोक्त व्यवस्थापक द्वारा रखा जाता था। केंटीन के गत पांच वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा संलग्न है।

(4) यह सही है कि केंटीन सरकारी भवन में ही चलाई जाती थी और नल बिजली का खर्चा भी सरकार द्वारा दिया जाता था और फर्नीचर भी कॉलेज ब्वायज फण्ड से खरीद कर काम में लिया जाता था। किन्तु केन्टीन के नौकरों का वेतन केंटीन की आय में से दिया जाता था।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजऋषि कालेज अलवर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

723. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजऋषि कालेज अलवर में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) उनकी नियुक्तियां कहां पर की हुई हैं तथा उनकी हाजरी कहां पर की जाती है ?

(3) क्या प्रिंसीपल अथवा अन्य प्रोफेसरों के निवासस्थान पर भी कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है ? यदि हां, तो कितनों की और कहां कहां पर ?

उत्तर

(1) राजऋषि कालेज अलवर में कुल 38 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

(2) नियुक्तियां किस प्रकार से हुई हैं इसकी सूची संलग्न है। इसकी हाजरी भी इसी प्रकार होती है।

(3) किसी प्रोफेसर के निवास स्थान पर किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। प्रिंसीपल के निवास स्थान पर सरकारी कार्य हेतु दो व्यक्तियों की अलग अलग समय पर ड्यूटी आवश्यक कार्य हेतु लगाई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम सीसवाली में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर

724. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल के ग्राम सीसवाली जिसकी आबादी सात हजार से अधिक है में अभी तक प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, डाक्टर, डिस्पेन्सरी नहीं है ? यदि हां, तो यहां पर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर या डाक्टर डिस्पेन्सरी कितने माह में खोल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम सीसवाली में एक एड पोस्ट डिस्पेन्सरी है जिसमें एक प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान है। परन्तु अभी सीसवाली में में कम्पाउण्डर्स श्रेणी 2 कार्यरत है।

अस्पताल परामर्शदाता समिति

725. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अस्पताल व्यवस्था हेतु अस्पतालों में परामर्शदाता समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस जिले के किस-किस अस्पताल में कब-कब परामर्शदाता समिति का गठन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा व बारां अस्पताल के लिये परामर्शदाता समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ. 11 (1) एम. पी. एच./54-ग्रुप 2 दिनांक 30-1-70 द्वारा होस्पीटल कमेटी का निर्णय लिया है। राज्य के निम्नलिखित जिलों में गठित की गई कमेटी का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

जिला	चिकित्सालय का नाम	गठित दि०
भीलवाड़ा	जनरल चिकित्सालय भीलवाड़ा	19-9-70
झालावाड़	झालावाड़	19-8-70
धौलपुर	धौलपुर	19-8-70
बांसवाड़ा	जनरल चिकित्सालय, बांसवाड़ा	19-8-70
,,	कुशलगढ़	
अजमेर	जे. एल. मे. अस्पताल, अजमेर	6-8-70
बूंदी	जनरल चिकित्सालय, बूंदी	6-8-70
डूंगरपुर	डूंगरपुर	6-8-70
उदयपुर	जनरल जनाना अस्पताल, उदयपुर	31-8-70
चित्तौड़गढ़	हैड क्वार्टर प्रतापगढ़ कपासन, के. निम्बाड़ प्रतापगढ़	13-8-70
चित्तौड़गढ़	जनरल चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़	19-9-70
जोधपुर	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	10-9-70
बाड़मेर	जनरल चिकित्सालय, बाड़मेर	19-9-70
सिरोही	जनरल चिकित्सालय, सिरोही	6-8-70
सवाई-माधोपुर	जनरल चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर	19-8-70

(2) जी हां, जिलाधीश कोटा से हास्पिटल कमेटी के गठन के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ हैं। जैसे ही उसके प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे तो हास्पीटल कमेटी का गठन कर दिया जावेगा।

गोपालपुरा बांध

726. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) जिला कोटा की किशनगंज तहसील में सिंचाई हेतु गोपालपुरा बांध योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और उससे कितनी एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी ?

(2) यह योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी तथा प्रतिवर्ष कितना-कितना रुपया किस-किस प्रकार से व्यय होगा ?

उत्तर

(1) इस बांध पर लगभग 33.41 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है और इसके पूर्ण होने पर लगभग 6320 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी।

(सिंचाई मंत्री)

(2) यह योजना आवश्यक धनराशि की उपलब्धी पर जून 1974 तक पूर्ण हो सकेगी। प्रति वर्ष का प्रस्तावित खर्चा इस प्रकार है:—

1970-71	1,23,270/-
1971-72	10,00,000/-
1972-73	16,00,000/-
1973-74	6,17,730/-
योग—	33,41,000/-

काणा व मूठाणा बांधों का कमाण्ड क्षेत्र

727. फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) (अ) पाली जिले के काणा व मुठाणा बांध के कमांड क्षेत्रों के कृषकों की खेती में पांचवें पानी की पूरी आवश्यकता है फिर भी पानी क्यों नहीं दिया गया ?

(ब) क्या यह सही है कि उपरोक्त किसानों की कृषि को यदि समय पर पांचवां पानी नहीं दिया गया तो उनकी कृषि बरबाद हो जावेगी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या सरकार ने उपर्युक्त संबंध में रानी जिला पाली से प्रकाशित 'गोडवाड़ टाइम्स' के ता. 15-2-71 तथा तारीख 29-3-71 के अंक देखे है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) काणा मुठाणा बांध के कमांड क्षेत्र में खेती के लिए केवल चार पाण ही दिये जाते हैं और चार पाण दे दी गई पांचवी पाण देने के लिये पानी अवशेष नहीं रहता।

(ब) जी नहीं

(2) जी नहीं।

सिंचाई की दरें

728. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई की दरें गंग केनाल, भाखरा, घग्घर केनाल और राजस्थान केनाल, और चम्बल क्षेत्रों में एक ही जिन्स के लिये अलग अलग क्यों हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि गन्ने की पिलाई एक एकड़ के लिये गंग केनाल, भाखरा, घग्घर और राजस्थान केनाल क्षेत्रों में 22·00 है और चम्बल क्षेत्र में 27·00 है ? यदि हां तो यह अन्तर क्यों है ?

(3) क्या इसी प्रकार वाटर नट्स के लिये 15.00 और 17·00 गेहूं के लिये 8·00 और 10·00 और हरे चारे के लिये 6·00 और 12·00 चना एक पिलाई 4·00 और 7·00 और चना एक से अधिक पिलाई 9·00 और 12·00 है ? यदि हां, तो इस प्रकार की दरें किस आधार पर निर्धारित की गई हैं ?

उत्तर

(1) गंग केनाल, भाखरा, घग्घर केनाल और राजस्थान केनाल क्षेत्र में सिंचाई दरें समान है। केवल चम्बल क्षेत्र में

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

सिंचाई की दरें कुल जिन्सों की अधिक है। क्योंकि सिंचाई की दरें तय करते समय यह ध्यान में रखना पड़ता है कि वहां की मिट्टी और जलवायु कैसी है।

(2) जी हां, दरों के अन्तर के संबंध में प्रश्न के खण्ड 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) जी हां, केवल हरे चारे के लिए 6.00 के स्थान पर 4.00 चार्ज किया जाता है। दरों के निर्धारित के सम्बन्ध में प्रश्न के खण्ड 1 स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

राजस्थान नहर, गंग व भाखरा नहरों का पानी

729. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर, गंगनहर व भाखरा में राजस्थान में कितना क्यूसेक पानी हर साल आता है ? अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान नहर से लालदेल अनूपगढ़ शाखा में कितने क्यूसेक पानी गत वर्ष दिया गया और कितनी भूमि को इस नहर से सिंचित किया गया था ?

(3) किसी भी नहर या शाखा पर पानी देने के मोगे किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं और मोगों का नाप किस आधार पर तय किया जाता है ? अगर कोई नियम हो तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अनूपगढ़ लालदेल पर कितनी डिस्ट्रीबूटरीज व कितनी माइनर्स हैं और कितने सीधे मोगे निकाले हुए हैं और उनकी क्या क्षमता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर, गंगनहर व भाखरा में आने वाले पानी का वर्ष वार ब्यौरा निम्नप्रकार से है:—

वर्ष	नहर का नाम	पानी की मात्रा क्यूसेक दिनों में
1969-70	राजस्थान नहर	31,77,422
	गंगनहर	29,41,564
	भाखरा नहर	25,82,000
1970-71	राजस्थान नहर	55,07,030
(माह फरवरी	गंगनहर	26,49,240
के अन्त तक	भाखरा नहर	22,92,000
दोनों फसलों के लिए)		

(2) लालदेल अनूपगढ़ शाखा को गत वर्ष माह फरवरी, 1971 तक 7,99,686 क्यूसेक दिन पानी दिया गया था और 72,530 एकड़ भूमि की इस नहर से सिंचाई हुई थी।

(3) किसी नहर या शाखा पर मोगों की स्वीकृति डिवीजनल इरिगेशन आफिसर द्वारा दी जाती है। राजस्थान सिंचाई व जल सिंचन नियम 1955 के नियम 11 की प्रति संलग्न है। मोगों के माप मोगे में से दिये जाने वाले पानी की मात्रा के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(4) अनूपगढ़ शाखा पर 18 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं 58 माईनर्स हैं तथा 368 मोगे स्वीकृत हैं मोगों की क्षमता उसके कृष्य वंशागत क्षेत्र के आधार पर रखी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

विसलपुर बांध

730. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) टोंक जिले की तहसील देवली में विसलपुर बांध बनाने के लिये सरकार ने मन्जूरी दे दी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस बांध का सर्वे हो गया है ? यदि हां, तो कितनी रकम का एस्टीमेट बना है और इससे कितनी भूमि की सिंचाई कौन कौन सी तहसीलों में होगी ?

(3) सरकार का इस बांध को कब तक पूर्ण कराने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, तखमीने के अनुसार इसकी लागत लगभग 700 लाख रुपये हैं। इससे जयपुर शहर तथा अजमेर को पेय जल उपलब्ध करवाया जायगा।

(3) जितना जल्दी हो सकेगा।

मजदूरी की बकाया

731. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

बाड़मेर जिले में, सन् 1969 में जिन लोगों ने अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत मजदूरी की थी, उनमें से कितने लोगों का पेमेन्ट बकाया है ? क्या सरकार उनका पेमेन्ट देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

बाड़मेर जिले में सन् 1969 में जिन लोगों ने अकाल सहायता के अन्तर्गत मजदूरी की थी उनमें से 4746 मजदूरों का भुगतान बकाया है। सरकार इनको शीघ्र भुगतान की व्यवस्था कर रही है।

पंचायत समिति लाडनूं की आय-व्यय

732. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर को निजी आय के खाते में आय होती है ? यदि हां, तो सन् 1965 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त आय में से किस किस कार्य में कितने कितने रुपये कब कब खर्च किये गये सन् 1965 से अब तक ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) निजी आय में से खर्च करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) क्या उपरोक्त व्यय नियमानुसार किया गया है और उस खर्चे में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ?

(5) निजी आय की राशि को खर्च करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या नियंत्रण हैं ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कोष की समिति क्षेत्र से बाहर भी खर्च किया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये कब खर्च किये गये और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

सरपंचों व प्रधान पर खाद बीज की बकाया

733. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले के श्री मोहनलालजी पल्लीवाल प्रधान पंचायत समिति टोंक, श्री धर्मचन्द जी, प्रधान देवली, श्रीरामप्रसाद सरपंच सोरन, श्री राजूलाल जी, सरपंच लवादर, श्री छीतर भूतपूर्व सरपंच, कावरा, श्री बलताप, सरपंच धुआ, श्री अम्मालाल जी, सरपंच छाण एवं श्रीराम कुमार जी सरपंच पलड़ा में सरकारी बकाया खाद बीज सहकारिता व पंचायत समितियों की अन्य बकाया कितनी कब से चली आ रही है ? कितने केस अमानत में खयानत के, कितने केस गबन के व कितने केस पी. डी. आर. में चल रहे है ? नामवार मय रकम राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति निवाई के किस किस सरपंचों व प्रधान पर खाद बीज सहकारिता के कितने रुपये बकाया है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र

734. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां पावर हाउस में गत आठ वर्षों में किस किस गांव के किस किस व्यक्ति के खेत व मकान आदि स्थानों पर बिजली का कनक्शन दिये जाने हेतु पांच रुपया फीस सहित आए प्रार्थना-पत्रों में से किस किस को रद्द किया गया और रद्द करने का क्या कारण था ? प्रति वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र अकारण रद्द कर दिये गये उन व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र शुल्क का रुपया अभी तक क्यों नहीं लौटाया गया और अब कब तक लौटा दिया जायेगा और ऐसी कुल धन राशि कितनी है ?

उत्तर

(1) बारां उप-खण्ड में मार्च 71 तक खेत व मकान आदि पर बिजली देने के कुल करीब 1534 प्रार्थनापत्र रद्द किये गये हैं। वांछित सूचना देते हुए विस्तृत सूची बनाने में समय लगेगा।

(2) कोई भी प्रार्थनापत्र अकारण रद्द नहीं किया गया। मुख्यत: वह प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये हैं कि जिसमें प्रार्थी ने

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

डिमाण्ड नोटिस की राशि निश्चित समय में जमा नहीं कराई थी। ऐसे प्रार्थियों का प्रार्थनापत्र शुल्क 5 रुपया वापिस नहीं लौटाया जाता है। यह शुल्क केवल ऐसे ही मामलों में लौटाया जाता है जबकि प्रार्थनापत्र के रद्द करने का कारण विद्युत मण्डल की तरफ से कनेक्शन देने में असमर्थता हो जैसे कि कनेक्शन का तकनीकी-तौर पर फीजिबल न होना आदि। यह शुल्क प्रार्थी द्वारा रिफण्ड के लिये प्रार्थना-पत्र देने पर लौटाया जाता है। बारां उप-खण्ड में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र इस प्रकार के शुल्क के रिफण्ड के लिये पेंडिग नहीं है। जब भी प्रार्थीगण रिफण्ड के लिये प्रार्थना-पत्र देंगे तब इस शुल्क के रिफण्ड की कार्यवाही की जावेगी। इस उप-खण्ड के जिन प्राथियों की 5 रुपया शुल्क की राशि इस प्रकार लौटाई जानी है उसकी कुल धनराशि लगभग 1,200) रुपये होती है।

लाखनपुर में अलाट की गई भूमि

735. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 20-4-71 को प्रश्न संख्या 375 (तारांकित) के उत्तर के दौरान प्रश्नकर्ता को यह आश्वासन दिया गया है कि लाखनपुर (तहसील बोंली) का जो वन-विभाग की भूमि 65-66 में तहसील द्वारा भूमिहीन किसानों को बोना-फाइड मिस्टेक के कारण अलाट कर दी गई थी और जिसको तब से काश्तकार काश्त भी करते चले आ रहे हैं उनको काश्त में अन्तिम निर्णय न होने तक विभाग द्वारा बाधा नहीं पहुंचाई जावेगी ? यदि हां, तो इस आशय के आदेश अधीनस्थ अधि-कारियों को राज्य सरकार द्वारा किस तारीख को प्रेषित किए गये ? पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 21-4-71 को प्रश्न संख्या 375 तारांकित का विधान सभा में उत्तर नहीं दिया गया। अतएव दिनांक 21-4-71 को इस विषय में कोई आश्वासन देने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। परन्तु ऐसे अलाटमेंट के मामलों को रेग्यूलराइज करने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

मंडावर औषधालय के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें

736. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मंडावर (जिला झालावाड़) के औषधालय के वैद्य के खिलाफ शिकायती पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) वैद्य जी कब से यहां हैं ? क्या यह सही है कि ये राजनीति में भाग लेते हैं ?

(3) इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-5-71)

ग्राम पंचायत अवार के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

666. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अवार के सरपंच श्री दरबारी के विरुद्ध जिलाधीश भरतपुर को श्री रामलाल जाटव व श्री लक्ष्मी पंच ग्राम पंचायत अवार पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा इस प्रकार की दरख्वास्त दी गई कि रास्ता साफ करने व मंजूरी देने के बहाने कुछ कागजात पर दस्तखत करा लिये हैं और उनमें अन्देशा है कि उन्हें उनकी पंचायत से पृथक करने के लिये उनके त्याग-पत्र व गलत नोटिस बनाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री चिन्तामणि ग्राम सेवक एवंम् सचिव ग्राम पंचायत अवार ने जिलाधीश एवं विकास अधिकारी को यह शिकायत की कि न्याय पंचायत के चुनाव के कारण उपरोक्त पंचान को पृथक करने की जाली कार्यवाही पिछली तारीखों में पांच बैठकों की कार्यवाही मुझसे जबरदस्ती धमकी देकर जाली लिखवायी गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचान को उक्त जाली कार्यवाही के आधार पर पंचायत से पृथक करने की कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत अवार द्वारा करदी गई है ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के खिलाफ जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को उक्त जिलाधीश पंचायत द्वारा बार बार तलब करने पर भी रिकार्ड अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिलाधीश द्वारा रिकार्ड मंगवाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि राजनैतिक दबाव के आधार पर इस सारे मामले को दबाने की कोशिश जारी है ?

(6) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति, कुम्हेर द्वारा भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, जिलाधीश एवं जिला-पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं द्वारा राज्य प्रशासन में कथित अनुचित हस्तक्षेप के मामले में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री रामकिशन व श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

(श्री अध्यक्ष)

इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिससे भरतपुर जिले की मण्डियों से फूड कोरपोरेशन द्वारा गेहूं की खरीद सीधे किसानों से न कर बिचोलियों के मारफत किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस विषय में आज ही माननीय खाद्य मन्त्री जी वक्तव्य देंगे और उसमें इस मामले को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(2) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा ने पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों में पश्चिमी पाकिस्तान के घुसपैठियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है।

उपरोक्त मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं है। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने मे असमर्थ हूं।

निम्नांकित तीन पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार है:—

(1) ग्राम सारसोप में दिनांक 13-4-71 को एक व्यक्ति की हत्या व मुलजिम को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल जैलिया, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) ग्राम खातोली जिला कोटा के थानेदार के अत्याचारों के विरुद्ध एक समाज सेवी कार्यकर्त्ता द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्ताव।

(3) जयपुर में सी० टी० एस० के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। यह हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्ण निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) माननीय सदस्य अपना दायित्व नहीं समझते हैं। सभी माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य प्रदेश कांग्रेस के सब नेता

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लोग प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग गये हैं और उसके लिये गृह मंत्रीजी ने बयान दिया कि मुझे काम नहीं करने देते और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी सूची माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेजूंगा और वे स्वयं इसकी जांच करायें क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने देते ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य·······

श्री रामचन्द्र आर्य : अनेक सदस्यों ने इस प्रकार के आरोप लगाये हैं··· ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इस पर बोलने लग गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह कानून और व्यवस्था से संबंधित मामला है और राजस्थान में कानून और व्यवस्था कई दिनों से भंग हो चुकी है······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने जानकारी के लिये भेजा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : और अनेक सदस्यों ने ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी के लिये भेजा है।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलने पर) अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने जानकारी के लिये इस प्रस्ताव को भेजा है। आप बोलने लग गये हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दिया है उसकी पालना की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो सदन के अन्दर और जो देश के अन्दर, देश की जनता भी शरणार्थियों के लिये चन्दा इकट्ठा करती है और वह उन घुसपैठियों के काम आता है और उसकी जांच नहीं होती। मेरा सुझाव है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट भारत सरकार को सुझाव दे कि जो जवान हैं उनको ऐसे साधन दें कि जो उनका लक्ष्य है वह उसकी पूर्ति करें। स्त्री हैं, पुरुष हैं उनको यहां रखा जाये बाकी जो लोग स्ट्रांग हैं, बाकी जो बच्चे हैं वह भी यहां रहें ताकि जो आदमी लड़ सकते हैं, जो देश को कुछ दे सकते हैं उन्हें वहां वापिस भेज दिया जाये और जो आये हैं उनकी पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये ताकि जो घुसपैठिये बन गये हैं और खराब तत्व हैं उनको शरणार्थी बना कर फालतू खर्चा नहीं उठाया जाये······

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : ··· मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर और जो भी संबंधित हैं और जो समिति बनाई गयी है उसको बोर्डर पर जाना चाहिए और वहां जाकर जांच करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। स्थान ग्रहण करें।

++++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 48

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ दिनों पूर्व अटरू के अन्दर एक घटना घटी उसके लिये कहा था कि जानकारी की जा रही है तो उसे काफी समय हो गया है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ···

श्री अध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं उसमें गंगानगर जिले के अन्दर जो गेहूं की खरीद हो रही है उसके सम्बन्ध में है। तीन-चार विधायकों का प्रस्ताव था कि अटरू, अन्ता और बारां क्षेत्र के अन्दर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। बारां मण्डी राजस्थान की सबसे बड़ी मण्डी है वहां पर किसान आते हैं और खरीद नहीं की जा रही है और बिचोलिये आदमी और व्यापारी लोग 60 रुपये के भाव से खरीद रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि इसका भी वक्तव्य दिलाया जाये और खाद्य मंत्रीजी को आप इस सम्बन्ध में निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष : नीति का प्रश्न आ जायेगा।

मंत्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन अध्यक्ष महोदय, अनाज काफी मात्रा में आ रहा है और वहां पर खरीद नहीं की जा रही है ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, सुन लिया मैंने। स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना कल दी थी उसके सम्बन्ध में आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक नम्र निवेदन इतना सा है इस सम्बन्ध में कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है वह ठीक है लेकिन यह प्रश्न ज्यादा जानकारी चाहने का इसलिये नहीं है कि माननीय गृहमन्त्रीजी श्री दामोदरलालजी व्यास ने सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो उन्होंने इस सम्बन्ध में बयान दिया है वह समाचारपत्रों की कटिंग आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। मामला बिल्कुल ही क्लियर-कट है। यहां तक स्थिति है कि गृह मन्त्रीजी ने यह आफर किया कि इस प्रकार से उनको दबाया जा रहा है कि मुकदमों में चालान नहीं किया जाय। यह कांग्रेस के पार्लियामेन्ट के मेम्बर या कांग्रेस पार्टी के लोग पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में इस हद तक हस्तक्षेप कर रहे हैं, गृह मंत्रीजी लाचारी जाहिर करें कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जंगा फूला डाकुओं का गिरोह करौली में आये और वहां पर कप्तान छुट्टनलालजी उनको पनाह दें, उनको पिस्तोल पहुंचायें डाके के मुकदमे हों, मरडर के कैसेज हों, रेप के कैसेज हों, बलात्कार के कैसेज हों और उन सारे कैसेज को पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन शील्ड करें, कैसेज में चालान नहीं करें और पॉलिटीकल अपोनेन्ट्स को दबाने के लिए और राजनैतिक विपक्षी लोगों को दबाने के लिए चालान किये जायें, मैं समझता हूं कि एक विस्तृत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बयान इस सदन के सामने आना चाहिये और स्टेट मिनिस्टर का भी बयान अखबारों में छपा है...

श्री अध्यक्ष : मैं कल ही निर्णय दे रहा हूं उसके बाद जो प्रक्रिया है वह सदन में आ जायेगी। आप जानकारी के प्रश्न पर ही उठाना चाह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जानकारी में समय नहीं निकल जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कल निर्णय दे दूंगा। मुझे अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है और मैं जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं इस समय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक निवेदन ही करना चाहता हूं कि सदन में सवाल उठेगा और इसके सिवाय और कौनसा तरीका है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करलें और गवर्नमेंट के भी इन्टरेस्ट में है कि आज इस प्रकार राज्य प्रशासन में कांग्रेस के नेता निश्चित रूप से हस्तक्षेप करें इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का स्पष्टीकरण जरूरी है। Government should be ready to make a statement in the House.

श्री अध्यक्ष : मैं सारे प्रश्न की स्थिति पर विचार कर लूंगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह भी निर्णय कर दिया जाये कि एक घन्टा तो कम से कम सदन में डिस्आईर का भी रहे।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे अधिकार में नहीं है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कुछ सुझाव दूं।

माननीय मंत्री महोदय.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(निर्धारित कीमत से कम कीमत पर गेहूं की खरीद करने संबंधी मामले पर)

श्री परसराम मदेरणा (खाद्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली में दिनांक 17-4-71 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके गेहूं की खरीदी केन्द्रीय स्तर पर की जावे। तदनुसार अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रदेशों में गेहूं खरीदी की व्यवस्था कराई गई और 40 लाख टन गेहूं समस्त भारत में खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्थान में 75 हजार टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

केन्द्रीय सरकार के खाते में जो गेहूं खरीदा जाना है उसके भाव 74) रु० प्रति क्विंटल लाल देशी गेहूं व 76) रु० प्रति क्विंटल अन्य सब प्रकार के गेहूं की खरीदी के लिए निर्धारित किया गया।

दिनांक 23-4-71 को राज्य सरकार की ओर से खाद्य निगम को निर्देश दिये गये कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में आवश्यक व्यवस्था गेहूं खरीदी के लिए करें और खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा होकर प्रारम्भ में 84 क्रय केन्द्र कायम

(श्री परसराम मदेरणा)

करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त क्रय केन्द्रों के अलावा 5 क्रय केन्द्र खाद्य निगम की ओर से और कायम किये गये तथा 5 के लिए राज्य सरकार द्वारा और आदेश दिये गये इस प्रकार 94 क्रय केन्द्र कायम किये जाने की व्यवस्था किया जाना है। खाद्य निगम द्वारा दिनांक 15-5-71 तक खरीदी की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 66 क्रय केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ हो गया और अब तक 28 क्रय केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ किया जाना है। इन स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए एजेन्ट आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और निकट भविष्य में जैसी कि खाद्य निगम के अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई है यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

राजस्थान के विभिन्न क्रय केन्द्रों पर 15-5-71 तक 22872 टन गेहूं खरीद किया जा चुका है और अब गति आई है। खरीदी यद्यपि लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए पर्याप्त हुई है परन्तु शादी विवाहों आदि के कारण किसान अधिक मात्रा में गेहूं मन्डियों में नहीं ला पाये हैं इस कारण कुछ कम रही है। ऐसा अनुमान है कि राजस्थान में जो लक्ष्य 75 हजार टन का निर्धारित किया गया है वह पूरा हो कर उससे भी अधिक खरीद होने की सम्भावना है।

खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रय केन्द्रों पर बोरियों व संग्रह करने के लिए गोदामों तथा अदायगी हेतु धनराशि आदि की व्यवस्था जरूर की गई यद्यपि समय समय पर विभिन्न स्थानों से समय पर अदायगी न करने बोरियां आदि न पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है जिसके लिए खाद्य निगम को लिखा गया और उन्होंने इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की।

इस योजना का लाभ सीधा किसानों को पहुंचे और बिचौलियों और व्यापारियों को न पहुंचे इसके लिए दृढ़ व्यवस्था की गई। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्रय कार्य में सलाह देने के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया जिसमें स्थानीय एम.एल.ए. विकास अधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिका का अध्यक्ष, प्रधान तथा खाद्य विभाग का प्रवर्तन स्टाफ करेगा। इस समिति का कार्य केवल यह देखना है कि जो गेहूं खाद्य निगम खरीद रहा है वह किसानों से खरीदा जा रहा है तथा व्यापारी व बिचौलिये इसका नाजायद फायदा नहीं उठा रहे हैं इसलिये जो गेहूं खरीदा जावे उसके लिए किसानों को प्रमाणपत्र इस समिति के किसी भी सदस्य से प्राप्त कर खाद्य निगम का क्वीलिटी निरीक्षक खरीदी करे। समिति के सभी सदस्यों का एक साथ मिलना सम्भव नहीं। यह दिक्कत अवश्य आई अत: इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने यह निर्देश दिये कि समिति के सदस्यों में से यदि एक भी उपस्थित रहता है तो खरीद का कार्य किया जा सकता है और वह प्रमाण-पत्र क्रेता को किसान होने का दे सकता है। कुछ क्षेत्रों से इस प्रमाण-पत्र की व्यवस्था में दिक्कत होने की शिकायत की गई परन्तु उसके अलावा और कोई विकल्प दूसरा न होने के कारण यह व्यवस्था अभी भी है। इस व्यवस्था से भी काफी असर पड़ा है और किसानों को किसी हद तक राहत पहुंचाने में सहायक हुई है।

श्री गंगानगर

श्री गंगानगर से आने वाले सदस्य ने यह बताया है कि श्री गंगानगर जिले में

(श्री परसराम मदेरणा)

मेक्सीकन गेहूं की निर्धारित कीमत 76) रु. प्रति क्विटल है परन्तु इस वर्ष गंगानगर जिले की सभी मन्डियों में विशेष कर पदमपुर में 72) रु. प्रति क्विटल के भाव से खरीदी की जा रही है। किसानों को इससे काफी नुकसान है तथा उनमें व्यापक असन्तोष है।

इस मामले में सदस्यों को जानकारी देने से पूर्व मैं यह उचित समझता हूं कि सदस्यों को यह स्पष्ट कर दिया जावे कि जो खरीदी की जाती है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्गीकरण (स्पेसीफिकेशन) के आधार पर की जाती है वह इस प्रकार है। औसत दर्जे का लाल गेहूं 74) रु. प्रति क्विटल व अन्य सभी प्रकार का 76) रु. प्रति क्विटल खरीदा जावेगा। इसमें 1 ग्रेड व 2 ग्रेड कम करने पर क्रमशः 73) रु. व 72) रु. प्रति क्विटल और 75) रु. व 74) रु. प्रति क्विटल खरीदा जावेगा। इस मात्रा में कम पके हुए गेहूं 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होने पर 2) रु. प्रति क्वि. कम कर खरीदा जाने का प्रावधान है। जिसके फलस्वरूप लाल गेहूं 70) रु. व दूसरा गेहूं 72) रु. प्रति क्वि. पर खरीदा जावेगा इसके अलावा यदि गेहूं में दूसरे अनाज का सम्मिश्रण है तो 20 प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जावेगी और 20 प्रतिशत से आगे 50 प्रतिशत तक 1) रु. प्रति क्वि. कम किया जावेगा और 50 प्रति से ऊपर उस किस्म को लाल गेहूं मान लिया जावेगा यानि देशी लाल के अलावा फार्मी मेक्सीकन, कल्याण सोना आदि किस्मों में 1) रु. पुनः कम किया जाकर 71) रु. प्रति क्वि. पर खरीदी की जावेगी।

सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यह कटौतियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार है जिसमें 5) रु. प्रति क्वि. तक कमी का खाद्य निगम के क्वालिटी निरीक्षक खरीदा कर सकते हैं।

श्री गंगानगर के संबंध में खाद्य निगम के अधिकारियों से जो सूचना प्राप्त हुई है और तत्पश्चात जिलाधीश से जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार 16 स्वीकृत क्रय केन्द्रों से 12 क्रय केन्द्रों पर क्रय कार्य हो रहा है जो यह है–

1. श्री गंगानगर 2. श्री करनपुर
3. श्री रायसिंहनगर 4. श्री पदमपुर
5. हनुमानगढ़ जंक्शन 6. हनुमानगढ़ टाउन
7. शार्दुलशहर 8. सांगरिया
9. पीलीबंगा 10. केसरीसिंहपुर
11. गजसिंहपुर 12. श्री विजयनगर

4 केन्द्र जैतसर, 2 नोहर, 3 भादरा, 4 शादुलपुर शीघ्र ही कायम कर दिये जावेंगे इन केन्द्रों पर खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 3875 टन खरीदी की जा चुकी है।

खाद्य निगम के जो आंकड़े उपलब्ध कराये हैं उनके अनुसार पदमपुर में खरीदी 74) रु. प्रति क्वि. से कम पर नहीं की गई है जो सूचना 72) रु. प्रति क्वि. पर खरीदी की गई है वह गलत है। खाद्य निगम के अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पदमपुर मण्डी में निम्न प्रकार से खरीदी की गई है दिनांक 11-5-71 तक 2734 क्वि. 10 किलो गेहूं खरीद किया जा चुका है और खरीदी अब भी की जा रही है।

(श्री परसराम मदेरणा)

पदमपुर में खरीदी के सम्बन्ध में खाद्य निगम के अधिकारियों ने मौके पर जांच की और वहां माननीय श्री गुरदयाल सिंह भी मिले हैं। जिलाधीश ने भी इसकी जांच की है और वह इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जो खरीदी की जा रही है वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृति वर्गीकरण के अनुसार है। यह सर्वथा गलत है कि 72 रु. प्रति क्वि. पर खरीदी की गई है।

जिलाधीश गंगानगर श्रीगंगानगर में की गई खरीदी के सम्बन्ध में टेलीफोन पर पूछने पर बताया कि कुल खरीदी 3875 टन हुई है उसमें से 25 से 30 प्रतिशत तक खरीदी 76) रु. प्रति क्वि. के भाव पर की गई है। केवल श्री गंगानगर में 150-200 क्वि. 72) रु. प्रति क्वि. पर खरीद की गई है। बाकी सारी खरीदी 74) रु. व 75)रु. प्रति क्वि. के हिसाब से हुई है। ऐसी स्थिति में श्रीगंगानगर में जो खरीदी की गई है वह नियमानुसार है। राज्य सरकार इस बात के लिए जागरूक है कि किसानों से योजना के अनुसार खरीदी की जावे।

इस संबन्ध में समितियों के गठन के अलावा जिलाधीश और जिला रसद अधिकारी को सक्रिय होने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इस जिले में जैसी को जिलाधीश से सूचना प्राप्त हुई है व्यापारीगण निर्धारित दर 76) रु. प्रति क्वि. से अधिक दर पर माल खरीदते हैं और उसे बिहार भेज रहे हैं। जहां कि 93) रु. प्रति क्वि. भाव है और वहां पर गेहूं की मांग बढ़ रही है इसका कारण यह है कि बिहार में गेहूं की फसल खराब हो जाना है—तथा पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना है।

इससे किसानों को लाभ हुआ है और भावों में स्थिरता आई है। सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना उचित होगा कि राजस्थान के पड़ोसी प्रान्तों में गेहूं के भाव जब कि राजस्थान में उच्चतम भाव 90)रु. प्रति क्वि. है तो उत्तर प्रदेश में 80 से 80.50 पैसे प्रति क्वि. है पंजाब में 83 से 90) रु. गुजरात में 85) रु. प्रति क्वि. हरियाणा में 78 से 80) रु. प्रति क्वि. है इससे यह पता चलता है कि राजस्थान में क्रय कार्य जो चल रहा है उससे किसानों को लाभ हो रहा है।

भरतपुर—भरतपुर से आने वाले सदस्य का यह आरोप कि खाद्य निगम के क्वालिटी निरीक्षक किसानों से न खरीद कर बिचोलियों से खरीदते हैं और उसमें राज्य सरकार उन्हें पुलिस द्वारा संरक्षण देती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक है ऐसी शिकायत प्राप्त होते ही इस पर जिला स्तर पर तथा खाद्य निगम को लिख कर बार बार कार्यवाही की जा रही है। यह मालूम होना चाहिए कि खाद्य निगम के अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। राज्य सरकार ऐसे मामलों को केन्द्रीय खाद्य निगम को भेजती है और वहां इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हैं। पुलिस संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आवश्यक निर्देश अवश्य दिये हैं इसका कारण यह है कि डीग तथा गंगापुर सिटी में खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ में किसानों तथा उनके एजेन्टों ने दुर्व्यवहार किया और पीटा भी फलस्वरूप खरीदी

Page No 53

(श्री परशराम मदेरणा)

का कार्य बन्द हो गया। यदि संरक्षण नहीं दिया जाता तो इन केन्द्रों पर ही नहीं अन्य केन्द्रों पर भी अधिकारी कार्य करने को तैयार नहीं हैं।

इस संबन्ध में अखिल भारतवर्षीय खाद्य निगम नई दिल्ली के अधिकारियों ने खाद्य आयुक्त को फोन पर तथा लिखित में सूचना भेजी तथा यह निवेदन किया है कि उसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय प्रादेशिक व्यवस्थापक खाद्य निगम से मिलकर इस बात पर जोर दिया कि यदि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है तो इसका परिणाम किसानों को नुकसान होगा और सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। जो निर्देश दिये गये वह जिलाधीशों को दिये गये हैं कि क्वालिटी निरीक्षकों को यदि लॉ एन्ड आर्डर की समस्या सामने आवे तो उसके लिए वह आवश्यक संरक्षण देने के लिए संबन्धित तहसीलदार व मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को निर्देश दे दें। यह निर्देश दिनांक 7 मई, 71 को जारी किये गये। इन निर्देशों में कहीं यह निर्देश नहीं दिये गये कि भ्रष्टाचार करने वाले, चोरी करने वालों को संरक्षण दिया जावे। आदेश जो जारी किये गये हैं वह अपने कर्त्तव्य के अनुसार हैं।

भरतपुर जिले में खरीदी का कार्य चालू है। यहां भरतपुर में 7026 क्वि. डीग में 9706 क्वि., धौलपुर में 2765 क्वि. नदबई में 500 क्वि. की खरीदी 15-5-71 तक की जा चुकी है और खरीदी का कार्य जारी है।

भरतपुर की अधिकांश मण्डिया रजिस्टर्ड मण्डियां हैं वहां ढेरी लगाकर खरीदी होती है। यदि अब भी और कोई गड़बड़ी पाई गई तो निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाया जावेगा। जिलाधीश को तत्काल जांच की रिपोर्ट भेजने को लिखा जा रहा है।

कोटा–कोटा से आने वाले सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि क्रय केन्द्रों पर क्रेता से प्रमाणपत्र लेने की व्यवस्था की गई है उससे किसानों को असुविधा होती है। क्रय केन्द्रों पर स्थानीय अधिकारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों की समितियां हैं तो इस प्रकार असुविधा का प्रश्न नहीं उठता है। यदि बिना प्रमाण पत्र खरीदी की जाती है तो यह आशंका रहती है कि खरीदी व्यापारियों से की जाती है और लाभ किसान को न मिलकर व्यापारी को मिल रहा है।

जालौर, बाड़मेर–इस प्रकार जालौर, बाड़मेर से आने वाले सदस्यों ने गेहूं के भाव गिरने पर चिन्ता प्रकट की है और यह निवेदन किया है कि मण्डियों में खरीदी की उचित व्यवस्था की जावे।

दोनों ही जिलों में जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया है क्रय कार्य के लिए समुचित व्यवस्था है। बालोतरा में तो 3337 क्वि. भीनमाल में 2334 क्वि. गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और खरीदी जारी है।

इस क्षेत्र में किसान बाजरा भी ला रहे हैं जो राज्य सरकार राजकीय खाते में खरीदने की व्यवस्था कर रही है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा कि राज्य सरकार योजना को सही

(श्री परसराम मदेरणा)

रूप से क्रियान्वित करने को जागरूक है और आवश्यकता महसूस की गई तो उपरोक्त वर्णित केन्द्रों के अलावा और भी केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी।

उपस्थित सदस्यों से अपेक्षा है कि इस क्रय कार्य में पूर्ण सहयोग दें तथा क्रय कार्य के लिए गोदाम आदि की आवश्यक व्यवस्था अपने क्षेत्र में कराने के लिए भी पूर्ण सहयोग दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव कोटा जिले के अन्दर गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में घोटालों पर है·······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

प्रश्न ही पूछे जायेंगे, भाषण नहीं होंगे।

श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : कोटा जिले में जो गल्ला रिजेक्ट कर दिया गया था, उसे पास किया है। वह बिचौलिये एजेन्टों ने ले लिया और फिर किसानों के नाम पर ही खाद्य निगम को तोल दिया गया है। क्या यह भी सही है कि खाद्य निगम के जगह 2 एजेन्ट आढ़तिया भी होते हैं, आढ़त का काम करते हैं और रिजेक्शन में बताये हुए माल को लेकर खाद्य निगम को ही बेच देते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उम्मीद तो यह की गई कि राज्य सरकार किसान को संरक्षण देने के लिये सामने आयेगी परन्तु सरकार के उत्तर से ऐसा लगा कि राज सरकार एक मूक दर्शक की तरह खड़ी है और खाद्य निगम के क्वालिटी इन्स्पेक्टर से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इस कदर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं कि उनके खिलाफ हमारे राजस्थान का पुलिस विभाग कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकता।

मैं निवेदन करूं कि जैसा अभी अभी एक आर्डर निकाला कलेक्टर से बात क्या हुई ? अध्यक्ष महोदय, इन मामलों में हुई गड़बड़ियों के बारे में दर्खास्तें जगह जगह भेजी गईं कि वह बाजरा जिसको जानवर भी नहीं खा सकता जिसको वसूली इन्स्पेक्टर ने रिजेक्ट कर दी वही बाजरा जो 10 रुपया मन में नहीं बिक सकता, उसको निर्धारित रेट पर खाद्य निगम के क्वालिटी इन्स्पेक्टर ने खरीद लिया। वह आज भी पड़ा है। आप उसे आज भी चैक करलें।

श्री अध्यक्ष : क्या यह स्थिति ठीक है ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : व्यापारियों के माध्यम से खरीदा और उस घोटाले में व्यापारी क्वालिटी इन्स्पेक्टर डिवीजनल मैनेजर जो अलवर में रहता है उससे लेकर ऊपर तक के आयुक्त वगैरह शामिल हैं। जब ज्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया इसके बाद सलाहकार समिति नियुक्त हुई तो उसकी बैठक ही नहीं बुलाते, सूचना ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि निश्चित इनफोर्मेशन आप पूछना चाहें या लेना चाहें तो लीजिये।

श्री रामकिशन (बैर): प्रश्न यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत पड़ेगी इसलिये मेरा निवेदन है कि इनकी बात सुनी जावे।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल: अगर किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला तो निश्चितरूप से इसका असर यह होगा कि आगे से उत्पादन गिर जायगा। किसानों का इन्सेन्टिव मारा जायगा और देश का बहुत बड़ा अहित होगा।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब यह घोटाला चलने लगा तो सभी संबंधित लोगों में हलचल मची अब इसमें होता क्या है ? मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करके बताता हूं। क्वालिटी इन्स्पेक्टर साहब घूमते घामते मंडी में पधारें। अब वे सुबह आवें शाम को आवें 9 बजे आवें या दोपहर को आवें यह उनकी मर्जी पर है। जब आये तो आये और झट से निकल गये। अब मान लीजिये किसी दिन बाजार में दो हजार मन गल्ला आया। क्वालिटी इन्स्पेक्टर साहब पधारे और कहते चले गये कि यह रिजेक्ट यह रिजेक्ट सब रिजेक्ट। उस दो हजार मन में से नाममात्र के लिये पचास मन का ढ़ेर खरीद लिया बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। अब किसानों में हाहाकार मचता है। बेचारे रात के आये हुए पड़े थे गल्ला लादकर जल्दी सुबह मण्डी में पहुंचते हैं उनको अपना माल बेचकर तुरन्त लौटना है अपने देनदारियों को पूरा करना है वे ज्यादा रुक नहीं सकते तो क्या होता है मजबूरन अपना वे सारा गल्ला साठ रुपया क्विन्टल के भाव 62 रुपये के भाव से जो भाव उनको मिला व्यापारियों को बेचकर चले जाते हैं। इसमें भी ताज्जुब यह है कि उस साठ रुपया बासठ रुपये में खरीदे गये गल्ले को वे व्यापारी खाद्य निगम के गोदाम में खाली करवाते हैं और उन्हीं किसानों के नाम पर वे क्वालिटी इन्स्पेक्टर को बेचान बताते हैं। इस तरह जो पचास मन गल्ला पसन्द करके खरीदा वह भी उनके गोदाम में पहुंच गया और जिसको रिजेक्ट किया वह सारा गल्ला भी उनके गोदाम में पहुंचा गया तो इस तरह का भ्रष्टाचार होता है उन किसानों से साठ रुपया बासठ रुपयों में ले लिया जाता है और क्वालिटी इन्स्पेक्टर अपनी निर्धारित रेट पर उसी गल्ले का पेमेंट व्यापारियों को करता है। इसी तरह से बीच के डिफरेन्स का पैसा उन एजेन्ट व्यापारियों में क्वालिटी इन्सपेक्टर में और खाद्य निगम के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों में बैठता है। इस तरह से किसानों की खुले आम लूट हो रही है। हमने यह सूचना डिवीजनल मैनेजर को दी और सोचा कि वे जांच करेंगे उन्होंने हमें कहा भी कि अच्छी तरह से जांच करके मैं सारी व्यवस्था करूंगा पर वह भी क्या व्यवस्था करने वाले थे यह सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम केन्द्रीय विभाग के आयुक्त के पास भी गये पर भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करने के बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले जिनमें जिला डींग के पंचायत समिति के प्रधान थे उनके और यहां तक कि मास्टर आदित्येन्द्र जी के खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनसे उन लोगों को खतरा पैदा हो गया जान का खतरा है इसलिये पुलिस का संरक्षण दिया जाना चाहिये।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस तरह से ये लोग नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कलेक्टर को। कलेक्टर ने थानेदार और तहसीलदार तक को कर दिया। तो इस तरह से इन भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को भी आज पुलिस का संरक्षण चाहिए। अध्यक्षजी, आज यह हो क्या रहा है, आज हम आपके द्वारा व्यवस्था चाहते हैं मंत्री

Page No 56

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

महोदय से यह आश्वासन दिलाया जाय कि इस भ्रष्टाचार से लड़ने में और किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने में पूरा प्रयत्न करेंगे।

खाद्य निगम के भ्रष्टाचार का यहीं अंत नहीं। इस प्रकार की गड़बड़ियां भी ये करते हैं कि सड़ा गला बाजरा जो वास्तव में रिजेक्ट होना चाहिए था हजारों मन की तादाद में खाद्य निगम के गोदामों में पहुंच गया जो आज भी वहां मौजूद है। वहां की मण्डी समिति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद ने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है। व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया है पर खाद्य निगम को कोई चिन्ता नहीं है।

इससे अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर बड़ी पेचीदा समस्या पैदा होने वाली है। इस प्रकार का अन्याय राज्य सरकार बरदाश्त कर सकती है पर वहां के निवासी और किसान बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने स्थिति स्पष्ट कर दी, पर्याप्त है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : किसान को अपना उत्पादन बेचना होता है वह उसको रोक कर बैठ नहीं सकता। किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाने से क्वालिटी इन्सपेक्टर और खाद्य निगम से बचाने के लिए कोई कारगर उपाय ढूंढ़ा जाय। मेरे ध्यान में इसका एक उपाय है कि खाद्य निगम सीधा ही किसान से गल्ला खरीदे बिचोलिये और एजेन्ट जो कायम करते हैं वे नहीं किये जावें। और अगर उनके लिये कोई शिकायत हो तो उसकी तुरन्त उच्च स्तर पर कलेक्टर लेवल के व्यक्ति या आइ. ए. एस. लेवल के द्वारा कोगनीजेन्स लेकर उस शिकायत का निपटारा किया जाय। आज क्वालिटी इन्सपेक्टर मामूली क्लर्क के हैसियत का व्यक्ति होता है। इसके बजाय अच्छे टेक्नीशियन एग्रीकल्चर इन्जीनियर्स को रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : सारी स्थिति सामने आ गई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम संरक्षण चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले।

इस काम के लिए जन सेवकों को कमेटी में रखा गया है यह एक प्रकार से उनका बड़ा भारी अपमान है। यह विधान सभा के सदस्यों का अपमान है। क्वालिटी इंसपेक्टर जो यू. डी. सी. ग्रेड का आदमी होता है वह वहां के जन सेवकों के खिलाफ बी. डी. ओ. के खिलाफ सलाहकार कमेटी के सदस्यों के खिलाफ तहसीलदार और एम. एल. ए. के खिलाफ अपने खाद्य आयुक्त को लिखकर देता है। हम उसके भ्रष्टाचार की शिकायत उसी आयुक्त से करते हैं तो आयुक्त उस पर लिखता है कि जांच से यह सही नहीं पाया गया। अब क्या सही नहीं पाया गया। जांच किसने की कब की यह सब कुछ नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है। इस समस्या का हल निकालने के लिए किसी भी लेवल पर हम बात करने को तैयार हैं। आपके चेम्बर में बैठकर एडजेस्टमेंट करने को तैयार हैं। किसी भी लेवल पर किसी भी तरह से तैयार है। जिस तरह से चाहें उस तरह से तैयार हैं।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

इतना संरक्षण चाहते हैं कि किसान को उसकी पदावार का उचित मूल्य मिल जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो एडवाईजरी कमेटी खाद्य मंत्री जी ने नियुक्त की है और उसका जो आदेश कलेक्टर ने जारी किया है वह मेरे पास है। वह आदेश क्या कानूनी दृष्टि से उपयुक्त है। मैं समझता हूं कानूनी दृष्टि से यह बिल्कुल डिफेक्टिव है। कौनसी स्टेटयूटरी प्रोवीजन के तहत आपने इस खाद्य सलाहकार समिति को नियुक्त किया है। क्वालिटी इन्सपेक्टर इस सलाहकार समिति की सलाह को माने इसके लिए वह कौनसे कानून के तहत पाबन्द है तो आपको इस कमेटी की नियुक्ति किसी स्टेटयूटरी प्रोवीजन के तहत करनी चाहिए थी। आज जो आपने इसके आदेश निकाले हैं उसके अन्तर्गत इस कमेटी के सदस्यों को कोई कानूनी हैसियत प्राप्त नहीं है। क्वालिटी इन्सपेक्टर इस समिति के अस्तित्व को भी माने या न माने यह उसकी मर्जी पर है इस बारे में मैंने कलेक्टर से भी बात की थी। उनको भी इसी तरह का सन्देह था पर जैसा आपका उनको तार से आदेश गया उसके अनुसार यह आदेश उन्होंने प्रसारित कर दिया है। इसकी लीगल आईडेन्टिटी क्या है? इसे गवर्नमेंट को एग्जामिन करना चाहिए।

दूसरा क्या इस प्रकार की एडवाइजरी कमेटी ने राजस्थान में कहीं फंक्शन करना शुरू किया है? वैसे इस कमेटी में कोई कन्वीनर वगैरह भी नहीं है। अभी तो असेम्बली में हम सब यहां पर हैं अगर कहीं का भी अनुभव इस प्रकार का हो जिसमें कि वहां इस कमेटी ने वहां ठीक तरह से फंक्शन करना शुरू कर दिया हो तो वह आप हमारी जानकारी में लाने की कृपा करें। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको कानूनी पहलू से लागू करेंगे तब तो यह कुछ इफेक्टिवली फंक्शन कर सकेगी। इस सलाहकार समिति में स्थानीय तौर पर कौन लोग रह सकेंगे यह भी एक प्रश्न है? इसमें जितने भी मेम्बर आपने रखे हैं उनमें या तो प्रशासनिक अधिकारी हैं या तहसीलदार को छोड़कर दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं एम.एल.ए. हैं अब गल्ला मार्केट सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक चलता है। तो पूरे टाईम सलाहकार समिति मार्केट में बैठकर के गल्ला खरीदने में क्वालिटी इन्सपेक्टर को सलाह देते रहें यह प्रेक्टिकल नहीं लगता। तो इसको ध्यान में रख कर ही आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि मौके पर उसको उचित सलाह दी जा सके। तब तो इस कमेटी का मकसद हल हो सकता है। नहीं तो कमेटी के सदस्य वहां उपस्थित रहे यह संभव नहीं है।

तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि क्या सरकार पंजाब सरकार की तरह निर्णय लेने का इरादा रखती है जिसने अपने यहां एजेन्टस की व्यवस्था को खतम कर दिया है और डाइरेक्टली गांवों में पंचायत हैडक्वाटर्स पर या पंचायत समिति हैडक्वाटर्स पर गांवों के किसानों के समीप जाकर खुद गवर्नमेंट सीधा किसान से खरीद करती है। इस व्यवस्था के बारे में आप एग्जामिन करें क्योंकि मौजूदा जो आपके एजेन्टों की व्यवस्था है वह बिल्कुल अनावश्यक है इससे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भयंकर भ्रष्टाचार होता है फिर वे एजेन्ट काम भी केवल तौलने का पेमेण्ट करने का करता है।

चौथी बात यह कहूंगा कि आप अपनी सहकारी संस्थाओं का उपयोग इस काम के लिये क्यों नहीं करते ? मेरी जानकारी के अनुसार इस खाद्य निगम ने इतने एजेन्ट मुकर्रर किये हैं वे सब निजी लोग हैं व्यापारी हैं और ये सब क्वालिटी इन्स्पेक्टर से मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं और किसान को लूटते हैं। अलवर के बारे में मैं जानता हूं डाइरेक्ट किसान से एक दाना भी खाद्य निगम नहीं खरीदता। तो आज ये एजेन्ट एक तरह से प्रीविलेज्ड लोग बन गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से भ्रष्ट एजेन्टों को प्रथा आप समाप्त कर दें। और दूर देहातों में डाइरेक्ट खरीद आप करें तो इस समस्या का हल हो सकता है। अब क्वालिटी के लिये कौन राय दे इसकी कोई उचित व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारा) : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानकारी चाहूंगा कि कोटा जिले में सलाहकार समिति की जिला स्तर पर कभी बैठक बुलायी गयी है और उनसे परामर्श लिया गया ? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी बैठक आज तक नहीं बुलायी गई।

दूसरा प्रश्न यह है कि खाद्य मंत्री जो आपने कोटा जिले के अन्दर कहां किस जगह किस किस मंडी में कितना कितना गल्ला खरीदा है ? कोटा बारां अन्ता मण्डियों में आपने कितना कितना गेहूं खरीदा ? इसके आंकड़े आप बतायें।

श्री परसराम मदेरणाः बताये थे ना।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं बताये। क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त की है कि इन कोटा बारां और अन्ता मण्डियों के अन्दर प्रतिदिन गल्ले की आमदनी कितनी थी इसमें से कितना खाद्य निगम ने खरीदा कितना बाकी के व्यापारियों ने खरीदा और किस किस भाव पर खरीदा। अध्यक्ष महोदय, 76 रु० के स्टेण्डर्ड भाव पर फूड कारपोरेशन ने बारां मण्डी में केवल चार दिन तक प्रतिदिन 200 बोरी के हिसाब से गल्ला खरीदा जबकि दो हजार बोरी प्रतिदिन की आवक थी बाकी 1800 बोरी गल्ला दूसरे व्यापारियों ने खरीदा। और साठ बासठ चौसठ रुपये के भाव पर खरीदा और इन व्यापारियों ने वही गल्ला उसी दिन उन्हीं किसानों की गाड़ियों से फूड कारपोरेशन के गोदामों में पहुंचा कर उनके नाम से फूड कारपोरेशन को 76 रुपये के भाव में बेच दिया।

क्वालिटी इन्स्पेक्टर सलाहकार समिति के न किसी मेम्बर को बुलाता है न उनसे परामर्श लेता है अपनी मर्जी से टाइम बे टाइम मण्डी में जाता है। इच्छा हो गई तो थोड़ा बहुत खरीद लिया नहीं तो नहीं खरीदा। अब हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं खरीदते हो तो कहता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। पर उन्हीं किसानों द्वारा प्राइवेट व्यापारियों को बेचे गये गल्ले को अपने गोदामों में रखवाने के लिये उनके पास जरूर व्यवस्था है।

मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कि मण्डी समिति के सेक्रेटरी को आपने कभी पत्र लिखा कि इस

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्रकार से किसान को क्या क्या शिकायतें हैं एफ० सी० वाले किसानों के सारे गल्ले को क्यों नहीं खरीद रहा है। हालांकि आपको शिकायत मिली थी और जिलाधीश के पास तार भी भेजे गये थे पर आपने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। आपने यह कहकर सन्तोष कर लिया कि खरीद कहां से करते आवक नहीं थी। तो यह सूचना जिस किसी ने भी दी आपको गलत है। बारां मण्डी में लगातार बीस रोज से दो हजार बोरा गल्ला आता है इसमें से कितना गल्ला खाद्य निगम ने खरीदा। इस संबंध में जानकारी दें और क्वालिटी इन्स्पेक्टर ने मण्डी स्तर पर कब कब मिटिंग बुलायीं इसकी भी जानकारी दें। आज तक बारां और अन्ता मण्डी कमेटी का मेरा अनुभव है..... ..

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ गया है। आगे चलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो गेहूं की खरीद करते हैं उसमें भावों की कटौती करते हैं। इस संबंध में यह जो क्वालिटी इन्स्पेक्टर है वह भाव कम करता है। क्या वह जो भाव कम निर्धारित करता है उसके ऊपर तहसीलदार, एम. एल. ए. प्रधान या चेयरमैन की स्वीकृति हो या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है। इसलिये मैं एक बात यह पूछता हूं कि अन्ता मण्डी के अन्दर गेहूं की खरीद नहीं हुई है। बारां मण्डी के अन्दर दो हजार बोरी की आवक है। तीन दिन से लगातार गेहूं नहीं खरीदा गया है। इसका क्या कारण है और इसके लिये क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह :

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर): श्रीमान्, ब्यावर की मण्डी में खाद निगम द्वारा जो गेहूं को क्रय किया जा रहा है, उसको देखने का पिछले दो हफ्तों में दो बार अवसर प्राप्त हुआ है। वहां पर यह सलाहकार समिति अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन कुछ कठिनाइयां सामने आई वह मैं खाद्य मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक बात यह देखी गई कि गेहूं किसान से खरीदा जाता है, उस गेहूं को बाद में खाद्य निगम छान करके लेता है। कहने का मतलब है कि एक क्विन्टल में करीब डेढ किलो कूड़ाकचरा निकाला जाता है और मान लीजिये वह 75 रुपया क्विन्टल के भाव से खरीदा जाता है तो किसान के घर में वह साढ़े तियोतर रुपया क्विन्टल पड़ेगा। यही नहीं, इस छानने का पैसा 15 पैसा क्विन्टल किसान को देना पड़ता है। इसलिये मैं खाद्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि क्या यह छानकर लेने की व्यवस्था ठीक है और उनको जो 15 पैसा प्रति क्विन्टल देना पड़ता है वह ठीक है, उचित है।

श्रीमान्, यह देखने में आया है कि प्रत्येक गाड़ी के साथ में एक बीचोलिया अवश्य है जो ब्यावर का स्थानीय व्यापारी है। जहां जहां भी मैं गया किसान तो बोलता नहीं है वहां पर बीचोलिया बोलता है। कई मौके पर बातचीत से हमें ऐसा मालूम पड़ा कि यह गेहूं गांव में खरीद लिया जाता है और किसी को झूंठ मूठ किसान बनाकर बाजार में लाता है इसलिये सलाहकार समिति को कई मौके पर कठिनाई पैदा हो जाती है। जहां 5/10 बोरी किसान की आती है वहां अपने आप विश्वास हो जाता

(मेजर श्री फतेहसिंह)

है कि वह जेनाइन किसान है और वह गेहूं खरीद लिया जाता है। ब्यावर में 15-5-71 को 2000 बोरी खरीदी जा चुकी है लेकिन एक बड़ी कठिनाई पैदा होती है। जहां तक ब्यावर के आस पास के किसानों का सवाल है वह गाड़ी कर के लाता है और उनकी पहचान हो सकती है कि यह किसान है या कोई बिचोलिया है और बाजार में तो गेहूं नहीं लाया है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि हुरड़ा, बदनोर की तरफ से देवगढ़ की तरफ से कोई आता है और ट्रक भर कर लाता है तो यह कैसे विश्वास कर लिया जाये कि यह किसान का गेहूं है। ऐसी सूरत में आप सलाहकार समिति को सलाह दें। सलाहकार समिति ने उनको यह सलाह दी कि आप लोग जाकर के रेवेन्यु अधिकारी का प्रमाण-पत्र लाइये कि यह आपकी खुदकाश्त है और यह आपने ही उत्पादन किया है। एक देवगढ़ की तरफ से महाजन आया था। एक ट्रक भर कर लाया था। उसने दो, तीन दिन तक प्रमाण पत्र पेश नहीं किया और उसने सलाहकार समिति को नोटिस दे दिया कि दो दिन तक वह यहां पर खड़ा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय वहां पर इस तरह की नौबत आ गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक ट्रक भर कर, दो ट्रक भर कर कोई अनाज लाता है तो क्या यह खाद्य निगम के लिये जरुरी है कि वह उसे खरीदे। मैं समझता हूं कि वह बिचोलियों का गेहूं है तो नहीं खरीदा जाये। यह मैंने देखा भी है। सिर्फ खाद्य निगम इस बात पर सलाहकार समिति की सलाह लेता है कि यह किसान का गेहूं है या नहीं। जहां तक रेट का सवाल है वह निगम के अधिकारी के डिस्क्रशन पर है और इस सम्बन्ध में वह कोई सलाहकार समिति की सलाह नहीं लेता है। मैं चाहूंगा कि खाद्य मन्त्री महोदय इसका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि गंगानगर क्षेत्र में जो गेहूं खरीदा गया है वह 72 के भाव से खरीदा गया है। और उस इलाके में पानी की कमी की वजह से गेहूं का दाना बहुत पतला रह गया है। इसके अलावा गेहूं के झार लगाई जाती है। उसमें 25 प्रतिशत गेहूं का किसान को लास होता है। उस गेहूं का दाना पतला है और जो फार्मी गेहूं है उसका दाना मोटा है और यह झार उस फार्मी गेहूं को लगाई जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गेहूं के अन्दर सिर्फ जो रेती है उसको ही निकाला जाये और अनाज का कोई अंश नहीं निकाला जाये जो उसको झार लगाई जाती है। जो झार लगाई जाती है उसमें गेहूं का दाना निकल आता है और फिर उस गेहूं को बाजार में कोई नहीं खरीदता है। मण्डी में लाने के लिये उसको खर्चा करना पड़ता है। मण्डी में आने पर चुंगी, तुलाई और झलाई आदि सब करके उसको 6 रुपये का खर्चा हो जाता है और 6 रुपया निकाल दे 72 रुपयों में से और जो 25 प्रतिशत उसका गेहूं निकाल दिया जाता है उसका भी दाम निकाल दें तो उसके घर में गेहूं की कीमत 41/42 से ज्यादा नहीं पड़ती है। यह जो अव्यवस्था है उसको दूर किया जाना चाहिये और गेहूं की झार से नहीं निकाला जाये उसमें सिर्फ जो मिटटी, रेती हो वह निकाली जाये। इस तरह से काश्तकारों का अनाज निकाल दिया जाये झार से तो वह उसको कहां डालेगा उसको कोई नहीं लेता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैने भार के बारे में एक बात पूछी है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि भार के बारे में जैसा कि मेजर साहब ने कहा है कोई खर्चा किसान को नहीं लगना चाहिये। कृषि ऊपज मण्डी के निर्माण से एक रुपया सैंकड़ा की आढ़त ले ... करते हैं फिर भी मण्डियों में व्यापारी लोग जिनको देखने पर अनाज लिया जाता है वह ज्यादा वसूल करते हैं। और अनाज के भारने का 15 पैसा प्रति क्विन्टल लेते हैं और ऊपर से अनाज भी लेते हैं। इस प्रकार से तो खर्चा ज्यादा पड़ता है। इस अव्यवस्था को दूर किया जाये। काश्तकारों का माल मण्डी में लाकर रखा जाता है और उसके बाद कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है कि उस गेहूं की खरीद की जायेगी या नहीं। इससे काश्तकार को बड़ा नुकसान होता है। उसकी पूरी व्यवस्था की जाय। प्रस्ताव में भी लिखा है कि 25 प्रतिशत गेहूं भार से निकल जाती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा डीग की जो घटना का जिक्र जो उन्होंने अपने व्यक्तव्य में किया है और उन्होंने कहा है हमने वहां के पार्टी इन्सपेक्टर की रक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था का फैसला किया है— भ्रष्टाचार को पनपाने के लिये नहीं। वे सतर्क हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा इसी भरतपुर जिले में खाद्य के सिलसिले में 17 लाख का घोटाला हुआ है और आपने आश्वासन दिया था जांच कराई जायगी। इसका क्या परिणाम हुआ—आज वही कहानी उसी जिले में रिपीट की जा रही है। एस. डी. ओ. ने पार्टी इन्सपेक्टर को बुलाया और पार्टी इन्सपेक्टर ने मंजूर की कि यह गलती थी। उसके बाद जिलाधीश को लिखा। यह स्वयं स्थिति पैदा कर रहे हैं। पार्टी इन्सपेक्टर गलततौर पर माल देता नहीं है और प्रधान हर तरह से सहयोग देता रहा है। इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह भी लिखा है कि पुलिस को तैनात करेंगे। इससे किसान आतंकित होगा और इस तरह की व्यवस्था देते हैं तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं जो सलाहकार समिति की स्थापना की है। पार्टी इन्सपेक्टर स्वयं किसान से सीधा माल खरीदने में कोताही करता है इसलिए अगर आप यह व्यवस्था करते हैं किसान का माल खरीदा जाय तो यह मतभेद समाप्त करना होगा जो माल पार्टी इंसपेक्टर ने रिजेक्ट किया है वह अच्छी क्वालिटी का है और उसी माल को पार्टी के जरिये खरीद लिया जाता है तो इन सलाहकार समिति के सदस्यों का क्या नाता जोड़ते हैं। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो तो क्या ऐसे केसेज में सलाहकार समिति के सदस्य ने जो माल रिजेक्ट किया है उसको देखेंगे कि गलत किया गया है या नहीं किया गया है। अगर यह नहीं हो तो सलाहकार समिति का रहना न रहना बराबर है। सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं क्या उनको कोई सूचना दी गई है आपके कार्यालय से। मेरी जानकारी है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में केवल इस तरह से काम करना चाहते हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। एक चीज और जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यह जो को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटिज है कितनी मार्केटिंग सोसाइटिज

Page No 62

(श्री नत्थीसिंह)

ने खाद्य निगम को एप्लीकेशन दी है कि हम काम करने को तैयार हैं मगर उसके कारण क्या हैं। इसमें भी ये पटे हुये व्यापारियों को बनाते हैं और किसी से पटरी नहीं बैठती है तो फिर उसमें भी गड़बड़ करते हैं। राज्य सरकार को अपनी क्षमता से फैसला करना चाहिये था। इन बिचौलियों को खत्म करना चाहिये और सीधे राज्य सरकार द्वारा खरीद होनी चाहिये। खाद्य निगम को बीच में नहीं लायें और आप सिर्फ यह कह कर टाल देते हैं कि केन्द्र की ऐजेन्सी है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपनी मार्फत इन खरीदों को करवायें ताकि किसान को सही कीमत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एजेन्टों के मुकर्रर करने का मामला उठाया। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं एजेन्ट एफ.सी.आइ. द्वारा मुकर्रर किये जाते, राज्य सरकार द्वारा नहीं। मार्केटिंग सोसायटीज की जैसी सूचना मुझे मिली है - भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह सूचना चाहते हैं कितनी मार्केटिंग सोसायटीज ने एप्लीकेशन दी यह जानकारी नहीं है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो अभी तक राजस्थान की 94 की गई है उसमें से 30 एजेन्ट मार्केटिंग सोसायटीज के यहां पर है। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात कही--- इस तरह का एक पर्चा भी मुझे 5 तारीख को मिला है--छपा हुआ। मैंने जिलाधीश भरतपुर को जांच करने के लिये आदेश दिये हैं और जयपुर को भी दिये हैं। उन्होंने लिखकर भेजा है हमने जांच करवा ली है और जो खरीद की गई है वह इनफीरियर क्वालिटी की नहीं है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज भी चुनौती देता हूं। हमारा विश्वास है आपका कोई भी....

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं बाजरा वहां पर खरीदा गया। वह निम्न क्वालिटी का था लेकिन उन्होंने यहां पर जांच की है और जांच करने पर रीजनल मैनेजर हैं मि० कश्यप एफ.सी.आइ. के उनकी रिपोर्ट में उल्लेख है जो निर्धारित क्वालिटी है उसके अनुसार खरीदा गया है। क्योंकि माननीय सदस्य बता रहे हैं बाजरा ह्यूमन कन्जम्पशन के लायक नहीं है—हालांकि मैंने जांच के आदेश कलक्टर को दिये हैं लेकिन जितना बाजरा खरीदा गया है उसके लिये फूड कमिश्नर खुद जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद भारत सरकार के पास भेजेंगे। जब कभी हमने बाजरे की या मोटे अनाज की समस्या रखी है-- तत्परता से रखी है टेक्निकल आदमी को भेजा है और कार्यवाही की है। यहां पर एक बात यह कही गई जो क्वालिटी इन्सपेक्टर भ्रष्टाचार कर रहा है उनके संरक्षण के लिये पुलिस भेजी है लेकिन मैं यह बता दूं एफ.सी.आइ. केन्द्र की है, उनके रीजनल मैनेजर, फूड कमिश्नर हैं उन्होंने यह कहा है गंगापुर डीग में जो क्वालिटी इन्सपेक्टर उसने गलत काम नहीं किया है। आप कह रहे हैं कोई लोकल लेवल पर होगा। हमारे लेवल पर नहीं आई है। क्वालिटी इन्सपेक्टर को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। कई जगह वहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

मंडियों में बहुत लोग आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। क्वालिटी इन्सपेक्टर द्वारा खरीद में डिले होती है तो काश्तकारों में हो हल्ला मच जाता है उसे दवाब डालते हैं ऐसा हुआ है तभी पुलिस का संरक्षण दिया गया है। ओसियां में ऐसा हुआ है, चारों तरफ से घेर लिया गया। कई प्रकार के प्रलोभन दिये। नतीजा यह हुआ देरी वगैरह का बहाना बनाकर जोधपुर भेजा गया। जहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, वहां ही पुलिस साथ रख रहे हैं। इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है कि हमेशा पुलिस साथ रखे—ऐसे आदेश भी दे रहे हैं पुलिस हमेशा साथ न रहे। वह एस.डी.ओ. को कहे और वह यह समझे उसे प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है तभी साथ रहनी चाहिये। पुलिस साथ रखने से क्वालिटी इन्सपेक्टर नाजायज फायदा उठा सकता है यह भी निर्देश दे रहे हैं। यहां पर यह बात कही भरतपुर में जो खरीद की जा रही है नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, मैं यह नहीं मानता हूं ...

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप कहां तक मानते हैं। आप किस लेवल तक...

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इस बात का पूरा यकीन है–एफ. सी. आइ. के रीजनल मैनेजर मि० कश्यप ने जब भी कोई बात हुई है ऐक्शन लिया है और उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैंने डी. एम. तक के लिये कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने ऊपर तक की बात कही है। डी. एम. तक क्या कार्यवाही की और क्या कार्यवाही नहीं की यह मुझे नहीं मालूम। जो मि. आहलूवालिया रीजनल मैनेजर उनका कन्डक्ट कहां तक ठीक है वे जांच कर रहे हैं। फूड कमिश्नर को भी भरतपुर जिले में भेज रहे हैं–दोनों अफसरों से कम्बाइन्ड जांच कराऊंगा। एफ.सी.आइ. के रीजनल मैनेजर...

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने पंचायत समिति की जांच करवाली, उसका क्या हुआ ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : जांच आज तक आपने कितनी करवाई और कितने केसेज में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

(मा० आर्य के बोलते रहने पर, अश्रव्य)

श्री आर्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं वहां पर रिजेक्टेड क्वालिटी का बाजरा इंसपेक्टर खरीदता है और वह बाला बाला गोदाम में चला जाता है मैं नहीं कह सकता कि मंडी कमेटी के क्या रूल्स हैं, लेकिन मण्डी कमेटी में जो कोई भी ऑफिसर है और जो कुछ भी रेकार्ड बनता है उस रेकार्ड के आधार पर जांच करने की बात करूंगा। कितना मंडी कमेटी के अन्दर खरीदा गया और उसके बाद में कितना परचेज किया होगा, मैं इस बात की जांच करूंगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर दूसरी बात जो है वह एम. एलएज के सम्बन्ध में कही है तो एम.एल. ए. को सलाहकार समिति में इसलिए रखा है कि एम.एलएज का भी इस बात के लिए आग्रह था कि हम कभी कभी जाते हैं तो किसानों को आइडेन्टीफाई करने के लिए उनको सक्षम बनाया जा सकता है। तो काश्तकारों को आइडेन्टीफाई करने में और स्टाफ के अन्दर सहयोग दे सकते है। सलाहकार समिति के लिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी स्टेट्यूटरी पोजीशन क्या है और किस कानून के नीचे इसको कायम किया है तो यह किसी कानून के नीचे नहीं बनाई गई है। यहां पर इस सदन में इस प्रकार की शिकायतें आई थीं कि जो नाज परचेज किया जा रहा है वह काश्तकारों से परचेज नहीं किया जा रहा है। वह एफ. सी. आइ. के क्वालिटी इन्सपेक्टर मिडिलमैन या बनियों से परचेज कर रहे हैं। इस घोटाले को रोकने के लिए सलाहकार समितियां बनाई थीं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर क्रय केन्द्र पर मेम्बर का पहुंचना कठिन होगा तो हमने इस बात की व्यवस्था की है कि प्रधान, प्रमुख, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन, तहसीलदार, एम.एल.ए. कोई भी व्यक्ति मौजूद हो तो वह आइडेन्टीफाई करे कि यह काश्तकार का नाज है, बनिये का नाज नहीं है। इस प्रकार से ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी जोर से कहा था कि देवगढ़ से बाजरे का ट्रक लेकर आया था और दूसरी जगह हुरड़ा की पैदावार को लेकर आया था तो यह डिस्क्रीशन एक्सरसाइज करना पड़ गया। जनरली फील करते हैं कि काश्तकार आता है तो मालूम हो जाना चाहिए। काश्तकार और बनियों में यह फर्क करते हैं। जब ट्रक आता है तो एफ. सी. आइ. को नहीं खरीदना चाहिए और कमेटी के सदस्यों को पूछना चाहिए।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि कोटा में खरीद हुई है। वहां पर 25 हजार और कुछ टन गेहूं खरीदा जा सकता है राजस्थान की विभिन्न मंडियों में और 66 परचेजिंग सेन्टर्स हैं। जहां तक कोटे का प्रश्न है कोटे के खुद क्रय केन्द्र पर 12536 क्विन्टल नाज खरीदा गया, बून्दी में 2838 क्विन्टल, रामगंज मंडी में 815 क्विन्टल, बारां में 3768 क्विन्टल, भवानी मंडी में 723 क्विन्टल और अन्ता के अन्दर 225 क्विन्टल खरीदा गया है।

जहां तक कमेटी के कन्वीन करने का प्रश्न है यह कलेक्टर को कहा हुआ है कि उस एरिया में जो मेम्बर हों उनको इस बात की सूचना करें और हम यह आशा रखते हैं कि सब मेम्बर्स इकट्ठे नहीं हो सकेंगे इसलिए कन्वीन करके प्रोसीडिंग्स को चलाया जाय उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि काश्तकारों से अनाज खरीदा जाय और काश्तकारों को वे आइडेन्टीफाइ करें। क्वालिटी इन्सपैक्टर अगर मेम्बर आइडेन्टीफाई न करे और फिर भी खरीदता है तो क्वालिटी इन्सपैक्टर के साथ ऐक्शन लिया जायगा। एफ. सी. आइ. ने इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि क्वालिटी इन्सपैक्टर के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी, बारां और अन्ता में क्वालिटी इन्सपेक्टर ने व्यापारी से मिलकर खरीदा है और एम० एल० ए०, प्रधान और चैयरमैन को कोई नहीं पूछता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : बारां की जांच करा लूंगा। मुझे पता नहीं है कि कहां पर काश्तकार को आइडेन्टीफाई नहीं किया गया है और उसके बाद भी खरीदा गया है। इसकी सूचना माननीय सदस्य अगर देंगे तो उसकी जानकारी करके उनको सूचना दे दूंगा।

यहां पर यह बात कही गई है कि जो यह कमेटी·········

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक मीटिंग एडवाइजरी कमेटी को बुलाकर ये तमाम बातें जो हैं उनको बताई जायं ताकि फंक्शन तो शुरू हो, लेकिन एक मीटिंग कलेक्टर को बुलवाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं और जिलाधीश को आज ही आदेश दे दूंगा कि इमीजियेटली कमेटी की मीटिंग बुलाकर यह बात उनको समझाई जाय। कमेटी एक जगह के लिए नहीं हो हर सेन्टर के लिए है। इसलिए पूरी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है जिला हैडक्वार्टर पर, लेकिन जहां पर जो हो एस० डी० ओ, तहसीलदार और बी०डी० ओ, जहां पर जो भी हो वह कन्वीन करलें। कोई न कोई मीटिंग कन्वीन कर ले ताकि मीटिंग बुलाकर यह बात उनको समझा दें।

एक बात अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि यह जो एडवाइजरी कमेटी है इस कमेटी को जो क्वालिटी के बारे में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। यह बात संभव नहीं है। क्वालिटी जो निर्धारित की है वह भंग हो जायगी और उनमें झगड़ा हो जायगा और अनाज की परचेज पूरी नहीं होगी। क्वालिटी इन्सपेक्टर कहेगा कि यह फलां स्टैण्डर्ड का है और वह यह बात कहेंगे कि फलां स्टैण्डर्ड का नहीं है। अगर कमेटी को क्वालिटी की जांच के लिए रख देते हैं तो कमेटी के सदस्य कोई एक्सपर्ट तो हैं नहीं इस मामले के अंदर। क्वालिटी इन्सपेक्टर और उनके बीच में मन-मुटाव होता है तो खरीद बंद हो सकता है। इस प्रकार की जो है बात एफ० सी० आई० से की है। उन्होने इस बात पर गौर नहीं किया है। काश्तकार को आइडेन्टीफाई करने के लिए कमेटी को स्टेट्यूटरी प्रोवीजन से बचा लें ताकि उससे लोग नाजायज फायदा न उठायें तो इस प्रकार से बातचीत होकर यह निर्णय लिया गया है कि स्टेट्यूटरी फंक्शन्स न हों, लेकिन एफ० सी० आई० ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस कमेटी के द्वारा काश्तकार को आइडेन्टीफाई करने के निर्णय को वे मानते हैं। उस पर वे मुकम्मल तौर से अमल करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, इसमें दिक्कत यह आयेगी कि मान लो कि मैंने आइडेन्टीफाई कर दिया कि यह कल्टीवेटर है तो क्वालिटी के हिसाब से उसके माल को रिजेक्ट कर देगा तो फिर वह वैसे का वैसा ही खत्म हो जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह मैंने कह दिया है कि काश्तकार को आइडेन्टीफाई

(श्री परसराम मदेरणा)

करने के बाद क्वालिटी के बारे में निर्णय क्वालिटी इन्सपेक्टर का होगा । आपको स्पष्ट समझना चाहिए कि इस कमेटी का फन्कशन है वह लिमिटेड फन्क्शन हैं । वह काश्तकार का आइडेन्टीफाई करने का है और क्वालिटी के बारे में उसको इन्टरफियर नहीं करना चाहिए । इसलिए माननीय सदस्यों को इसको स्पष्ट लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में ।

श्री परसराम मदेरणा: इस कमेटी के सदस्य काश्तकार को आइडेन्टीफाई करेंगे सदन में सदस्यों द्वारा इस प्रकार की शिकायतें की गई थी कि क्वालीटि इन्स-पेक्टर जो अनाज की खरीद करते हैं वह काश्तकार से सीधी नहीं करते हैं और बिचौलियों से कर रहे हैं तो बिचौलियों को रोकने के लिए दूसरी व्यवस्था नहीं करके सलाहकार समिति का निर्णय लिया है ।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : एक ऐसा सवाल पनपाता है कि मान लो कि क्वालिटी इन्सपेक्टर ने कहा कि यह गेहूं 75 मन का है और काश्तकार कहता है कि 80 रुपये मन का है तो ऐसे डिस्प्यूट के अन्दर उसको काश्तकार को वैसे तो 75 रुपये के भाव के दिये जाएं लेकिन काश्तकार क्वालिटी का सेम्पल सलाहकार समिति के सामने सील करके उच्च अधिकारियों के पास भिजवा दे और उसका एक हिस्सा अपने पास रख ले । वहां से फाइनल निर्णय आजायेगा तो 75 और 80 रुपये के डिफरेंस का पेमेन्ट उसको बाद में हो जाय ।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी संक्षेप में समाप्त करें ।

श्री परसराम मदेरणा: उसका संबंध भारत सरकार से है, भारत सरकार की सलाह से और उनके निर्देश से क्वालिटी निर्धारित की हुई है और क्वालिटी शेड्यूल बना हुआ है उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से कटौती दरों में की जाय । एक ग्रेड में यह चीज होगी और उसके बिलो 2 ग्रेड का है उसमें यह है कि बिना पका नाज 10 पर्सेन्ट तक हो और उससे ज्यादा होगा तो नं० 3 में आजायेगा तो उसको 75 के बजाय 74 रुपये में रख दिया जायगा । 10 से 20 पर्सेन्ट तक वे लेंगे और इससे ज्यादा पर एफ०सी०आई०रिजेक्ट कर देगा । लाल गेहूं उसके साथ में हो तो उसके संबंध में लिखा है कि 20 से 50 पर्सेन्ट एक क्विन्टल में हो तो वह उसको उसमें नहीं लेंगे और उसके बाद लाल गेहूं मान लिया जायगा । इसके बाद में कचरे के बारे में स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया हुआ है । इस स्पेसिफिकेशन को साइक्लोस्टाइल करवाकर सभी माननीय सदस्यों को भेज दूंगा । सलाहकार समिति के और सदस्यों के पास और जिलाधीशों के पास भी भेज दूंगा ताकि उनको भी मालूम रहे कि स्पेसिफिकेशन शेड्यूल क्या है और क्या स्टैण्डर्ड है और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ।

श्री फतेहसिंह : एक क्वेरी है श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री फतेहसिंह : यह जो छानकर लेते हैं तो इसके जवाब में क्या कहना है । और एक क्विन्टल में कम से कम सवा किलो कूड़ा कचरा निकल जाता है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जुझारसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह महसूस करते हैं कि एस्टेब्लिश हो जाय कि सर्टेन पर्सेन्टेज तक खरीद रहे हैं, क्योंकि एक एक हजार तक गाड़ियां काश्तकारों की पहुंच जाती हैं। उससे ज्यादा नुकसान काश्तकारों का हो रहा है क्योंकि पूरा माल नहीं ले पा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 22 हजार और कुछ टन परचेज किया गया है और 75 हजार टन का टार्गेट है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इससे ज्यादा खरीद होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। आज काश्तकारों का अनाज नहीं खरीदा जाता तो भावों में दृढ़ता नहीं आती। आज फार्मी गेहूं राजस्थान की विभिन्न मंडियों में 87 और 90 के बीच चल रहा है...

श्री अध्यक्ष : (किसी माननीय सदस्य के उठने पर) आर्डर, आर्डर। उन्हें कह लेने दें।

श्री जुझारसिंह : स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो कह रहा हूं वह तो बिल्कुल गलत है और आप जो कह रहे हैं वह सही है।

वस्तुस्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। खरीद से राजस्थान में उसके भाव ऊपर आये हैं। मैं मार्केट भावों की बात कर रहा हूं। सेन्टर्स नहीं खोले तो 66 खोले हैं 94 में से।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : पालिसी मेटर की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कामेडिटी में एवरेज 1 पर्सेन्ट फॉरेन मेटेरियल हो तो वह एक ग्रेड का है, उसके बिलो 1-5 पर्सेन्ट है तो सैकण्ड ग्रेड का है। उसके नीचे अगर 2 पर्सेन्ट है तो उसमें माइनस करते हैं। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। एक क्विन्टल में डेढ़-डेढ़ किलो जो हैं, फारेन मैटेरियल निकलता है तो उनको छनवा कर निकाला जाता है तो वह स्पेसिफिकेशन के अन्दर आ जायेगा नहीं तो वह पूरे का पूरा रिजेक्ट हो जायगा। इसलिए छनवाना जरूरी हो गया है ताकि कीमत उसकी जिस ग्रेड का वह है वह मिल सके।

श्री फतेहसिंह : ब्यावर में जिनसे लिया है उन्होंने छानकर नहीं बेचा...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण पर वित्त मंत्री का वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के प्रत्युतर में मैंने जो वक्तव्य सदन के प्रांगण में दिनांक 19-4-71 को दिया था उसमें मैंने कहा था कि राज्य बीमा विभाग के कर्मचारियों का शिष्ट-मण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला है और मैं भी उनसे दिनांक 21-4-71 को मिलूंगा। यदि कोई नया मुद्दा ध्यान में लाया गया तो उस पर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।

कर्मचारियों का शिष्ट-मण्डल मुझ से दिनांक 21-4-71 को मिला। उनकी बातें

(श्री मथुरादास माथुर)

सुनने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि मैं स्वयं राज्य बीमा विभाग में जाकर विभाग की कार्य-प्रणाली को देखूं ताकि मैं विभाग की समस्याओं को समझ सकूं और इस विषय में अन्तिम निर्णय ले सकूं।

तदनुसार मैं बीमा विभाग में दिनांक 26–4–71 को विशिष्ठ सचिव एवं उप-सचिव, वित्त विभाग के साथ गया तथा विभाग की कार्य-प्रणाली एवं विभिन्न स्तर की कार्य-पद्धति का विस्तृत रूप से अध्ययन किया।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग का कार्य सुचारूरूप से चल रहा है एवं तुलनात्मक दृष्टि से दक्षतापूर्ण है। मैंने देखा कि विभाग का भारी व विविध रेकार्ड यथासम्भव सफाई व सुरक्षा से रखा जा रहा है। विभाग के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण विभाग कार्य-प्रणाली व प्रशासनिक समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं और बीमेदारों की शीघ्रता एवं सुचारुरूप से सेवा करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

विभागीय कार्य वास्तव में इतना बहु-मुखी हो गया है कि यह महसूस किया गया कि अब समय आ गया कि मूल्यांकन कार्य हेतु यंत्रीकरण की पद्धति लागू करने से ही कार्य शीघ्रता व सही रूप से किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विभाग के मूल्यांकन अनुभाग में पंच कार्ड प्रणाली लागू की जावे, जिसके लिए बजट में मशीनों को खरीदने के लिए रकम का उचित प्रावधान रखा है।

अब भी मैं महसूस करता हूं कि बीमेदारों को व्यक्तिगत व शीघ्र सेवा देने के ध्येय की पूर्ति तब ही हो सकती है कि जब कि क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो, परन्तु इस योजना को क्रियान्वित करने में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझता हूं।

अब इस योजना के कार्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता समझता हूं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार, मंत्री महोदय

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71–विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,89,70,00 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,63,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सह-कारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री अमृतलाल यादव)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,62,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,86,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्यों ने यू० आई० टी० के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 76 के अन्तर्गत दिये थे। यह मांग दिनांक 17-5-71 को ली थी। इस विषय में मन्त्री महोदय की ओर से मेरे समक्ष एक आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर ही मैंने कल इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी थी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इस विषय का अधिक स्पष्टिकरण करना उचित समझता हूं।

माननीय सदस्यों ने यू० आई० टी० से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संभवतः नगर आयोजन की मांग के अन्तर्गत दिये थे जो मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76 में है। मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना समझूंगा कि यू० आई० टी का कोई संबंध नगर आयोजन से नहीं है। अतः मांग के अन्तर्गत यू० आई० टी० के कटौती प्रस्ताव नहीं लिये जा सकते।

यू० आई० टी० के सम्बन्ध में बजट एस्टीमेट्स में दो ही मांगे हैं। प्रथम मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक 71–विविध जिसमें यू० आई० टी० को ग्रान्ट इन एड का जिक्र है इस वर्ष यू० आई० टी० को कोई भी ग्रान्ट इन एड नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी राशि को कम करने का प्रश्न नहीं रहता। अतः कटौती प्रस्ताव मान्य नहीं हो सकता।

दूसरी मांग यू० आई० टी० के संबंध में मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था राजस्व संघीय क्षेत्र सरकार द्वारा लोन्स ऋण तथा अग्रिम है जिसमें लोन्स एण्ड एडवान्सेज का प्रश्न है–यह मांग पहले ही स्वीकार हो चुकी है। जहां तक मुझे जानकारी है इस मांग के समय यू० आई० टी० के बारे में कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपरोक्त स्थिति में अब मांगों के संबंध में यू० आई० टी० के बारे में कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है फिर भी मा० सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मा० सदस्यों को इस विषय पर एप्रोप्रियेशन बिल की चर्चा के समय कुछ शब्द बोलने का अवसर देना उचित समझता हूं। संबंधित मंत्री महोदय भी उस समय स्पष्टिकरण करने की कृपा करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जैसी स्थिति बनी है वह सर्व विदित है कि जो यू० आई० टी० के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह एक स्पेसिफिक प्रश्न को लेकर रखा गया था। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर जब इस प्रश्न पर चर्चा की जाय तो वह कटौती प्रस्ताव का कान्टीजेन्स ले लें ताकि उसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव आपका ग्राह्य है। अब मैं दूसरा प्रश्न जो मांग ...

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव दिये थे उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त पर आप चर्चा कर सकेंगे और मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि चर्चा के संदर्भ में स्पष्टिकरण कर दें।

अब मांगों के लिये जाने के पहले मैं सूचित करता हूं कि 4-45 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाय।

माननीय श्री मोहनलाल मोदी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसमें एक और निवेदन करना चाहता हूं, 13 तारीख का बिजनेस था, वह आज ले लिया गया है। 13 तारीख को जो मांग पोस्टपोन की गई थी, उसके लिए आपको निवेदन किया था कि इस मांग को शुक्रवार के दिन, जिस दिन छुट्टी रहती है, रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं मुखबन्द का रिलेक्सेशन कर दूंगा ताकि अकोमोडेट कर सकें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जो विविध है और वैज्ञानिक विभाग है ...

श्री अध्यक्ष : शुक्रवार के प्रश्न पर आपत्ति रही है। ऐसा है, पहले भी इस प्रकार रखा था तो माननीय रामानन्दजी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमारे अपाइन्टमेंट हो गये हैं, मेरी दिक्कत भी ऐसी ही थी जिस प्रकार की कई माननीय सदस्यों की है। इसलिए इस समय अकामोडेट करने का प्रश्न है तो 4.45 पर मुखबन्द का प्रयोग हो उसके बजाय साढ़े पांच कर दूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुखबन्द का प्रयोग टाइम पर होता है, पौने पांच का समय निर्धारित हुआ है तो पौने पांच बजे होगा।

श्री श्रवणलाल : कहां लिखा है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुखबन्द का समय आगे नहीं बढ़ता है।

श्री अध्यक्ष : निर्धारित समय कौनसा होता है, कहीं समय फिक्स-अप करने के रूल्स हैं ?

श्री दुर्गालाल बादृदार : जो 13 तारीख का बिजनेस आगे के लिए स्थगित किया था·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 4.45 के बजाय मैं 5.30 कर दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इतने समय में सब नहीं बोल सकेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हरएक मांग पर छः, सात, आठ बज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरी माँग नहीं है महत्वपूर्ण, एक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चार हैं।

श्री अध्यक्ष : दो हैं, तो भी समय की सीमा में बंध कर चल सकते हैं, इसलिए मैं

(श्री अध्यक्ष)

पांच बजे मुखबन्द के प्रयोग का आदेश देता हूं। (व्यवधान) ऑर्डर ऑर्डर।

श्री जुझारसिंह साढ़े पांच।

श्री देवीदत्त गाड़िया: ऐसा है निवेदन....

श्री अध्यक्ष: साढ़े पांच बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा।

श्री हरिदेव जोशी: रिप्लाई कब होगा।

श्री अध्यक्ष: रिप्लाई, इस प्रश्न को निकल जाने दीजिये, रिप्लाई के प्रश्न को बीच में ले लूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी।

मांग सं० 14, 21, 13. व 34 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 14

1. श्री गंगासहाय (कठूमर):

मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा नीलकण्ठ (गढ़राजौर) क्षेत्र की मूर्तियों की खुदाई की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

2. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी क्रय-विक्रय भण्डार, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक आदि में होने वाली अनियमितताओं व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

3. श्री दुर्गालाल बादशाह(हवामहल जयपुर):

मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजायबघरों की सुव्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के लिए भूखण्ड आवंटित करने में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

5. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग की लापरवाही के कारण मंदिरों की दयनीय अवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

6. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग से राज्य कर्मचारियों को लोन प्राप्त करने में उत्पन्न कठिनाइयों एवं विभाग के अधिकारियों की तानाशाही पर चर्चा के लिये)।

Page No 72

(श्री दुर्गालाल बादवार)

8. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरीय रसद विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण अनाज में मिलावट पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरीय रसद विभाग द्वारा सस्ता अनाज उपलब्ध न करने पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कंवर नगर, जयपुर) की अधूरी सड़कों को जयपुर नगरपरिषद् द्वारा पूरी कराने पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कंवर नगर(जयपुर) की सड़कों की नगरपरिषद्, जयपुर द्वारा मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कंवर नगर (जयपुर) के पास पुरानी बस्ती एवम् पन्नीगरों के नले से आने वाले गन्दे पानी के नालों की सफाई न कराने एवम् पक्का न बनाने से फैल रही गन्दगी पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगरपरिषद् द्वारा कंवर नगर व ताल कटोरा (जयपुर) के बीच के मैदान में मरे जानवर व कूड़ा पटकने पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका तथा नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित न होने के कारण जयपुर नगर, की प्रगति अवरुद्ध हो रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 21

15. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य में सहकारिता की नीति से दुर्बल वर्ग को कोई लाभ नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 34

16. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई व सुधार के बजाय सारे नगर में गन्दी बस्तियों का वृद्धि हो रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाउसिंग बोर्ड को दी गई राशि को कम करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 14

18. श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27

(श्री जयनारायण सालोदिया)

वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

19. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के निवाई डाक बंगले के विकास पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

20. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा बकाया वसूली में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नौकरियों, प्रमोशनों व ट्रांसफर्स आदि में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

23. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग से में 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में राक फोस्फेट का बाहुल्य होते हुए भी उसका उपयोग करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में खानों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के कैराडू मंदिर की ठीक देखभाल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज पदार्थों के एक्सप्लोरेशन करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर अपनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

27. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

29. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, में राजस्थान के विधायकों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन में भोजन, सफाई, उद्यान, रेफरीजिरेटर की माकूल व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (राज्य सरकार द्वारा अल्प बचत योजना में सक्रिय रुचि न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में अनाज प्रदाय के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

34. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 34 विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (हरसी की जैसिंघर, बाड़मेर जिला) वगैरह के नागरिक सुरक्षा केन्द्रों में कार्यरत मुस्लिम होमगार्डों को उनकी सेवाओं से बिना किसी कारण के और बिना स्टाइपिन्ड दिये हुये निकालने कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

35. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट लोटरीज के द्वारा जुए को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :

मांग संख्या 14

36. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पत्थर की खानों के ठेके केवल हाथ से काम करने वालों को ही देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

37. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीमा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कर गांवों में बीमा के लिये लोगों को प्रेरित करने एवं अल्प बचत के लिये प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को दलबन्दी से ऊंचा करने और भ्रष्टाचार

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करने वालों को कठोर दण्ड देने व बकाया रकम शीघ्र वसूल करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(हर प्रकार की सबसिडी बन्द करने, प्रभावशाली व्यक्तियों से कर्ज तुरन्त वसूल करने, आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 34

40. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 76- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट लाटरीज बन्द करने एवं पंचायत समितियों को दिये जाने वाला अनुदान बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :

मांग संख्या 14

41. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए० एस० आई० रामगंज मंडी द्वारा ढाबादेह, सातल खेड़ी आदि स्थानों पर आबादी के पास खानें लगाने व वहां पर बसे व्यक्तियों को हटाने के लिये मजबूर करने बाबत चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए० एस० आई० रामगंज मंडी में पत्थर खान मजदूरों को मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाने बाबत चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व कोटा स्टेट के टर्म्स के माफिक ही ए० एस० आई० रामगंज मन्डी के (पत्थर के) से वसूलियां हो रही हैं बढ़े हुए भाव पर, उचित सरचार्ज वसूल नहीं किया जा रहा है एवं रायल्टी कम वसूल की जा रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

44. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए. एस. आइ. रामगंज मंडी द्वारा मजदूरों से सौ वर्गफुट के स्थान पर 107 वर्गफुट पत्थर लेना व मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए. एस. आई. कम्पनी इन्डस्ट्रीज,रामगंज मन्डी द्वारा पूरे लीज एरिया पर काम नहीं करने से राज्य कोष में होने वाले नुकसान बाबत चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 34

46. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (ए. एस. आई. कम्पनी के ट्रकों द्वारा, बिना इजाजत सवारियों को लेकर झालावाड़ जिले में चुनाव हेतु घुमाना व प्रशासन द्वारा उन्हें उपचार नहीं करते हुए, सवारी बसों को एक्वायर करके पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये) ।

Page No 76

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

47. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ पार्लियामेन्ट्री क्षेत्र में, कलेक्टर झालावाड़ द्वारा यातायात की सुविधाओं से जनता को वंचित करना व में पूर्व उन्हें रिक्यूजीशन कर लेने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) :

मांग संख्या 14

48. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग से में 100 रुपया कम कर दिया जाय(झामर कोटड़ा के सार्वजनिक क्षेत्र में उत्खनन न करने तथा खानों के आधार पर राज्य में अन्य उद्योग स्थापित न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 13

49. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं में हरिजन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

51. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल मोगा (सराड़ा):

52 मांग संख्या 14,मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में जावर माइन्स (सराड़ा तहसील) में पढ़े लिखे बेरोजगारों को कार्य पर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में नठारा की पाल के पहाड़ों में लोहे की खान का कार्य चालू कराने पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गांव जूनीझर में फोस्फेट का भन्डार मिला है, उसका कार्य चालू कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

55. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कर्तव्य-परायणता से विमुख होने से जो लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए, वह लाभ प्रदेश को न मिलकर, उन्हें अनुचित रूप से मिलता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

Page No 77

(श्री भगवानदास शास्त्री)

मांग संख्या 21

56. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34--सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के सम्बन्ध में जो लक्ष्य रखा गया था, उसके अनुसार कार्य न होने के कारण वांछित लाभ उपलब्ध नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 34

57. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71–विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वक्फ प्रोपर्टीज का आम जनता में मालिक की हकदारी का फैसला करने एवं उस प्रोपरटीज के स्वामित्व पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

माँग संख्या 14

58. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में रंग बिरंगे पत्थर की खान के उद्योग के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण एवं खनिज उद्योग के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

60. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा आयोग द्वारा चयन में जिले के शिक्षित लोगों को चयन करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

61. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर भूमि विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋणों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) जिला जालोर में बैंक स्टाफ में कमी एवं सहकारी विभाग के अन्य राज्य कर्मचारियों की कमी पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक ऋण की नीति के परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बनी क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

65. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में गठित कृषि सहकारी समितियों की असफलताओं के बारे में चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर के भूतपूर्व ए०आर०सी० के विरुद्ध शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जोलासण में ऋण देने के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं, गबन, व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

68. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की जांच के बारे में चर्चा के लिए)।

69. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल को भंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

70. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं की इमारती पत्थर की खानों से पत्थर ले जाने वाले काश्तकारों से रायल्टी वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं के क्षेत्र में चूना बनाने के काम आने वाले पत्थर व कंकरी का सर्वे करके ठेका नहीं देने के कारण विभाग को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर के जसवन्त रेल्वे स्टेशन के पास से चोरी करके लोगों द्वारा कंकर खोद कर सुजानगढ़ बेचने के कारण विभाग को हो रहे रायल्टी के नुकसान पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं के इमारती पत्थर की खानों में मजदूरों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लुकास, तहसील लाडनूं की सरहद में जेतोलाव नाम की इमारती पत्थर की खान को चालू नहीं करने-पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

75. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग के बीकानेर स्थित मौजूदा निरीक्षक द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने तथा उसको लम्बे समय तक उसी स्थान पर रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं जिला नागौर के मन्दिरों को समय पर सहायता नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग में लाडनूं कस्बे में रजिस्टर्ड ट्रस्टों द्वारा ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन्स को नहीं मानने पर भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

78 मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन के मामलों में नागौर जिले के प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों की भूमि का मुआवजा देने हेतु किये जा रहे नामान्तरकरण में अत्यधिक देरी करने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं जिला नागौर के पुजारी द्वारा बार बार प्रार्थनापत्र देने पर भी उनको मन्दिर की भूमि का मुआवजा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा तहसील लाडनूं के मन्दिरों की भूमि का मुआवजा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाईरेक्टर, लोकल बोडीज द्वारा नगरपालिका लाडनूं को नाजायज कार्य करने में प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर, लोकल बोडीज द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा किये जा रहे अनियमित व्यय को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर लोकल बोडीज के कार्यालय द्वारा नगरपालिकाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की तामील नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का सेवा चयन आयोग द्वारा समय पर कर्मचारियों का सिलेक्शन करके सूचियां तैयार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प बचत के लिए पटवारियों को एजेन्ट बनाने से काश्तकारों को हो रही परेशानियों पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बीजोधां, जिला नागौर में लोगों से पैसे लेकर रसीदें दी गई लेकिन कई वर्ष बीतने पर भी सेविंग्ज सर्टीफिकेट नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीमा विभाग द्वारा लैप्स हुई पोलिसियों या बन्द की गई पोलिसीज का पेमेन्ट सबंधित व्यक्तियों को न होने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26, विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम दिया जाय (आर. ए. सी. के जवानों के लिए जारी की गई बीमा पोलिसियों के लेप्स हो जाने पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय बीमा विभाग को विकेन्द्रित कर कर्मचारियों को अन्यत्र भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

91. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय समिति, लाडनूं द्वारा सरकार द्वारा आदेश देने पर सदस्यों को राशि वापिस नहीं लौटाने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा हिस्सा क्रय किया गया है उसमें सरकारी अधिकारियों की व्यवस्थापक के पद पर नियुक्त नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में गलत रूप से बन रही भवन निर्माण व अन्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति में फर्जी सदस्य होने, समिति के नाम से लिये ठेकों का हिसाब समिति के रेकार्ड दर्ज नहीं करने तथा अयोग्य सदस्यों के नाम लिख लेने पर चर्चा के लिए)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

95. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (ताल छापर नामक उत्पादक सहकारी समिति में व्याप्त अनियमितता पर चर्चा के लिये)

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन श्रमिक संघ को)

97. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में कर्मचारियों को प्रमोशन देने में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय 34 सहकारी अन्तर्गत भाग (सहकारी समिति नियुक्त मैनेजरों के द्वारा वसूल किये गये ऋण की राशि के गबन कर लेने के बाद भी मैनेजरों के लिए पर्याप्त जमानत की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति ललासरी से ऋण की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति ललासरी, जिला नागौर द्वारा ऋण वितरण में की गई अनियमितता पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)

101. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बीजोधां, जिला नागौर उपभोक्ता भण्डार को अवसायन मे लाने में की जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी शिक्षा के नाम पर सहकारी संघ द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सबंधी बजट में प्रावधान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति, जसवन्तगढ़ जिला नागौर द्वारा चीनी वितरण में किये गये घोटालों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक उत्पादन समिति बालिया, जिला नागौर के लिक्विडेशन की कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय सहकारी समिति, लाडनूं जिला नागौर ने गलतरूप से हिस्सा राशि जमा करने व खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

106. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज्य संस्थाओं के लिये नियुक्त जिलाधिकारी, नागौर द्वारा कर्तव्य-पालन में की जा रही असफलता पर चर्चा के लिए)।

107. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेलर्स, सोल्जर्स और ऐयरमैन्स बोर्ड कार्यालय द्वारा सैनिकों को आवासीय भू-खण्ड वितरकों में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं के क्षेत्र की पंचायतों को समय पर अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

109. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग में खानों के ठेके देने में चल रहे भ्रष्टाचार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर–बांसवाड़ा में इस विभागीय कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार एवं पक्षपात तथा ठेकेदारों द्वारा रोयल्टी की की जा रही चोरी आदि पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर आदि जिला क्षेत्रों में माइन्स से सम्बन्धित मजदूरों को खानों का ठेका नहीं देकर राजनैतिक आधार पर एवं बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेका देना एवं उनके द्वारा रोयल्टी की की जा रही चोरी आदि पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की तहसील किशनगंज, अटरू, शाहबाद क्षेत्र के बिलासी, रामगढ़, अटरू एवं बारां आदि स्थानों पर प्राचीन मूर्तियों की होने वाली चोरियों पर पुरातत्व विभाग द्वारा कोई रोकथाम नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के ठेकेदारों व मालिकों द्वारा व्यय करने वाले मजदूरों के पीने के पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की आवश्यक व्यवस्था न कर इस सम्बन्ध में उपेक्षा एवं उनका शोषण करने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान में चल रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं होने वाले भारी आर्थिक नुकसान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

115. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 –विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र का मास्टर प्लान व ड्रेनेज सिस्टम स्कीम नहीं बनाये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा की ओरियन्ट केबल्स फैक्ट्री, जे०के० सिन्थेटिक्स एवं वूल टोप्स आदि फैक्ट्रीज के लिये आयातित माल की चुंगी अवैधानिक ढंग से सरकार द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 70 के आस पास माफ करने से नगरपरिषद्, कोटा को हुए भारी नुकसान पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपालिका में जीप खरीद काण्ड पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपालिका में गत 5-6 वर्षों से तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा प्लाट्स की नीलामी व बेचान में किये गये हजारों रुपयों के भ्रष्टाचार एवं पालिका कोष के धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग में आर० ए० सी० के जवान जो बी०एस०एफ० में चले गये उनकी बीमा पोलिसी बंद हो जाने के कारण जमा धन अभ्यर्पण मूल्य दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग में सीनियर डिप्टी डायरेक्टर के पद का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाने पर भी तत्कालीन पदाधिकारी को सीनियर डिप्टी डायरेक्टर का वेतन दिए जाने के कारणों पर एवं वर्तमान में कार्य कर रहे व्यक्ति के डाइरेक्टर बन जाने के बाद सीनियर डिप्टी डाइरेक्टर के पद को समाप्त कर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग के निदेशक की विभागीय योग्यता नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग के निदेशक द्वारा पद का दुरुपयोग करने एवं उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों एवं पक्षपातपूर्ण कार्यों तथा कार्यालय में फैल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नागरिक रसद विभाग में ट्रक व बसों के टायरों में चल रही अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

124. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नागरिक रसद विभाग में चीनी वितरण व्यवस्था में चल रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नागरिक रसद विभाग द्वारा कोटा की मैसर्स जानकीलाल गोरीलाल की तरफ पुरानी चल रही लाखों रुपयों की बकाया रकम वसूल नहीं करने एवं सम्बन्धित फाइल को गायब कर देने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र के मध्य (शहर) के गन्दे नाले को पक्का नहीं बनाये जाने के कारण शहर में गन्दगी के कारण मच्छर व मलेरिया जैसी बीमारी का भयंकर प्रकोप बने रहने पर चर्चा के लिये)

127. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका का राजस्थान विद्युत मण्डल की तरफ पावर हाउस संबंधित करीब एक लाख रुपया जो सात आठ वर्षों से बकाया निकल रहा है वह विभाग द्वारा नहीं दिलाए जाने के कारणों पर एवं नगरपालिका के विकास कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र का सरकार द्वारा निर्धारित तीन मील का क्षेत्र सुपुर्द नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विभाग विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र के समीप ही रेल्वे स्टेशन के पास स्टार्च फैक्ट्री एरिया को नगरपालिका की सीमा में नहीं मानने के कारण पालिका को हाउस टैक्स की होने वाली आय न होने के कारण नगरपालिका की हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए।

130. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत मण्डल के पावर हाउस में आने वाले सामान पर चुंगी नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

131. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र में वेयर हाउस के गोदामों में केन्द्रीय खाद्य निगम का व सरकारी गल्ला जो रेल्वे द्वारा आता है उसके लिये पालिका को चुंगी नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय खाद्य निगम द्वारा बारां नगरपालिका क्षेत्र में मनियारा तालाब के सामने की भूमि पर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

ठेकेदार द्वारा बनाए जा रहे गोदामों के लिए आयातित लोहे व सीमेंट आदि सामान की चुंगी नहीं दिए जाने एवं पालिका की स्वीकृति लिए बिना ही निर्माण कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करीब आठ लाख के बजट वाली एवं इकतीस हजार की आबादी की बारां नगरपालिका को बी श्रेणी घोषित नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी व क्षेत्र में दस वर्ष पुराने हरिजन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किए जाने के पालिका प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र में मजदूरों व अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के मकानों की समस्या और उसके हल के लिये लो इनकम हाउसिंग स्कीम को लागू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

136. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका के दो हरिजन कर्मचारियों को करीब तीन चार वर्ष पूर्व निलम्बित कर देने के बाद भी उनको सात - सात, आठ - आठ माह का वेतन नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों व मजदूरों को मकान बनाने हेतु भूमि के प्लाट्स बेचने के अधिकार नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका द्वारा, गंदे नाले को पक्का बनाने हेतु सरकार से करीब दो - तीन लाख रुपया कर्जा व अनुदान के रूप में गत तीन वर्षों से की जा रही मांग की स्वीकृति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां उपजिला क्षेत्र के प्रमुख एवं करीब ग्यारह हजार की जनसंख्या वाले कस्बा मांगरोल को नगरपालिका क्षेत्र घोषित न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका के सेनिटरी इंस्पेक्टर को फूड एडल्ट्रेशन की चैकिंग के पावर्स नहीं दिए जाने के कारण शहर में दूध, घी व अन्य सामानों में फैल रही मिलावट तथा शहर मे गंदी चीजों व फल

Page No 86

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आदि की बिक्री पर रोकथाम नहीं होने के कारणों से फैल रही बीमारियां आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगरपरिषद् में चल रहे भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

142. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध प्लाट्स का बेचान करना एवं सरकारी भूमि पर नियम विरुद्ध तामीर की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये) ।

143. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में गत 8,10 वर्षों से प्लाट्स के बेचान व नीलामी में चल रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं पक्षपात तथा सहकारी अधिकारीवर्ग एवं बड़े बड़े नेताओं के संबंधियों द्वारा प्लाट्स की खरीद पर चर्चा के लिये) ।

144. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा सरकारी कारों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

145. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ नगरपालिका द्वारा लोगों को प्लाटों का पट्टा दे देने तथा उनका कब्जा नहीं दिलाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में गत करीब 8-10 वर्षों से प्लाट्स के आवंटन व नीलामी से बेचने में की गई अनियमितताओं, पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

147. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपालिका द्वारा प्लाट्स बेचान एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों आदि के नाम पर बेचे गए व आवंटित प्लाट्स 50—60 गंभीर भ्रष्टाचार मामलों को सरकार द्वारा दबाए जाने पर चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र की भूमि को सिरोही रियासत के भूतपूर्व नरेश को अनुचित व नियम विरुद्ध कब्जे में दिये जाने सम्बन्धी मामले पर चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अनेक गंभीर आरोपों से संबंधित सरकार को की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

150. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से

Page No 87

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं नगरपालिका द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को कीमत जमा करवाकर बेचे गये प्लाट्स पर कब्जा नहीं देना और उन्हीं प्लाट्स में से कई प्लाट्स दूसरे लोगों को बेच देना व विवादग्रस्त प्लाट्स बताए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग कार्यालय के विकेन्द्रीकरण किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपरिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अपने मर्जीदान व्यक्तियों को नगरपरिषद् के बहुमूल्य प्लाट्स बिना नि.ामी के सस्ती कीमत पर बेच देने आदि गंभीर आरोपों पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू नगरपालिका द्वारा, एम्पोरियम बिल्डिंग के निर्माण करने वाले ठेकेदार को करीब चार हजार रुपयों का ज्यादा भुगतान फर्जी ढंग से करने एवं इसमें 15 हजार रुपयों का जो गबन हुआ, उक्त दोनों मामलों पर आडिट पार्टी द्वारा लगाये गए आरोपों आदि को दबाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका को सड़क व नालियां आदि निर्माण कार्य हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं दिये जाने के कारण नगरपालिका में उक्त निर्माण कार्य ठप्प हो जाने पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला कन्डेन्स्ड कोर्स पासशुदा महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में नौकरी देने हेतु शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा आदेश जारी करने के उपरान्त भी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों सेवा चयन आयोग द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करने व कन्डेन्स्ड कोर्स पासशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं दिये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू के तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांग की थी कि सिरोही महाराज को माउन्ट आबू की अमूल्य भूमि, जिस पर कृषकों का कब्जा है और पालिका की सम्पत्ति है को नहीं दिया जावे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा बड़ौदा नरेश से नगरपालिका फण्ड से खरीद की गई चार बेकार नावों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

158. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपरिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध सन् 1960 से 1967 तक करीब 40 लाख रुपयों की परिषद् को हुई हानि व घोटालों से संबंधित शिकायतों पर चर्चा के लिये) ।

159. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपरिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध परिषद् हेतु खरीद किए गए ट्रैक्टर व ट्रोली जीप में हुए हजारों रुपयों के घोटालों आदि पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर नगरपरिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किन्हीं स्वार्थपूर्ण कारणों से सन् 1960 से 1966 तक शराब के ठेकेदारों से शराब की चुंगी का हजारों रुपया वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका जयपुर, कोटा व बारां में अनधिकृत रूप से नियम विरुद्ध मकानों के निर्माण करवाने देने और अधिकारियों द्वारा बिना नक्शे पास करवाये एवं बिना इजाजत के मकान बन जाने के पश्चात् समझौते कर लेने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

162. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता, बारां द्वारा सहकारी चावल मिल्स में चल रहे गबन व घोटाले आदि मामलों पर की गई जांच रिपोर्ट को दबाए जाने पर चर्चा के लिये) ।

163. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक के व्यवस्थापक पर अनेक गंभीर भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप होने व उन मामलों को दबा दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

164. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक में चल रहे लाखों रुपयों के गबन व घोटालों तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये मामलों को दबाए जाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगंज, बारां अटरू, शाहबाद छबड़ा, छीपाबड़ोद तहसील क्षेत्र सहरियों के नाम पर बनाई गई सहकारी पम्पिग सोसाइटीज में चल रहे गबन व घोटाले तथा फर्जी जमा खर्च तथा अवसायन में आई हुई व बन्द पड़ी हुई फार्मिग सोसाइटीज की भूमि, कर्जा, अनुदान व उपज का कुछ व्यक्तियों द्वारा निजी उपयोग करने पर चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा सहकारी उपभोक्ता, भण्डार को अवसायन में लाये

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जाने के कारणों एवं उक्त संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिए जाने से बेरोजगार हो जाने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार के मामलों की डिप्टी रजिस्ट्रार, कोटा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को दबाए जाने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा सहकारी उपभोक्ता भण्डार में तत्कालीन नियुक्त विभागीय सहायक रजिस्ट्रार द्वारा खरीद किये गए लाखों रुपयों के गर्म व सूती कपड़े, घड़ियां व अन्य सामान में हुए हजारों रुपयों के घोटालों खरीद किया गया ट्रक टैम्पों के चलाए गए कैन्टीन में हुए हजारों रुपयों के घोटालों व उनमें हुए गबन पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा सहकारी उपभोक्ता भण्डार में चल रहे लाखों रुपयों के नुकसान व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतहपुर ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा बारां पंचायत समिति के खाद व बीज आदि का गत करीब 8-10 वर्षों से करीब एक लाख रुपयों को हजम कर लेने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामला वृहत सहकारी सोसाइटी के मैनेजर द्वारा किए गए सैकड़ों रुपयों के गबन के मामले को दबाए जाने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां मार्केटिंग सोसाइटी के भंग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों व स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा सोसाइटी में खरीद व बेचान किए गए घोटालों के मामलों पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां मार्केटिंग सोसाइटी का कुछ संचालक मण्डल के सदस्यों व अन्य कुछ व्यक्तियों एवं दीगोद श्यामनगर सोसाइटी की तरफ हजारों रुपयों की खाद, बीज आदि की रकम चल रही बकाया पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक रजिस्ट्रार बारां द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी के बोर्ड को भंग कर दिए जाने एवं प्रशासक नियुक्त कर देने के बाद भी तात्कालीन संचालक बोर्ड व अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध अभी तक कार्य करने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां सहकारी चावल मिल भवन, निर्माण में धान की

Page No 90

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

खरीद, चावल की बिक्री आदि में व्यवस्थापक, कर्मचारी आदि द्वारा हुए लाखों रुपयों के घोटालों व फर्जी जमा खर्च आदि पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(झुंझुनूं सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक द्वारा बैंक मैनेजर को हटाए जाने और उसके बाद दूसरे नए मैनेजर की नियुक्ति नहीं करवाकर स्वयं द्वारा ही चार्ज लेने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (झुंझुनूं सेन्ट्रल सहकारी बैंक के प्रशासक द्वारा जीप के नाम पर फर्जी करीब छः हजार रुपयों का बिल बनाकर लेने पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रशासक द्वारा डूबत खाते की रकमों का ब्याज जोड़कर मुनाफे खाते में फर्जी जमा खर्च करने एवं बैंक में बिसाऊ मिडिल स्कूल के खाते को रकम को स्कूल की एक अध्यापिका के खाते में ट्रांसफर कर देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

179. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प आय वर्ग गृह योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पक्षपात के कारण दो-दो साल तक ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां के स्वर्णकारों को दिये गये ऋण में सुरक्षा कोष के नाम पर लिए गए चन्दे को तत्कालीन तहसीलदार एवं एक स्वर्णकार द्वारा हजम कर जाने और स्वर्णकारों द्वारा की गई शिकायत पर हुई जांच को दबा देने पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह अन्तरिम सहायता नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक):

मांग संख्या 14

182. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा स्वयं खान न चलाने व उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर लीज देने से राज्यकोष में हो रही हानि पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 13

183. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिविल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सप्लाईज विभाग द्वारा टायर ट्यूब्स के वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

184. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आंदोलन की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्रीरामचन्द्र आर्य (नोहर)

मांग संख्या 14

185. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव किसनपुरा, तहसील सूरतगढ़ के किसानों की काश्त की भूमि से जिप्सम कम्पनी जबरन चूना निकाल रही है । किन्तु काश्तकारों को बदले में भूमि नहीं दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

186. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव पूरबसर, पायतन जोहड़ तथा कुण्डों के पायतन से जिप्सम कम्पनी द्वारा चूना निकालने से वहां की जनता को भारी असुविधा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजायबघरों में मूर्तियों की चोरी रोकने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

188. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान को चालू रखने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

189. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में गाड़ियों के संधारण तथा परिचालन के लिये एक लाख की राशि अधिक है इसे कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

190. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर व सूरतगढ़ के काश्तकारों की भूमि खानों में ली गई व उनको बदले में भूमि नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिये) ।

191. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग में अनेक अनियमितताओं को रोकने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

192. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभागों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का व जीपों का भयंकर दुरुपयोग होता है, अधिकारी सरकारी जीपों से प्राइवेट काम लेते हैं और मंत्रि–मण्डल के सदस्य चुनाव प्रचार के लिये सरकारी कारों व जीपों का उपयोग कर राज्यकोष को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

193. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस संबन्धी राज्य सरकार की वर्तमान असफल नीति का अनुमोदन)।

194. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100,000 लाख रुपए कम कर दिये जायें (राजकीय बीमा विभाग के लिये चिकित्सा व्यय हेतु जो राशि दी गई है उसके सम्बन्ध में मितव्ययिता हेतु)।

195. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से दो लाख रुपये कम कर दिये जायें (राज्य गैरेज तथा आटोमोबाइल विभाग के अंतर्गत विभागीय गाड़ियों के सधारण और जीर्णोद्धार तथा उनके लिये पुर्जों के क्रय हेतु मितव्ययिता की जाय)।

196. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 25 हजार रुपये कम कर दिये जायें (राजकीय बीमा विभाग में डाक, टिकट, तार और टेलाफोन के व्यय में कमी करने हेतु मितव्ययिता)

197. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त कर्मचारियों का बीमा करने में राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आय–व्ययक अनुमान के पृष्ठ 163 पर उल्लिखित नवीन व्यय हेतु 7 लाख रुपये का प्रावधान ज्यादा है जिसे कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग अनाज प्रदाय योजनाओं संबंधी राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में हानियों व रोकड़ में कमी हेतु किये गये 5,000/– रुपये के प्रावधान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के अलावा अन्य फराशखानों के लिये फर्नीचर के जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण हेतु व्यय होने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की आर्थिक संकट को देखते हुए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, को बंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

203. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में डाक बंगलों और परिधि गृहो तथा विश्रान्ति गृहों के संधारण पर हो रहे खर्च कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

204. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 40000 रुपये कम कर दिये जायें (राजकीय अतिथियों पर होने वाले व्यय को आधा करके मितव्ययिता की जाय) ।

205. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 40000 रुपये कम कर दिये जायें (राजकीय प्रवास भवन, जयपुर में बिजली, पानी आदि पर फिजूल खर्ची कम करके मितव्ययिता की जाय) ।

206. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 2,00,000 रुपये कम कर दिये जायें (गाड़ियों के एकत्रीकरण से सम्बन्धित व्यय में पैट्रोल तेल तथा उपस्नेह पर हो रहे भारी खर्च को कम करके मितव्ययिता की जाय) ।

मांग संख्या 21

207. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के नव जागृत बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि० द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

208. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की जड़ों में कीड़ा लग गया है, खाली सहकारिता के नारे लगाये जाते हैं, भयंकर घोटाला, गबन, अनियमितताओं आदि के सिवाय कुछ भी नहीं है, इस प्रकार सरकार की सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी नीति एकदम असफल रही है, इन पर चर्चा के लिए) ।

209. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागोर जिला भूमि विकास बैंक द्वारा, उप-रजिस्ट्रार द्वारा मना करने पर भी, जीप खरीदने पर चर्चा के लिये) ।

210. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 25,000 रुपये कम कर दिये जायें (विभाग के डाक, टिकट, तार, टेलीफोन मद में फिजूल खर्ची को रोकने के लिये आधी धन राशि कम कर दी जावे, इसलिए

211. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया याय (क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मंडलों को भंग किया जाकर गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव करवाया जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

212. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में गाड़ियों के संधारण तथा परिचालन के खर्च में कमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

213. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में चिकित्सा व्यय पर कमी किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

214. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

215. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कर्जा देने की प्रणाली गलत होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इस प्रकार किसानों को कर्जा दिलाने में राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

216. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों की बकाया की वसूली करने में सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

217. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को कर्जा दिलाने व निरीक्षण करने सम्बन्धी समस्त अधिकार पंचायत समिति के सहकारी प्रसार अधिकारी को होना चाहिये क्योंकि सहकारी विभाग के निरीक्षक बहुत घोटाले व मनमानी करते हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

218. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों पर सुपरवाइजर लगाकर अनावश्यक खर्चा बढ़ाया गया है, सुपरवाइजरों की कोई उपयोगिता नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

219. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सहकारी समितियों को समय पर कर्जा नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये)

220. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक से सदस्यों को कर्जा, जिस प्रकार हरियाणा व पंजाब में कर्जा सीधा दिया जाता है, वही प्रणाली राजस्थान में लागू हो, इस पर चर्चा के लिये) ।

221. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक को चुनाव के हल्काबन्दी करने में भारी अनियमितता बरती जाती है, नोहर, भादरा के बक का चुनाव 2 तहसीलों का एक स्थान पर कराने से खर्चा ज्यादा लगता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

222. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक के मतदाता सूचियों में पूरा पता व उम्र नहीं दर्ज की जाती, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

223. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक व क्रय विक्रय सहकारी समितियों के डाइरेक्टर व चेयरमैन के पद पर एक ही व्यक्ति को पांच वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सहकारी समितियों का एकीकरण करने से सहकारी समितियां फैल हुई हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय सहकारी समिति पीलीबंगा (सूरतगढ़) में गबन हुआ है, ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियां बनाकर सरकारी भूमि का दुरुपयोग किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय सहकारी समिति, नोहर की ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, संचालक मंडल को भंग किया जाकर चुनाव कराया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचवर्षीय सहकारी सोसाइटियों की जांच की जाकर फर्जी सोसाइटियों को रद्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे (जिलों में सहकारी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को जिला परिषद् व पंचायत समितियों के आधीन रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय सहकारी समिति नोहर के संचालक मंडल का चुनाव नहीं कराया जाता, समिति का अध्यक्ष डिफाल्टर है, इस पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग के संचालन व्यय में कमी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में राजनीति में भाग लेने वाले कार्यकर्त्ताओं व नेताओं की जोर जबरदस्ती समाप्त की जाकर सहकारी आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

233. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रु.

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कम कर दिया जाय (खेल और क्लब पर व्यय करने में सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

234. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वसूल नहीं होने वाले ऋण को माफ करने में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

235. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रकाशन विभाग में गाड़ियों के संधारण तथा परिचालन पर खर्च को कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

236. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रकाशन विभाग में डाक, टिकट, तार और टेलीफोन पर अधिक खर्च करने तथा टेलीफोन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

237. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज-संस्थाओं को पूरी सहायता नहीं दी जाती, इस पर चर्चा के लिये) ।

238. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 14

239. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर किला जयपुर, एवं जलेबी चौक की सुन्दरता व उसमें स्थित भवन, मैदान आदि में पुरातत्व विभाग द्वारा तबदीली की जा रही है और उसको ओरिजनेलिटी समाप्त की जा रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

240. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक, तहसील देवली ग्राम नगर में खेड़ों व उनमें स्थित पुरानी मूर्तियाँ वहां से चोरी चले जाने पर चर्चा के लिए) ।

241. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नगर, तहसील देवली, जिला टोंक, के खेड़ों में वहां के व्यक्तियों द्वारा खेती करने और पुरातत्व विभाग द्वारा वहां कोई देख-रेख की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिए) ।

242. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 71-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पुरातत्व विभाग के अधीन की सम्पत्ति में से कई मूर्तियां चोरी गई हैं और विभाग द्वारा इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

243. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री दिग्विजयसिंह)

100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई-माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री का लीज समाप्त होने पर उसे उन्हीं शर्तों पर दूसरी एरिया लीज पर देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 13

244. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक नगरपालिका द्वारा जो स्थाई कमेटियां बनाई गई थीं वह न्याय संगत नहीं थीं और जिलाधीश, टौंक, द्वारा स्टे आदेश प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

245. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर न्यासों को अविलम्ब समाप्त किया जाय ताकि नगरपालिकाएं अधिक सक्षम बन सकें और उन्हें साधन ठीक मिल सकें, इस पर चर्चा के लिए) ।

246. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की समस्या का निराकरण, आश्वासनों के उपरान्त भी, नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

247. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय उनियारा नगरपालिका, जिला टौंक, द्वारा सड़कों को पूरा न करने पर चर्चा के लिए) ।

248. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए) ।

249. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के मुख्य भवन में सिर्फ मंत्रियों या अधिकारियों को व्यवस्था प्राप्त है, इस पर चर्चा के लिए) ।

250. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट फर्राशखाने में अव्यवस्था और सामान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

251. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा स्थित खालियों के मंदिर के ताले लगे हुए हैं एवं उस पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस सम्बन्धी देवस्थान विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

252. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियां जो खरीदी जाती हैं उनका 4-5 माह तक रजिस्टेशन नहीं कराया जाता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

253. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा नवाब साहब, टौंक को जो दो

(श्री दिग्विजयसिंह)

लाख रुपयों का ऋण दिया गया उसकी एक भी किश्त वसूल न करने एवं उसके बदले में विभाग ने उनका रहने का पैलेस खरीद रहा है, इस सम्बन्धी कार्यवाही पर चर्चा के लिए) ।

254. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंदिरों की भूमियां जो पूजा-व्यवस्था के लिए दी गई थीं वह भूमियां पुजारियों ने बेच दी, जिससे पूजा नहीं हो रही है, इस संकटपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

255. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग के मंदिरों की व्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

256. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में तथा राज्य के बाहर स्थित सर्किट हाउसेज में विधायकों की कन्सेशनल सुविधाएं प्रदान नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 14

257. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर) डिवीजन में बन्द पड़ी खानों को चालू कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारी आन्दोलन को अधिक सफल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

259. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

260. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमका थाना): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज सम्पदा के उत्पादन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

261. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

262. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंक, सीकर, में काश्तकारों को कर्जा देने में रिश्वत ली गई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

263. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री मोहन लाल मोदी)

रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुहाला, के चुनाव में हुई गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कांवट ग्राम सेवा सहकारी नहीं बनाने पर समिति के चुनाव के समय मेम्बर्स के बकाया सम्बन्धी कागजात पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता मंत्री के निजी स्थान में अपने परिवार के एक सदस्य की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

266 श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 26-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनिंग के ठेके अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

267. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की बढ़ती हुई गन्दगी को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में आग बुझाने वाली गाड़ियों की मरम्मत कराने एवं उनकी जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखकर संख्या बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन जयपुर में अन्य प्रान्तों की तरह विधायकों को दी जाने वाली सुविधा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाऊस, न्यू देहली, में राजस्थान के विधायकों को रहने सम्बन्धी कन्सेशनल रेट पर सुविधा दिए जाने हेतु, चाहे वे वहां ड्यूटी पर जाए अथवा अन्यथा, इस पर चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में, नगर परिषद्, जयपुर एवं नगर विकास न्यास, जयपुर में चल रही धांधली एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोर्पोरेशन की स्थापना किए जाने संबंधी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

272. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34, सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहुधन्धी सहकारी समिति, सिकन्दरा, के पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन के आरोप सिद्ध होने पर भी कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री किशनलाल वर्मा)

273. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को सफल बनाने हेतु बोनाफाइड सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोगस सहकारी समितियां समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

277. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसे सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को इस मांग के अन्तर्गत जो अनुदान देने का प्रावधान है उसके औचित्य पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये जो चार लाख रुपये की राशि इस मांग में रखी गई है वह बढ़ाई जावे एवं एक ऐसे विभाग की स्थापना की जावे जो यह देखे कि वास्तव में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए निर्धारित रकम का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेल व क्लब इत्यादि को जो सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान दिया जाता है इनका सदुपयोग न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्थाई ऋणों को गलत ढंग से अपलक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक कार्यालयों के भवनों की उचित देखरेख न होने के कारण सरकार को होने वाली हानियों पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री किशनलाल वर्मा)

रुपया कम कर दिया जाय (लो ग्रुप इन्कम हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत अपने चहेतों को ही ऋण देना एवं वर्षों से जिनके नाम सूचियों में पंजीबद्ध हैं, उन्हें प्राथमिकता न दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

284. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सतर्कता आयोग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये) ।

285. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग के निदेशक पर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप होने पर एवं विधान सभा में भी समय 2 पर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर भी कई वर्षों से उन्हें इस पद पर रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

286. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग द्वारा कुछ विशेष व्यक्तियों को ही पब्लिसिटी दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में से बढ़ते जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71— विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट लाटरी बनाम जुआ से जनता में जुआ खेलने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

289. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं किन्तु वास्तविक रूप से सुरक्षात्मक कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं, जबकि देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)

मांग संख्या 14

290. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

291. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनर मिनरल्स की समुचित व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

292. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सहकारी आंदोलन की गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

293. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान को-आपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर्स की नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

294. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वसूल न होने योग्य अलिखित अस्थायी ऋण तथा अग्रिम में हो रही अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

295- मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं पर किए जाने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य द्वारा संचालित लाटरी चलाने के आधारहीन कारणों पर चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रकाशन व्यय की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर)

298. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजायबघरों की व्यवस्था हेतु अतुल धन-राशि व्यय करने पर भी कलात्मक वस्तुओं के क्रय हेतु नाम-मात्र की राशि की प्रावधान के अनौचित्य पर चर्चा के लिये।

299. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग में अन्य अनेक निरर्थक व्यय करके खुदाई के कार्य हेतु नाम मात्र की राशि के प्रावधान के अनौचित्य पर चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाटन के चूने की खानों के लिये उनसे रिटर्न के मुकाबले अन्धाधुन्ध खर्च वर्षों से किया जा रहा है, इस अन्धाधुन्ध खर्च को तुरन्त बन्द करने पर चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना खान में कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी खर्च होता ही जा रहा है, वहां बड़ी 2 मशीनें खराब रही हैं, अतएव इस खान का कार्य किसी अनुभवी मेनेजर को नियुक्त कर तुरन्त चालू करने पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान विभाग में संचालन खर्च में कमी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

303. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भवन, नई दिल्ली, के खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

304. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का सेवा आयोग अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये अभिशाप सिद्ध हुआ है, इस आयोग के खर्च को तुरन्त बन्द किया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान की सम्पत्ति को रक्षा करने में देवस्थान विभाग लापरवाही से काम कर रहा है, इसमें सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

306. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य गैरेजेज को फिजूल खर्ची को फौरन बन्द करवाया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों के संचालन के खर्च को कम किया जाय, अन्यथा इनमें नगरपालिका के सचिव कमिश्नर, रेवेन्यू अधिकारी, सफाई अधिकारी के खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

308. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रारंभिक भूमि विकास बैंकों को दी जाने वाली सहायता बहुत ही कम होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिस तरह सहकारी आन्दोलन को पंचायत समिति के माध्यम से बढ़ावा देने के लिये अतुल धनराशि खर्च की जाती है, उसी तरह शहरों में भी राशि खर्च करने का प्रावधान रखा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को सफल बनाने के लिये सहकारिता विभाग के संबन्धित मंत्री, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सहकारिता में पूर्ण आस्था आवश्यक हो, इस पर चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षणार्थ राज्य सहकारी संगठनों को आर्थिक सहायता और गैर सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अनुदान राशि में बरते जा रहे भारी भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत अधिक्षण के मद में होने वाली फिजूल खर्ची तुरन्त बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

313. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रकाशन विभाग में अधिकांश धन, वेतन और अधिकारियों के भ्रमण और साज सज्जा में हो रहा है, इस खर्च में कमी कर प्रकाशन व प्रचार हेतु राशि बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 34- मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासकीय अभिकरण को पंचायती राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने हेतु सहायतार्थ अनुदान की राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)—

315. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में स्टेट लाटरी को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

316. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका, सवाई माधोपुर का विस्तार नोटीफाइड एरिया तक न किए जाने एवम् इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका, सवाई माधोपुर अपने कर्तव्यों में निष्क्रिय होने के कारण नगर में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोटीफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर, को उसके क्षेत्र में शामिल की गई ग्राम पंचायतों का रिकार्ड अब तक उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 21

319. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सहकारी चुनावों के मामलों में भी राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों को सुनवाई का अधिकार रखे जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

320. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक समितियों का एकीकरण राजनैतिक आधार पर किये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

321. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (इतनी अवधि के पश्चात भी को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को सक्षम न बना सकने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

322. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाईमाधोपुर के नव निर्वाचित संचालकों को काम न करने देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

323. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में काश्तकारों को पूरी ऋण सुविधा न दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में हिण्डोन एवं सवाईमाधोपुर दो प्राइमरी लैण्ड मोर्टगेज बैंकों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुनाव-विवादों को शीघ्र निबटाने हेतु पृथक न्यायालय न रखे जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन):

326. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण पर चर्चा के लिये)।

327. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का भारी दुरुपयोग किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती, इस पर चर्चा के लिये)।

328. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों की मरम्मत व अन्य सामान खरीद में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़):

329. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहरोड़ व शाहजहांपुर में रेस्ट हाउस की उचित व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़):

330. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में विश्राम-गृह बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

331. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर कस्बे में पी०डब्ल्यू०डी० की तरफ से डाक बंगला (रेस्ट हाउस) नहीं होने से

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

आने वाले अधिकारियों को ठहरने में असुविधा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

332. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंक, सीकर में हुई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व पक्षपात की खुली जांच करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

333. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंक, सीकर, की शाखा श्रीमाधोपुर में नहीं खोलने से कृषकों को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

334. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में, कृषि सहकारी समितियों द्वारा ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंक, सीकर में हुए गबन के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

336. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक-बैंक, सीकर से मरे हुए व्यक्ति के नाम से गलत आदमी द्वारा लोन की रकम उठाकर धोखा किया गया जिस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

337. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक सीकर द्वारा पूरा लोन बिना कार्य किये हुए ही देने से रुपयों का सही उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा से लिये)।

338. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति श्री माधोपुर क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये बीज गोदामों का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुढा (श्रीमाधोपुर) द्वारा बनाये गये बीज गोदाम का सही कार्य नहीं होने व ऋण व अनुदान की रकम का गबन कर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

340. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रींगस, में काफी रकम सरकार की बकाया होते हुए भी वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

341. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 107

(श्री हुरलालसिंह खर्रा)

रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समिति में चल रहे घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(सहकारी समितियों में पुराने पड़े बकायाओं की वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

343. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन की सुव्यवस्था न होने की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

344. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण डाक बंगले की सुव्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

345. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सेवा आयोग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

346. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्दिरों व धर्मार्थ संस्थाओं की उचित देखभाल न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

347. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 - विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान व मन्दिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

348. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा पुनर्ग्रहीत भूमियों के लिये मुआवजा देने में गलत प्रणाली अपनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

349. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान और धर्मपुरा विभाग की अकर्मण्यता और शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

350. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय(समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहकारी आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाने में सरकार की वर्तमान असफल नीति का अननुमोदन)।

351. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने हेतु सरकारी तन्त्र के दखल को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

352. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री शंकरलाल)

रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सहकारी आंदोलन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

353. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के विवादों को सिविल अदालतों से दूर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

354. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी भूमि विकास बैंकों से दिये जाने वाले ऋण की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

355. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी शिक्षा की अवहेलना से आन्दोलन को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये)।

356. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारी क्षेत्र में डेयरी के विकास की संभावना पर चर्चा के लिये)।

357. नन्दलाल बैरवा (पाटन): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में ग्रामीण सहकारी समितियों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के व्यक्तियों को सदस्य बनाना अनिवार्य किये जाने पर चर्चा के लिये)।

358. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ग्रामीण सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

359. श्री हंसराज आर्य (भादरा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक पंचायत क्षेत्र की कई सहकारी समितियों को तोड़कर एक कर दिया गया है जिससे ऐसे गांवों को भारी हानि हुई है जहां पर दो पार्टियां बनी हुई हैं और ऐसी पार्टियां आपस में एक स्थान पर मिलकर काम नहीं कर सकती, इस पर चर्चा के लिये)।

360. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर राष्ट्रीय धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

361. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता के शत्रु घुस गये हैं और उनके द्वारा सहकारिता असफल की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

362. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के एक डायरेक्टर ने कितने ही कृषकों से ऋणराशि वसूल करके

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

बैंक में जमा नहीं करवाई और राशि का गबन कर लिया है किन्तु इस सम्बन्ध में विभाग सर्वथा निष्क्रिय है, इस पर चर्चा के के लिये)।

363. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ केन्द्रीय सरकारी बैंक के एक डाइरेक्टर ने कृषकों से ऋण राशि वसूल करके बैंक में जमा नहीं की एवं स्वयं गबन कर गया, किन्तु विभाग राजनैतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर सका, इस पर चर्चा के लिये)।

364. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन दिनोंदिन असफल होता जा रहा है और बिचोलिये पुनः पैदा हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

365. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा उपभोक्ता भण्डार की डिपोजिट राशि विभाग नहीं लौटा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

366. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी सचिवों को 1-1 साल तक वेतन नहीं मिलता है, इस पर चर्चा के लिये)।

367. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी ऋण वर्ष के अन्त में किसी पूंजीपति से लेकर महंगा ब्याज देकर जमा करवा लिया जाता है और झूठा जमा खर्च कराया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

368 श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सहकारी समिति को सरकार की ओर से मदद नहीं होने से घाटा हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

369. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सहकारी समिति, समराई, जिला झालावाड़ के सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

370. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में ट्रक एवं बसों के रिक्वीजेशन करने में जिला झालावाड़ के अधिकारियों द्वारा ज्यादती करने पर चर्चा के लिये)।

371. श्री कल्याणमल (जहाजपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34- सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को ऋणदात्री बनाने एवं कृषि कार्यों में पूर्ण सहायता देने के योग्य बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री कल्याणमल)

372. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगली वैटर फार्मिग सोसायटी, जिला बून्दी की अवसायन स्थिति पर चर्चा के लिये)।

373. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन (जिला बून्दी) सहकारी शूगर मिल्स के घोटालों पर चर्चा के लिये)।

374. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स के लेखों की जांच कराने पर चर्चा के लिये)।

375. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स के मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा मजदूरों से शूगर बोर्ड के एवार्ड के अनुसार इकरारनामा करके उसकी पालना नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

376. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कंज्यूमर्स फेडरेशन, जयपुर के लिये वैंकटेश ट्रेडिंग कोरपोरेशन मद्रास, से कपड़े की खरीद में घोटाले पर चर्चा के लिये)।

377. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कंज्यूमर्स फेडरेशन, जयपुर के लिये मन्त्री महोदय द्वारा हजारों रुपयों के चूर्ण खरीददारी के प्रयास पर चर्चा के लिये)।

378. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34 सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा व उदयपुर द्वारा मन्त्री महोदय के आवास व हवाई जहाज के खर्च पर चर्चा के लिये)।

379. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकार रंगमंच, जयपुर में एक्टरों की हुई नियुक्ति व पदोन्नति पर चर्चा के लिये)।

380. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकार रंगमंच जयपुर की गतिविधियों व फिजूलखर्ची पर चर्चा के लिये)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़):

381. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों के पंजीकरण में सरलता लाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर):

382. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में केन्द्रीय सहकारी बैंक खोलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

383. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा भूमि बन्धक का क्षेत्र जैसलमेर जिले तक बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करने पर भी सरकार उदासीन है, इस पर चर्चा के लिये)।

384. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के ग्राम भनियाना की ग्राम सेवा सहकारी समिति में समय पर चुनाव नहीं होता व एक ही व्यक्ति के एकाधिकार से भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

385. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंक, बालोतरा का क्षेत्र जैसलमेर जिले तक बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा सरकार को लिखने पर भी विलम्ब किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

386. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को बसाने के लिए राज्य सरकार की योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

387. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के फील्ड फायरिंग रेंज के जो विस्थापित हो गए हैं, उन्हे पुनः नहीं बसाने और आज तक राज्य सरकार द्वारा उनके लिये कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

388. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रथमतः वृहद् सहकारी समितियां, फिर एक गांव, एक समिति योजना और अब पंचायत वार समिति योजना इस प्रकार अस्पष्ट, अस्थिर कार्यक्रम और नीतियों के कारण इन संस्थाओं में अविश्वास और संदेह का वातावरण बनने के कारण आंदोलन को हानि हुई है और सरकारी अदूरदर्शितापूर्ण हस्तक्षेप से इन संस्थाओं के विकास में बाधा इस पर चर्चा के लिये)।

389. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

390. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

391. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के विकास में आने वाली रुकावटों पर चर्चा करने के लिये)।

श्री देवीलाल बुगासिया (केकड़ी) :

392. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी पंचायत समिति की हनुमान कृषिदात्री सहकारी समिति, पान्हेड़ा की रजिस्ट्रार आफिस जयपुर से किसी अफसर को भेज कर निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

393. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों की ब्याज दरें अन्य राज्यों से ज्यादा होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

394. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी भी कृषि सहकारी समितियां हैं वे सब लिक्वेडेटेड हैं और उनमें किसी में सहकारी खेती नहीं की जाती है, वे या तो पंचायत समिति के अन्दर में हैं या अन्य ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अतः उनका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

395. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी पंचायत समिति की हनुमान कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति, पान्हेड़ा, के सरपंच द्वारा सदस्यों को कच्ची रसीदें देने व बाद में रेकार्ड गायब करने व अब तक उन सदस्यों को राहत नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

396. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दी केकड़ी कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति में काफी गबन एवं सदस्यों द्वारा जमा कराई गई राशि का जमा नहीं करने व सहकारी समिति का रेकार्ड गायब करने व जलाने का अन्देशा होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

397. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सब डिवीजन प्रतापगढ़ सहकारिता में अनियमितता एवं घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

398. **श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) :** मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता को सरकारी संस्था का रूप दिया जाए एवं विभाग में अयोग्य कर्मचारियों को मनमाने ढंग से नियुक्त करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) :

399. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियां प्रत्येक गांव की अलग अलग होने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

400. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याणा ग्राम सहकारी समिति, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में पदाधिकारियों पर 30 हजार रुपये गबन करने के आरोप पर विभाग द्वारा जांच न करने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

401. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृहद सहकारी समिति भिट्टसी, तहसील तिजारा, जिला अलवर में कोषाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों पर विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

402. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समिति शाहबाद, तहसील तिजारा, जिला अलवर, के उपाध्यक्ष द्वारा किये गए गबन के बारे में विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

403. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं मैनेजर के विरुद्ध आडिट नोट पर विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

404. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर और भरतपुर जिलों में बसे पुरुषार्थियों से जमीन की कीमत पर ब्याज लेने तथा बसावट का कर्जा वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) :

405. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में जो बकाया है उनकी वसूलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 34

श्री पो. के. चौधरी (फुलेरा) :

406. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अजमेरी गेट (जयपुर) के गन्दे नाले के दोनों ओर की भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता की मांग पर बहस चलनी है, मैंने इस पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं मान कर चलता हूं कि सहकारिता का जो आन्दोलन है-यह आन्दोलन सफल नहीं हुआ। इसके अन्दर जितने कार्य चल रहे हैं उनके अन्दर घोटाले हैं और गड़बड़ है। चुनाव में जो पक्षपात चलता है उसके कारण और भी कार्य सही रूप से नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं, उनके अन्दर न तो मेम्बरों को लिस्ट मिलती है और न किसी को किसी प्रकार की जानकारी दी जाती है। जो लोग एक दफा ग्राम सहकारी समिति में अधिकार करके बैठ जाते हैं, वह गलत सलत तरीके से अपना अधिकार जमाये रखना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गुहाला ग्राम सहकारी समिति के चुनाव पिछले सप्ताह में हो रहे थे, उस समय जिन मेम्बरों का बहुमत होते हुए उनके चार मेम्बर बहुमत से चुने गये, लेकिन जब पांचवा चुनाव मंत्री का होने को आया तो कोपरेटिव इन्सपेक्टर ने उसका फार्म रिजेक्ट करके दूसरे आदमी की निर्विरोध घोषणा कर दी चुने जाने की,

(श्री मोहनलाल मोदी)

जब कि फार्म पहले रिजेक्ट होना चाहिए था, उस समय वह फार्म एक्सेप्ट कर लिया था। इस प्रकार की धांधली चल रही है। इसी प्रकार मैं कांवट ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर एक आब्जेक्शन किया गया, जो लोग चुनाव में लड़े हुए हैं उनमें कुछ रुपया बाकी है, कर्ज बाकी है। उनके कागजात नहीं बताये गये और इन्सपेक्टर ने लिख कर दे दिया कि कागजात नहीं दिखाये जाते हैं इसलिए चुनाव पोस्टपोन करता हूं। ऐसा हाल है, जब कि इस सहकारिता के पीछे हम एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं, सहकारिता से एक बहुत बड़ी आशा लेकर चलते हैं-लेकिन सहकारिता के मामले में अधिकारों का कितना दुरुपयोग हो रहा है और कितना भ्रष्टाचार इस सहकारिता के अन्दर फैल रहा है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि नीम-

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(1.44 म.प.)

के थाने में एक क्रय विक्रय संघ है। उसने ज्वार का काम किया और ज्वार बाहर भेजा जब कि ज्वार बाहर भेजने पर रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्शन के कारण डी. एस. पी. ने चालान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विभाग ने उसके खिलाफ एक्शन लिया ? नहीं। आपका विभाग एक्शन लेने को तैयार नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर तक सांट-गांठ बनी हुई है, नीचे से ऊपर तक रुपये का हिसाब होता है। इसी क्रय विक्रय संघ के अन्दर 99 ड्रम कैरोसिन ओइल की छीजत दिखाई गई थी -

श्री श्रवणलाल : नीचे से ऊपर तक का क्या मतलब ?

श्री मोहनलाल मोदी : शुरू से आखिर तक।

श्री रावत राम : खासतौर से नीम के थाने के आस पास।

श्री मोहनलाल मोदी : यह वहां की बात है, आप सुनें।

तो 99 ड्रम कैरोसिन ओइल की छीजत बताई गई फिर भी उस क्रय विक्रय संघ के खिलाफ कार्यवाही नहीं की-उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जिसे अध्यक्ष बना रखा है, मैं बताऊं कि उसको बारह वर्ष हो गये हैं जब कि अवधि छः साल की होती है। उसकी अवधि बढ़ाना चाहते थे तो पहले नियम को रिलेक्स करना चाहिए था। यह छः साल की अवधि का नियम औरों के लिए लागू रहा लेकिन नीम के थाने के क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष हैं उनके लिए लागू नहीं रहा क्योंकि वह डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के गांव का रहने वाला है, इसलिए वह अवधि बढ़ाना चाहते थे। दूसरे माननीय राज्य मंत्री हैं, उनकी ससुराल का रहने वाला है, इसलिए उस आदमी को बैठा रखा है और यह सारी कार्यवाही की गई है ...

श्री रावतराम : क्या किसी मिनिस्टर की ससुराल का रहने वाला नहीं होना चाहिए ?

श्री मोहनलाल मोदी : बारह साल वह नहीं रहना चाहिए जब कि कोपरेटिव विभाग ने नियम बना दिया है कि छः साल से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता।

श्री विजयसिंह : इसका कारण है, वह बनवास में है, दो साल और रहेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : सोसाइटीज के मामले में किस तरह की अनियमितता कर रहे हैं, यह मैं बता रहा हूं। इसके अलावा उसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति नीम के थाना की है सीकर डिस्ट्रिक्ट की है, उसके अलावा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की शामिल कर रखी हैं, जब कि इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का नीम के थाने में कोई सामान नहीं जाता है, किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, मगर इसलिए शामिल कर रखी हैं क्योंकि मालीराम आर्य को अध्यक्ष बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह किसी प्रकार का इसके खिलाफ एक्शन लें ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही हो रही हैं, गलत कार्यवाही हो रही हैं उनको रोकने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए। मैंने जो गुवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के बारे में कहा, उसके लिए गांव के लोगों ने आकर हलफनामा वगैरह तस्दीकशुदा दिये हैं, आप फर्मायें तो मैं सदन की मेज पर पेश करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही सोसाइटी में चल रही है....

श्री विजय सिंह : आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आप फालतू इतनी बात कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप तो सुन रहे हैं, मैं आपको सुनाने के लिए कह रहा हूं।

श्री रावत राम : भीमसेन जी आगे आगे हैं, वह सुन रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सहकारी विभाग में राज्य मंत्री कौन हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : सहकारी विभाग में राज्य मन्त्री हैं....

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : नाम आ जाय

श्री मोहनलाल मोदी : सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा : किसी को नौकरी करने दोगे या नहीं ?

श्री मोहनलाल मोदी : नौकरी करने का प्रश्न नहीं है। आपने उसको बारह वर्ष से वहां अध्यक्ष बना कर बैठा रखा है और अब नियम को रिलेक्स करने की कार्यवाही की जा रही है। ताकि आगे भी अध्यक्ष बना रहे।

अब जो यह सीकर कोपरेटिव बैंक है, इसके बारे में बताऊं। आज जितना रुपया कर्ज दिया जाता है, वह सिर्फ कागजों में लिखा जाता है, जिन लोगों के नाम कर्ज दिया जाता है, और दर्ज किया जाता है उनको कर्ज नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनका नाम लिख देते हैं। यह पिछली दफा विधान सभा में मैंने प्रश्न रखा था कि एक मरे हुए आदमी के नाम से, जिसको 12 वर्ष मरे हुए हो गये ट्रैक्टर के लिए बीस हजार रुपये सेंक्शन कर दिये, वह रुपया उस मरे हुये आदमी के नाम से उठा लिया गया। इस प्रकार से रुपये का गबन आज हो रहा है। आप इनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आप एक्शन लें। आप इन मामलों की जांच

Page No 116

(श्री मोहनलाल मोदी)

कीजिये । उस वक्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मेरे जिले में जितने लोगों को लोन दिये गये हैं उनकी वह जांच करायेंगे, लेकिन तो भी इस विभाग ने जांच कराने की जरूरत नहीं समझी । क्यों जांच नहीं कराई ? आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जो आदमी एक बार बैठ गया है, वह अपना अधिकार मान कर चलता है और समझता है कि वह जागीरदार हो गया है । हम जागीरदारी प्रथा को मिटाने की बात लेकर चलते हैं लेकिन इस विभाग में जो लोग कोपरेटिव सोसाइटीज में चुन कर बैठ गये हैं वह अपने को जागीरदार समझने लग गये हैं जिन लोगों ने कोपरेटिव सोसाइटीज पर कब्जा कर लिया है, वह जागीरदार हैं, जिन लोगों ने बैंस पर कब्जा कर लिया है, वह जागीरदार हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से सहकारी आन्दोलन को पनपाना चाहते हैं । आज की स्थिति में तो यह जो 1 करोड़ 87 लाख 12 हजार रुपया सहकारी विभाग को देना चाहते हैं यह सारा रुपया बट्टे खाते में डालने की बात होगी । यह मैं कहना चाहता हूं कि यह आन्दोलन बिल्कुल असफल हो गया है, यह इसलिए हुआ है कि इसमें गलत आदमी घुस रहे हैं । अगर आप इसको सफल करना चाहते हैं तो आप उनको हटाइये, अच्छे अच्छे आदमियों को लाइये, ईमानदार व्यक्तियों को लाकर बैठाइये...

श्री मनोहरसिंह मेहता : ईमानदार को क्यों हटायें ?

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा मतलब है, ईमानदार आदमियों को रखिये ।

श्री विजयसिंह : आपके कहने का मतलब है कि ईमानदार आदमी को हटायें ।

श्री मोहनलाल मोदी : आज सही बात तो यह है कि ईमानदार आदमी को बाड़मेर भेजा जाता है और बेईमान आदमी जयपुर में बैठे रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह बैठे रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह बैठे रहते हैं...

श्री विजयसिंह : माफ करना, विधायकपुरी में जयपुर में आप भी रहते हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, मैंने विधायकपुरी पहले ही छोड़ दी है । सी. I में रहता हूं ।

श्री नत्थीसिंह : अब तरक्की हो गई है ।

श्री पृथ्वीसिंह : वह भी जयपुर में है ।

श्री विजयसिंह : वह भी जयपुर में है ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हमें कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे इस रुपये का सदुपयोग हो । बैंक से जो किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था है, वह वास्तविक रूप में किसानों को नहीं मिल पाता है, जिनको जरूरत है, उनको नहीं मिल पाता है । आप देखिये, मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत पेश की थी, डिप्टी मिनिस्टर साहब हमारे जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने भी कहा था लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया

(श्री मोहनलाल मोदी)

गया है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो बैंक से लाखों रुपया दिया गया है, कोपरेटिव बैंक सीकर से, उस सारे रुपये का दुरुपयोग हुआ है। किसानों को रुपया न दिया जाकर जो मैनेजमेंट में लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने अधिकांश रुपया किसानों के नाम पर दिखा कर अपनी जेब में रखा है। इन सारे मामलों की जांच की जाय तो सारा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ जायगा। आज इस विभाग में जो अनियमितता होती हैं उनकी जांच इसलिए नहीं होती है, जैसा कि मेरा कटे मोशन भी है, आज जो इस विभाग के मंत्री महोदय हैं, जो सर्वेसर्वा हैं, इस विभाग के सबसे बड़े मालिक हैं उनके दिमाग में भी छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ में, प्राईवेट सेक्रेटरी के पद पर अपनी लड़की को रख रखा है। जब ऐसी बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वह क्या ईमानदारी को लेकर चलेंगे ? वह समझते हैं कि आज हमको कोई क्या कह सकता है....

श्रीमती सुमित्रा : प्राइवेट सेक्रेटरी लड़की नहीं है, गलत बात है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको इनकी वकालत करने की क्या जरूरत है ? आप जवाब में कह देंगे, पी. ए. होगा, प्राइवेट सेक्रेटरी होगा चाहे कुछ भी होगा लेकिन पर्सनल स्टाफ में रख रखा है।

श्री अमृतलाल यादव : जवाब मिल जायगा।

श्री मोहनलाल मोदी : आप जवाब देंगे, क्योंकि आपको जवाब देना है और हमको जवाब सुनना है। और कोई बात आयेगी तो आप हमारा मुंह बन्द कर देंगे, हम बोल नहीं सकेंगे।

इसके अलावा मैं बताऊं, सवाई माधोपुर की बात। वहां पर चुनाव की तारीख निश्चित हुई कि बारह बजे होने वाले थे सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक के, लेकिन यहां से मंत्री महोदय ने दस बजे स्टे भेज दिया। और आज तक मंत्री महोदय ने उस पर डिसीजन नहीं दिया है। वह लोग हाईकोर्ट भागे भागे फिर रहे हैं। आज इस विभाग से लोग कितने परेशान हैं। इसमें किस तरह से सुधार हो सकता है–यह सोचने वाली बात है। सहकारी विभाग से हम सहकारिता का आन्दोलन इसलिए चला रहे हैं कि लोगों का भला हो लेकिन मैं सहकारी विभाग के बारे में कई उदाहरण बता सकता हूं कि उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस सबको किस तरह से दूर करें यह सोचने वाली बात है...

श्री विजयसिंह : यह मान लें कि विभाग से परेशान हैं, यादव जी से नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : इस विभाग के भ्रष्टाचार से परेशान हैं।

श्री गोकुलचन्द : आपसे परेशान हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे से ? इस विभागसे सम्बन्धित तथ्य तो बहुत सारे आये हैं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मोहनलाल मोदी)

आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस कोपरेटिव विभाग का ढांचा कुछ सुधारना चाहिए। मैंने आपको कुछ तथ्यों के बारे में कहा। पहले यहां पर निरंजन सिंह, जो रजिस्ट्रार थे, के खिलाफ ऐसे ऐसे एलीगेशन लगाये थे, उनकी जांच में, मैं समझता हूं वह एलीगेशन सही पाये गये। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, वह रजिस्ट्रार के पद से रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनाये गये...

श्री विजयसिंह : राजा हैं राजा।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं कहना चाहता हूं, हम किस प्रकार से शिकायत करें, अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई शिकायतें आती हैं तो आप इस तरीके से उसे ऊंचा पहुंचा देते हैं, तब जो शिकायत करने वाला होता है, जो व्यवस्था को ठीक करना चाहता है, उसके मन पर ठेस लगती है। जिस वक्त मैंने उनके खिलाफ शिकायत की थी और एलीगेशन लगाये थे, उस वक्त आश्वासन दिया था कि इन्क्वायरी करके उसकी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज तक सदन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सब बातों की जांच की जाकर इस विभाग में कोई न कोई ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे सही मायने में लोगों को सही तरीके से जो सहकारिता का फायदा देना चाहते हैं वह दे सकें।

मैं आपको थोड़ा माइनिंग विभाग के बारे में, जिसको कि आज डिमाण्ड है, कहना चाहूंगा। आज हमारे राजस्थान में खनिज सम्पदा बहुत अधिक है, लेकिन वह आज सामने आ नहीं रही है, बाहर आ नहीं रही है। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिये। यह खनिज सम्पदा पहाड़ों में अधिक है लेकिन पहाड़ों पर न सड़कों का प्रबन्ध है और न माइनिंग के लिए मशीन वगैरह का प्रबन्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन पहाड़ों से, जहां से अधिक से अधिक खनिज पदार्थ निकलते हैं, वहां पर सड़कों का प्रबन्ध करें, और वहां पर कान्ट्रेक्टर्स को मशीन वगैरह दें। उनको सब तरह की सहूलियतें दें, तो मैं समझता हूं कि आपको विदेशी मुद्राओं का बहुत अधिक फायदा होगा और राजस्थान में जो अधिक से अधिक खनिज सम्पदा है उसका उत्खनन ज्यादा से ज्यादा होगा। वैसे हम देख रहे हैं कि खनिज के मामले में राजस्थान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जितनी तरक्की वास्तव में करनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। राजस्थान में इतने घने पहाड़ हैं, उनमें बहुत कीमती खनिज बहुत मात्रा में हैं। उन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए थोड़ा बहुत काम होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इस कारण वह वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री आलमअली : इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं, जैसे कोपरेटिव विभाग में है?

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो मैंने पहले ही कह दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इन सब बातों के जरिये

(श्री मोहनलाल मोदी)

मेरा यही निवेदन है कि इस कोपरेटिव विभाग में किसी न किसी तरीके से ऐसा सुधार लाना चाहिये जिससे कोपरेटिव आन्दोलन का सही मायने में लोगों को फायदा मिले। बस मेरा यही निवेदन है।

श्री विजयसिंह : आप ही मंत्री बन जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाफणा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : छींकते ही खड़े हुए हैं।

श्री जुझारसिंह : बैठ जाओ।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : छींक पीछे की ओर से हुई है, बहुत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं सहकारिता के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा, सहकारिता सिद्धान्ततः भारत के लिए अनुकूल है और बहुत उत्तम है। यह एक ऐसा रास्ता है जो पूंजीवाद को भी समाप्त करता है और समाजवाद की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। यह एक बीच का रास्ता पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का है। कुछ व्यक्ति मिलकर एक सोसाइटी बनायें, हर क्षेत्र में एक एक सोसाइटी बनायें जिस प्रकार कि इजराइल में सारा काम सहकारिता के आधार पर चलाया गया, अब भी चल रहा है और उस राष्ट्र में सरकारी नौकरी करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। उसके लिये वहां एक नारा दिया गया कि सरकारी नौकरी करना देश भक्ति है। वहां पर सहकारिता इतनी सफल हुई है कि हर कार्य बिल्कुल ठीक ढंग से हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में देश भक्ति है। मेरा यह मानना नहीं है कि हमारे राष्ट्र में लोगों में देश भक्ति नहीं है, लेकिन यह तो रिलेटिव टर्म है, उस हिसाब से हम पीछे हैं, हम में देश भक्ति कुछ कम है इसलिये सहकारिता आन्दोलन में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। हम में देश भक्ति हो ताकि सहकारिता के माध्यम से हम सारे काम सफलतापूर्वक कर सकें और वह हमें करना चाहिये। वास्तव में धन का संग्रह रोकना सहकारिता का उद्देश्य है, धन का ज्यादा उपयोग हो-यह सहकारिता का उद्देश्य है। इस तरह से हमें काम करना चाहिए। जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष हुए उन्होंने धन संग्रह के खिलाफ कहा है। जैसे गीता में कहा गया है, बिना महनत के कोई आदमी खाता है तो वह चोरी करता है। भगवान् महावीर ने परिग्रह की भावना को त्यागने के लिए कहा। ईशामसीह ने भी कहा है, सूई की नोंक में ऊंट का निकलना सम्भव हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग जाना सम्भव नहीं हो सकता। इतनी सही बातें बड़े बड़े महन्तों और महापुरुषों ने कही हैं, धन के संग्रह को रोकने के लिए। यही सहकारिता का अर्थ है और सहकारिता का अर्थ क्या है? लेकिन सहकारिता के मार्ग में बढ़ने के अन्दर, मेरा मानना है, हमारी सोशल वेल्यू बाधक हैं। हम आज समाज में बड़ा आदमी उसको मानते हैं, जिसके पास अच्छा पद है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास धन है। हम उसको बड़ा आदमी नहीं मानते हैं जो महनत से जिन्दा रहता है, जो परिश्रम करके, काम करके

(श्री फूलचन्द बाफणा)

खाता है—उसको हम छोटा आदमी मानते हैं। यह बाधक भावना असल में सहकारिता में नहीं होनी चाहिए। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सब लोग समाज के अंग हैं, और हम सामाजिक मूल्यों से गाइड होते हैं। हर आदमी आज बड़प्पन और इज्जत चाहता है और बड़प्पन और इज्जत आज पैसे से मिलती है, इस वजह से सहकारिता की भी मिट्टी पलीत हो गई है। जगह जगह आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े मार्केट खोले गये हैं मार्केटिंग सोसाइटी या विभिन्न सहकारी समितियां खोली गई हैं चाहे क्रय विक्रय संघ ही खोले गये हों, ये सारे इसलिये खोले गये थे कि लोगों को राहत हो और ठीक भाव से चीजें मिले और इनसे लोगों की सेवा हो। इसलिये सेवा सहकारी समितियां भी खोली गईं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि सांभर में जो चीज पड़ती है वह नमक हो जाती है वैसे ही जो भी सहकारिता आदि के नाम पर सरकार द्वारा काम हुआ वह नमक हो गया। जो भी काम सरकार द्वारा चलाये जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां होती हैं। आपको इसका उपाय ढूंढना होगा कि इसका क्या कारण है? सहकारिता जिन्दा रहने की प्रणाली है, विकास की प्रणाली है, उससे विकास में देरी हो रही है तो इसका कारण क्या है? अगर हम इस तरह से सोचेंगे और इसके कारणों को ढूंढेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि मुख्य कारण यह है कि हमारे सामने देश नहीं है। हम कितना धन संग्रह करें यह लक्ष्य है और आम जनता पिस जाये ऐसा व्यवहार हम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य आज यह है कि हमें पैसा कैसे मिले लेकिन देश कैसे बढ़े यह नहीं है। मैं आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सरकार के कानून ऐसे हैं कि उनका आपस में ही विरोध है। आयकर विभाग लोगों को जुदा करता है और सहकारिता विभाग लोगों को शामिल करता है। इसलिये दोनों ही कानून आपस में लड़ते हैं। ये विरोधी बातें हैं। ऐसे ही कृषि उपज मण्डी है और फिर आप मार्केटिंग सोसाइटी खोलते हैं। तो क्या सहकारिता में विश्वास नहीं है। कृषि उपज मण्डी और कैसे खोली गई है? क्या मार्केटिंग सोसाइटी सक्षम नहीं है? केवल सहकारिता के बल पर ही सारा काम कर सकते हैं। यह सब पर्यायवाची सम्बन्ध है। भाईचारा हो। इस ढंग से करो या उस ढंग से करो और चाहे ग्रामदान से करो, हमें जाना एक ही जगह है कि देश की तरक्की हो, हमारा मुल्क तरक्की करे। उत्पादन जो करता है उसको उसका लाभ मिले और जो लास्ट मैन है हमारे देश में उसको लाभ हो परन्तु यहां तो लास्टमैन लास्ट रखा जाता है। यह सारा लक्ष्य है। उसको बर्बाद करते हैं। जितनी भी सहकारी समितियां हैं उन सहकारी समितियों में कोई सहकारिता नहीं है किन्तु सरकारिता है। इससे सहकारिता नहीं पनप सकती। मैंने एक इन्स्पेक्टर से पूछा सहकारिता सरकारी काम है या लोगों का काम है। उन्होंने कहा सरकारी काम है। यह पंचायत समिति की बैठक में आपके सहकारिता के इन्स्पेक्टर ने कहा है। इन्स्पेक्टर के दिमाग में भी यह बात नहीं है कि यह सहकारी काम है या सरकारी काम है। जब तक यह न होगा कि यह सरकारी काम नहीं है यह तो केवल लोगों के लिए है, यदि वास्तव में हम सहकारिता से देश को आगे

(श्री फूलचन्द बाफणा)

बढ़ाना चाहते हैं तो यह निश्चित है कि जो सरकारी दृष्टि है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। सहकारी समितियों में एक दो पढ़े लिखे आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिली तो वह सहकारी समिति में तिकड़मबाजी लगाकर घुस जाता है। 11 आदमियों का नियम है वह इन लोगों को इकट्ठा करके सहकारी समिति बना लेता है और जो इस प्रकार जंगल की सहकारी समिति बनाई गई है वहां जंगल के मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। सहकारी समिति बना ली गई और सदस्यों के अंगूठे के निशान ले लिये गये और उनके नाम पर कर्जा लेकर दूसरे लोगों ने उठा लिया। जब उनके गाय, बैल, भैंस की नीलामी की जाने लगी तो उन्हें पता लगा कि यह कर्जा तो उन्होंने लिया नहीं था फिर कैसे उनके नाम कर दिया गया है। इस प्रकार सहकारिता के नाम दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं जो उसका उपयोग करने में माहिर हैं। ऐसे ही लोगों के हाथ में सारी सहकारिता का काम आ गया है। इससे इस आन्दोलन में गड़बड़ी पैदा होती है और जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होती है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : चुनावों के मामले में स्टे देते हैं और मन्त्री महोदय ऐसे महानुभावों के पोषक हैं। बेहद हस्तक्षेप करते हैं।

श्री फूलचन्द बाफणा : मन्त्री महोदय भी तो हमारी समाज की उपज है। उनकी इज्जत कब होगी जब उनके पास पैसा होगा और इज्जत कौन प्राप्त नहीं करना चाहता ? मैं तो यह समाज का कसूर मानता हूं, पूर्णतया मन्त्री महोदय का कसूर नहीं है। हमारी सोशियल वेल्यूज क्या हैं ? जो ज्यादा पैसे वाला है उसको सभी महत्व देते हैं और भले आदमियों को कोई महत्व नहीं देता है। तो यह सबको मालूम है। ये सारी चीजें आपको मालूम हैं फिर भी हम इसकी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। यही तरीका है जो हम करना चाहते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं......

श्री हरिवल्लभ शर्मा : फिर आप क्या बता रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : इसलिए कि दस्तूर है।

श्री फूलचन्द बाफणा : बार बार राम नाम को दोहराया जाता है। अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही यह शब्द कहा जाता है। और बार बार उसको कहते हैं। बार बार कहने से वह याद होता है और जब तक कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक कहे जाते हैं......

श्री दुर्गालाल बाद्दार : फिर भी क्या असर होने वाला है।

श्री फूलचन्द बाफणा : इसीलए तो सारा काम नष्ट होता जा रहा है। यह काम इसलिए नष्ट हो रहा है कि यहां पर अधिक दल है। एक दल दूसरे दल को गिराना चाहता है। एक दल के आदमी यह सोचते हैं कि सहकारी समिति, पंचायत समिति में दूसरे दल के आदमी न आवें और न आने देने के लिए उसको गिराना चाहते है। मैं समझता हूं कि वास्तव में यह दलों का दल दल है और उसमें हिन्दुस्तान फंस गया है, और सहकारिता का काम भी दलों के कारण बिखर गया है। इसमें एक दल दूसरे दल को गिराता है। चुनाव में गड़बड़ी होती है

(श्री फूलचन्द बाफणा)

क्योंकि कोई दल किस को चाहता है और किस को नहीं चाहता है। यह सहकारिता में बुराई घुस गई है और यह चलती रही तो सहकारिता वास्तव में सफल नहीं हो सकती। चुनाव में तिकड़मबाजी लगाकर स्टे लिया जाता है। सोसाइटियों को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। यह अभी मैं साल दो साल की बात कहता हूं। यह स्थिति है। कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना चाहे तो नहीं हो सकती है और जो दूसरी सोसाइटी चलती है उनका कोई मेम्बर बनना चाहे तो मेम्बर तक नहीं बनने देते हैं क्योंकि और सदस्य बनेंगे तो उनका बहुमत हो जायेगा। तो यह सारी बीमारी सहकारिता के क्षेत्र में चल रही है। बेरोजगारी की समस्या है उसको हल करने की बात सहकारिता चाहती है। सब आदमी एक सोसाइटी के मार्फत इकट्ठे हों और काम करें। किसानों के अनाज का समय पर भाव नहीं आता है तो भाव के लिए अनाज का संग्रह करें और जब भाव आवे उसको बेचें तो सफलता प्राप्त हो सकती है। परन्तु यह सारा काम इस तरह से किया जाता है जैसे कि यह सरकारी काम है। एक मार्केटिंग सोसायटी के लिये एक मेम्बर चीज खरीदता है और जब वह चीज महंगी हो गई तो कह देता है यह मैंने तो अपने लिये खरीदी थी और सस्ती हो गई तो वह सोसायटी पर डाल देता है। तो इस तरह से सोसायटी नहीं चलेगी, सोसायटी दिवालिया हो जायेगी, और इस तरह से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी सहकारी समितियों के कई मामले हैं जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यदि आप हिन्दुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं और उसके लिये सहकारिता को ठीक मानते हैं तो ठीक आदमियों के हाथ में उसको ले जाना पड़ेगा। यह समस्या है जिस पर इस देश के विद्वानों को सोचना पड़ेगा और इसका हल निकालना चाहिये और ईमानदार लोगों के हाथ में इसको नहीं देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में सारा काम जो अच्छा है वह असफल होगा और इसका लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिये नहीं मिलेगा और ज्यादा चालाक लोग जो पहले ही सम्पन्न हैं इसको खा जायेंगे। जो जोरदार हैं वह इसको खा जायेंगे और ये जोरदार लोग षड़यन्त्र करके सहकारिता में घुस गये हैं और इस पवित्र संस्था का अपने स्वार्थ के लिये उपयोग कर रहे हैं, और इससे अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं। अगर वास्तव में सहकारिता सफल हो जाती तो मेरा विश्वास है कि व्यक्तिगत व्यापार इस दुनिया से उठ गया होता। दोनों में कम्पीटिशन है, परन्तु आज व्यक्तिगत व्यापार आगे हैं और सहकारिता पीछे है। जिस रोज सहकारिता सफल हुई उस रोज व्यक्तिगत व्यापार उसके मुकाबले टिक नहीं सकता और यह सम्भव भी नहीं है और सम्भव है तो यह अपने आप में यह प्रमाण है कि सहकारिता असफल रही है। आज सहकारिता और बेईमानी पर्यायवाची हो गये हैं और वास्तव में मेरा मानना है और मन्त्री महोदय आपका एक भाषण में फर्माना भी ठीक है कि इसमें बेईमान लोग घुस गये हैं। उनको चाहिये कि बेईमानों को बाहर निकालें, उसके लिये कोई उपाय सोचें और कुछ नहीं बनता है तो बड़े बड़े विद्वानों की सलाह लें। सहकारिता एक ऊंचा लक्ष्य है और एक

(श्री फूलचन्द बाफणा)

परिवार की तरह सुख, दुःख को बांटे। हिन्दुस्तान को ऊंचा उठाना है तो कन्धे से कन्धा भिड़ा कर काम करना होगा। परन्तु आज सहकारिता तिकड़मबाजी का क्षेत्र हो गया है और इससे हमारा विकास रुक गया है। इससे लोकतन्त्र भी खतरे में पड़ सकता है। आज सहकारिता सफल है तो लोकतन्त्र अवश्य सफल होगा। आज इजरायल का उदाहरण हमारे सामने है। वह कितना ताकतवर है और कितना छोटा सा देश है। हमारे विधान में स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है। यह सब शर्त है, यदि भाईचारा हो तो समानता होगी ही और समानता होगी तो भाईचारा होगा ही। वोट के लिये आपने सब को बराबर कर दिया है। परन्तु वोट तो आज एक कला है। एक तकनीक के रूप में चल गई है और लोग उससे सफल हो जाते है। सहकारिता के लिये हम यह नहीं कर सकते। इससे सहकारी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। यह कठिन बात होगी। सहकारिता सफलता प्राप्त नहीं कर ती है तो लोकतन्त्र नष्ट होगा। लोकतन्त्र को सफल करना है तो सहकारिता को सफल करना चाहिये, इसको सफल बनाने के लिये जोर देना चाहिये और अगर हम किसी तरह से सहकारिता को ठीक बना देते है तो मेरा ख्याल है कि हम भेदभाव को मिटा सकते हैं, एक दिन में मिटा सकते हैं। परन्तु यहां पर भेदभाव किस तरह है ? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहता है और उसका चपरासी कहां पर रहता है, कैसे रहता है ? क्यों इतना भेद रहता है ? क्या लोकतन्त्र में इतना भेद रह सकता है ? तो इसका कारण साफ है कि हम में भाईचारे की भावना नहीं बढ़ी है और कांस्टीट्यूशन में भी हमने इसको लास्ट में रखा है लिबर्टी, इक्वेलिटी और फेटर्निटी और होना चाहिये था फेटर्निटी पहले, बन्धुत्व पहले रहना चाहिये तो इक्वेलिटी और फलत: स्वतन्त्रता अपने आप आ जाती। प्रारम्भ में ही हमने इसको उल्टा पकड़ा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको भी इन्ट्रेस्ट है। सरकार को अलावा इसके इस प्रकार की समस्या के लिये सम्मेलन, गोष्ठियां आयोजित करना चाहिये कि आखिर सहकारिता किस प्रकार सफल हो। यह असफल होता है तो आश्चर्य होता है। एक आदमी असफल हो सकता है, लेकिन ज्यादा आदमियों के कदम असफल नहीं हो सकते। और भी बोलने वाले हैं अतः ...

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है।

श्री फूलचन्द बाफणा : इसको ध्यान में रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय उपाध्यक्ष जी .....

श्री उपाध्यक्ष : समय दस से पन्द्रह मिनिट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री यशवन्त सिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गाड़ियाजी बोल रहे हैं तो उनको ज्यादा समय लगेगा। दस पन्द्रह मिनिट में तो कोई आपत्ति नहीं

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है। लेकिन मेरा निवेदन है कि मुझे आज बाहर जाना है इसलिये पहले मुझे समय बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर। इसमें गाडिया जी का समर्थन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक मांगों के संबंध में मैंने सदन में एक कटौती प्रस्ताव दिया है। मुझे लगा कि वह काल्पनिक कथा है लेकिन जनलेखा समिति की ऑडिट रिपोर्ट, आदि को पढ़ने के बाद मुझे यह लगा है कि शायद यह गवर्नमेंट का डिपार्टमेन्ट कमजोर है। शाम तक इसको मैंने पढ़ा है। लगा कि लाखों रुपयों की चोरी को सरकार पकड़ना नहीं चाहती है। इस तरह से चोरी होती है। उसमें अलग अलग रास्ते हैं। यह चालीस लाख का कबाड़ा है। मैं पलाना खान की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक भगवानलाल नाम के आदमी को पकड़ने के लिए सब दौड़ लगा रहे है। टैक्सी से पीछा कर रहे हैं। हर साल एक के बाद एक, एक ऑफिसर के बाद दूसरा ऑफिसर दौड़ा चला आ रहा है और कोई उसको पकड़ता नहीं है। एक योजना बनाई गई है, उसको कोई सैंक्शन नहीं है और खर्च कर दिया गया है और उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें यह निश्चय करना है, कि आया हमें इन कानूनों को बदलना है जो कि पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे आज जो रूल्स हैं, जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है, जो मेजर और माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स हैं, अगर मन्त्री महोदय चाहें तो एक एक धारा में उनको निवेदन कर दूं, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि वे केवल पूंजीवाद को पनपाने के लिये हैं, उसको प्रश्रय देने के लिये है। गरीब और समाजवाद की पूर्ति के लिये नहीं हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है ? पहली चीज तो यह निवेदन करूंगा कि जो मेजर माइनर कन्सेशन रूल्स हैं, उस रूल्स में आपको 9 महीने का प्रावधान लीज ग्रान्ट करने के लिये दिया गया है। इसके लिये भीलवाड़ा तक का जो मेरा अनुभव है वह मैं आपको बता सकता हूं। उसमें एक शर्त यह रखी है कि पैसा वाला ही इसको ले सकता है और यह माना जाता था कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी को माईका की माइनिंग लीज देना अपराध माना जाता था और यह जनरल ओपीनियन राज्य सरकार को दी गई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज माइनिंग के काम के लिये सक्षम नहीं हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस काम के लिये है ? माइनिंग का काम कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपनी बात का निवेदन करूं कि वक्त बदला और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी और वे भाग्य से सफल बनीं। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि सहकारी विभाग की रिपोर्ट है तो आश्चर्य होता है। राजनैतिक, सामाजिक चेतना देश में आई है और बारह हजार से ऊपर कोआपरेटिव सोसाइटी बनी। यह एक तूफान आया और जब तूफान आया तो इसमें गबन और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। 1952 में हमारे यहां काम था अधिक अन्न उपजाओ। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और करीब

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

13 अरब रुपये राज्य सरकार ने इस अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर खर्च किये। इन 13 अरब रुपयों को खर्च करने का मौका आया। इस गरीब देश का कल्याण हुआ और 7 प्रतिशत हमारे जिम्मेदार लोगों ने इस 13 अरब रुपयों का उपयोग किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक नीति का निर्धारण करना पड़ेगा कि बिना कमाई के ही वह सब माल जो हमारे कमाई का साधन है, खा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। हम बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिये हमने ग्रामीण सहकारी समितियों का निर्माण किया ? इसी तरह से जो मनी लेन्डर्स हैं वे किसानों का शोषण कर 4 रु० सैंकड़ा, 6 रुपया सैंकड़ा, 8 रुपया सैंकड़ा बिना मेहनत के केवल रुपया देकर रुपया कमाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको एक सीमा तक हमने रोकने का प्रयत्न किया है। मुझे दुःख है हमारे साधन कमजोर हैं। आज चौथी योजना में भी सहकारिता के आधार पर काम नहीं हो रहा है। 12 हजार सहकारी समितियां हैं, लेकिन सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार को कौन फैलाता है, आप और हम ही फैलाते हैं। हम लोग ही सैक्रेटरी बनकर, अध्यक्ष बनकर मेजर पोर्शन खा जाते हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाता है। कुछ मैं मानता हूं चुनाव की इर्रेग्युलरेटी हो सकती है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मेरा तो एक निवेदन है बिना श्रम की पूंजी के कोई समाजवाद नहीं आयेगा। इसमें डिपार्टमेंट से भी एक निवेदन करना चाहता हूं- आपके पास रॉक फॉस्फेट का भण्डार भरा है। उसकी खुदाई सहकारी समिति से कराइये। अभी एक कन्वेश्चन क्वेश्चन अवर में आया था इर्रिगेशन में जमीन 10 हजार एकड़ डूब में आई लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया और यह कहा गया हमारा सम्बन्ध नहीं रेवेन्यू विभाग तय करेगा। इस तरह की हालातें आज हमारे देश में है कि वर्षों से लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज सहकारी समितियां मध्यावधि चुनाव के बाद वह व्यवस्था है जो भारतवर्ष के कल्याण के लिये है और मैं इसे एक ही विभाग का मानता हूं। दूसरा न रेवेन्यू विभाग होगा, न प्रशासन विभाग होगा और न कोई अन्य विभाग होगा। यह सहकारिता का ही विभाग है जो देश का कल्याण कर सकता है। इसको अधिक से अधिक मजबूत बनायें। आज चाहे कोई जंगल का ठेका हो, कोई मकान बनाने का ठेका हो वह पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के ठेकेदार को दे दिया जाता है और उसके बाद हम आशा करें कि यह सहकारिता का विभाग जिन्दा रहेगा ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और वह यह निवेदन है कि अगर हमें वास्तव में कुछ निर्णय करना है तो वह यह है कि सारे ठेके सहकारी समितियों के मार्फत होने चाहिये। अभी हमारी बहुत बड़ी सम्पदा है और उसका सही उपयोग कर सकें तो यह तय कर लीजिये कोई भी गवर्नमेंट का विभाग कोआँपरेटिव सोसाइटीज के बिना ठेका नहीं देगा, किसी के द्वारा काम नहीं करायेगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति है बड़ी गरीब सहकारी समिति है उसको अधिक सक्षम बनाइये, तो कुछ काम कर सकेगी। आगे की योजना क्या है आपकी वह तो भगवान जाने। जो स्पिनिंग मील है, चीनी मील है उसको कोआँपरेटिव सेक्टर में चलाया जाय– इसी प्रकार दस मीलें है उनको भी कोआँपरेटिव सेक्टर में चलाना

Page No 126

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चाहिये। 1956 में कम्पनीज का निर्माण हुआ जब यह तय हुआ था कि कहीं न कहीं गरीबों का भला हो तो ऐसी चीजों को समाप्त कर। कम्पनी एक्ट का यह सिद्धान्त है पैसे को पैसा ला सकता है, उसका सीधा पूंजी से सम्बन्ध है, लेकिन सहकारी समिति में व्यक्ति का सम्बन्ध है। जब हम इस दिन की प्रतीक्षा कर लेंगे उसी दिन शायद हम समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे। इसलिये मैं यह मानता हूं, सहकारी समितियां और सहकारी आन्दोलन सही रूप से चलाया गया तो समाजवाद आयेगा नहीं तो आपका समाजवाद आने वाला नहीं है। 1952 में 6 लाख सहकारी विभाग को दिये और आज देखते हैं तो एक करोड़ 73 लाख पर पहुंच गये। लेकिन सहकारी विभाग ने क्या किया, यह सब आपके और हमारे सामने है। सहकारी समिति मजबूत बनेगी उसका एक रास्ता जरूर है। कम से कम गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट जितने आपके पास हैं–इरिगेशन का, पी. डब्ल्यू. डी. का, जंगलात का, माइनिंग का यह तय कर लीजिये किसी एक व्यक्ति को, लिमिटेड कम्पनी को, कम्पनीज ऐक्ट के तहत ठेका नहीं देंगे, लाइसेन्स नहीं देंगे, काम नहीं करायेंगे और करायेंगे तो सहकारी समिति के द्वारा करायेंगे। मैं यह कहता हूं जिस दिन सहकारी समिति इस सेक्टर में आ जायगी उस दिन मैं कल्पना करता हूं इस देश में नया समाजवाद आयेगा, अन्यथा नहीं आयेगा। 'रत्नगर्भा वसुन्धरा' राजस्थान की भूमि को बताया है। 'रत्नगर्भा वसुन्धरा' पुरातत्व की एक कहानी थी जो आज सुन पा रहे हैं, लेकिन आज देखिये माईनिंग का सारा प्रोडक्शन खतम होता जा रहा है। राजकीय मिनरल कन्सेशन रूल्स में एक छोटी सी कल्पना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माईनिंग विभाग से पूछना चाहता हूं कि 9 महीने में लीज स्वीकार नहीं की है then it shall be deemed to have been cancelled. 9 महीने तक पड़ी रखना उसके बाद गजट में शाया करना। जो भी हमारी भू–गर्भ सम्पदा है वह दो चार साल निकल जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। 9 महीने में कार्यवाही नहीं की तो फिर क्या इस देश का कल्याण करेंगे? यह तो वजीर के कलमदान की बात हुई। यह भी उदयपुर के वजीर का एक कलमदान है और उसी प्रकार का यह डाइरेक्टर का दफ्तर है। यहां से कागज निकल कर कभी नहीं आता है। मैं कोई यह नहीं कहता, जनरल चार्ज है, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं मुझे कोई कागज वहां से निकलता नजर नहीं आया। यह कागज उदयपुर के कलमदान में जाकर गिर जाता है। वहां से कागज आता हुआ नहीं देखा····

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कौन से विभाग से आता है जल्दी?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माइनिंग विभाग की बात कह रहा हूं। हो सकता है कोई कठिनाई होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय अपने विभाग से पता लगायें आज तक डिलेज पर किस अधिकारी को मौअत्तिल करने का प्रयत्न किया? अगर नहीं किया तो यह अनडिसिप्लिन ऐसा खायेगा जो आपको खत्म कर देगा। जो माईका का 1944-45 में प्रोडक्शन था उसको आप देखें और आज के प्रोडक्शन को देखें मैं नहीं समझता गवर्नमेन्ट को बहुत

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो। मुझे मालूम नहीं 15 हजार आदमी काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन शायद वन एट्थ आ पड़ा है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम है वह भी आप देख रहे हैं। बड़े सुन्दर शब्दों में कहा डेप्रिसियेशन और इन्ट्रेस्ट को छोड़कर 6 लाख का लॉस हुआ है— डेप्रिसियेशन और इन्ट्रेस्ट 7 लाख का, यह क्या मतलब है ? समझ में नहीं आता है यह लास 29 लाख से नीचे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बहुरूपियापन नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। जयपुर में 18 लाख लीटर दूध वितरण करते हैं, इसका मतलब महीने में डेढ़ लाख लीटर और एक दिन में पांच हजार लीटर और उसके ऊपर 12 लाख का लोन। मैं समझता हूं आधा लीटर एक फेमिली के लिये काफी होता है। 10 हजार कन्ज़्यूमर के पीछे 1 लाख रुपया और एक फैमिली के पीछे 100 रुपया नुकसान दे रहा हैं। इस प्रकार चलना कहां तक उचित है ? चलना है तो ढंग से चलिये। लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने को अनाज नहीं है और आप यह दूध वितरण कर रहे हैं। 10 हजार फैमिली इससे दूने पैसे देकर दूध खरीद सकती हैं। मैं पूछता हूं जयपुर में कितनी फैमिलीज हैं जो दूध पीती है ? गावों में जहां दूध पैदा होता है वह खिचकर यहां चला आता है। मैंने पहले भी एक निवेदन किया था, मैंने एक स्कूल का सर्वे कराया था, उसमें 18 पर्सेन्ट ऐसे लड़के हैं, जिनमें प्रोटीन का बिलकुल अभाव था। उस देश की जहां पर यह स्थिति हो, आप कल्पना कीजिये, क्या होने जारहा है ? इसलिए मेरा निवेदन है इस विलासिता के रास्ते को बदलना पड़ेगा। मेरा निवेदन है यह तय करना पड़ेगा। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के कोआॅपरेशन से काम करेंगे और काम करके सहकारी आन्दोलन लायेंगे। श्रम की कीमत बढ़ायेंगे और पूंजी की कीमत कम करेंगे।

मैं लास्ट में एक निवेदन और करना चाहता हूं। कलकत्ते की तो खतरनाक हालत है ही। हमारे यहां एक हजार दो हजार रिक्शा चलते हैं। 500 रुपये लगाकर 100 रुपये कमाये यह आज का जमाना बर्दाश्त नहीं करेगा। कई सेठ आज ऐसे बैठे हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। एक ऐसा सेठ मेरे पास भी आया है और कहने लगा एक बिल आपने पेश किया है, मैंने उससे निवेदन किया दो असेम्बली निकल जायगी तब भी नहीं आयेगा। अब आप देखिये उसने मुझे चेतावनी दी ; यदि आप इस बिल को लायेंगे तो सही सलामत नहीं रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आया, यह सही सलामत का कौनसा तरीका आ गया है ? 500 रुपये में लाइसेन्स बन्द करने का तरीका, वह नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां के कुछ रास्ते बदलने पड़ेंगे। अगर हमें समाजवाद लाना है और इस मध्यावधि चुनाव के बाद जिन्दा रहना है तो और नहीं लायेंगे तो समय अपने आप सजा देगा।

एक छोटासा निवेदन है हमारे मंत्री महोदय की स्टेट गैरेज की कार चलायें उसको 250 रु० तनख्वाह और ट्रान्सपोर्ट की गाड़ी के ड्राइवर को जो 100 आदमी बैठाकर ले जाता है उसको 150 रुपये की तनख्वाह। इस तरह के काम पर क्या कोई समाजवाद की कल्पना कर सकता है ? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ये सहकारी समितियां, हर स्टेज पर, हर लेवल पर बनानी पड़ेंगी,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जिसके द्वारा समाज के कुछ तबके को लाभ होता है। गरीबों के लिये पूरा लाभ नहीं करेंगे तब तक समाजवाद नहीं आयेगा। यह जो नेशनेलाइजेशन की स्कीम्स हैं, बैंकों का नेशनेलाइजेशन कर दिया, जनरल इन्श्योरेन्स का नेशनेलाइजेशन कर दिया इससे कल्याण होने वाला नहीं है। 1947 से पहले····

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मिनिट में समाप्त करता हूं। पहले की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आयेगा जिसके द्वारा श्रम की महत्ता को नहीं बढ़ा सके तो सहकारी आन्दोलन सफल नहीं होगा और इस सबके लिये हम सबको कुर्बानी करनी चाहिये और हमें सबको मिलकर सहकारी समिति आन्दोलन को सफल बनाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्टेट इन्श्योरेन्स के विभाग के विकेन्द्रीकरण की नीति को स्थगित किया है, उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इसके स्थगित करने के जो कारण बताये हैं, वे वास्तव में सही हैं। उपाध्यक्षजी, इस राज्य बीमा विभाग के अन्दर जिस समय इस विभाग के डाइरेक्टर जो विश्वनाथन् थे, उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय श्री के० पी० यू० मेनन ने राजस्थान के अन्दर अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर यदि कोई आदर्श विभाग है, यदि कोई किसी विभाग के अन्दर टिप-टाप काम है तो वह राज्य बीमा विभाग है। विश्वनाथन् साहब का देहावसान हुआ और उसके बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद इस विभाग के अन्दर श्री टेमाणीजी निदेशक के पद पर आये। मैं माननीय वित्त मंत्रीजो,मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्री टेमाणी, जो इस विभाग के निदेशक हैं, क्या इस विभाग की जो योग्यता है, जो परीक्षा पास होनी चाहिये, क्या उस में वह योग्यता है ? श्री टेमाणी एक्चुअरी की भी परीक्षा पास नहीं है।

श्री रावतराम : आप बता दीजिये क्या पास है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप हरएक की वकालत क्यों करते हैं और आपको टोका जाता है तो आप कहते हैं मेरी सुन लीजिये नियमों के खिलाफ बोलते हैं तो श्री टेमाणी इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, श्री टेमाणी ने कुछ समय पहले एक लाइसेन्सियेट की परीक्षा दी थी, वह भी दोबार दी और दोनों बार फेल हो गये····

श्री उपाध्यक्ष : यह मुद्दा कटौती प्रस्ताव में है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम से है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : हां है। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति में बीमा विभाग की योग्यता न हो उसको हैड आफ दी डिपार्टमेंट बनाना, उस विभाग के अन्दर अव्यवस्था फैलाना है–ऐसी मेरी मान्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं श्री टेमाणी अपने विभाग को तो नहीं संभालते हैं और इस पद

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने अपने परिवार के अपने स्व० भाई की औरत के नाम पर जमीन अलाट करवाई और उस भूमि पर एक डेरी फार्म लगा रखा है और विभाग के अन्दर बैठे २ दूध वितरण का काम करते हैं। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, श्री टेमाणी में योग्यता नहीं होने के कारण आज इस विभाग के अन्दर कितनी अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं और इसको सुनकर यह सदन ताज्जुब करेगा उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1965 में इस विभाग के रेकार्ड की जांच हुई तो इस विभाग के अन्दर करीब एक हजार फाइलें प्रीमियम होल्डर्स की गायब पाई गई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई, वे कहां गई और मेरी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विभाग के अन्दर करीब पांच हजार फाइलें गायब हैं और जब ये फाइलें गायब हैं, तो उन पालिसी होल्डर्स का क्या होगा ? जो प्रीमियम पालिसी होल्डर्स देते हैं उनको किस तरह जमा करते हैं और आज इस तरह से अव्यवस्था फैल रही है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विभाग के अन्दर करीब पांच हजार कर्मचारियों के" दो दो बीमा पालिसी कर रखी हैं। बहुत ही बुरा हाल है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार एक एक कर्मचारी की दो दो पालिसी जारी करने से उन कर्मचारियों की जो प्रीमियम की राशि कटती है वह ठीक तरह जमा नहीं होती है। अलग अलग जमा हो जाती है इस प्रकार बहुत भारी अव्यवस्था इस विभाग में फैली हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज भी इस विभाग के अन्दर हजारों ऐसे केसेज प्रीमियम के बिना जमा हुए पड़े बता सकता हूं कि जिनका कहीं भी हिसाब किताब नहीं है। पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में एक सस्पेन्स एकाउन्ट रहता था। अगर किसी का प्रीमियम और उसका हिसाब पूरा नहीं जमा हुआ होता था, तो उसे सस्पेन्स एकाउन्ट में प्रीमियम को जमा कर दिया जाता था। पर इस विभाग में उसे बन्द कर दिया गया है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में एक रिकवरी रिकार्ड रजिस्टर होता है वह आज तक पूरा तैयार किया हुआ नहीं है। यह भी पता नहीं चलता कि अमुक कर्मचारी की कितनी रकम पोलिसी के अगेन्स्ट रिकवर की जा चुकी है। उनका प्रीमियम कितना कटता है और वह प्रीमीयम की राशि जो भी किसी कर्मचारी की कटती है वह उसकी लेजर में जमा की गई है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, लेजर अभी तक अधूरे पड़े हैं। दो दो पोलिसी होने के कारण नम्बर गलत हो गये हैं और इस प्रकार लोगों के जो प्रीमियम के पैसे कटते हैं उनके हिस्से में जमा नहीं हुए हैं और इस प्रकार इस विभाग में बड़ा घोटाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार एक प्रकार इस विभाग के अन्दर आज करीब 90 लाख रुपये की राशि ऐसी है जो कि पोलिसी होल्डर्स के लेजर प्रीमियम एकाउन्ट में जमा नहीं किये हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से, आपके बीमा विभाग के डाइरेक्टर से कि आपके यहां रेवेन्यू रिकार्ड रजिस्टर कम्पलीट क्यों नहीं हुए हैं। क्यों नहीं आपके विभाग के अन्दर जो प्रीमियम किसी कर्मचारी का आता है, वह सही तरीके से जमा होता है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि अगर किसी को जब प्रीमियम की राशि आपके रिकार्ड में जमा नहीं है तो आपकी इस अव्यवस्था से उसको कितना नुकसान होगा। उपाध्यक्ष

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

महोदय, मान लीजिये आज एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, और अगर उसकी पोलिसी का रिकार्ड पूरा नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पैसा मिलने में कितनी कठिनाई होगी। इसी तरह सन् 1967 में जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को रिटायर 58 साल की जगह 55 साल में कर दिया था। तीन साल पहले रिटायर कर दिया था तो ऐसे समय जबकि आपके यहां प्रीमियम की राशि पूरी जमा नहीं है, रेवेन्यू रिकार्ड रजिस्टर कम्पलीट नहीं है। उन्हें आपने आज तक कोई रकम उनकी बीमा की नहीं दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इस विभाग में करीब 50 हजार फाइलें ऐसी पड़ी हैं जिनके एकाउन्ट पूरे नहीं किये हुए हैं, घोर अव्यवस्था है। आज जिस प्रकार 58 से घटा कर 55 साल रिटायरमेंट की एज कर दी वैसे ही कोई और कार्यवाही हो जाय तो यह उन केसेज को उसी प्रकार नहीं निपटा सकेंगे जिस प्रकार कि इन्होंने आज भी कई बीमा होल्डर्स जो कि 55 साल में रिटायर हो गये थे, सन्, 67 में और उनको बीमे के रुपये नहीं मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि वित्त विभाग से सम्बन्धित मन्त्री नहीं है, वित्त विभाग के राज्य मन्त्री भी नहीं, मेरा निवेदन है कि जब तक मन्त्री महोदय नहीं आवें तब तक के लिए मैं मेरा भाषण... ...

श्री उपाध्यक्ष : आप चालू रखिये माननीय सदस्य। वित्त विभाग के मन्त्री नहीं है तो क्या? दूसरे मन्त्री जी बैठे हुए हैं, वे सुन रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन कर्मचारियों को 58 साल के बजाय 55 साल में रिटायर कर दिया, आपके रजिस्टर में उनका प्रीमियम कब तक का, कितना और कहां से आया वह रजिस्टर में एन्टर किया हुआ नहीं है। किसी प्रकार की रिकवरी नहीं दिखाई गई है हालांकि उनके प्रीमियम की रकम हर माह काटी जाती है और जब तक कर्मचारी जब रिटायर हो और उसको पैसा जमा हुआ नहीं मिले तो आप सोचिये कितना नुकसान होता है। आज महंगाई का युग है अगर उसे पैसा नहीं मिले तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मैं मन्त्री महोदय को आपके मारफत यह कहूंगा कि क्या आप इस अव्यवस्था को जल्दी से जल्दी ठीक करायेंगे? क्या मन्त्री महोदय उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, जिनकी लापरवाही से यह हुआ है। उपाध्यक्ष, महोदय मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहूंगा वह है राजस्थान पुलिस की आर०ए०सी० के बारे में। आज राजस्थान में आर०ए०सी० की 8-10 बटालियन थी। राज्य सरकार ने आर०ए०सी० को केन्द्रीय सरकार के अण्डर में दे दिया है। इन आर०ए०सी० के हर जवान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सीमा पर अपनी जान हथेली में लिये वहां रहते हैं। मैं आपको निवेदन करदूं उपाध्यक्ष महोदय इन आठ दस बटालियनों में करीब 8,10 हजार जवान हैं। राजस्थान सरकार ने इसे केन्द्रीय सरकार की बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सुपुर्द कर दिया। आज उन्हें बी० एस०एफ० के सुपुर्द करने से उनके इन्श्योरेन्स कटना बन्द हो गया है और अब उनका प्रोवीडेन्ट फण्ड कटना शुरू हो गया है

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उपाध्यक्ष महोदय, ये आर०ए०सी० के जवान जो देश की रक्षा के लिए जोधपुर और बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर रहते हैं, इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उनको जो इन्श्योरेन्स की जो फैसीलिटी थी, वह भी बन्द कर दी गई। जो भी रुपये उनके प्रीमियम के जमा होते थे वे बन्द हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब इन्हें सिर्फ सरेन्डर वेल्यू जो होगी वही मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मानवीय दृष्टि से उचित है? ये लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं। राजस्थान के बीमा विभाग को चाहिये था कि इनकी इन्श्योरेन्स पूरी चालू रखते, तो उन्हें अधिक फायदा होता। अब तो अगर उनका एक हजार या जो भी रुपया जमा हुआ है वही मिलेगा। उन्हें इस सरेन्डर वेल्यू के सिवाय कोई उस पर बोनस और या कोई भी डिविडेन्ड नहीं मिलेगा। ये बोनस या डिविडेन्ड करीब 30 या 25 प्रतिशत तक मिलता है। इस प्रकार जो आर०ए०सी० के नौजवान जो बी०एस०एफ० में चले गये, करीब 8 या 10 हजार कर्मचारी थे। उनका प्रीमियम करीब 35 लाख या 40 लाख रुपये के करीब होता, उस पर करीब 12 लाख रुपये बोनस वगैरह के मिलते वह उन्हें नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो आर० ए० सी० जवान हमारे देश की सीमा पर हमारे देश की रक्षा के लिए, देश के शत्रुओं से लड़ने गये उन्हें पूरा बोनस व डिविडेन्ड जो भी उनकी पूरी पॉलिसी पर मिलता है? वह मिलना चाहिये। इस बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं कि गृह मन्त्रीजी ने एक बार आश्वासन दिया था, इसी सदन में, कि सीमा पर देश की सुरक्षा के लिये लड़ने वाले लोगों को उनको पोलिसी के ऊपर जितना भी बोनस या डिविडेन्ड मिलना चाहिये, वह उन्हें दिया जायेगा और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो रूल्स में एमेन्डमेन्ट भी किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि आर०ए०सी० के जवानों को उनका यह हक मिलेगा। मिलना भी चाहिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस बारे में आदेश देंगे कि आर. ए. सी. के इन जवानों को पूरा फायदा दिया जाय।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग के कर्मचारियों की हालत के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बीमा विभाग में ट्रान्सफर होते रहते हैं। मान लीजिये एक कर्मचारी की ट्रान्सफर जोधपुर हो गई कोटा से तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसके इन्श्योरेन्स का प्रीमियम उस महीने का कट कर कोटा से आयेगा, इधर जोधपुर में भी उसका प्रीमियम कट जाता है। गलत नम्बर और दो जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि दो पोलिसी बनी हुई हैं उसका वह रुपया उसके एकाउण्ट में जमा नहीं हो पाता है और इस तरह एक साल, दो साल तक वह जमा नहीं होते हैं प्रीमियम कटते रहते हैं मैं आपसे निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इस विभाग में कई केसेज ऐसे हैं जिनमें 10 साल तक उन कर्मचारियों के प्रीमियम जमा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार एक कर्मचारी का एक साल में परिवर्तन कोटा से अलवर, सीकर और जोधपुर हो गया, उसके पैसे कटते गये पर वह उसके एकाउन्ट में जमा नहीं हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजो कि क्या यह बीमा विभाग की ड्यूटी नहीं थी कि वह उस कर्मचारी के प्रीमियम को उसके अकाउन्ट में जमा करे। कम से कम ऐसी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

व्यवस्था तो होनी चाहिए किसी भी कर्मचारी के जो प्रिमीयम आवे वह उसके एकाउण्ट में एक दो माह में तो जमा हो जाये। अगर किसी का एक दो माह तक प्रीमियम नहीं कटे, परिवर्तन के कारण तो बीमा विभाग को चाहिये कि वह उसको नोटिस दे। बीमा विभाग को चाहिये कि इसके बारे में कार्यवाही करे। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करदूं कि बीमा विभाग इसकी जानकारी नहीं देता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके पैसे कटे या नहीं कटे, यह भी पता नहीं चलता कि अगर उनके प्रीमियम कटे तो उनके एकाउन्ट में जमा हुए या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि सन् 1968–69 में एक कर्मचारी जो रिटायर हुआ था उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद वह अपने इन्श्योरेन्स की रकम लेने गया तो उसे बीमा विभाग द्वारा बताया गया कि आपके पैसे दो साल के जमा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार 66–67 और 64–65 में लोग, जो भी रिटायर हो गये थे, उनमें से बहुत से ऐसे जिनके अकाउन्ट कम्पलीट नहीं हैं। 68-69 के भी कुछ लोग हैं जिनके हिसाब कम्पलीट नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक एक या दो दो महीनों की अगर किस्त बाकी है तो उनको काट लिया जाता है जो ब्याज और बोनस मिलता है, उसे भी काट लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा एक उदाहरण देकर कि आज से करीब चार साल पहले कोटा जिले की तहसील अटरू के एक नागरिक कर्मचारी जिसका नाम पृथ्वीसिंह है, जो कि वरिष्ठ लिपिक आबकारी विभाग कोटा में थे, रिटायर हो गये उनकी पालिसी नम्बर 25203 है। उन्हें अपने बीमा के पैसे नहीं मिले थे। आज से तीन रोज पहले आये और जब विभाग के अन्दर गये और पता लगाया तो तीन दिन तक तो पता ही नहीं लगा आखिर तीन दिन की जांच पड़ताल के बाद उन्हें बताया गया कि वे जिस समय 1–4–70 से 1–6–70 तक अलवर जिले में थे उनका प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण, व इसी प्रकार 1-2-66 से लेकर 1–3–67 तक जब वे कोटा जिला आबकारी विभाग में थे तो उनका प्रिमीयम जमा नहीं हुआ था इसलिए आज तक उनकी बीमा पोलिसी के रुपये नहीं दिये गये हैं।...

इस प्रकार से वह प्रीमियम उनका ट्रेजरी के द्वारा कट चुका था लेकिन विभाग के द्वारा उसके लेजर अकाउन्ट के अन्दर जमा नहीं होने के कारण 40 रुपये के प्रीमियम के ऊपर ब्याज जोड़ा और ब्याज जोड़कर उसका प्रीमियम 26 रुपये हुआ और 4·60 और ब्याज हुआ। इस प्रकार से 30.65 ब्याज के और 40 रुपये उसके प्रीमियम के ये 70.65 काट करके उसे दिये। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आपके विभाग के अन्दर जो कर्मचारियों की प्रीमियम माहवारी है, वह लेजर अकाउन्ट के अन्दर जमा नहीं होती है और इसी कारण से कर्मचारी भटकते रहते हैं। तो 1966–67, 67–68 और 68–69 के अन्दर जो कर्मचारी रिटायर हुए, जिनकी पालिसी अवधि समाप्त हुई, उपाध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों की प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण, इस विभाग ने 3 लाख 36 हजार रुपया काटा है। उन कर्मचारियों का जब कि प्रीमियम जमा हो चुका है तो माननीय मन्त्री जी मैं पूछना चाहता हूं कि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आपका इतना बड़ा विभाग है, उनके प्रीमियम क्यों नहीं जमा होते हैं? क्या आपने इसकी जांच करवाई? यदि आप जांच करवायेंगे तो आप पायेंगे कि आपके जो डायरेक्टर हैं वह योग्यता प्राप्त नहीं हैं और वह विभाग की कोई चेकिंग नहीं करते, वे रजिस्टरों को देखते नहीं हैं, अधिकांश रजिस्टर्स फटे हुए हैं, उनके पालिसी नम्बर कटे हुए हैं और उसी के कारण से आज कम से कम 5 हजार फाइलें पहले को गायब हैं और उसके कारण से अन्धेरगर्दी चल रही है। मुझे आशा है कि आप इसकी जांच करवायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीमा विभाग का सम्बन्ध है, इस विभाग के अन्दर मैं एक बात माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि श्री टेमाणी जिस समय सीनियर डिप्टी डाइरेक्टर थे, मैं पूछना चाहूंगा कि यह सीनियर डिप्टी डायरेक्टर कौन से आदेश से थे? क्या राज्य सरकार ने कोई गजट नोटीफिकेशन किया था? मेरी जानकारी के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, श्री टेमाणी को सीनियर डिप्टी डायरेक्टर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की, कोई गजट नोटीफिकेशन नहीं हुआ और यह अधिकारी कई वर्षों तक चलता रहा और राज्य सरकार हजारों रुपया स्पेशल पे के नाम से और 100 रुपया प्रोवीडेण्ट फण्ड के हिसाब में जमा कराके दिया। क्या आप इसकी जांच करके कहेंगे कि किस आदेश से ये सीनियर डिप्टी डायरेक्टर बने और वह कौनसा गजट नोटीफिकेशन था और ज्यों ही श्री टेमाणी डायरेक्टर बने, इस विभाग से सीनियर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट को खतम कर दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यह इस बात को सिद्ध करता है कि राज्य बीमा विभाग के अन्दर सीनियर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट नहीं थी। यदि होती तो श्री टेमाणी जो डायरेक्टर बने उनको इस पोस्ट को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था और इस प्रकार से एक जिम्मेदार अधिकारी राज्य सरकार के खजाने से फर्जी कार्यवाही करके और कुछ लोगों से मिलकर इस प्रकार के कागजात निकलवाकर बजट में प्रावधान नहीं होते हुए भी बजट में प्रावधान रख लिया और ए० जी० आफिस से मिल कर अपनी पे स्लिप बनवा ली। यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र है, आप इसकी जांच करें।

जहां ये बातें हैं, इस विभाग के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर हैं मिस्टर मोदी उनका भी धंधा वही है जो कि इन डायरेक्टर साहब श्री टेमाणी का है। इन्होंने भी जयपुर के अन्दर मोदी शू एजेन्सी नाम की दुकान खोल रखी है और ये अधिकारी भी दफ्तर में नहीं बैठते और अपनी दुकान पर जाकर जूते बेचते हैं और उसका कनवेसिंग करते हैं और इस प्रकार के अधिकारी, जिनका निजी धंधा चलता है और ऐसा धंधा चलता रहे तो यह विभाग किस प्रकार से सही काम कर पायेगा यह आप स्वयं सोच सकते हो।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)
(2.45 म.प)

इस विभाग के संबंध में इतना ही कहते हुए अब मैं सहकारी विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात निश्चित है कि आज राजस्थान के अन्दर ही नहीं देश की गरीबी को यदि दूर करना है, आज

Page No 134

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यदि नीचे तबके को ऊपर उठाना है तो केवल सहकारिता ही ऐसा कदम है जिसके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है लेकिन राजस्थान के अन्दर सहकारी विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि झुंझुनू सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : और कौन से विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभी में है।

झुंझुनू सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1960–61 में हुई थी। दो साल के अन्दर ही माननीय सभापति महोदया, उस समय के बोर्ड ने फर्जी व्यक्तियों के नाम से फर्जी सोसाइटी बनी–चाहे वह कोई भी सोसाइटी हो उन सोसाइटियों के पदाधिकारियों के फर्जी नाम से जो वहां के रहने वाले नहीं हैं और जो सोसाइटी के मेम्बर नहीं उन लोगों को 3, 77,749 रुपये वितरण किये और वह सारा का सारा रुपया गबन और घोटाले के रूप में गया और आज तक कोई वसूली नहीं हुई इसकी जांच भी हुई और कुछ केसेज पुलिस में चल रहे हैं। कुछ रजिस्ट्रार के कार्यालय में चल रहे हैं और इसके बाद माननीय सभापति महोदया, इस बैंक की आडिट कराने के लिए कुछ नेताओं ने मेनीपुलेशन कराके एक भ्रष्ट कर्मचारी को नियुक्त कराया और वह हैं श्री राधेश्याम मामोड़िया इसने इस बैंक की आडिट की और उसकी आडिट के अन्दर संबंधित राजनैतिक नेता जिनकी उन गांवों में सोसाइटी थी और जिनको राजनैतिक आधार पर फर्जी वितरण कराया था उन्होंने और उनके कुछ व्यक्तियों ने यह कहा कि इस आडिट के अन्दर अध्यक्ष श्री मालीराम को और दूसरे व्यक्तियों को बचा देते हैं तो हम तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे, ऐसा उस राधेश्याम मामोडिया को लालच दिया और इस आधार पर दबाव डालकर एम्बेजलमेन्ट जो कि 4 लाख रुपये का था श्री राधेश्याम मामोडिया से आपने पक्ष में रिपोर्ट करवाई और कुछ समय के बाद अब इसी राधेश्याम मामोडिया को माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने झुंझुनू सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के अन्दर प्रशासक बनाकर भेजा है। ये राधेश्याम जो मामोडिया जब से प्रशासक बने हैं उन्हीं राजनैतिक नेताओं ने कहा कि हमने तुम्हारा प्रमोशन करवाया और अब तुम हमारी सोसाइटी के अन्दर ऋण वितरण कराओ और उसी पुराने ढर्रे के अनुसार और उन्हीं राजनैतिक नेताओं ने दबाव डालकर जिनका कि राजसत्ता के अन्दर हस्तक्षेप है माननीय सभापति महोदया

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलामपुर की जो ग्रामसेवा सहकारी सोसाइटी है और बासड़ी की सोसाइटी के अन्दर 1 लाख रुपये का कर्जा वितरण करवाया उसके अन्दर 15 हजार रुपया पिछली बार की सहकारी सोसाइटी के अन्दर ऐसा वितरण किया है कि जिनके नाम और पते का पता नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरी पार्टी की ओर से मैं ही बोल रहा हूं ...

श्रीमती सभानेत्री : लेकिन आपको भी समय बहुत हो चुका है इसलिए कह रही हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 45 मिनट मेरी है पार्टी के लिए ।

श्रीमती सभानेत्री : आपको 30–35 मिनट पहले ही हो चुके हैं और काफी समय हो गया है । जल्दी सम-अप कीजिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो इस प्रकार से इस सोसाइटी के अन्दर एक लाख रुपये का घोटाला है, दोनों में ही इसलामपुर और बासड़ी की सोसाइटी के अन्दर । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दोनों ही सोसाइटीज की इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी रिपोर्ट संबंधित विभाग और आडिटर ने दी है उसका क्या हुआ ? उन्होंने कहा है कि यह जो कर्ज वितरण किया है इसमें फर्जी कार्यवाही हुई है और इसमें राधेश्याम जी मामोडिया ने संबंधित सोसाइटी के पदाधिकारियों से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेकर फर्जी ऋण वितरण किया है । क्या आपने इसकी जांच करवाई ? नहीं करवाई ।

इतना ही नहीं, सभापति महोदया, ये जो राधेश्याम जी मामोडिया प्रशासक हैं इन्होंने दो औरतें रखी हुई हैं । एक शादीशुदा औरत जिसका नाम कमला देवी हैं जो कि अलवर के अन्दर रहती हैं । उसके 4 लड़के हैं । उसका सबसे छोटा लड़का है उसकी उम्र 9 साल की है और दूसरी शादी उसकी एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती माया देवी से हुई ....

श्री शंकरलाल : यह इससे रिलेवेन्ट कैसे है ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अब आप दो चार मिनट में जल्दी ही समाप्त करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभानेत्री महोदया, मेरे से विशेष नाराजगी है ? जब भी मैं बोलता हूं आप आसन पर आकर बैठती हैं और रोक देती हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे किसी से नाराजगी नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कहें तो यों ही बैठ जाऊं । आपकी उपस्थिति में कल माननीय सदस्य एक एक घन्टे बोले हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : आप पांच मिनिट में समाप्त कर दें अन्यथा दूसरे सदस्य नहीं बोल सकेंगे । आप उनका भी ख्याल रखें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो सभानेत्री महोदया, इस प्रकार से बिसाऊ की जो मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं उससे उन्होंने आर्य समाज में जाकर शादी कर ली और उससे भी उनको सन्तान हुई । प्रशासक महोदय की दूसरी शादी हुई और वो प्रेगनेन्ट हुई तो उन्होंने बिल री-इम्बर्समेन्ट का बनाया और लड़का हुआ तो पूनमचन्द के नाम का उठाया और दूसरा बबलू के नाम पर बिल बनाया । क्या इसकी जांच विभाग ने की है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले में क्या किया ? और मेरी जानकारी के अनुसार इन भ्रष्टाचार के काले कारनामे जब विभाग के सामने आये तो विभाग ने इसका परिवर्तन किया लेकिन कुछ राजनैतिक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नेताओं ने लिखा और इलाके के एम.एल.ए. मन्त्री महोदय से मिले और मन्त्री महोदय ने राय दी कि अगर चार एम. एल. ए. भी लिखकर दे दें कि इनका ट्रान्सफर नहीं किया जाये तो हम इनका ट्रान्सफर रद्द कर देंगे। तो मैं मन्त्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसी प्रकार के अधिकारियों को पनाह देते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट फले और फूले ?

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं बारां मार्केटिंग सोसायटी और सहकारी चावल मिल के बारे में, जिसके सम्बन्ध में, मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा था और मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि 1-4-71 को मार्केटिंग सोसायटी का बोर्ड भंग हुआ और 1-4-71 की जो स्थिति है वही रहेगी। उस मार्केटिंग सोसायटी में प्रकाशक नियुक्त हो गया था, लेकिन आज भी उस मार्केटिंग सोसायटी के अन्दर वही संचालक मण्डल है और उसी के अन्दर अध्यक्ष जो भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने लाखों रुपया चावल सहकारी मिल में खाया है वह आदमी काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि विधान सभा में की गई घोषणा का क्या हुआ ? आप क्यों इस प्रकार के भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को पनाह देते हैं ?....

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर याद दिलाऊंगी कि आप दूसरे साथियों का भी ख्याल रखते हुए बोलें। उनको भी बोलना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पार्टी की तरफ से एक ही सदस्य बोल रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : ठीक है लेकिन समय निर्धारित है, उसके अनुसार दूसरे माननीय सदस्यों को भी मुझे समय देना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो मैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में तो थोड़ा सा बोल दूं। मुझे दो चार मिनट ही बोलना है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं चार मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकती।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं नगरपालिकाओं के बारे में कहना चाहूंगा। सभानेत्री महोदया, माउन्ट आबू के अन्दर कांग्रेस के माननीय सदस्य जो प्रगतिशीलता का नारा देते हैं जो कि राजा महाराजाओं का प्रीविपर्स समाप्त करना चाहते हैं, मैं कांग्रेस के विधायकों से पूछना चाहता हूं कि आपकी राजस्थान की सरकार और सुखाड़िया जी जो कि यहां के मुख्य मन्त्री हैं, इन्होंने सिरोही के महाराजा को 222 एकड़ जमीन दी वह किस आधार पर दी है। जिस समय इन रियासतों का विलीनीकरण हुआ था और केन्द्रीय सरकार से जो व्हाइट एग्रीमेंट किया था उस पेपर के अन्दर आपने एग्रीमेंट में जो अचल सम्पत्ति, प्राईवेट सम्पत्ति बताई थी उसमें दो महल बताये थे और उसके अलावा उनके पास दूसरी जमीन नहीं थी लेकिन माननीय सभानेत्री महोदया इसी राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया जी ने सिरोही के महाराजा को खुश करने के लिये सिरोही का वह इलाका, जो कि 51 के अन्दर बाम्बे प्रदेश के अन्दर मिल गया था 58 के अन्दर हमारे पास राजस्थान में आया तो यह सिरोही के महाराजा को आपने किस कारण से दी है ? क्या माउन्ट आबू की नगरपालिका के चेयरमैन ने राजस्थान

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के लोकल बाडीज को लिख कर दिया कि यह जमीन नगरपालिका की है और इसके ऊपर महाराजा का कोई अधिकार नहीं है। आज जिसकी कीमत 3 लाख रुपये से अधिक की है और उस जमीन के ऊपर गरीब किसान जो कि वर्षों से खेती करते आ रहे हैं पचास-पचास साल से और जिनके ऊपर बाम्बे प्रदेश के अन्दर एक केस चला और जिसमें किसानों के पक्ष में फैसला हुआ था आज महाराजा को सुखाड़ियाजी जमीन देना चाहते हैं राजनैतिक आधार पर और कांग्रेस के माननीय सदस्य जो कि राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं इससे मेरी मान्यता है कि जो राजा महाराजा कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए हैं वे तो सामन्तवादी हैं, लेकिन सिरोही स्टेट के महाराजा, नवाब लुहारू जैसे आदमी, जो कि कांग्रेस के अन्दर रहते हैं, राजा महाराजा नहीं हैं। उनके खिलाफ बोलने के लिए शंकरलालजी की जुबान नहीं खुलेगी और युवातुर्क श्री सुरेन्द्र व्यास भी नहीं बोल सकते हैं।

माननीय सभानेत्री महोदया दो वर्ष पूर्व इसी सदन के अन्दर प्लाट्स के आवंटन के बारे में आपने एक प्रश्न रखा था जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने जवाब दिया था। प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या यह सही है कि जो प्लाट्स माउन्ट आबू में आवंटन किये वह राज्य अधिकारियों को दिये ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया एक मिनिट में यह बात बताते हुए कि माउन्ट आबू के अन्दर जो प्लाट्स आवंटित किये हैं, वह नागरिकों को नहीं दिये, गरीब हरिजनों को नहीं दिये। माउन्ट आबू में प्लाट दिये तो किस को दिये राजस्थान के डिप्टी मिनिस्टर श्री माधोसिंहजी भैंसवाड़ा को, डिप्टी मिनिस्टर श्री खेत सिंहजी को और भूतपूर्व मिनिस्टर श्री भोलानाथजी को और जितने भी आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, माननीय सभानेत्री महोदया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सदन की मेज पर इस सूची को रखना चाहता हूं ...

श्री माधोसिंह : मुझे कोई जमीन नहीं दी गयी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने रिश्तेदारों के नाम ली है।

श्री माधोसिंह : मैंने नहीं ली।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बताता हूं बैठिये। एक बात मैं पूछना चाहता हूं ये डाक्टर डी० डी० शर्मा कौन है ? श्री बी० एस० मण्डल, श्री तुलसीराम शर्मा, श्री एन० एस० पंचाल और डी० आई० जी० हैं और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं भण्डारी और कोठारी हैं इन्होंने सबने माउन्ट आबू के अन्दर जमीनें ली हैं ...

श्री माधोसिंह : इनमें कोई गाड़िया जी तो नहीं हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये 150 प्लाट्स हुए हैं और उसमें 90 राज्य के अधिकारी हैं और श्री बद्रीलालजी जो कि नगरपालिका के अध्यक्ष हैं इन्होंने खुद ने भी प्लाट्स लिए और बेच दिये जब कि माननीय सभानेत्री महोदया ऐसी सम्भावना है ...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैं कई बार घन्टी बजा चुकी हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बैठ रहा हूं। माननीय सभानेत्री महोदया, आपने प्रश्न पूछा था कि जिन व्यक्तियों को प्लॉट्स दिये हैं क्या उनको बेचने के अधिकार हैं तो आप के उत्तर में कहा गया था कि वे प्लाट्स नहीं बेच सकते, लेकिन वहां के चेयरमैन ने प्लाट्स लिये और बेच दिये। इसी तरह से डी० सी० सी० के प्रेसीडेन्ट श्री देवो सहाय ने भी बेच दिये और वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर, जो कि श्री भागीरथ शर्मा हैं, ने भी अपनी पत्नी के नाम लेकर बेच दिये। इसलिए माननीय सभानेत्री महोदया आप मुझे बार बार बैठने के लिए समय के अभाव में संकेत दे रही हैं इसलिए मैं आसन की अवहेलना नहीं करके इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बारां नगरपालिका के संबंध में जितने कटौती के प्रस्ताव हैं, सीकर नगरपालिका के बारे में जितने कटौती के प्रस्ताव हैं और सीकर के चेयरमैन श्री सोमनाथ त्रिभुवन हैं जिसके ऊपर कि 40 लाख रुपये के गबन का मामला, जिसने पिता के नाम पर जमीन ले ली 2 हजार में और 20 हजार में बेच दी ऐसे गम्भीर आरोप सीकर नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन हैं उनके ऊपर हैं इन कटौती प्रस्तावों के ऊपर भी माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे और मुझे विश्वास है कि आज तो सीकर के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और नवलगढ़ के चेयरमैन के खिलाफ उसको सस्पेन्ड किया तो सीकर नगरपालिका के सोमनाथ को क्यों नहीं निलम्बित किया ? ... और तालाब की बिक्री जो उन्होंने की, उसके पैसे की क्यों नहीं वसूली की इसमें एक लाख का घोटाला है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जुझार सिंह

श्री जुझार सिंह : कितना समय है मुझे ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं दो मिनिट पहले घंटी बजा दूंगी।

श्री जुझार सिंह : मुझे कुछ तो मालूम हो।

श्रीमती सभानेत्री : मैं अभी मालूम करके बता दूंगी।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : सभापति महोदया, मेरे भी मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 पर कटौती प्रस्ताव हैं और मैं मुख्य तौर पर उन्हीं पर ही बोलना पसन्द करूंगा।

कोटा जिले में माइनिंग की दृष्टि से रामगन्ज मन्डी एक महत्वपूर्ण एरिया है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। रामगंज मण्डी में लाइम स्टोन और सोपस्टोन की काफी खानें हैं, जहां से करोड़ों स्क्वायर फीट पत्थर निकलता है। कोटा स्टोन की किसी जमाने में, स्टेट के जमाने में मोनोपोली दी हुई थी, जिसको राज्य सरकार ने किन्हीं अनियमितताओं के कारण 1952 में रद्द कर दिया था, पर उसके बाद मालूम नहीं, किस कारण से उसकी मोनोपोली तो नहीं दी लेकिन वास्तव में मोनोपोली की स्थिति में ही उसको आज तक चला रहे हैं और दस दस साल की लीज एवरी टेन यीअर्स स्पेशल, कन्सेशन की तौर पर दिये जा रहे हैं।

सभापति महोदया, वैसे वहां पर जितने भी माइनिंग कांट्रेक्टर्स हैं, उनकी लीज केवल पांच साल के लिये ही होती है, लेकिन ऐसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा, जो किसी

(श्री जुझारसिंह)

जमाने में मोनोपोली होल्ड करते थे, उनको राज्य सरकार की मेहरबानी से दस साल का लीज स्पेशल तौर पर दिया जाता है, और उनको जिस तरह का प्रोटेक्शन राज्य सरकार की तरफ से मिला हुआ है, उसके कारण वहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं और घोटाले चल रहे हैं।

समापति महोदया, मैंने कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था जिसके जवाब में राज्य सरकार ने ऐसा उत्तर दिया था जैसे कि वे उनके वकील हों। मैंने पूछा था कि इस कम्पनी को स्टेट की तरफ से इतना बड़ा रकबा क्यों दिया हुआ है, कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज को करीब 12 हजार बीघा माइनिंग लीज आपरेट करने के लिये दिया हुआ है, उस वक्त में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था उससे ऐसा लगता था जैसे उन्होंने वकील की हैसियत से उस कम्पनी को डिफेन्ड करना हो। मंत्री महोदय ने बताया कि कोटा स्टेट के टाइम में उनको 300 स्क्वायर माइल में मोनोपोली दी हुई थी जबकि हमने उसको कम करके सात स्क्वायर माइल पर ही लाकर रख दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि स्टेट के जमाने में नाम में तो 300 स्क्वायर माइल की एरिया हो पर वास्तव में उसके साथ यह भी शर्त थी कि राममंज मण्डी में दूसरे कान्ट्रक्टर्स माईनिंग आपरेशन नहीं कर पायेंगे लेकिन ऐसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज केवल उसी एरिया में ही माइनिंग आपरेशन्स करेंगे जिसके लिये कि स्टेट उनको इजाजत देगी। तो वास्तव में वे जितनी एरिया में काम कर रहे थे, वह कम नहीं की गई, बल्कि बढ़ाई गई है।

आज उनको वहां पर 12 हजार बीघा पर लीज दे रखी है लेकिन उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि माइनिंग रूल्स के तहत यदि कोई कान्ट्रेक्टर 30 प्रतिशत रकबा पर आपरेशन करता है तो उसको किसी प्रकार भी रिमूव करने का प्रश्न नहीं उठता। तो इस सन्दर्भ में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज ने माइनिंग के आठ कान्ट्रेक्ट लिए हुए हैं और उस तरह से वह कान्ट्रेक्टर न होकर के, आठ कान्ट्रेक्टर्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन आठ लीजेज में इन्डीवीड्युअली हरेक लीज में क्या वे 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा पर A.S.I. आपरेशन कर रही है? मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि इस आठ लीजेज में से कम से कम तीन ऐसी हैं जहां बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और बाकी के पांच लीजेज में, जो आपरेट हो रही हैं, वहां पर भी 30 प्रतिशत आपरेशन नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आपके नियमों के अनुसार जब 30 प्रतिशत आपरेशन नहीं करने पर आप किसी को दंडित कर सकते हैं, तो क्या आप इन केसेज में A.S.I. कम्पनी को दंडित करने का विचार रखते हैं? यह मेरा आपसे स्पेसीफिक प्रश्न है और आप इसका उत्तर दें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी कुछ माइन्स हैं जहां बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, जैसे पामां खेड़ी, वहां पर एक बिसवा में भी मांईनिग आपरेशन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी एरिया में भी एक बिसवा पर भी आपरेशन नहीं हो रहा है, जैसे हीरिया खेड़ी। तो माइनिंग लीज के कानून के तहत जो नियम है कि कम से कम 30 प्रतिशत एरिया में आपरेशन

(श्री जुझारसिंह)

होना चाहिये, उस हिसाब से जब A. S. I. ने 30 प्रतिशत एरिया पर काम नहीं किया है तो उनको वहां से हटाना चाहिये था। लेकिन पोलीटीकल कन्सीडरेशन्स के कारण, क्योंकि वे लोग आपकी पार्टी को लाखों रुपयों का चन्दा देते हैं, इसलिये आप इसको नजरअन्दाज कर देते हैं, और आप भी उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं।

रामगंज मण्डी में जो स्टोन के ठेके आज तक हैं, उनमें से जितनी एरिया में कान्ट्रेक्टर्स काम करते है, उस एरिया का 75 प्रतिशत एरिया केवल ऐसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज आपरेट करती हैं और बाकी के एरिया में करीब 16 दूसरे कान्ट्रेक्टर्स काम कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं कुछ फिगर्स आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जिससे आपको मालूम हो जायेगा कि कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज के पास रकबा ज्यादा होते हुए भी दूसरे कान्ट्रेक्टर्स के मुकाबले में उनका माइनिंग आपरेशन सेटिसफैक्टरी नहीं है। मैं आपकी ही दी हुई फिगर्स आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

ऐसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज के पास एरिया ज्यादा होते हुए भी काम कम हो रहा है और प्राडक्शन भी तुलनात्मक कम हो रहा है, जबकि दूसरे कान्ट्रेक्टर्स हैं वे अपनी मेहनत और लगन के कारण उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं आपके सामने ऐसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, कोटा के उत्पादन के फिगर्स रख रहा हूं जो आपके द्वारा ही दिये हुए हैं :

1965–66 में कुल आउटपुट लाइमस्टोन का 221 लाख स्क्वायर फीट। डेड रेन्ट का अमाउन्ट दो लाख रुपये और रायल्टी का अमाउन्ट है 3,54,918 रुपये जो उन्होंने दिया था। इस तरह से कुल मिलाकर रायल्टी और डेड रेन्ट जो उन्होंने 1965–66 में दिया वह पांच लाख रुपये से अधिक बनता है। 1966–67 में उनका पत्थर का उत्पादन है 232 लाख स्क्वायर फीट और 1967–68 में 206 लाख स्क्वायर फीट व 1968–69 के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 240 लाख स्क्वायर फीट उनका प्राडक्शन था। इसके बाद में 1–10–69 से आपने इनकी डेड रेन्ट बढ़ा दी और दो लाख की डेड रेन्ट के बजाय दो लाख रुपये डेड रेन्ट के नाम से लेने लगे। लेकिन सभापति महोदया, यह केवल फिगर्स का मैनीप्युलेशन है। 1968–69 में 240 लाख स्क्वायर फीट पत्थर का उत्पादन बताया था और दो लाख रुपये डेड रेन्ट के दिये और 3,67,925 रुपये रायल्टी के दिये थे। उसके बाद अगले साल यद्यपि डेड रेन्ट का वैल्यु बढ़ाकर चार लाख कर दिया है परन्तु उत्पादन बताया 1,92,790 स्क्वायर फीट, और इस तरह से उन्होंने रायल्टी जो पिछले चार साल में तीन लाख से अधिक प्रतिवर्ष की दी थी, उसको घटाकर 1,80,000 रख दिया है।

तो मेरा निवेदन है कि वे एक तरफ तो आपको डेड रेन्ट के रूप में ज्यादा देना बताया है, लेकिन रायल्टी में जितना देना चाहिये था उसमें बचत कर रहे हैं, और टोटल में जो डिफरेन्स है यह दो लाख बढ़ने के बाद में भी करीब 12 हजार रुपये का आता है। शायद आप इसका यह जवाब देंगे कि क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम हुआ है इसलिए रायल्टी नहीं दी गई है। मंत्री महोदय, अगर आप वहां जाकर जांच करें तो मालूम होगा कि उनके

(श्री झुझारसिंह)

प्रोडक्शन में कमी नहीं ग्राई है। रायल्टी को बचाने के लिए पेपर्स में मैन्युपुलेशन किया है।

खनिज विभाग के ग्रादमियों की पहुंच ए० एस० ग्राई० से ऊपर तक नहीं होती है वह उतने ही समय तक उस स्थान पर ठहर सकता है जब तक कि ए० एस० ग्राई० की मरजी होती है। वहां पर माईनिंग डिपार्टमेंट के ग्रधिकारी की पोस्टिंग, उसका ट्रान्सफर, उसका रेम्युनिरेशन, उसको बेहूदगी एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज की मरजी पर होती है। इसलिए जो कुछ फीगर उनकी तरफ से जाते हैं वह उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। रायल्टी बचाने के लिए प्रोडक्शन कम बताते हैं ग्रौर यहां विधान सभा में क्वेश्चन पूछने वालों को ग्रौर जनता को गुमराह करने के लिए आप भी वही बात कहते हैं कि डेडरेन्ट बढा दिया है, लेकिन उनकी जेब में से जो वे पहले पैसा देते थे उससे ज्यादा आज वे कुछ भी नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : 5 मिनिट ग्रौर हैं।

श्री झुझारसिंह : मेरे या मेरी पार्टी के ?

श्रीमती सभानेत्री : केवल आपके।

श्री झुझारसिंह : टाइम न रहे मेरा तो जब तक मेरी पार्टी का समय है वह मुझे दे दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे ग्रफसोस है। जिस तरह से समय निर्धारित किया गया है उसके ग्रनुसार ग्रभी दो सदस्यों को और बोलना है, ग्रौर 15-15 मिनिट का समय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्धारित किया है।

श्री झुझारसिंह : मेरी पार्टी के समय में बोल सकता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : समय इतना ही रखा गया है। इसलिए कृपा कर 5 मिनिट में ग्राप समाप्त करें।

श्री झुझारसिंह : मैं ग्रपनी पार्टी के समय में से समय लेना चाहता हूं।

सभापति महोदया, मैं ग्रभी निवेदन कर रहा था कि रायल्टी ग्रौर डेडरेन्ट एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज को 65-66 में 5,54948 रुपया देना पड़ा था 66-67 में 5,82,319 ग्रौर 67-68 में 5,15,683 व 68-69 में 5,67,925 रुपये के करीब होते हैं। ये फीगर्स इस सदर्भ में निवेदन कर रहा हूं कि डेडरेन्ट बढा देने के बाद भी ए० एस० ग्राई० कम्पनी की फीगर्स में मैन्युपुलेशन करने की वजह से ग्राज स्टोन्स के एक्स्ट्रेक्शन में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज जो पत्थर निकालती है, सभापति महोदया, ग्रापको मालूम होगा कि पत्थर खान में से लेयर्स में निकलता है। कुछ खोदने के बाद 25-30 फुट तक पत्थर की एक लेयर ग्राती है ग्रौर सर्टेन डेप्थ तक वह लेयर जाती है, फिर खराब पत्थर निकलता है ग्रौर फिर 25-30 फुट नीचे जाने के बाद में ग्रच्छी लेयर आती है और ज्यादा गहराई पर जाने के बाद 3-4 इसी प्रकार के लेयर्स और दे सकती है। वे तीन लेयर्स तक पत्थर नहीं निकालते हैं ग्रौर गहराई में जाने पर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है इस कारण दो या तीन लेयर्स तक ही जाते हैं। क्योंकि इनके पास रकबा बहुत है इसलिए 3-4 लेयर्स तक नहीं जाकर वह खान को सस्टेन

(श्री जुझारसिंह)

कर देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की जानकारी करेंगे कि जो पेटी कान्ट्रेक्टर्स हैं और छोटे ठेकेदार हैं वे उस खान का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन एसोसिएटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज कोटा, केवल अपने प्राफिट मोटिव से काम करती है और नीचे के लेयर्स को छोड़ देती है। इस तरह से राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है। राज्य सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जिस एरिया को एक्स्ट्रेक्ट करें तो उसको फुली युटिलाइज करें और पत्थर का वेस्टेज न हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में जानकारी करायें और यदि उनके द्वारा इस तरह से पत्थर का बिगाड़ा हो रहा है तो उसकी जांच करके उनके ऊपर एक्शन लें।

मैंने पहले जैसा आपसे निवेदन किया कि इनका केवल कम्भकोट माइनिंग लीज का ऐसा एरिया है जिस पर यह फुल्ली एक्स्ट्रेक्शन का काम रहे हैं, बाकी के शेष माइनिंग एरियाज वे बिल्कुल एक्स्प्लायट नहीं कर रहे हैं और उनमें 30 पर्सेन्ट से ज्यादा पर काम नहीं कर रहे हैं। केवल कम्भकोट ऐसा एरिया है कि जिसके ऊपर उनका काम 30 पर्सेन्ट से ज्यादा होगा। बाकी के एरियाज में उनका काम नहीं हो रहा है।

इसी तरह से आज लेबर का सवाल है। एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं कि वह लेबर को आज के दिन, मंत्री महोदय, आपके नियमों के विरुद्ध केवल 7 रुपये तक महंगाई देते हैं और 2 रुपये 45 पैसे पर डे के हिसाब से लेबर को पेमेन्ट होता है। सेन्ट्रल वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स के अनुसार जो एस्टेब्लिश्ड कनसर्न्स हैं उनमें कम से कम 5 रु० रोज लेबर को वेजेज देने का नियम है, लेकिन वे किसी तरह से मैन्युपुलेशन करके अपने आपको स्टोन बिजीनेस नहीं बताकर स्टोन ब्रेकिंग का कारखाना बताते हैं व सेन्ट्रल वेजेज बोर्ड की रिकमन्डेशन के विपरीत 2 रु० 05 पैसे लेबर को देते हैं। इसी प्रकार स्टोन कटिंग के जो चार्जेज हैं जो छोटे कान्ट्रेक्टर्स हैं वे स्टोन कटिंग का 5 रुपये पर 100 स्क्वायर फुट अपनी लेबर को पे करते हैं लेकिन एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज केवल 3रु० 5पैसे पर 100 स्क्वायर फुट अपने लेबर को दे रही हैं। इसी तरह महंगाई का जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि 47 रूपये पर मन्थ पर लेबर को देना चाहिए, और उसके मुकाबले में एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज केवल 7 रुपये महीना देती है। वह बहुत कम है। इसके बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान देंगे, लेकिन जिस तरह से रुपया आपको मिलता है उनके रिलेन्स को देखते हुए आप कोई तवज्जह देंगे इसका मेरे को सन्देह है।

मंत्री महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं छोटे ठेकेदारों पर अगर आप ज्यादा तरजीह देंगे तो स्टोन्स एक्स्ट्रेक्शन ज्यादा होगा और वेस्ट भी कम होगा, और मजदूरों को और छोटे आदमियों को जैसा कि आप समाजवाद की बात करते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बात को मैं आपके दिये हुए फीगर्स से साबित करना चाहता हूं। इनके जो प्रोडक्शन के फीगर्स हैं उनमें जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है कोटा स्टोन्स इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन करीब करीब स्टेगनेन्ट है। फाइनेन्शियल

(श्री जुझारसिंह)

यिअर 69–70 में A.S.I. का प्रोडक्शन गिरा है जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके मुकाबले में दूसरे कान्ट्रेक्टर्स हैं जिनके पास में बहुत कम रकबा है उनका प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और उनकी रायल्टी की रकम भी बढ़ती जा रही है और जो आपने फीगर्स दिये हैं उनके आधार पर इनका टोटल दूसरे ठेकेदारों के रकबे के अनुपात में कम हैं। 65–66 में कुल 78,96,526 घनफुट पत्थर छोटे ठेकेदारों द्वारा निकाला गया था, 66-67 में 93 हजार, 67-68 में 93 हजार से अधिक का फीगर था जो 68-69में 1,42,03,946 हो गया है, और 69-70 में जब कि एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज का टोटल प्रोडक्शन है वह 1, 92, 00, 000 बताया है। उसके मुकाबले में जो दूसरे कान्ट्रेक्टर्स हैं जिनका कि रकबा जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं वन-फोर्थ है उस वन-फोर्थ रकबे में करीब करीब एसोसियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज के बराबर स्टोन्स का प्रोडक्शन किया है। छोटे ठेकेदारों का प्रोडक्शन 1, 63, 66, 324 स्क्वायर फुट है। इस प्रकार से छोटे कान्ट्रेक्टर्स का प्रोडक्शन बराबर बढ़ता जा रहा है और उनकी रायल्टी के फीगर्स भी जो आपके द्वारा दिये हुए हैं बढ़े हैं उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कि डेडरेन्ट और रायल्टी उनके पास से दिनोंदिन सरकार को ज्यादा कमाई हो रही है।

इसी तरह से मेरा निवेदन है कि वहां, पर कुछ सालों से को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के मारफत स्टोन्स के ऐक्स्ट्रेक्शन का काम शुरू किया हुआ है, और वे सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वहां पर दूसरी सोसाइटीज बनाने की सम्भावनाएं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समाजवाद की नीति में विश्वास करते हैं और समाजवाद की यहां पर दुहाई देते हैं तो इस तरह से लिमिटेड प्राइवेट कम्पनीज को अधिक कन्सीडिरेशन और प्रोत्साहन न दें, और उसके मुकाबले मे कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देकर चलें।

ASI की अनियमितता के बारे में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि माइन्स से जो पानी निकल जाता है तो आज तक इस वेस्ट वाटर को काश्तकारों को दिया जाता था और काश्तकार, उसको युटिलाइज करते थे खासतौर से सुकेत गांव में जहां कि माइनिंग आपरेशन्स की वजह से आसपास के कुओं का पानी टूट जाता है और कुओं का पानी माइनिंग आपरेशन्स की वजह से कम हो जाता है तो इनको माइन्स में से उसको पम्प करके आज तक काश्तकारों को दे दिया करते थे, पर पिछले महीनों से मालूम नहीं किस कारण से इस एसोसियेट स्टोन्स इन्डस्ट्रीज ने पानी को, जो कि वेस्ट जाता है, नदी में डालना पसन्द किया है, लेकिन काश्तकारों को जिनके कुओं में इनके माइनिंग आपरेशन्स की वजह से नुकसान होता है और पानी की कमी आती है, उनका पानी देने में रुकावट डालती है और उनको विक्टेमाइज किया जा रहा है।

यही नहीं जो धनकरी का पत्थर फालतू पड़ा हुआ रहता है, उसको ठेकेदारों से आठ आना गाड़ी या 12 आना गाड़ी देकर काश्तकार काम में ले लिया करते थे मकान बनाने के लिए या फील्ड्स में बाढ़

(श्री जुझारसिंह)

लगाने के लिए और दूसरे काम में लेते रहते थे लेकिन इस पार्लियामेन्ट्री इलेक्शन के बाद में पानी की तरह मलवे-को देना भी बन्द कर दिया, और वे अपनी धांधली वहां पर चला रहे हैं। काश्तकारों को पानी देने की व्यवस्था करें और पुरानी प्रथा को कायम रखने का इन्तजाम करें और जो मलवा वहां पर पड़ा हुआ है उसके ऊपर धांधली कर और माइनिंग इन्जीनियर से मिलकर जो कुछ किया है उसके बारे में प्रबन्ध करें।

तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को केवल पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स की वजह से टालमटोल न करेंगे और इसकी तरफ तवज्जह देंगे, और वहां पर पत्थर की खानों पर जो ठेकेदार काम करते हैं और दूसरे आदमियों के काम करने का जो स्कोप है उसमें बाधा न डालें, और उनके स्कोप को बढ़ाने की कोशिश की जायगी।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनावों के टाइम पर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....

सभापति महोदय, मैं दो मिनिट में निवेदन करूंगा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 के ऊपर जो दूसरा कटौती का प्रस्ताव था, वह इसी कम्पनी के सम्बन्ध में था। इनके जो ट्रक्स हैं वे माल ले जाने के काम के लिये पास होते जाते हैं लेकिन पिछले इलेक्शन के टाइम चूंकि इनका राजनैतिक इस्तेमाल किया जाता है इसी कारण से कोई भी ट्रक एक्वायर नहीं किया गया। उन ट्रकों को इन्होंने माइनिंग के काम में नहीं लेकर एक 40 ट्रकों का एक प्रोसेशन झालावाड़ जिले की हर तहसील में घुमाया था। न तो पुलिस डिपार्टमेंट ने, न माइनिंग डिपार्टमेंट ने, न दूसरे डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया। उन्होंने एक सक्यूलर कलेक्टर और एस० पी० को भेजा कि हमारा यह प्रोसेशन इस तरह से दो हजार आदमियों को लेकर पोलिटिकल वर्क के लिए जायगा। परन्तु मोटर वेहिकल्स एक्ट और दूसरे एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं करके पुलिस ने सिर्फ उसके साथ-साथ जाने का काम किया। उसने और कोई कार्यवाही नहीं की और इन ट्रकों से एक आदमी बरवड़ गांव में कुचलकर मर गया तो भी इस प्रोसेशन को पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं रोका और न नियमों के तहत किसी तरह की पाबन्दी लगाई या किसी तरह से पेनेलाइज किया। उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया।

यही नहीं झालावाड़ के कलेक्टर ने इलेक्शन परपजेज के लिए 19 फरवरी को ही वहां की पब्लिक वेहिकल्स को कब्जे कर ली थी यहां तक कि जो मार्गों पर चलने वाली बसें थीं और जिनके नहीं चलने पर यातायात की असुविधा पब्लिक को उस डिस्ट्रिक्ट में हो सकती थी, ऐसे यातायात के साधनों को भी एक्वायर कर लिया गया था। करीब 60 वेहिकल्स एक्वायर की गई थी। उनके मुकाबले में ए. एस. आई. के 40 ट्रक जो इलेक्शन के लिए काम लिये जा रहे थे, उनका एक्वीजिशन नहीं किया था, बसों का प्राइवेट रूट पर चलने वाली का एक्वीजिशन किया और यहां तक नौबत आई है कि जनता को आने जाने तक में दिक्कत हुई। इन बसों को रिलीज कराने

(श्री जुझारसिंह)

हेतु पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स से दबाव डाला गया और जिनकी रिकमन्डेशन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की, उन बसों को अपनी सुविधानुसार रिलीज किया गया बाद में। जहां तक मेरी जानकारी है झालावाड़ में वेहिकल्स का एक्वीजिशन दूसरे जिलों से जहां 26 फरवरी को होने का था उसके 7 दिन पहले से ही एक्वीजिशन कर लिया गया था और पब्लिक के काम आने वाली बसों का भी एक्वीजीशन हुआ था लेकिन इस कम्पनी के जितने ट्रक्स हमेशा चलते आ रहे थे उसमें से किसी ट्रक का रिक्वीजिशन नहीं हुआ। इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच करने की कृपा करें और समय हो तो उधर ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरलाल। मुझे आशा है कि आप 5 मिनिट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : मैंने तो अभी बोलना ही प्रारम्भ नहीं किया। जो पार्टी का टाइम है उसकी परिधि के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया, मेरा कटौती प्रस्ताव सहकारिता की मांग के सम्बन्ध में और देवस्थान विभाग की मांग के सम्बन्ध में है। सहकारिता के विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम समाजवाद के दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं और लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के पश्चात् और पूर्व में समाजवाद की जो हवा हमारे देश में चली, हम यह आशा करके चलते थे कि इस हवा के अन्दर और इस दृष्टिकोण के अन्दर ज्यादा से ज्यादा समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहकारिता के आन्दोलन के अन्दर भी एक प्रगति आयेगी और इस प्रकार की प्रगति आयेगी कि हम सहकारिता के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार की कुछ बातें थीं, हमारे बजट में इस प्रकार के कुछ स्टेप्स सरकार द्वारा लिये जायेंगे। सभा नेत्री महोदया, लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने मांग आई है उसको हम देखते हैं और हमारे राज्य के अन्दर सहकारिता के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है वह प्रगति केवल कुछ बातों को देखकर ही सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। सभानेत्री महोदया, मेरे पास यह सरकारी विभाग का प्रगति विवरण जो 70-71 का है आया है! उसको मैंने देखा है और उसमें सहकारी विभाग के सम्बन्ध में जो वार्षिक आयोजन हैं उनको भी मैंने देखा हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां 70-71 के अंदर इस विभाग की प्रशासनिक योजना के लिए 170,00,000 रुपया का जहां प्रावधान था वहां 71-72 के अन्दर इनका जो प्रावधान था वह घटकर 1,34,00,000 रु० का आगया है। तो जहां प्रगति होना चाहिए थी, जहां राज्य सरकार को इस विभाग और इस आन्दोलन के बारे में कुछ जागृति और अधिक प्रगति करने की बात थी वहां इस बजट के अन्दर कम प्रावधान क्यों रखा गया है? इसका उत्तर तो विभाग के माननीय मन्त्रीजी ही देंगे।

जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सवाल है यह एक जन आन्दोलन बने और जन आन्दोलन बनने के लिए जब हम देखते हैं कि जो हमारा सहकारिता के सम्बन्ध में आन्दोलन का प्रचार और प्रसार है और उसकी प्रगति को यदि देखते हैं तो मुझे वह प्रगति प्रगति रिपोर्ट में शून्य नजर

(श्री शंकरलाल)

आती है। इसको देखें तो इसमें यह बताया गया है "सहकारी आन्दोलन को विकसित करने, इस क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को जन साधारण को जानकारी कराने व आवश्यक मार्ग दर्शन कराने की दृष्टि से विभाग का प्रचार घटक कार्य करता है।" तो विभाग द्वारा प्रचार का कार्य होता है। सभानेत्री महोदया, अगर सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं तो सरकारी यन्त्र को दूर रखना पड़ेगा, सरकारी यन्त्र को बन्द करना पड़ेगा। सहकारिता को जन-आन्दोलन बनाने के लिए जनता के आदमियों द्वारा आन्दोलन चलाया जाय और सहकारिता की आवाज उठायी जाय। इस तरह से सरकारी लोग काम करते हैं तो यह केवल दिखावे के लिए आन्दोलन चल रहा है। सरकार द्वारा आन्दोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। आन्दोलन ही चलाया जाय तो सरकार उसकी देख रेख करे। लेकिन, सभानेत्री महोदया, इसमें मुझे उससे भी ज्यादा गम्भीर बात नजर आती है वह यह है कि सरकार को इस तरह से अपनी प्रगति रिपोर्ट में यह नहीं दिखाना चाहिए कि यह जो सहकारी समितियों की संख्या घट रही है वह इसलिए घट रही है कि हम उनका दृढ़ीकरण और विलीनीकरण कर रहे हैं। इसलिए संख्या घटी है-इसका यह एक कारण बताया है। आपने यह बताया है इस रिपोर्ट में "सहकारी वर्ष 30 जून, 70 को इन समितियों की कुल संख्या घटा कर 18550 हो गई हैं परन्तु सदस्यता में काफी बढोतरी होकर यह 19.02 लाख होगई है। समितियों की संख्या में घटोतरी का कारण विभाग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर कृषि ऋणदात्री समितियों को दृढ़ीकरण एवं विलीनीकरण किये जाने का कार्यक्रम है यह केवल दो कारण बताये हैं। सभानेत्री महोदया, यह विभाग का दायित्व है कि वह कारण सहित बताये कि कितनी सोसाइटी लिक्वीडेशन में आई और कितनी सोसाइटी खत्म हो गई-यह भी आपको देखना चाहिए क्योंकि संख्या केवल इसीलिए नहीं घटी होगी कि आपने दृढ़ीकरण और विलीनीकरण किया। यह एक कारण हो सकता है, इसके अलावा बहुत सी सोसाइटी लिक्वीडेशन में गई हैं। वह क्यों गई हैं, क्या कारण थे? आज सहकारिता में घोटालों की बात आती है, वन श्रमिक सहकारी समिति के घोटालों की बात आई, दूसरी सहकारी समितियों की बात आई। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी सोसाइटियों के गबन के मामले पकड़े गये, कितनी सहकारी समितियों के घोटाले के मामले पकड़े गये? यह काम सरकार का था। सरकार को सहकारी संस्थाओं के ढांचे में सुधार करना था वह कर्तव्य उसने कहां तक निभाया है? जिन सहकारी समितियों में जिन लोगों ने गड़बड़ घोटाले किये, उनमें से कितनों को आपने पकड़ा है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे। तब तक यह सहकारिता का आन्दोलन एक विशुद्ध आन्दोलन नहीं हो सकता है और तब तक जनता में अपने प्रतिनिधियों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं होगी। वह आस्था इसलिए भी उत्पन्न नहीं होगी, सभानेत्री महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि जो सहकारी शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात कही जाती है, यह राजस्थान सहकारी संघ की सबसे पहले ऐक्टिविटी है, लेकिन इस सहकारी शिक्षा के काम में कमी हो गई है। मैं नहीं कहता कि मुझे किसी आदमी से शिकायत है, जिसका

(श्री शंकरलाल)

आप निराकरण करें, लेकिन सहकारी संघ के जरिये जो यह कोपरेटिव एजूकेशन का मूवमेंट चलाया, उसमें सरकार क्या केवल इस प्रचार को ही आधार मानकर चलती है, जिस प्रकार यह किताब निकाली गई है, मेरा निवेदन है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। हम शिक्षा, सहकारी शिक्षा के बारे में देखते हैं तो आपने सहकारी शिक्षा के संबंध में केवल एक लाइन लिखी है। सहकारी शिक्षा के सम्बन्ध में आपने इतना सा कह दिया है "सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को सहकारी शिक्षा देने की व्यवस्था अब पांच प्रशिक्षण केन्द्रों पर की जा रही है।" कितने आदमियों को आपने एजूकेट किया, कितनी सहकारी समितियों के नान-आफिसियल्स को एजूकेट किया, यह कुछ नहीं बताया है। यह जरूर कह देंगे, जहां सरकारी आदमियों का प्रश्न होगा, आप कह देंगे-"इस वर्ष इस विभाग के किसी भी अधिकारी ने बैंकुंठ मेहता नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।" एक बात यह कह देंगे, लेकिन सहकारी शिक्षा के लिए जहां पहले नान-आफिसियल को एजूकेट करने का मूवमेंट चलाया था, गांवों में सहकारी समितियां हैं, उनके मेम्बर्स को, वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स को जो शिक्षा दी जाती थी, वह सहकारी शिक्षा खत्म हो गई है। पहले प्रश्न आया कि इन्स्ट्रक्टर के पद थे, उनको समाप्त कर दिया, बाद में उनको दूसरी जगह लगाया। मेरा निवेदन है कि जो सहकारी इन्स्ट्रक्टर खराब थे, उनको आप हटा देते, लेकिन आपने इस प्रोग्राम को कैसे खत्म किया? जो सहकारी शिक्षा का काम गति पकड़ रहा था उसको आपने खत्म कर दिया। अब कहते हैं कि सहकारी शिक्षा देने की व्यवस्था अब पांच प्रशिक्षण केन्द्रों पर की जा रही है। लेकिन आप इसकी प्रगति नहीं देते हैं कि कितने एजूकेट हुए, क्या हुआ, मैं समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने का यह तरीका नहीं है। सभानेत्री महोदया, मैं इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि सहकारिता का मूवमेंट इस प्रकार का हो जिससे शोषण समाप्त हो, चाहे इरिगेशन के मामले में जहां ठेकेदारी प्रथा है, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के काम में, जहां ठेकेदार काम करते हैं। इस सदन में एक बात की हमेशा शिकायत आती है, मेम्बर्स कहते हैं कि सहकारी समिति के माध्यम से काम क्यों नहीं होता है। मजदूर सहकारी समितियां हों, पी० डब्ल्यू० डी० में हों, फारेस्ट में हों, इरिगेशन में हों और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अभी जो रिक्शा वालों का आन्दोलन हुआ था, उनकी सहकारी समिति हो, तांगे वालों की सहकारी समिति हो और जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी सहकारी समिति हो। मैं पूछना चाहूंगा, इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है? सरकार केवल यह पुस्तक निकाल कर बताना चाहती है कि उसने कुछ काम किया है। हम चाहते हैं कि जितने मजदूर हैं उन लोगों की कितनी सहकारी समितियों का गठन किया है? ताकि जो मिडिल मैन हैं, जो इन्टरमीडियरीज हैं, जो शोषण करने वाले हैं, जो समाजवाद की राह में रोड़े हैं-उनको आप हटा सकें। यह आपका काम है। आपने आफिसर-स्पेशल आफिसर-लगाये, इन्सपेक्टरों की संख्या

(श्री शंकरलाल)

बढ़ाई—इनके द्वारा आप यह काम कराइये। लेकिन आपने कितने मजदूरों की, श्रमिकों की सहकारी समितियां बनाई हैं, कितना यह काम करा है—यह आपकी उपलब्धि नहीं दिखती है। फिर किस प्रकार आपने सहकारी विभाग में आफिसर बढ़ा लिये है। मैंने यह बजट देखा तो मुझे मालूम हुआ कि आपने इसमें प्रावधान कैसे बढ़ा दिया है। सभानेत्री महोदया, यहां यह प्रश्न आया कि सहकारिता की मद में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन जो मद है उसके नीचे मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि एडहोक इन्टरीम रिलीफ देने के लिए, जो आफिसियल्स के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, यह बढ़ोतरी इस डिपार्टमेंट की मद में हुई है। इस मद में बढ़ोतरी इस सहकारिता के आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने के लिए बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस संदर्भ में, सभानेत्री महोदया, मैंने बार बार निवेदन किया है, गत बजट सत्र में यह बात कही गई थी, हम अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए कोपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग के लिए बनायें। यह बात इस प्रगति के विवरण में कही है कि हम बनायेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, इसका ढिंढ़ोरा आप गत साल से पीट रहे हैं, लेकिन आपने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के भवन निर्माण के लिए कितनी सहकारी समितियों का निर्माण किया? आपने यह बताया है "इस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवारों की भवन निर्माण सहकारी समितियां गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, अलवर तथा भरतपुर नगरों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवारों के सदस्यों की गृह-निर्माण-समितियां गठित की जायेंगी"। यानि अभी तक गठित नहीं हुई हैं। दूसरा इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की गृह निर्माण समितियां की शहरों में व्यवस्था हो—इसमें कोई बात नहीं है। आप जोधपुर, अजमेर, जयपुर में भवन निर्माण की व्यवस्था करें—मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट की मद से खर्च करने का प्रश्न आता है, उसमें हरिजन, जो म्यूनिसिपल एरिया में होते हैं, उनको मदद देने की बात आती है, यू. आई. टी., लोकल गवर्नमेंट जमीन देने की बात कहती है तो उन हरिजनों का जो म्यूनिसिपल एरिया में है, देंगे। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग शहरों में रहते हैं, उनको आप भवन निर्माण सहकारी समितियां बना रहे हैं, हालांकि वह कोई बाहर के नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को वास्तव में राहत पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस बात के आंकड़े उठा कर देखिये, इन जातियों के लोग ज्यादातर गांवों में बसते हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अगर आप गृह निर्माण समितियों का निर्माण करना चाहते हैं तो वहां कीजिये। बाली तहसील में गिरासिया क्षेत्र में, जहां ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, जहां उनके धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, जहां उनको प्रलोभन देकर कि मकान बनायेंगे, आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, वहां पर गृह निर्माण समितियां घटित की जायं और

(श्री शंकरलाल)

उनकी मदद करें। लेकिन जो भी बात आती है उसमें आप शहरों की बात करते हैं-- गांवों के अन्दर सहकारी समितियों की बात करे--इस ओर ध्यान नहीं है। इसका मुझे अफसोस है। इसलिए आप रीथिंकिंग करें। मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय इससे स्वयं परिचित हैं, इसलिए परिचित होने के कारण वह इस पर गौर करेंगे। मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, सभानेत्री महोदया, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण दिये जाने की बात कही जाती है,, सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाती है यह— उचित है। इससे किसानों को किसी प्रकार शोषण से मुक्त किया है और यह काम काफी हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, जब इस बात के आंकड़े देखते है, तो हमें इससे उत्साह नहीं मिलता है। सभानेत्री महोदया, यह बात मानी गई है कि काश्तकारों को तीन प्रकार के ऋण दिये जाते हैं, अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, मध्यकालीन ऋण दिया जाता है और दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। यह बात कही गई है, अल्पकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण काश्तकार आपकी कोपरेटिव बैंक से लेना कम पसन्द करेंगे क्योंकि बैंक राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् काश्तकारों को ज्यादा बैंक से ऋण मिलने की बात आती है। ऐसी हालत में जिन बैंकों से ज्यादा अर्से के लिए ऋण मिलता है, वह ज्यादातर सहकारी भूमि विकास से ऋण मिलता है–इसलिए उसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी पार्टी का टाइम मुझे, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात निवेदन करनी है। मैं निवेदन कर रहा था, अगर आप इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देखें तो आपको आश्चर्य होगा, 1970-71 की जो रिपोर्ट है वार्षिक, उसके अन्दर आपने प्रगति के अन्दर बताया है 1970-71 की रिपोर्ट में-सहकारिता क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अन्त में कहा गया है–ऋण सुविधाओं का और विस्तार किया जायगा।

"चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तिम वर्ष में 30 करोड़ रुपये के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है।" इसका मतलब है कि दीर्घकालीन ऋण में कम रखा है। दीर्घकालीन ऋण की मात्रा को आप बढ़ायें यदि आप वास्तव में ऋण देना चाहते हैं। 1969-70 में 3.79 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया तथा वर्ष 1970-71 में 4 करोड़ एवं 1971-72 में 4 50 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है और अल्पकालीन ऋण 30 करोड़ रुपये का रखने का लक्ष्य है। आपने अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण को बढ़ाया है लेकिन इस दीर्घकालीन ऋण में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि वास्तव में आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं और वास्तव में सहकारिता का उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो जो लोंग टर्म लोन है, दीर्घकालीन ऋण है, उसकी मिकदार को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि काश्तकारों को वास्तविक राहत मिल सके। सभानेत्री महोदया, मैं अपने जिले के अन्दर हुई घटनाओं के सम्बन्ध में बताता हूं, वह

(श्री शंकरलाल)

पूरे राजस्थान को प्रभावित करने वाली बातें हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, सहकारी क्षेत्र के कुछ मामले सिविल कोर्ट में दाखिल किये गये, एक हमारी पाली कोपरेटिव बैंक का मामला था, उसको सिविल कोर्ट में ले गये, वह सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया, भूमि विकास बंधक बैंक, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मैंने कोपरेटिव एक्ट में देखा, जो कोपरेटिव के मामले हैं, उनके अन्दर रजिस्ट्रार को पूरी पावर दी गई है, तो सिविल कोर्ट में चालान किया उस मामले का, लेकिन सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया क्यों किया—यह बात सदन के तय करने की नहीं है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका लॉ यदि डिफेक्टिव है तो आपको इस बात की जांच जल्दी करनी चाहिए। सिविल कोर्ट दखल नहीं कर सकती है, इस बात पर हाई कोर्ट से फैसला लेना चाहिए। या आपका ला डिपार्टमेंट समझता है कि सिविल कोर्ट ने दखल किया है, और लॉ में कोई कमी है तो इसी सत्र में कोई कानून लाकर इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि सिविल कोर्ट दखल नहीं करे। लेकिन इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। आपके विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह व्यवस्था बनी रहे और मुन्सिफ कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहकारी समितियों के कार्य में दखल करती रहीं, तो सभानेत्री महोदया, ऐसी स्टेज आयेगी कि प्रत्येक जिले के अंदर यह विवाद खड़े होंगे, तो इन विवादों में गांव के लोग, सहकारी लोग केस नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि वह वकीलों को पैसा देकर नहीं रख सकेंगे। इसलिए सोसाइटी में काम करने वाले, सहकारिता में काम करने वाले आदमी मुकदमेबाजी से दूर रहें, क्योंकि सहकारिता का आन्दोलन मुकदमेबाजी में पड़कर गलत रास्ते चला जायगा, यह आंदोलन खत्म हो जायगा, इससे उसमें क्षति होगी—इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। सभानेत्री महोदया, इस सम्बन्ध में अधिक न कहकर मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि पब्लिक सेक्टर, कोपरेटिव सेक्टर जो हैं, इनमें कोपरेटिव सेक्टर में उद्योग लगाने की बात आई है—इसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। इसके अन्दर भीलवाड़ा में स्पीनिंग मिल लगाई है और केशोराय पाटन में शुगर मिल लगाई है, उसमें कुछ काम हुआ है। लेकिन मैं प्रारम्भ में ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह उद्योग कोपरेटिव सेक्टर में लगा रहे हैं तो अगर शुरू से ही देख रेख नहीं रही और इनमें सफलता नहीं मिली तो कोपरेटिव सेक्टर राजस्थान में बदनाम हो जायगा। इसलिए, सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपके विभाग ने जो गैर सरकारी आदमियों और सरकारी आदमियों के माध्यम से इसमें सफलता प्राप्त की है—उसके आंकड़े मैंने देखें हैं, उनको मैं पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन अभी तक लगता है जो प्रगति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। इसलिए इस ओर आप देखें, कोपरेटिव सेक्टर की ओर आप ध्यान दें। जब आप सोशलिज्म की बात करते हैं तो कोपरेटिव के माध्यम से आपको डेअरी लगानी चाहिए। गुजरात में डेअरी की कोपरेटिव सोसायटी बनी हुई है, आनंद में मक्खन बनाया जाता है, वह अच्छा मिलता है और वह सफलतापूर्वक चलती है।

(श्री शंकरलाल)

इस प्रकार का डेअरी का प्रोग्राम राजस्थान में बनायें। राजस्थान का इलाका, ग्रामीण इलाका है, वहां अच्छे पशु हैं, सांड हैं, गायें हैं, दूध का उत्पादन भी खूब होता है, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता है, जबकि दूसरी जगह शहरों में दूध की कमी है, इसलिए डेअरी कोपरेटिव सेक्टर में लगायें और सफलतापूर्वक चलायें तो उससे ग्रामीण क्षेत्र के लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा, और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। सभानेत्री महोदया, आप के माध्यम से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद यह थी ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं ज्यादा नहीं कह कर पांच मिनिट में समाप्त कर देता हूं। एक बात यह थी, मुझे उम्मीद थी, मन्त्री महोदय स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं तो कम से कम अनटचेबिलिटी से, इससे सम्बन्धित मामले से अपने विभाग को दूर ही रखेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, सभानेत्री महोदया, इस कोपरेटिव विभाग के अन्दर पाली जिले के अन्दर एक पहले सोहनलाल जागेटिया आडिटर थे, उन्होंने राईटिंग में आदेश निकाला, आदेश संख्या 613 दिनांक 10–5–68, उसमें लिखा–कार्यालय के अंदर कोई आदमी पानी की मटकी को हाथ न लगावें। यह आदेश निकाला क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक चपरासी था निम्बाज तहसील में, जाति से बांबी था, इसलिए राइटिंग में आदेश निकाला। इतना ही नहीं, उसके बाद आडिटर साहब असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो गये, तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार होकर जब उन्हें मालूम हुआ कि उस शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी ने मुझ से शिकायत की है और मन्त्री महोदय को कहा है, तो उस आदमी पर तोहमत लगा कर उसको सस्पेन्ड कर दिया। दिनांक 29–6–71 को कार्यालय के समय यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, इसका नाम डूंगरमल है, डूंगरमल को 29–6–70 को कार्यालय के समय प्यास लगी, तो कार्यालय की मटकी से पानी खुद लेकर उसने पी लिया क्योंकि श्रवण चपरासी नहीं था। यह गलत नहीं है, ठीक है, वह नहीं था, इसलिए पी लिया, लेकिन उसको सस्पेन्ड किया गया। आदेश संख्या 6404, दिनांक 14-11-70 द्वारा और तुरन्त प्रभाव से उसको निलम्बित किया गया। मुझे खुशी है कि बहुत समय के बाद, मैं समझता हूं, चार छः महिने बाद क्योंकि उस पर कोई आरोप नहीं था, इसलिए वह रीइन्स्टेट हो गया, लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, विभाग का कोई आदमी राज्य के विभाग का अधिकारी अनटचेबिलिटी का एक्शन करता है तो उसको प्रासीक्यूट करना चाहिए, वह क्यों नहीं किया। आपने क्या एक्शन लिया, क्या अनुसूचित जाति, जन जाति के प्रतिनिधि मिनिस्टर से हम यह आशा नहीं कर सकते....

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसको सस्पेन्ड किया था तो क्या चार्जशीट पर लिखा हुआ यह कारण है ?

श्री शंकरलाल : यह कारण, मैं समझता हूं, नहीं लिखा है, न मेरे पास वह चार्जशीट है, लेकिन आदेश लिखित में है, कि कोई पानी नहीं पियेगा, यह राईटिंग में

(श्री शंकरलाल)

है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते हैं, तो ऐसी बात जो कहते हैं, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो, आज भी यह कहता है और एक्शन में अनटचेबिलिटी रखता है- तो हमने इसको ऑफेन्स माना है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कल समाज कल्याण मन्त्री कह रहे थे कि इस प्रकार का मामला आयेगा तो एक्शन लिया जायगा। मैं यह मामला स्पेसिफिक देता हूं, आप इसकी जाँच कराइये और कोई ऐसी बात है तो अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत प्रासीक्यूट करके आगे उस पर एक्शन लीजिये।

सभानेत्री महोदया, मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में है। मैं उस पर अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा। मैं एक बात अवश्य निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं। देवस्थान धार्मिक मन्दिरों का विभाग है। लोकतन्त्र आने के पश्चात् एक तरफ जागीर खत्म हो गई, तो देवस्थानों की जागीर भी खत्म हो गई। लेकिन जागीरदारों को मुआवजा मिला, उसी प्रकार देवस्थान के पुजारियों को जो मुआवजा दिया था जिस तरीके से दिया जाता है मुझे अफसोस होता है कि उनको समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। उनकी जो किश्त जिस प्रकार की बाँधी है, वह किस्त, यदि तीन महीने की हैं तो उनको तीन साल तक नहीं मिलती है, तो वह कहाँ से पूजा करें और कहाँ से देवस्थान की व्यवस्था करें। तो एक तरफ तो खुद की व्यवस्था और दूसरी तरफ देवस्थान की। जो बड़े बड़े महन्त पुजारी थे, उनके देवस्थान की जो जागीर थीं, उन्होंने वह खुद की जागीर मान कर हस्तान्तरित कर दी। सीलिंग पर बहस के वक्त यह कहा था, माननीय सदस्यों ने कहा था कि देवस्थान मन्दिरों की बहुत सी जागीर की जमीन हस्तान्तरित करदी है जब कि वह आइडल में वेस्ट करती है, मन्दिरों की सम्पत्ति है, लेकिन पुजारियों ने, महन्तों ने अपने स्वार्थवश, व्यक्तिगत सम्पत्ति मान कर सैटलमेन्ट से मिल कर खुद के नाम खातेदारी लिखा ली और पटवारी से मिल कर म्यूटेशन करा लिया और खुद के नाम की जागीर हो गई। उन में से बहुत सी उन्होंने बेच दी। इससे एक समय ऐसा आ सकता है, जब मन्दिरों की पूजा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं कि उन्होंने जमीन तो और कहीं जाकर काम करने लग गए, अब वह मन्दिर अपूज्य हो गये। आज दूसरी विचारधारा के आदमी यह कहें, साम्यवादी विचारधारा के आदमी यह कहें तो मुझे आश्चर्य नहीं, लेकिन जो धर्म निरपेक्ष राज्य है, जहाँ चाहे किसी का धर्म हो, उसका आदर होता है, वहाँ मन्दिरों को मिटाने की बात करते हैं तो उचित नहीं है। इसलिए देवस्थान में जो मन्दिर हैं, उनकी व्यवस्था उचित ढंग से हो और उनको समय पर मुआवजा दें, और जो जमीन हस्तान्तरित कर दी है उसके लिए स्पेशल इन्क्वायरी करायें वापिस उनको देवस्थान के नाम से करावें, इसकी व्यवस्था करावें। देवस्थान विभाग के तहत जो मन्दिर लिये गये हैं (समय समाप्ति सूचक घन्टी) उनमें जो पूजा की व्यवस्था है उनमें भी कई शिकायतें हैं। इन शिकायतों के उदाहरण न देकर मैं सभापति महोदया यह कहना चाहूंगा कि देवस्थान विभाग की व्यवस्था को आज सुधारने की आवश्यकता है ताकि लोगों के दिमाग में यह बात न हो कि यह

(श्री शंकरलाल)

राज्य सरकार धार्मिक मामलों में उदासीन है। हमें इसको देखना पड़ेगा और इस व्यवस्था को भी ठीक किया जाना चाहिये। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभानेत्री महोदया, सहकारिता के सम्बन्ध में दो तरह की बात कही जा रही है। एक ओर इसे समाजवाद की आधारशिला कहा जा रहा है दूसरी ओर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इस तरह की गड़बड़ियां हैं और निहित स्वार्थ वाले लोग घुस गये हैं और उनके द्वारा समाज को कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। राज्य के बड़े सक्षम अधिकारियों के मुंह से और हिन्दुस्तान के बड़े सक्षम अधिकारियों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि यह सम्बन्धित लोगों तक ही सीमित रह गया है। यह सही है कि सहकारिता का आन्दोलन गरीब और दुर्बल लोगों तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी सेवा के द्वारा विषमता को मिटाया जा सकता है। यह सच्चाई है कि यह आन्दोलन गरीबों तक पहुंचा है और वह सहकारिता आन्दोलन ही है। लेकिन जिस स्थिति में यह चल रहा है, मुझे भय है कि यह स्थिति रही तो राजस्थान में विशेषतः इस सहकारी आन्दोलन की वही हालत हो जायगी जैसी कि पंचायती राज की हो चुकी है इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिल पायेगी। मैं उस मूलभूत मुद्दे को सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे आज मुझे यह भय सदन के समक्ष प्रकट करने के लिये मजबूर होना पड़ा है। सहकारी आन्दोलन को सफल बनाना है तो उसके लिये तीन बातें अवश्य होनी चाहिये। पहला स्पष्ट निर्देश होना चाहिये, लक्ष्य साफ होना चाहिये, सहकारी आन्दोलन सच्चाई पर आधारित होना चाहिये, यह आन्दोलन स्वायत्त शासी आन्दोलन हो इस बात की गारन्टी होनी चाहिये। तभी यह जन आन्दोलन बनेगा और जनता के हित में बन सकता है। इसके साथ साथ इसका जो विभाग हो वह केवल मार्ग दर्शक के रूप में हो और यहां का प्रशासन, जिसे राज्य कहते हैं वह नीतियों के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे सके तो अच्छा है। राजस्थान में ये तीन बातें होंगी तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इधर के माननीय सदस्य और उधर के माननीय सदस्यों ने यह बात यहां पर कही है कि सहकारी आन्दोलन का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। शायद वे आज से तीन वर्ष पहले जो स्थिति थी वही समझ रहे हैं। तीन वर्ष पहले इस राज्य की सहकारी संस्थाओं को यह अधिकार था वे अपने चुनाव स्वयं करावें। उस वक्त लोग यह कहने लगे कि कब्जा करके बैठ गये। अब पिछले तीन वर्ष से यह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। 1965 के बाद चुनाव सहकारी विभाग कराता है। इतना ही नहीं चुनाव सहकारी विभाग कराता है और सहकारी संस्थाओं के चुनावों के अन्दर गड़बड़ी होती है तो उसका फैसला भी सहकारी विभाग करता है। संसार के किसी भी जनतान्त्रिक देश में ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी कि प्रशासकीय विभाग जिसका काम प्रशासन की कार्यवाही चलाना है वही तो चुनाव कराये और वही जज बन कर बैठ जाये कि जो चुनाव कराया गया है वह सही है या

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं। इस बुनियादी बात को दुरुस्त नहीं किया गया तो, सभानेत्री महोदया, चुनाव केवल सरकार की कठपुतली मात्र रह जायेंगे और सही तौर से काम नहीं होगा। पिछली बार भी इस बात को सवाल के रूप में इस सदन के अन्दर उठाया गया था और मन्त्रीजी ने यह कहा था कि हम देखेंगे। आपने सहकारी संस्थाओं से जो अधिकार ले लिये हैं वे अधिकार वापिस नहीं दिये गये तो क्या आप यह व्यवस्था करेंगे कि स्वतन्त्र मशीनरी के द्वारा चुनाव कराये जायें और इसकी अपील सहकारी विभाग के निरीक्षक, या सहकारी विभाग के ए॰आर॰ को न की जाये बल्कि ज्यूडीशरी के लोग या स्वतन्त्र लोग जिनका कि प्रशासन से कोई ताल्लुक न हो वे इनकी अपील को सुनें तब जाकरके हम सहकारिता में स्वच्छता ला पायेंगे। वरना नहीं हो सकता है। आज सहकारी संस्थायें पूर्णतया खराब हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से सभानेत्री महोदया यह कहना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है? आज संस्थाओं में ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, केन्द्र सेवा सहकारी समिति हो, या बाकी का जो सवाल है हरेक के चुनाव के मामले में गफला है, मुकदमेबाजी चल रही है और इसका नतीजा आन्दोलन पर पड़ रहा है। कहते हैं वसूली नहीं हो रही है, दूसरा काम नहीं हो रहा है। जब मुकदमें में आन्दोलन उलझ जायेगा तो वह जन आन्दोलन नहीं होगा, लिटिगेशन का आन्दोलन होगा, कानूनी आन्दोलन होगा और कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन वह आन्दोलन नहीं ला सकेगा। यह स्थिति आज हमारे सहकारी आन्दोलन की हो चुकी है।

इसके साथ साथ इस आन्दोलन के सामने, सभानेत्री महोदया, जो दूसरी सब से बड़ी समस्या है वह उसकी प्रबन्ध व्यवस्था की है। आप बड़े जोरों के साथ यह कहते हैं कि फलां सहकारी संस्था का संचालक मण्डल इस बात का दोषी है, वह प्रबन्धकारिणी की हत्या करके बैठ गया है। मेरे ख्याल में यह विपरीत बात है। आज संचालक मण्डल या प्रबन्धकारिणी स्वतन्त्र नहीं है। आपने सुना होगा, प्रधानमन्त्री स्व॰ जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यह कहा था कि सहकारिता में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। कोई सरकारी हस्तक्षेप है तो वह सहकारिता नहीं है वह सरकारी आन्दोलन के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है परन्तु सहकारी आन्दोलन नहीं बन सकता। आज राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। संचालक मण्डल स्वतन्त्र नहीं है कि वह अपने आप अपने मन के माफिक व्यवस्था को चला सके। राज्य की ओर से हस्तक्षेप होता है और नीति के रूप में अगर इस बात को नहीं बदला तो निश्चित रूप से सहकारिता का स्वायत्त शासी रूप बना नहीं रह सकता। आज स्थिति क्या है? आज दो साल से यह प्रश्न मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि कहां कहां किन किन सरकारी अधिकारियों को प्रति नियुक्ति पर भेजा गया है किन्तु उसका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है। पहले भी यही शासन अधिकारियों को भेजता था और सम्बन्धित संचालक मंडल द्वारा सूची मांगी जाती थी और उसमें वे जिसको चाहते थे चुनते थे। उस सूची में एक नहीं, दो, तीन अधिकारियों के नाम होते थे परन्तु आज तो तुम नहीं चाहोगे तब भी हम भेजेंगे और

Page No 155

(श्री नत्थीसिंह)

उसे तुमको लेना पड़ेगा और यही आदमी काम करेगा और नहीं लोगे तो और दूसरी तरह से चाहे संस्था को उसकी प्रबन्ध-कारिणी को या और किसी को निरस्त करना पड़े, करके बिठा देते हो। इस प्रकार से तो यह सहकारी आन्दोलन नहीं चल सकता। सभानेत्री महोदया, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां सहकारी राजकर्ताओं को इस बात के लिये पाबन्द किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह टेन्डेन्सी नहीं चलनी चाहिए। यह चलेगी तो किसी भी हालत में सहकारी आन्दोलन जीवित नहीं रह सकता है। मैं मानता हूं कि सरकार को अधिकार होने चाहिए, अगर कहीं पर गड़बड़ हो रही हो, कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं पर अव्यवस्था हो रही हो तो वहां पर राज्य सरकार को इन्टरफियर करने का अधिकार हो, कानून में यह अधिकार है लेकिन रोजमर्रा की प्रबन्ध व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जायेगा तब यह कैसे चलेगा ? सचिवालय स्तर की एक मीटिंग थी, उसकी मुझे सूचना मिली और देखकर रंज भी हुआ कि बड़े से बड़े अधिकारी भी यह कहते हैं कि यहां राजनीति चल रही है और इन संस्थाओं में वसूली नहीं होती है। क्या कभी वे सोचते हैं एक क्षण भी ? यह सरकार की जिम्मेदारी है। आप उनको अपनी पसन्द का मैनेजर नहीं लेने देते। लोन इन्सपेक्टर आपका सरकारी है, सहायक इन्सपेक्टर सरकारी है और वे जो अधिकारी रखना चाहते हैं उनको आप नहीं रखने देते हैं। अप्रेल, मई और जून के महीने वसूली के होते हैं और मई के महिने में आप ट्रान्सफर कर देते हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे अधिकारियों का आपने ट्रान्सफर कर दिया है जिनका काम वसूली करना होता है। दूसरे जो अधिकारी जाते हैं वे जून के बाद वसूली नहीं कर पाते हैं। तो यह आन्दोलन डूबेगा और इसकी जिम्मेदारी चुने हुए संचालक मण्डल पर नहीं बल्कि राज्य के प्रशासन पर होगी जिसने इसका जिम्मा लिया है। जैसे पंचायती राज डूबा सरकारी हस्तक्षेप से पहले अधिकारियों को अकस्मात अधिकारी दिये चुने हुए लोगों के स्थान पर, उसी तरह से यह सहकारी आंदोलन डूबेगा। इसलिए समय रहते चेतना चाहिए। अभी समय बचा है। मैं हमेशा इस नीति से अधिकारियों को, मन्त्रियों को और मुख्य मन्त्रीजी को अवगत कराता रहा हूं। उन्होंने कहा, हम इस स्थिति पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद अगर सही दिशा में चल सकते हैं तो ठीक है वरना जैसे पंचायती राज डूबा उसी तरह से यह सहकारी राज सरकारी अधिकारी ले डूबेंगे। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप उनको छूट दें और यदि कहीं पर गलती करते हैं तो करिये। यह तरीका होता है। पहले उसे काम करने की छूट नहीं दें तो यह नहीं चल सकती है। सभानेत्री महोदया, यह अत्यन्त कटु और विषम स्थिति प्रदेश के सामने आ गई है और मैं समझता हूं कि इसका मुकाबला सही तरीके से नहीं किया गया तो सहकारिता के माध्यम से छोटा किसान तरक्की नहीं कर सकता। गरीब तबके का हित करना चाहते हैं तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है जिसमें वह उन्नति कर सके।

इसके साथ, समानेत्रीजी, क्या स्थिति है। सहकारी संस्थाओं में प्रति नियुक्ति पर अधिकारियों को बड़े ही मनमाने तरीके से

(श्री नत्थीसिंह)

भेजा जाता है। शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। ट्रान्सफर के मामले में विभाग को कहें, सर्विस अधिकारी को कहें और बात करते हैं तो कहते हैं यह हमारे बस की बात नहीं है। राज्य सरकार को भी मैंने कई बार कहा है और कई बार राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि पता लगायेंगे। परन्तु यह आश्वासन आश्वासन ही है। मैं कहता हूं कि निश्चितरूप से इस आन्दोलन को ठेस पहुंच रही है। इसके अलावा सभानेत्री जी दो तरीके की दो तरह की बातें चल रही हैं। इन संस्थाओं के स्वयं के कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं हैं। एक व्यक्ति जो प्रति नियुक्ति पर जाता है उसको संस्था द्वारा 20 प्रतिशत प्रति नियुक्ति भत्ता और देना पड़ता है इसके अलावा सरकार ने यह आदेश निकाल दिया है कि बोनस जो संस्था स्वयं के कर्मचारियों को देती है वह बोनस सरकारी कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। जो सरकारी कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर है उसे 20 प्रतिशत तो प्रति नियुक्ति भत्ता मिलता है और उसके अलावा बोनस और दिया जाता है। इस प्रकार के विचित्र रूल्स आप नहीं बना सकते। यह नहीं चल सकता। इसके साथ साथ सभानेत्री जी हालत क्या है? राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। एकीकरण की बात है। राजस्थान में सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों ने राज्य सरकार को बार बार यह कहा है कि यह आप जबर्दस्ती से डेड बोडी का एकीकरण कर रहे हैं, इस प्रथा को बन्द किया जाये। लोगों को स्वेच्छा के साथ सोसाइटी को आपस में मिलने दीजिये। इस देश का दुर्भाग्य है कि योजना बनती है और उसकी प्रगति भी आंकड़ों के आधार पर नापी जाती है। इसका महत्व या योगदान क्या है, इसका उपयोग क्या हुआ इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यही हाल इस सहकारी आन्दोलन में हो रहा है। लक्ष्य निर्धारित किए गए कि फलां तारीख तक इतने समितियों का एकीकरण हो जाना चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ, यह मैं सहकारिता के मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। पूरे राजस्थान में अगर दस प्रतिशत सहकारी समितियों के विषय में भी वे इस सदन को कन्वीन्स कर सकें कि यह एकीकरण नियमानुसार हुआ है और क्या वे यह मानते हैं कि यह सही हुआ है और क्या वे इसको जांच करेंगे। मेरा दावा है कि यह एकीकरण केवल कागजों पर हुआ है। बोगस तरीके से हुआ है। सही ढंग से नहीं हुआ है और नतीजा यह हुआ कि सहकारी समितियां मजबूत होने के बजाय कमजोर हुई है। सहकारी समिति जो लाखों का कारोबार करती थी उसके साथ तीन चार डिफेक्ट सोसायटीज को मिला दिया गया है और इस तरह से अच्छी सोसायटी भी खराब हो गई हैं। यह सही है। राजस्थान में एक फैसला लिया गया और यह सही दिशा में एक कदम भी था और फैसला यह था कि जिन सहकारी समितियों के सदस्यों पर ऋण नहीं हैं तो उन्हें ऋण मिल जायेगा। यह नियम सहकारिता के नियमों में भी है कि 60 प्रतिशत वसूली नहीं होगी तो लोन नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार कार्य बढ़ता हुआ नजर आता। राजस्थान में सहकारिता का काम करने वाले लोग सरकार की नीति को जानते हैं कि एकीकरण के नाम से गड़बड़ी हुई हैं। यह नियम लागू नहीं हुआ और एकीकरण का दुष्परिणाम वे लोग भुगत रहें हैं। आपने गई

(श्री नत्थीसिंह)

जुलाई में कहा इस साल को तो हम मुनाफा वितरण का रखें, मुनाफा वितरण के रूप में मनावें। सहकारी समितियां हैं उनका मुनाफा वितरित नहीं होता है। किन्तु कितनी आश्चर्य की बात है। यहां तो एक एकीकरण हो गया। एकीकरण के पहले असेट्स और लाइबिलिटीज का डिवीजन नहीं हो सका और उसका लाभ वितरण का संस्था को मिल गया और जब यह नियम बना तब तक लाभ बट्टे खाते रख दिया गया और वितरण नहीं हुआ। इस तरह बिना सोचे समझे प्राब्लम क्रियेट की गई। इस तरह से आप आगे नहीं करें, इस तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

समानेत्रीजी, इस मूवमेंट को गलत दिशा में ले जाने के लिये एक सरकारी आदेश निकाला गया। एक परसन की व्याख्या की गई। उसका नाते यह कहा गया हमारी दफा 34 के अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक से अधिक संस्था का अध्यक्ष नहीं होगा लेकिन जब परसन के नाते जब सोसायटी को इन्क्ल्यूड करते हैं तो इस सदन की मंशा जो बिल पास करने की थी वह समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि परसन के मतलब में कोई भूल है तो उसको सुधारना चाहिए। परसन से नाम पर लोगों को अलग किया जाता है। तुम्हारी सोसायटी डिफाल्टर है और उस पर बोझ डाल दिया, अलग कर दिया। कोई भी बड़ी संस्था है, लैंड मोर्टगेज बैंक, 'अपेक्स बैंक तो वे भी इस तरह से स्थायी रूप से नहीं चल सकेंगे और रोज उनके बोर्ड पलटते रहेंगे। बैंक डिफाल्टर है भूमि विकास बैंक डिफाल्टर है, मार्केटिंग सोसायटीज डिफाल्टर है, तो सरकारी हुक्म को बिठाईये और उनके हाथ में शासन तंत्र को दीजिये और इस तरह से सहकारिता का पूर्ण रूप से सरकारी तन्त्र हो जायगा। समानेत्री जी सरकार तक मैंने इन बातों को पहुंचाया है कि यह जो कठिनाई है उसको दूर किया जाये और सहकारिता को सही रूप में, सही मायने में चलाया जाना चाहिए इसी तरह से एक सोसायटी सरलता से अपना काम कर रही है और उसमें सरकार को प्रशासक नियुक्त करते देर नहीं लगती। यह हालत है और हमें इसे समाजवाद की आधारशिला कहते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिये सहकारिता का नारा देते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं उनको यह जवाब दूंगा कि वे इसको भी समझने का कष्ट करें। राजस्थान में कानून बना हुआ है कि कहीं भी दो वर्ष से अधिक प्रशासक नहीं रखा जायेगा लेकिन ऐसी सोसायटी है जहां पर चार पांच वर्ष से प्रशासक को नियुक्त कर रखा है। जैसा झुंझुनूं का जिक्र किया गया है वहां पर प्रशासक को कितने साल हो गये हैं। वहां दो साल का कानून कहां गया? मैं पिछले दो साल से इस सदन में सवाल पूछ रहा हूं कि कितनी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हैं। जब प्रशासक नियुक्त हुए तब संस्थाओं की हालत क्या थी और प्रशासक नियुक्त होने के बाद उनमें कितना सुधार हुआ है। दो वर्षों से लगातार इस सवाल को टाला जा रहा है। जवाब दिया जा रहा है कि यह इतना बड़ा सवाल है और इतने प्रशासक हैं कि उसकी सूची नहीं बन सकती। ऐसी हालत है तो सहकारी आन्दोलन कैसे प्रगति करेगा और कैसे जन

(श्री नत्थीसिंह)

आन्दोलन बनेगा ? मेरा आज भी दावा है कि जहां भी प्रशासक नियुक्त हुए हैं वहां ज्यादातर गड़बड़ियां हुई हैं और इस बात के लिए अगर इन्क्वायरी बिठावें, जाच करवाएं तो पायेंगे कि एक आदमी को, सरकारी अधिकारी को सारे अधिकार दिये हुए हैं, वहीं पर सोसायटी डूबी हुई है। इसलिए इस बात की जांच की जानी चाहिए

श्री निरंजन नाथ आचार्य (अध्यक्ष पदासीन)

(4.18.म.प.)

अध्यक्ष महोदय सहकारी आन्दोलन की यह दशा है कि उसे मुकदमेबाजी का शिकार बना दिया गया है। उसकी रक्षा कौन करे। सरकारी मदद से उसकी यह हालत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निश्चित मत है कि आज न तो सहकारी आन्दोलन में शान्ति है, न सहकारी विभाग में शान्ति है और न सहकारी मन्त्रालय में ही शान्ति है। आज हालत यह है कि जो इसके सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको हाईकोर्ट का चक्कर लगाने से ही फुरसत नहीं है। सीनियरटी लिस्ट को लेकर सहकारी विभाग में इतना बेदखल कर दिया गया है। आज नियमों में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि हाई कोर्ट में रिटें हो रही है। जो प्रसंग छेड़ा था उसके बजाय नये नये प्रसंग जारी किये गये हैं। जो लोग नियमन करना चाहते हैं, मार्ग प्रदर्शन करना चाहते हैं वे स्वयं स्थिर चित्त नहीं हैं। यह हालत सहकारी विभाग की है। इतना ही नहीं सहकारी विभाग में 11 अधिकारी ऐसे हैं जिनको सालभर वेतन नहीं मिल रहा है। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो आडिट का काम कराते हैं-स्पेशल आडिटर है। 11 आदमियों को सालभर से तनख्वाह नहीं मिले। पुकार की, अधिकारियों के पास गये लेकिन किसी प्रकार की सुनाई नहीं आखिर अपना पेट बान्ध कर कब तक काम कर सकेंगे।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक सवाल पूछा था वहां के इन्सपेक्टर को नहीं भेजा जाय। मंत्री महोदय बदल गये दूसरे मंत्री महोदय ने कहा पुनर्विचार कर रहे हैं लेकिन कोई विचार अभी तक सामने नहीं आया। जिस पर आपकी मरजी रहे वह उसी जिले में रहे और मरजी नहीं हुई वह दूर जाये। आधे से ज्यादा उस जिले के लोग हैं और जिन लोगों की सिफारिश नहीं है वे इधर से उधर मारे मारे फिरते रहते हैं। एक दूसरी बात अध्यक्ष महोदय जो है ··

श्री अध्यक्ष : अब आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता से तो मेरा चोली दामन का साथ है, यह आप भी जानते हैं, इसलिये सुनना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बीमारी अध्यक्ष महोदय, यह है हमारे सचिवालय के क्या हाल है। आज सचिवालय की स्थिति यह है कि जिस सचिवालय में मंत्री जी विराजते हैं उनका काम तो सब से बड़ा नीति बनाने के सम्बन्ध में है। नीति बनाकर उसको क्रियान्वित कराये लेकिन मुश्किल यह है नीति के मामले तो सचिवालय में कोल्ड स्टोरेज में पटक दिये जाते हैं और केवल यह मामला रह जाता है कि फलां आदमी का ट्रान्सफर कहां किया जाय और

(श्री नत्थीसिंह)

फलां आदमी का कहां किया जाय। मेरा निवेदन है यह काम सचिवालय का नहीं है। अगर यह करेंगे तो नीतियों के बारे में आपको टाईम नहीं मिलेगा। इस भूमि विकास बैंक में ज्यादा ऋण मिल जाय, इसके लिये काफी प्रयत्न किया गया लेकिन तीन वर्ष हो गये सचिवालय में कोल्ड स्टोरेज में यह मामला पड़ा है। कोई कार्यवाही नहीं हुई। कहां फाइल पड़ी है और कहां नहीं पड़ी है, कुछ पता नहीं है। इसके अलावा श्री शोभाराम जी बैंक के चेयरमेन थे। उनके जमाने में कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट गई। आज पांच वर्ष हो गये लेकिन सेक्रेटेरियट से वह फाइल नहीं निकल सकी पता नहीं वह फाइल जिन्दा भी है या नहीं रिजर्व बैंक पूछे, भारत सरकार पूछे तो कहे विचाराधीन है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय पिछले सत्र में मैंने अवाज उठाई थी, अगर आप इस सहकारिता के जरिये छोटे लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो जो नीति है हमारे लोगों की वह बदलनी पड़ेगी-जिसके पास प्रापर्टी है, उत्पादन के साधन हैं उसी को कर्ज मिल सकता है। जिसके पास श्रम शक्ति है उसको कर्ज देने का कोई प्रावधान नहीं है चाहे यह कहें प्रोडक्शन नीति केवल आपके कागजों में है, व्यवहार में नहीं है। जिसके पास जमीन है चाहे वह खातेदारी हक में हो, गैर खातेदारी में हो, चाहे सिकमी काश्तकार हो और चाहे किसी भी तरह का काश्तकार हो उसको करजा मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता है। छोटे लोगों को कर्जा मिले तो सरकार को हिम्मत के साथ आगे आना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कई सुझाव दिये हैं—लांग टर्म डिपोजिट दें, जो आपके विभाग हैं उनकी जो बचत है उनको यहां जमा करवायें लेकिन सरकार वेज एण्ड मीन्स का नाम लेकर मुकर जाती है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय एक बड़ी गड़बड़ी इस राजस्थान में और हो रही है। अभी दो-तीन योजना चालू हुई एक सिचाई की ए.सी.आर. के मार्फत और पांच जिलों में चले—इसका यह भी मालूम नहीं कौन तय करेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक काम दे रखा है वह नीति बनायेगा क्रियान्विति कोपरेटिव डिपार्टमेंट करेगा। नतीजा यह होता है ए. आर. सी. इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाय उसको जीप दे दें और वह जीप कभी उस काम में नहीं आयेगी। वहां तो केवल फाइल का इन्टरेस्ट है—कितनी जगह फाइल जाय, इस तरह से अब एक जगह और बढ़ा दी मैंने पिछली बार एग्रीकल्चर की डिमान्ड पर कहा था अधिकारी लोग सब्सिडि बांटते हैं है वह पूरी नहीं देते है-सहायक रजिस्ट्रार और आर० ए० एस० अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। 25 प्रतिशत सब्सिडि और करजा पूरा नहीं किया जा रहा है। इनका ड्यू ऋण देने और लेने का काम है, सूची बनाने के अलावा और कौनसा काम है। यह डुप्लिकेसी है और इस प्रकार विभिन्न विभागों को काम दे रखा है। ये दोनों काम एक ही विभाग के पास होने चाहिये। जब कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिल जांय तब सही तौर से काम हो पायेगा।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं—आपके माध्यम से और वह यह है कि अगर सहकारिता को बनाना चाहते हैं: जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है

(श्री नत्थीसिंह)

सहकारी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जन आन्दोलन के लिये शिक्षा प्रसार को नहीं रखेंगे तो वह किसी हालत में नहीं चल सकता है। के पुराने झगड़े हैं—वित्त मंत्री से निवेदन जो मंत्रियों के आपस के पुराने झगड़े हैं, क्योंकि अब तो वे भी कांग्रेस में चले गये है—आपने घर का झगड़ा मिटा दिया तो इस सहकारिता के झगड़े को भी शांत करिये। सहकारी शिक्षा का प्रसार-प्रचार हो, उसके बिना सहकारी आन्दोलन बढ़ नहीं सकता है। अगर आप राजस्थान में सहकारिता को पनपाना चाहते हैं तो यह अवश्य करें। केवल आपके खेती बाड़ी के लिये ऋण देने से, मध्य कालीन ऋण देने से सहकारी आंदोलन नहीं बढ़ेगा। राजस्थान में आधे से ज्यादा लोगों का धन्धा पशु धन है। जिस तरह से खेती के उत्पादन करने वालों को ऋण देते हैं उसी तरह इन लोगों को भी ऋण की व्यवस्था होनी चाहिये। इसको जब तक आप नहीं करेंगे तब तक पश्चिमी राजस्थान के लोग कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही रूप में सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाजवाद को बनाना चाहते हैं तो केवल कर्ज लेने और देने तक और वह भी एग्रीकल्चर सोसायटीज तक सीमित मत रखिये। आपको सहकारिता का मान्य क्षेत्र निश्चित करना पड़ेगा चाहे वह छोटी इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, चाहे वह विनिमय और वितरण का साधन हो—सब जगह क्षेत्र निश्चित करने पड़ेंगे। आपका कानून यह है कि सहकारिता में काम करें लेकिन सहकारिता को जीवन यापन का साधन न बनायें। रजिस्ट्रार के दफ्तर से अभी सरक्यूलर गया है सहकारिता में काम करने वाले जीवन यापन का काम नहीं कर सकते हैं और करेंगे तो डिसक्वालिफाई करेंगे। सहकारिता को पनपाना है तो मैं कहना चाहता हूं यह बिलकुल सहीतौर से सही व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये। स्पष्ट नीति निर्देशन के रूप में कितने क्षेत्र में सहकारिता लाना चाहते हैं उतने क्षेत्र में दृढ़ होकर सहकारिता को आगे बढ़ायें और अगर आप छोटी छोटी बातों में फंस गये तो फंसे ही रह जायेंगे और अगर आप यह नहीं करेंगे तो इस राजस्थान में सबसे पहले और राजस्थान का गरीब आदमी कोई दूसरा रास्ता चुनेगा और वह रास्ता यह चुनेगा गरीबी के नारे से आपको हटाकर और दूसरों को हटाकर स्वयं व्यवस्था चुन लेगा और उसमें मुझे खतरा है सहकारिता का मार्ग भी फंस जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है समय रहते आपको चेतना चाहिये और सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा....

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे, बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मुझे कुछ निवेदन करना है। साढ़े पांच बजे मुख बन्द है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री किशनलाल वर्मा : जिनको टाइम नहीं दिया गया है, उनको भी टाइम दें। मेरा भी समय है बोलने का..........

श्री अध्यक्ष : समय की सीमा को देखते हुए समय सीमित रखना पड़ता है। बाद में बोलने वालों का यह प्रश्न आजाता है। प्रश्न यह है कि समय की सीमा को किस तरह बांटा जाय। मैं फिर भी 15 मिनिट इसको आगे और बढ़ा देता हूं। मंत्री महोदय का उत्तर... मैं मा. सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कम से कम समय लें। घंटी बजायें तो समझ लें....... "

श्री मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ राज्य में सन् 1944 में जबकि सहकारी समितियों का नाम भी नहीं था। हमने बीगोद में सहकारिता शुरू की थी। हमें राज्य से कोई मदद नहीं मिली लेकिन हमने फिर भी वहां पर सहकारिता को पनपाया और कितना अच्छा नारा दिया था एक सबके लिये और सब एक के लिये। ठीक तो यह था लेकिन अब आपका नारा है, "मैं मेरे लिये और सब मेरे लिये" अब यही नारा हो गया है जिसका यह परिणाम हुआ सहकारिता डूब रही है। सहकारिता उसी तरह डूबेगी जिस तरह हरिजनों का काम डूब रहा है। आज जो हरिजन आदिवासी मंत्री हैं उन्हें केवल अपने ऊपर ध्यान है और अपने परिवार पर ध्यान है। वे भूल गये हैं इस बात को कि उन्हें हरिजनों के बीच में भी प्रवेश करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय मैं मेवाड़ के एक बड़े व्यक्ति को जानता हूं—लक्ष्मी लाल जोशी थे वे मेरे गुरू रहे हैं। उनके रिश्तेदारों में से जो चपरासी के पद पर थे, उनको साथ लेकर बैठते थे। 50 आदमियों को भी परिचय कराने में उन्हें संकोच नहीं था लेकिन आज जो आदिवासी हरिजन मंत्री हैं वे उनके साथ बैठते नहीं है तो हरिजनों के काम को जिस प्रकार इन मन्त्रियों ने पीछे रखा है ठीक इसी तरह सहकारिता डूबेगी तो उन लोगों की वजह से डूबेगी जो सहकारिता में काम कर रहे हैं। अभी तक सहकारिता में त्याग की भावना उतरी नहीं है और जब तक यह त्याग की भावना नहीं उतरेगी तब तक सहकारिता आगे नहीं आ सकेगी। सहकारिता सैकड़ों वर्षों से चल रही है।

पुरखां की सहकारिता, कतरी सुन्दर आज।
खूब उछाल्यों द्रव्य पण, थांसू चली न राज।।

खूब धन उछाल्या लेकिन चली नहीं। अध्यक्ष महोदय सहकारिता को ग्रहों ने डस लिया है राहू केतू और शनि और इनके तीन ग्रह है पार्टी बाजी, जातिवाद और भाई भतीजावाद इन्होंने इनको डस लिया है। कापरेटिव बैंक के अध्यक्ष कौन हो, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी यह तय करेगी कि सेन्ट्रल बैंक का कौन अध्यक्ष हो। यह भीलवाड़ा में देख लीजिये-वहां के कापरेटिव बैंक के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और और जब होंगे तो पार्टीबाजी के आधार पर ही होते। जमीनों के अलाटमेंट में भी इसी प्रकार की धान्धलेबाजी है। खुद के पास जमीन, परिवार के पास जमीन और फिर भी और जमीन अलाट कर देते है और वह भी बिना अलाटमेंट कमेटी की स्वीकृति के कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नील की खेड़ी में जो गांव की भूमि है वहां पर कई हरिजन आदिवासी हैं जिनके पास जमीन

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने सहकारी समिति बना ली और वह भी फर्जी सहकारी समिति बनाई और तहसीलदार से मिलकर जमीनें अलाटकरा ली और वे बेचारे हरिजन आदिवासी रो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं वे भी तय कर चुके हैं चाहे प्राणों की आहूति देनी पड़े इस जमीन पर अधिकार पंचायत समिति का होगा। इसलिये कृपा कर ध्यान दीजिये। कितनी ही ऐसी सहकारी समितियां है जो जमीनों को हड़प रही है कृषि भूमि को हड़पने के लिये ही सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

मैं आपके मार्फत यह भी निवेदन करना चाहता हूं आप यह समझते है कर्ज देने से सहकारिता बढ़ेगी। आपने इतना कर्ज बांट दिया लेकिन आपका यह कर्ज काले नाग की तरह है-इससे आपकी हालत नहीं सुधरेगी .....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

..... तो उस कर्ज से लाभ नहीं है...... अध्यक्ष महोदय अब पांच मिनिट और है ?

श्री अध्यक्ष : और है !

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सचमुच आप सहकारिता को आगे लाना चाहते हैं तो मन से काम करिये। अगर रेगर, चमारों की हालत सुधारना चाहते हैं तो जीवन में पंचायत और सहकारिता को उतारिये। ये दोनों ही गरीबों का उत्थान कर सकेगी। कहावत है—

पंचायत सहकारिता, दोनों मंत्र महान
किन्तु चले फूंकर बिना त्याग बलिदान।

यह त्याग और बलिदान के बिना कभी नहीं चलेगी। जो भोग पर उत्तर गये है उनसे कभी इसका भला होने वाला नहीं है इसलिये पंचायत और सहकारिता की अन्त्येष्टि होगी। मैं जानता हूं पंचायत मंत्रीजी जागरुक हैं इसलिये कृपा कर जागरुक रहे और जागरूक रहते हुये भी पंचायतों को और सहकारिता समितियों को सम्भालेंगे तो ठीक, नहीं तो डूब जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें शराब खोरी तो नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आज शराब पर नहीं बोलूंगा।

श्री गोकुल चन्द (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेहता साहब ने फरमाया चमार कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ......तो यह वर्ण व्यवस्था को ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यस (श्री मेहता जी की ओर इशारा करते हुये)

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, बड़े गौरव के साथ कहते हैं हमने गुलाबपुरा में कपड़े का मील खोल दिया। एक तरफ तो बुनकर सहकारी समिति की स्थापना और दूसरी तरफ मील। बेचारी बुनकर सहकारी समिति मील के आगे कैसे टिकेगी ? कई लोगों की रोजी पर आपने पत्थर मार दिया— मिल के सामने बुनकर नहीं टिक सकता है एक तरफ तेल घानी को मदद देते हैं और दूसरी तरफ मील को तो यह सहकारी समितियां किस प्रकार चलेगी ? जितने लोग ग्रामोद्योग चलाने वाले है, छोटे छोटे उद्योग चलाने

Page No 163

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

वाले हैं इनको मदद दीजिये तब जाकर काम चलेगा । आप कृपा कर सब्सिडि बन्द करिये । आज कई लोग इस सब्सिडि को खा गये । जिनके मन में भावना नहीं होगी तो इस सब्सिडि से कोई सहकारिता चलने वाली नहीं है इसलिये किसी भी हालत में सब्सिडि को प्रोत्साहन न दें । अगर आपके कर्मचारी कापरेटिव में भ्रष्टाचार करते हैं और आप तत्काल ऐक्शन नहीं लेते है तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा-इसलिये तत्काल ऐक्शन लीजिये सौभाग्य से यह ऐसा महकमा है जिसमें निष्ठा से काम होगा तो बहुत काम हो सकता है, अन्यथा यह सारा महकमा डूब जायगा ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा, आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है ।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट का समय लूंगा । अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहूंगा कि सिकन्दरा में एक बहुधन्धी सहकारी समिति है । इस बहुधन्धी सहकारी समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध हजारों रुपये का गबन का मामला सिद्ध होने पर भी उनसे वापिस रुपये वसूल नहीं किये गये हैं । सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

(4.40 म०प०)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गबन की जांच कोआपरेटिव विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार ने की थी । उस सोसाइटी के हिसाब, चीफ ऑडिटर द्वारा भी जांच किये जा चुके हैं । जांच के अनुसार 60 हजार रुपये का गबन सिद्ध हो चुका है । मेम्बरों के खिलाफ डिक्री हो चुकी है परन्तु बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है । इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी हैं पर खेद है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं चाहता हूं सभापति महोदय कि इस तरह के गबन की रिकवरी की जानी चाहिए । रिकवरी के लिए कुर्की करने वाले आफिसरों को भेजा जाय और रिकवरी की जाय । इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो भी रिकवरी करने के लिए भेजे जायं उन आफिसरों को चाहिए कि वे कई दिन तक वहां अपना पड़ाव रखें । होता यह है कि जब रिकवरी के लिए लोग आते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं अतः अगर ज्यादा दिन तक पड़ाव डालकर रहेंगे तो ही वसूली हो सकेगी । नहीं तो कोई वसूली नहीं हो सकेगी । इनसे मेरा ख्याल तो ऐसा है सभापति महोदय कि ये सोसाइटी के पदाधिकारी, जो रिकवरी करने आते हैं उनसे मिले हुए होते हैं । इसलिए मेरा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और सहकारिता मन्त्री से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि वसूली के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए । सभापति महोदय इस कोआपरेटिव में ऐसा भी किया गया है कि कई लोगों ने फर्जी अंगूठे लगाकर लोन ले लिए हैं और जिन लोगों ने लोन नहीं लिये उनके नाम रिकवरी के नोटिस इश्यू होगये । जब उन लोगों को नोटिस मिले तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो कोई लोन नहीं लिया है ।

(श्री किशनलाल वर्मा)

इस तरह से गरीब लोगों के नाम से जिन लोगों ने लोन ले लिए हैं उनके खिलाफ फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। इस तरह से मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि कई फर्जी सोसाइटी जो बनी हुई हैं। जिन्होंने लोन ले रखा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जो लोन की रिकवरी करनी हो उस रकम की वह करनी चाहिए। जिन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी हो उनके विरुद्ध सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ताकि बेचारे गरीब लोग जिनको कि सहकारिता आन्दोलन से लाभ होना चाहिए उन्हें असली लाभ हो सके। आज समाजवाद का जो नारा दिया जा रहा है, समाजवाद की भावना की जो बातें की जा रही हैं, गरीब तबके को ऊपर उठाने की, वह सफल नहीं हो सकेगी। आज सभापति महोदय, को-आपरेटिव सोसाइटीज में बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे समाप्त करने की जरूरत है, नहीं तो यह भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जायेगा और इससे सहकारिता के आन्दोलन में जो ढीलापन आ गया है उसे दूर करना चाहिए और सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहिए। सहकारिता को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। इसकी आज के समय में बड़ी आवश्यकता है। आज जो बोगस और फर्जी सोसाइटीज बनी हुई हैं उनके विरुद्ध सक्रिय कदम उठाकर उन्हें बन्द किया जाना चाहिए और बोनाफाइड सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब आपका ध्यान यू० आई० टी० के बारे में भी आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें मेरा यह निवेदन है कि यू. आई. टी. द्वारा जो प्लाट अलोट किये जाते हैं वह समाज के छोटे छोटे लोगों को नहीं किए जाते हैं और वह बड़े बड़े आदमियों को प्लाट एलोट किये जाते हैं। इस बारे में आपको एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 17 प्लाट शेड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को जो एलोट किये गये थे। उनके एलोटमेन्ट को खारिज कर दिया गया है। इसमें मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं कि किस तरह से बड़े बड़े सरकारी अफसर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और इन्होंने किस तरह से बड़े बड़े प्लाट अलोट करवा रखे हैं। हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेट्री श्री जोरावरसिंह झाला ने नियमों के खिलाफ अपने बहनोईजी श्री उदयसिंह राठौड़ को दिया है जिसके आर्डर नम्बर 28-9-69 को हुए हैं। दूसरा प्लाट श्री हरिन्द्रसिंहजी को दिया गया है जो कि मुख्य सचिव के रिश्तेदार हैं उन्हें जनता कालोनी में अभी सन् 70 में प्लाट दिया गया है। तीसरा जो प्लोट अलोट किया गया है वह है श्री भोपाल सिंहजी को, जो कि चीफ सेक्रेट्री के भाई हैं उन्हें भी अच्छे मौके पर टोंक रोड़ पर 1000 वर्गगज का प्लाट अलोट किया गया है। इसी प्रकार गजेन्द्रसिंह जी जो कि उनके साले हैं मुख्य सचिव के उन्हें लाल कोठी स्कीम में जमीन दी गई है। इन सबको पट्टे दिये गये है अभी तक इन्होंने इस जमीन पर मकान नहीं बनाये हैं। ये सब झाला साहब के चीफ सेक्रेट्री बनने के बाद ही हुआ है। ये सब उनके असर से ही दिये गये हैं और इस तरह से बड़े 2 अफसर अपने रिश्तेदारों को प्लाट दिलवा देते हैं जो कि नियमों के खिलाफ एलोटमेन्ट किये गये हैं। समाज के गरीब लोगों को प्लाट नहीं मिलते हैं।

(श्री किशनलाल वर्मा)

जिन लोगों ने सन् 55 से ही अर्जी दे रखी है आज तक उनमें कई हजार लोग है जिन्हें प्लाट एलोट नहीं किया गया है। इस प्रकार फाइनेन्स मिनिस्टर साहिब के पी० ए० को भी जमीन एलोट कर दी गयी। एक जमीन ऐसिस्टेन्ट कलेक्टर श्री सिंघवी है उन्हें भी एलोट की गयी है। एक प्लोट एन्टीकरप्शन के लीगल एडवाइजर को 1500 गज का किया गया है। बड़े बड़े प्लोट एलोट किये है। इस प्रकार बड़े 2 आदमियों को दो दो हजार और ढ़ाई ढ़ाई हजार गज के प्लाट एलोट किये गये हैं। जबकि प्लाट उन्हीं लोगों को अलोट किये जाने चाहिये जो नियमों में आते हैं और बिना नियमों में जो प्लाट दिये गये है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार एक कोई कोमलचन्द पाटनी है जिनको प्लाट अलोट किया गया है। कोमलचन्द पाटनी के पास पहिले से ही उनियारा बाग में प्लाट है फिर भी उनको जनता कोलोनी में प्लाट एलोट किया गया है। जयसिंह रोड़ बनी पार्क में प्लाट नम्बर सी 4 वाले व्यक्ति को 4000 गज जमीन एलोट कर रखी है उन्हें जमीन 15 रुपए गज के हिसाब से रिजर्व प्राइस के रेट पर दे दी गयी है। यदि वह जमीन नीलाम की जाती तो वह 60 रुपए गज पर नीलाम होती और गवर्नमेंट को 18000 रुपये का फायदा होता। इस व्यक्ति को पहले ही 4000 गज जमीन जो उसके नाम निकलती थी वह उसे दे दी गयी पर इसने 4000 गज जमीन और ले ली, इस प्रकार इसने 8000 गज जमीन पर कब्जा कर लिया है। जितने बड़े-बड़े आदमियों को जिन्हें नियमों के विरुद्ध प्लाट दिये गये है उन पर तो कोई नजर नहीं डालता है पर गरीबों को अगर प्लाट अलाट किये जाते हैं तो उस पर सबकी नजर रहती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब भविष्य में जिन लोगों ने पहले अर्जी दी और उनकी इनकम कम थी, अब अगर वह बढ़ गयी है तो उन लोगों को भी जमीन नहीं दी जानी चाहिये। सभापति महोदय यू० आई० टी० ने कई स्कीमों के नाम रख दिये है पर उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जैसे अनाज मन्डी स्कीम। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या वहां पर, ट्रान्सपोर्ट ऐसोसियेशन को जमीन दिये जाने की योजना है तो वहां पर कोई प्लाट दिये जायेंगे यह स्पष्ट नहीं है, वह स्पष्ट होने चाहिये। सभापति महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में आज म्यूनिसिपैलिटी का काम बहुत ही खराब है, शहर में गन्दगी फैल रही है और खासतौर से चुनावों के बाद तो गन्दगी विशेष फैल रही है। पुरानी बस्ती जहां पर समाज का पिछड़ा वर्ग रहता है, कच्ची बस्तियां हैं, वहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां बहुत हालत खराब है। सभापति महोदय, हालांकि राज्य सरकार ने अपने बजट में इनके सफाई के लिये धनराशि का प्रावधान कर दिया है पर इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जानी जानी चाहिए। इसके अलावा सभापति महोदय, जैसाकि मैंने आपसे निवेदन किया है कि यू. आई. टी. में काफी धान्धली है। मेरा निवेदन यही है कि इस संबंध में कि इसको कोरपोरेशन बना दिया जाना चाहिये। यू० आई० टी० द्वारा प्लाट अलोटमेन्ट करने के बारे में जो कि नियमों के विरुद्ध किये गये हैं, कुछ निवेदन करूंगा। 13 आदमियों को मुर्गी पालने के लिये एक हजार गज

(श्री किशनलाल वर्मा)

जमीन के प्लाट एलोट किये गये हैं पर गरीब वर्ग के लोगों को यू. आई. टी. से 100 गज जमीन भी नहीं मिल सकती है। आदर्श नगर में लोगों को प्लोट दिये गये थे वे लोगों को रहने के लिए दिये गये थे, वहां पर लोगों ने दुकानें बनाली, यू. आई. टी. ने उनको रेग्यूलराइज कर दिया उनके केसेज कम्पाउन्ड कर सब ठीक कर दिया है। इसमें भी गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। यू.आई.टी. ने कनवर्जन के मामले में सतर्कता नहीं बरती है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें तो, सरकार को चाहिये कि प्लाटों को जगह अगर दुकानों के लिए जमीन एलोट की जाती तो ज्यादा लाभ होता। इसके अलावा दूसरी स्कीम बन जाने से कई लोगों को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में प्लाट एक्सचेन्ज में दे दिये। ये प्लाट का एक्सचेंज करने में गवर्नमेंट की मन्जूरी लेनी चाहिये। पर वह मन्जूरी नहीं ली गयी है। ये सब नियमों के विरुद्ध हुआ है। सैकड़ों व्यक्तियों को यू आई. टी. द्वारा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में प्लाट अलाट एक्सचेन्ज में कर दिये हैं। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि नाहरी के नाके में एक आदमी को 125 वर्ग गज का प्लाट अलोट किया हुआ था उसकी जगह उसे जनता कालोनी में 333 गज जमीन अलोट कर दिया। ऐसे अन्य कई लोगों को 500, 500, और 700-700 गज जमीन के प्लाट अलोट कर दिये गये हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 1000 गज जमीन के प्लाट दिये गये हैं। सभापति महोदय, नारी के नाके के प्लाट 4 रुपये गज थे दूसरी जगह जो प्लाट अलोट किये गये हैं जो 6-6 और 10-10 रुपये गज जमीन थी वह 6 रुपए गज में ही दे दी गयी। इस प्रकार की धान्धली यू० आई० टी० द्वारा की गयी है। प्लोट एक जगह अलोट किया गया है और बाद में उसे केन्सल करके दूसरी कालोनी अथवा दूसरी स्कीम में प्लोट बड़ा अलोट किया गया है। इस कार्यवाही को बन्द की जानी चाहिये। इसी प्रकार यू० आई० टी० में जो स्टाफ लिया गया है वह ज्यादातर वर्कचार्ज स्टाफ 50 प्रतिशत है। ये लोग ओवर एज हैं। नये नौजवान नहीं हैं। कानून के हिसाब से वर्कचार्ज स्टाफ की स्ट्रेंथ तो चार या पांच प्रतिशत होनी चाहिये। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो कोटा निर्धारित कर रखा है शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राईब के लोगों की इसमें 28 प्रतिशत भरती करना वह नहीं किया गया है। नियमों की पालना नहीं की जाती है। इसी प्रकार सरकार की नीति है कि शेड्यूल्डकास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को 15 प्रतिशत प्लोट अलोट किये जाने चाहिए। मेरा निवेदन है कि जिनको एलोट कर दिये गये हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को एलोट नहीं किया उन्हें तुरन्त एलोट किये जाने चाहिये। इसमें भी एक बात खासतौर से देखी गयी है सभापति महोदय कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जितने प्लोट एलोट किये गये हैं उनके अनुपात में शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को प्लोट नहीं के बराबर दिये गये हैं। आज जब कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की आबादी बराबर है। इनको बराबर प्लोट देने चाहिये। राजस्थान मीणा सेवा संघ के छात्रावास के लिये जमीन अभी तक अलोट नहीं की गयी है जबकि अगर कोई व्यापारी संस्था होती तो उसे तुरन्त अलोटमेंट किया जाता। इसका कारण यह है

(श्री किशनलाल वर्मा)

कि यू. आई. टी. का चेयरमैन आज तक किसी शेड्यूलकास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के किसी व्यक्ति को नहीं बनाया गया है। मेरा सुझाव यह है कि यू आई टी. का चेयरमैन इन जातियों में से बनाया जाय। सभापति महोदय, अब यहां यू.आई.टी. के सेक्रेट्री आए हैं वे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। इनके आने के बाद यह उम्मीद की गयी थी कि शायद अब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को कुछ प्लाट एलोट होंगे। पर इन्होंने भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि या तो इन के काम समझ में नहीं आया या करना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग इनके खिलाफ होते जायेंगे और इन्हें यहां से हटना पड़ेगा। भीखा भाई जो कि इसके मिनिस्टर है, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं पर वो भी इन दोनों वर्ग की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको तो दौरे से ही फुरसत नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से यहां रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ ध्यान है अपने उदयपुर जिले का या अपने कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों का। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन हैं कि आपको क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये। आप राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को रिप्रेजेन्ट करते हैं। मेरा निवेदन है कि इन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिये। सभापति महोदय, जयपुर में जो सरकारी भवन है कार्यालय है उनकी देख भाल भी पूरी नहीं की जाती है जिससे उन की हालत भी खराब हो रही है। इससे भी राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। मंत्री जी के सामने जो रहते हैं उन्हें तरक्की दी जाती है उनके पैसे बढ़ाये जाते हैं। आज गरीबों के पैसे बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार ने एक सतर्कता आयोग का गठन भी किया है। इसके बारे में मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी बड़े 2 आदमियों और सिफारिशी लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। जितने भी बड़े 2 आदमियों के खिलाफ मामले होते हैं उन्हे दबा दिये जाते हैं।

इसी प्रकार से जनसम्पर्क विभाग है उस में जो भी पब्लिसिटी होती है वह इस ढंग से होती है जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए की जाती हो, और ऐसा पता लगता है कि जैसे यह उनका पर्सनल डिपार्टमेंट है, और ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जबकि वह गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और डाइरेक्टर के खिलाफ कई बातें हैं लेकिन फिर भी उन को रखा जाता है, और आज तक उनका कहीं भी ट्रान्सफर नहीं किया है, और साथ ही विज्ञापन जो दिये जाते हैं उसमें भी धांधली होती है और साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं और जो ऐसे पत्र होते हैं कि जो नियमित रूप से नहीं निकलते हैं उनको विज्ञापन दिये जाते हैं। यह जो पक्षपात किया जाता है उसको दूर किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा। 5-30 बजे

(श्री सभापति)

मुखबन्द का प्रयोग होगा। मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं इसलिए समय का थोड़ा ख्याल रखें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी सीमा में ही उत्तर दूंगा।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, सदन का समय मांग पारित हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये क्योंकि अध्यक्ष ने गुलेटीन के लिए 5.30 बजे समय निर्धारित किया है लेकिन सदन का समय बढ़ाने की व्यवस्था भी तो आपको करनी है।

श्री सभापति : सदन का समय एप्रोप्रियेशन बिल के इन्ट्रोडक्शन तक के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, माइन्स डिपार्टमेन्ट के संबंध में काफी कटमोशन्स आये थे और कई माननीय सदस्यों ने इस सिलसिले में बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। उनमें से कुछ के बारे में जो विशेषरूप से यहां चर्चा हुई है मैं प्रयत्न करूंगा कि उनको पहले ले लूं और उनके बारे में विभाग की ओर से अपनी बात कह दूं।

चेयरमैन महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के निर्माण के बाद में माइन्स डिपार्टमेन्ट को एक आधुनिकतम डिपार्टमेन्ट बनाने में राज्य सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं। राजस्थान कई विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था और कई रियासतों में यह डिपार्टमेंट था ही नहीं और पी. डब्ल्यू. डी., फॉरेस्ट और इसी प्रकार के डिपार्टमेन्ट्स मिनरल को डील करते थे। राजस्थान के इन्टीग्रेटशन के बाद में एक व्यवस्थित डिपार्टमेन्ट के रूप में यह सामने आया और आज जो स्थिति है उसमें मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए अगर यह कहूं कि हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे आर्गेनाइज्ड डिपार्टमेन्ट में से यह एक है तो यह अतिशयोक्ति नहीं समझी जानी चाहिए। विशेषकर जियोलाजिकल साइड में राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा काम हुआ है। नान-फेरस मैटल राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक हैं और हिन्दुस्तान में भी उसका एक विशिष्ट स्थान है। कई बार माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र के लिहाज से यह शिकायत रहती है कि हमारे यहां पर इनका प्रॉपर यूटीलाइजेशन या एक्सप्लाइटेशन नहीं होता है, और आजवक्त यह सही भी हो सकता है, किन्तु यह तो एक कन्टीनुअस प्रासेस है। जब तक मानव है यह प्रोसेस चलता हुआ रहेगा, नयी नयी चीजें लोगों के सामने आती रहेगीं और उनका एक्सप्लाइटेशन होता चला जायेगा।

खनिज की व्यवस्था के लिए दो तरह के कानून बने हुए हैं एक तो मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स और दूसरे माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स। मेजर मिनरल ज्यादातर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ही कन्ट्रोल करती है और राज्य सरकार की सिफारिश के ऊपर लीज देती है। लीज एरिया कितना होना चाहिए, लीज की रॉयल्टी कितनी होनी चाहिए इन सारी बातों को कानून के तहत गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया कन्ट्रोल करती है, और माइनर मिनरल्स स्टेट गवर्नमेन्ट की परव्यू में आता है और राज्य सरकार उन्हें देखती है और उनकी व्यवस्था भी करती है।

(श्री हरिदेव जोशी)

खानें किस प्रकार से खोदी जानी चाहिए, खानों की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए इन सारे कामों को गवर्नमेन्ट ग्राफ इन्डिया देखती है। इसी प्रकार से बाज मर्तबा यह गलतफहमी होती है कि मजदूरों को रोजगार कितना दिया जाना चाहिए, उन्हें पेमेन्ट टाइमली होता है या नहीं होता है, एमीनिटीज हैं अथवा नहीं इसको भी माइन्स डिपार्टमेंट नहीं देखता है। एक प्रकार से माइन्स डिपार्टमेन्ट का काम रेगुलर काम है कि कानूनों के तहत वह नियमों का पालन करवाये और गवर्नमेंट की जो रॉयल्टी होती है उसको वसूल करे।

राजस्थान का माइन्स डिपार्टमेन्ट कुछ वर्किंग भी करता है। तो ये तीनों फंक्शन्स हैं जिनको वह पूरा करता है। तो, चेयरमैन महोदय, इन तीनों चीजों की सीमाओं में जो बातें आती हैं उनके बारे में मैं यहां पर निवेदन करूंगा और जहां तक कोई लीजहोल्डर किसी मजदूर को पे कम देता है यह इस डिपार्टमेंट के परव्यू में नहीं है। अगर माननीय सदस्य लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्नों को उसके तहत पूछते तो उनका प्रॉपर्ली रिप्रेजेन्टेशन हो सकता था। यह कहा गया है, चेयरमैन महोदय, कि राजस्थान के अन्दर मिनरल्स का प्रोडक्शन कम हुआ है अथवा कम हो रहा है, यह चीज सही नहीं है। इन पिछले वर्षों के अन्दर मिनरल्स का प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ा है उसके सरसरी तौर पर कुछ आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की थी। सन् 1950 के अन्दर जबकि हमारा डिपार्टमेंट जमा ही जमा था उस समय पूरे राजस्थान के अन्दर 50 लीजेज थीं और सन् 1960 में वह लगभग 500 मेजर मिनरल्स के लिए हुई और 924 माइनर मिनरल्स के लिए हुई। इसी प्रकार से आज की स्थिति में लगभग 1½ गुना है और आज के दिन यह संख्या 715 और 1332 के करीब करीब है। ठीक उसी प्रकार से प्रोडक्शन की बात भी है और आमदनी की भी बात है। सन् 1950 के अन्दर राज्य की आमदनी मिनरल्स से लगभग 39 लाख थी और आज लगभग 2 करोड़24लाख के करीब है। यह रॉक फॉस्फेट को बाद करने के बाद में है। तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि इन पिछले वर्षों में जहां मिनरल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है वहां राज्य की आमदनी भी बढ़ी है और हमारा प्रयत्न रहा है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें और इस दिशा में राज्य सरकार को काफी सफलता भी मिली है। जैसा कि आपको विदित है राज्य सरकार रॉक फॉस्फेट और टंग्स्टन, जिप्सम वगैरह के अन्दर खुद काम करती है और उसके जरिये वह एक प्रकार से नॉन-टैक्स रेवेन्यू को वसूल कर रही है।

चेयरमैन महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी अपने कटमोशन्स के जरिये कही है कि हमारे यहां पर जो भी मिनरल्स हैं उनका एक्सप्लॉईटेशन होना चाहिए। मिनरल्स एक प्रकार से डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की जो सिचुएशन होती है उसके अनुसार एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक चीज एक जगह है लेकिन यदि मार्केट के अन्दर वह ठीक से कम कीमत के अन्दर कम्पीटीशन में नहीं टिक पाते हैं तो वह वहां से एक्सप्लॉइट नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर लाइमस्टोन को ले लें। यह लगभग राजस्थान के अन्दर सभी जगह पर है सिवाय कुछ पश्चिमी क्षेत्रों को

(श्री हरिदेव जोशी)

छोड़कर जो कि बहुत सुदूरस्थ हैं, लेकिन सभी जगहों पर लाइमस्टोन उतना सस्ता नहीं पड़ता जो रोड्स और रेल्वे लाइन के नजदीक है या जो कन्ज्यूमर के नजदीक है वह तो काम में आता है लेकिन जो दूर पड़ गया है, गहरा है वह इतने अच्छे रूप में एक्सप्लॉइट नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर एक जगह मिनरल है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में रॉक फॉस्फेट की उपलब्धि के लिए कटमोशन्स के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिये। मैं इसलिए कहता हूं कि रॉक फॉस्फेट जैसलमेर बाड़मेर और शिव के एरिया में है, लेकिन वह बिल्कुल ही लोअर ग्रेड का है और वह 10 पर्सेन्ट पी०पी०ओ०-5 ग्रेड का है जब कि रॉक फॉस्फेट जो मिल रहा है दूसरे इलाके में वह लगभग 34 से 38 परसेन्ट पी.पी.ओ. 5 का है और उसके ऊपर ओवर-बर्डन भी कम है, जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर काफी ओवर-बर्डन है तो उसके प्रोडक्शन में बहुत लागत लग जायेगी और उसके ऊपर पैसा कम लगेगा। तो आज जो मिनरल्स इम्पोर्ट होकर आते हैं और उसकी जितनी कीमत नहीं लगती है उतनी तो केवल इसके ट्रान्स-पोर्टेशन के अन्दर और माइनिंग के अन्दर ही खर्च हो जायगी। तो उसकी उपलब्धि उतना उपयोगी नहीं रह जाती है, यही मुझे निवेदन करना है।

फिर भी राज्य सरकार ने इन पिछले दस पन्द्रह वर्षों में भागीरथ प्रयत्न किये हैं यह जानने के लिए कि कहां कहां क्या क्या मिनरल्स हैं और उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेषरूप से एक जियोलॉजिकल सेक्शन कायम किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में उन जियोलॉजिस्ट की मदद से क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं उनकी जानकारी ली और आज राजस्थान के अन्दर मेंगनीज, फ्लोराइड, जिप्सम, आइरन ओर, लाइमस्टोन, गारनेट, टंगस्टन, ग्रेफाइड, जिप्सम, सोपस्टोन वगैरह वगैरह, कई तरह के मार्बल की जानकारी ली और आज लीज होल्डर्स के लिए और आम जनता के लिए जानकारी है कि अमुक अमुक स्थान पर ऐसी ऐसी चीज है। उसका परिणाम है, सभापति महोदय, कि आज राजस्थान के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन के डिपोजिट्स मालूम हुए और उसका यह परिणाम हुआ कि मिनरलबेस्ड इन्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर लग सके लाइम स्टोन के ऊपर आधारित-शायद हिन्दुस्तान में जितने बड़े डिपोजिट्स राजस्थान के अन्दर लाइमस्टोन के हैं बहुत कम स्थानों के अन्दर हैं, और आज हमारा प्रदेश लाइमस्टोन के कारण सीमेंट के उत्पादन में दूसरे नम्बर का प्रांत है, और मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों के बाद में उस मिनरल के ऊपर आधारित सबसे बड़े उद्योग का प्रान्त हो जायेगा। ठीक उसी प्रकार से लेड और जिंक और रॉक फॉस्फेट की जानकारी भी राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा आपको मालूम है, सभापति महोदय, नये नये इलाकों के अन्दर जो हमें लेड और जिंक की जानकारी मिली है और हमारे डिपोजिट्स जो नये मिलते जा रहे हैं वह और अधिक अच्छे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगले दस वर्षों के अन्दर नॉन-फरेस मेटल के अन्दर आज भी राजस्थान एक महत्वपूर्ण

(श्री हरिदेव जोशी)

स्थान रखता है और आगे उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसी प्रकार से रॉक फॉस्फेट की उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करके चलता हूं कि इसके कारण से हम राजस्थान के अन्दर इनके ऊपर आधारित बहुत बड़े उद्योग चला सकेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर मार्बल की उपलब्धि भी अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम सौभाग्यशाली हैं कि विभिन्न स्टेट्स में बिखरे हुए बड़े डिपाजिट्स मार्बल के मिले हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि अगर उसके अन्दर ठीक तरह से पैसा लगाया गया और निरन्तर प्रयत्न किये गये तो काफी मार्बल का स्कोप भी राजस्थान के अन्दर रहेगा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार से माननीय सदस्यों ने अलग अलग स्थानों के लिए मिनरल्स की बात कही है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो चीजें जहां जहां मिल रही हैं हमारा यह प्रयत्न है कि हम ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार की आमदनी बढ़ायें, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है कि मिनरल्स के क्षेत्र के अन्दर स्टेबिलिटी की जरूरत रहती है। जब तक जम कर उसके अन्दर काम नहीं हो और जब तक मार्केट उसके लिए अनुकूल नहीं हो किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्दर वह ज्यादा अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमने यह कोशिश की कि जो भी लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाये ताकि राजस्थान की आमदनी बढ़े।

एक माननीय सदस्य ने कोटा के क्षेत्र के अन्दर काम करने वाली एक कोटा स्टोन कम्पनी के बारे में बात कही है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों में जवाब दिया था। जहां तक एसोशियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा का सवाल है कोटा स्टेट ने इस इन्डस्ट्रीज को लीज दी थी 15 वर्ष के लिए। अब वह मोनोपोली राजस्थान सरकार ने खत्म कर दी। कोटा स्टेट ने 300 वर्ग मील की लीज दी थी और राज्य सरकार ने जब समय खत्म हुआ तो उसको साढ़े सात वर्ग मील कर दी, और अब यह स्थिति है कि कोटा स्टेट ने उसे एक या डेढ़ लाख रुपये में दी थी•••••

श्री जुझारसिंह : यह मिसलीडिंग है स्टेटमेंट।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य जिस समय बोल रहे थे तो मैंने इन्टरप्ट नहीं किया था और वह सोचते हैं तो दूसरे तरीके से क्लेरीफिकेशन सीक कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि कोई कम्पनी उन्हें पसन्द है या नहीं है यह तो उनकी चॉइस की बात है। यह स्थितियां बदलती रहती हैं। मुझे निवेदन यह करना है कि जिस समय वह आपके अनुकूल थे उस समय आपको उनके लिए शिकायत नहीं थी। आज आपके अनुकूल नहीं हैं इसलिए आपको शिकायत हुई। जिस समय 300 मील का एरिया आपने दिया था उस समय आपको शिकायत नहीं थी। राज्य सरकार ने एक पालिसी रखी है कि जो मोनोपली पहले से दी हुई है उनको हटाया जाये। चेयरमैन महोदय, राजस्थान बनने से पहले यह पोजीशन थी कि कहीं तो 300 मील का

(श्री हरिदेव जोशी)

एरिया लीज पर दिया हुआ था, कहीं पूरी की पूरी रियासत और तहसील की तहसील लीज पर दी हुई थी और कहीं कहीं पर 500 मील का एरिया भी लीजग्राउट किया गया था। हमारी निश्चित पॉलिसी है कि इस प्रकार की लीजेज को खत्म किया जाये और जो एरियाज दिये जायें उसके अन्दर कम्पीटीशन रखा जाये यह बात न हो कि एक एरिया के लिए एक ही लीज होल्डर हो। आज आप कोई भी ऐसी तहसील नहीं पायेंगे कि एक ही आदमी जहां काम करता हो। हमने अलग अलग लीजेज दी हैं चाहे आप लाइमस्टोन को ले लें, चाहे दूसरे सोपस्टोन को ले लें। हमने एक एरिया के अन्दर एक लीजहोल्डर नहीं रखा है। हमने कम्पीटीशन रखा है ताकि जनता को सस्ती चीजें मिल सकें और हमारी पॉलिसी है कि चाहे पहले से काम चलता आ रहा हो कानून के अन्दर प्रावधान है, लेकिन किसी के पास 50मील का भी एरिया था तो उससे बातचीत करके 5 मील का एरिया रहने दिया है। रॉयल्टी भी बढ़ाई जा सकती है। धौलपुर स्टोन की बात को ले लें, कोटा स्टोन की बात ले लें धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी के एरिया को ले लें। राज्य सरकार ने जितने बड़े बड़े लीज होल्डर्स थे उनके एरिया को कम किया है और जो रॉयल्टी पहले थी उसकी अपेक्षा रॉयल्टी भी बढ़ाई है। कोटा स्टोन की रॉयल्टी रियासत के जमाने में 1 लाख थी आज वह $5\frac{1}{2}$ लाख रुपया जमा कराई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है...

श्री जुझारसिंह : लास्ट ईयर की रॉयल्टी बहुत कम दी है। करीब 80 हजार कम दी है पिछले वर्ष से। आपके ही दिये हुए फिगर्स हैं ये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको नहीं मानता। पोलिटिकल ग्राउण्ड पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामकिशन : यह तो आज आप जनक की तरह बोल रहे हो।

श्री हरिदेव जोशी : आप कुछ भी कह लीजिये। किसी लीज होल्डर के पास सौ स्क्वायरयार्ड या एकड़ का एरिया है और वह पांच दस पन्द्रह सालों के लिये दिया जाता है तो उस सारे एरिया को वह एक दिन में एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। न वह कर सकता है और न टेकनिकली भी ऐसा संभव है। वह उसे 5, 10, 15 सालों में स्प्रेड ओवर करेगा कि इतने इतने एरिया में अमुक अमुक साल तक काम करना है। इस तरह से वह एक वर्किंग प्लान बनाता है। डिपार्टमेण्ट उसे एप्रूव करता है और वह कोशिश करता है कि वह उस पीरियड में पूरा वर्क करे। ये टेकनिकल मेथड होते हैं। इसलिये आपने जो शिकायत की है कि वह पूरे एरिया में काम नहीं करता है तो यह ठीक है, वह एक साथ तो पूरे एरिया पर काम नहीं कर सकता।

एक बात और है टेकनिकली हम भी उसे मजबूर नहीं कर सकते इसलिये जब तक वह हमारी रॉयल्टी या डैड रेण्ट बराबर देता रहता है। नियम यह है कि एक तो वह उत्पादन पर रॉयल्टी देता है या उत्पादन नहीं करता है तो उस पड़ी पड़ी जमीन का एक नियत मात्रा में डैड रेन्ट देता है। इसमें एक तरह से वह गारन्टी देता है कि मिनिमम इतना प्रोडक्शन उसे करना होगा, उतना भी नहीं करेगा तो डैड रेन्ट देना पड़ेगा उसे। जैसे उत्पादन

(श्री हरिदेव जोशी)

पर रॉयल्टी का एमाउण्ट हुआ सौ रुपया और डैड रेन्ट बनता है 500 रुपया। तो या तो उसे 500 रुपया तक रॉयल्टी के हिसाब से प्रोडक्शन करना होगा नहीं तो 500 तो मिनिमम उसे सरकार को देना ही होगा। तो यह एक बन्धा हुआ एमाउन्ट है कि वह उत्पादन करे या न करे उसे इतना रुपया तो हर साल सरकार को देना ही होगा। तो अगर वह डैड रेन्ट बराबर देता रहता है तो हम कानूनी पाबन्दी उस पर उत्पादन करने की नहीं लगा सकते।

श्री जुझारसिंह : चाहे बिल्कुल ही काम न करे।

श्री हरिदेव जोशी : इसके नियम हैं। फिर यह परिस्थितियों पर निर्भर है। यह मार्केट पर भी निर्भर करता है। मार्केट में अगर माल नहीं बिक सकता होगा या ठीक भाव नहीं मिल सकता होगा तो वह नुकसान खाकर क्यों पैदा करेगा?

श्री जुझारसिंह : यह मिस कन्सेप्शन है।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, यह अधिक अच्छा रहेगा कि अगर किसी माननीय सदस्य को प्रश्न करना है तो बाद में कर लें। बीच में इस तरह इन्टरप्ट न करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या लगातार वर्षों तक डैड रेन्ट देता रहे और काम कभी करे ही नहीं तो राज्य सरकार सेटिसफाई हो जावेगी। एम० सी० आर० के रूल्स के हिसाब से उसकी लीज कैंसल नहीं करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं करेगी। इसके रूल्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप फिर सोचकर उत्तर दें। क्या केवल डैड रेण्ट से ही सेटिसफाई हो जावेगी सरकार।

श्री हरिदेव जोशी : इसके कई कारण हो सकते हैं, मार्केट में खपत नहीं, मार्केट में स्लम्प है, माइका की ही बात ले लीजिये तो उस स्लम्प के पीरियड में कोई आदमी वर्क करना पसन्द नहीं करेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह दूसरी चीज है।

श्री हरिदेव जोशी : वह वेट करेगा स्लम्प के पूरे होने तक। जब तक मार्केट ठीक नहीं होगा काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है। यह इसलिए काम करे ही इसके लिये गवर्नमेंट उसको मजबूर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट मजबूर करेगी राज्य का टैक्स देने के लिए। तो, सभापति महोदय, कुछ ने यह कहा कि विभिन्न माइन्स के डेवलपमेंट के लिये और उसे अधिक इम्पीटस देने के लिए रोड की फेसीलिटी दी जानी चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। हमने पिछले वर्षों में इसके लिए प्रयत्न किया है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोड्स बनाई जायें।

कुछ तो विभाग में ही प्रोवीजन किया गया है। अलबत्ता यह मानता हूं कि जितना प्रोवीजन होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। हमने लीज होल्डरों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी सहूलियत के लिये एक दूसरे प्रकार का और भी काम किया है।

(श्री हरिदेव जोशी)

राजस्थान सरकार ने कुछ छोटे छोटे लीज होल्डरों को मदद देने के लिए माइनिंग की आवश्यक मशीनरी नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर आधारित किराये पर उनको देने का प्रबन्ध किया है। जैसे कम्प्रेशर है, पम्प है, हालेज हैं। जो छोटे लीज होल्डर हैं पांच सौ रुपये या पांच हजार की लीज है और जो इतनी खर्चीली मशीनरी खरीद कर लगा नहीं सकते, इतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, जिनको थोड़े समय के लिए कम्प्रेशर चाहिए या दो चार दस बीस दिनों के लिए पम्प चाहिए तो वे विभाग से ये मशीनें किराये पर लेकर अपना काम अच्छी तरह चला सकते हैं। इस स्कीम को भारत सरकार ने भी एप्रीसिएट किया है।

हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी जैसे रिग्स हैं, ड्रिल मशीन है दूसरी चीजें हैं वे उनको दें। हमारा यह भी प्रयत्न है कि लीज्ड एरिया में फरदर प्रोस्पेक्टिंग जो लोग चाहते हैं, जैसे सोपस्टोन को ले लीजिये तो मात्र लागत कीमत पर उस मिनरल का ज्यादा पता लगा कर उनको मदद देने की कोशिश भी करते हैं। तो जहां तक यह प्रश्न है, राज्य सरकार इस दिशा में जितनी भी लीज होल्डरों की मददगार हो सकती है, होने की कोशिश कर रही है। सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने राक फास्फेट के बारे में कहा कि इसमें मार्जिन ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने हर स्टेज पर हर चीज को एग्जामिन करके कि माइनिंग की कास्ट क्या हो सकती है, ट्रान्सपोर्ट की क्या हो सकती है, और दूसरी चीजों की क्या हो सकती है, इस बारे में निर्णय लिया है। फिर भी इस बारे में कोई भी सुझाव किसी भी कोर्नर से आया तो वह वैलकम होगा। अब क्योंकि बहुत वेग बातें कही गई इसलिए किसी डिटेल में तो जा नहीं सकता पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयत्न है कि जो शिड्यूल्स हम भारत सरकार से एप्रूव करा चुके हैं, उस आधार पर काम करेंगे और हमारा प्रयत्न होगा कि हम प्रतिदिन का हमारा उत्पादन 1½ हजार टन तक लेजाकर नान टैक्स रेवेन्यू को बढावें। सभापति महोदय····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सहकारिता का तो मुंह बन्द हो जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं होगा भाई। अब जितना समय है इस समय उनके विस्तार में जाने का अवसर नहीं है।

तो सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जो पाइन्ट बहस के दौरान रेज किया गया है उनके बारे में अपनी बात मैंने स्पष्ट कर दी है और जो कट मोशन्स ऐसे हैं जो डिस्कशन में नहीं आये हैं, उनका लिखित उत्तर मैं माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा। धन्यवाद !

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता की मांग के सम्बन्ध में अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स रखे हैं और अनेकों सुझाव दिए हैं। मैं इसके लिए उन माननीय सदस्यों का बहुत २ आभारी हूं। समयाभाव के कारण मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा पर जिन मुख्य मुद्दों का यहां जिक्र किया गया है, उनका संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

(श्री अमृतलाल यादव)

माननीय सभापतिजी, जैसा कि सबको मालूम है सहकारी आन्दोलन आज तक कृषि क्षेत्र तक ही सीमित था। गांवों में किसानों के अन्न उत्पादन में सहायता करना और उनके उत्पादन को सही भावों पर बाजार में बिकवा देना, और इन कामों के लिये किसानों को अल्पकालीन मध्य कालीन और दीर्घकालीन ऋण दिलवाना सहकारी बैंकों के जरिये से, इन कामों में ही सहकारी आन्दोलन अब तक सीमित था। परन्तु अब इस पिछले पांच सालों में सहकारिता आन्दोलन ने कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़कर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज और दूसरी छोटी मोटी इण्डस्ट्रीज इसमें लगी है। तो यह सहकारिता आन्दोलन हर क्षेत्र में बढ़े और देश की गरीबी मिटाने के लिए उपयुक्त साधन मुहैया करे इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

कृषि के क्षेत्र में अब तक यह सही है कि इसका लाभ ज्यादातर बड़े बड़े जमींदारों ने उठाया है। पर अब छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की भी योजना शुरू की गई है। जो किसान 2॥ एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक जमीन रखता है उसके लिए एक स्कीम है जिसके अन्तर्गत वह अपने कुए को गहरा कराना चाहे या नया बनाना चाहे और असिंचित भूमि को भी सिंचित करने के साधन प्राप्त करना चाहे, जिससे कि उसकी हैसियत बढ़े और गरीबी मिटे तो इसके लिये प्रोवीजन इस स्कीम में है। इसके अन्तर्गत और भी उसके लिये बहुतसी लाभकारी बातें हैं।

इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास ढाई एकड़ से भी कम जमीन है। उनके लिए मार्जिनल फार्मर्स स्कीम जो तय की गई है उसके अनुसार उनकी उस जमीन पर अगर कहीं पानी की सुविधा हो सकती है, व कहीं कुआ खुद सकता है, और गहरा करा सकते हैं तो इस बात के लिए और ज्यादातर इतनी जमीन पर कुए की सुविधा न हो तो उनकी आमदानी ज्यादा हो तो उसके लिए ऐसा प्रावधान है, जैसे डेरी का, पोलट्री का। इस तरह से इन योजनाओं के जरिये उनको सहकारी बैंको से ऋण दिये जाने की सुविधा दी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ज्यादा जोर इस बात पर है कि जो छोटे किसान हैं या बहुत ही कम जमीन वाले हैं उनको सहकारी आन्दोलन से लाभ पहुंचे और वे लोग अपनी मेहनत के जरिये गरीबी को मिटा सकें और पूरी रोटी कमा सकें, इस बात की सुविधा देने की सहकारी आन्दोलन के जरिये राज्य सरकार ने व्यवस्था की है।

माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उनकी मैं इस बात से सहमत हूं कि सवाई-माधोपुर में जो A. S. I. की स्कीम है यह स्कीम सहकारी अधिकारियों द्वारा या सहकारी विभाग द्वारा संचालित हो। इस बात की बड़ी आवश्यकता है। हमने सहकारी मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स और रजिस्ट्रार्स कान्फरेन्स में इस बात पर जोर दिया है और राज्य सरकार अब भी विचार कर रही है की अधिक से अधिक व्यापक बनाने के लिए कोशिश की जाय।

माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं वे एक लम्बे अरसे से सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्होंने तिल का ताड़ बनाकर और बड़े जोरों से गर्ज गर्ज कर जिस बात को प्रतिपादित करने की कोशिश की

(श्री अमृतलाल यादव)

और राज्य सरकार पर यह आक्षेप लगाने की कोशिश कि है की राज्य सरकार सहकारी आन्दोलन जो एक जन-आन्दोलन है उसको राज्य के आन्दोलन तक ही सीमित करने जा रही है, और इस बात पर काफी तर्क किया कि राज्य सरकार इसको जन-आन्दोलन नहीं बनाकर राज्य तक ही सीमित रखना चाहती है और उसने उसके उद्देश्य को पट्ट कर दिया है। न तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और न मैं उनके इस सुझाव को मानने को तैयार हूं और मैं उनके इस सुझाव को मानने से इंकार करता हूं। राज्य सरकार समितियों का चुनाव पहले भी कराती थी और राज्य सरकार अब भी उनके चुनाव करायेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इस तरह के सैकड़ों मसले हैं कि सहकारी समितियों के चुनाव प्रभावशाली बड़े बड़े जमींदारों ने अपने घरों पर बैठकर करा लिया और राज्य सरकार को कह दिया कि चुनाव हो गये। इस बात को राज्य सरकार बरदास्त नहीं कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने चुनाव का काम अपने हाथ में लिया है। रिटर्निंग आफिसर, चुनाव अधिकारी वह मुकर्रर करते हैं और चुनाव निष्पक्ष तरह से वह कराता है। इस पर किसी को शिकायत हो तो A.R., D.R. के यहां अपनी अपील कर सकते हैं और वहां से ट्रिब्यूनल में फाइनल सुनवाई होती हैं। माननीय सभापति महोदय, यह तो आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल एक निष्पक्ष बोडी है जो कि निष्पक्ष तौर से निर्णय देती है।""

श्री रामकिशन : अभी आपने ट्रिब्यूनल का फैसला सोसाइटी के हक में हुआ उस पर आपने स्टे दे दिया। उन्होंने हटा दिया तो फिर उसको स्टे कर दिया।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस तरह से डिस्टर्ब न किया जाय। मैं बीच बीच में इस तरह से नहीं कह सकता। मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री नत्थीसिंह : मेरा कहना यह नहीं था कि चुनाव सरकार न कराये, लेकिन जो आपका इलेक्शन विभाग है वह कराये। सहकारी विभाग न कराये। जो बिल्कुल ही चुनाव की अलग संस्था है और जो सरकार के अन्तर्गत है वह चुनाव कराये और वह स्वयं डिपार्टमेंट उसकी अपील सुने न कि सहकारी विभाग सुने। उससे गड़बड़ होगी।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने माननीय सदस्य, आपकी बात को सुना है और समझा है और फिर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा राजस्थान में ही नहीं सारे देश के अन्दर है और जो सारे देश ने तय किया है वह कोऑपरेटिव क्षेत्र में माननीय सदस्य से ज्यादा ज्ञान रखने वाले हैं और माननीय सदस्य से ज्यादा अनुभव रखने वाले लोग हैं।

श्री नत्थीसिंह : ऐसा किस किस प्रदेश में हैं कि जहां पर सहकारी विभाग चुनाव कराता है? महाराष्ट्र में है या गुजरात में है, किस प्रदेश में ऐसा है? किसी प्रदेश में कोई सहकारी विभाग चुनाव नहीं कराता है। संस्थाएँ अपना चुनाव करती है। यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अमृतलाल यादव : बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। जो निर्णय किया गया है

(श्री अमृतलाल यादव)

वह आम तौर से सारे देश के लिए किया गया है। जहां यह निर्णय लागू नहीं है वहां के लिए भी यह ले लिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर यह निर्णय नहीं लागू है वहां पर, सभापतिजी, यह निर्णय इम्प्लीमेंट किया जायगा। यह कोआपरेटिव क्षेत्र में सबसे अधिक काम करने वाले लोग हैं व जन-आन्दोलन के प्रतिनिधि हैं, उनकी शामलात में, भारत सरकार की शामलात में और राज्य प्रतिनिधियों की शामलात में सब जगहों के लिए यह निर्णय लिया गया है, और राजस्थान सरकार अगर उस निर्णय को पहले इम्प्लीमेंट करती है तो मैं समझता हूं कि आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, उन्होंने एक दूसरी बात यह कही कि राज्य सरकार बैंकों के मामलों में दखल देती है। अब कितनी अजीब बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में ही इस बात को कहा कि हम सहकारी आन्दोलन को जन आंदोलन मानते हैं, और इसीलिए जन-आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं। राज्य सरकार तो केवल मात्र दर्शक का काम करती है, लेकिन इस बात से तो यह सदन भी सहमत होगा कि कोई व्यक्ति या कोई संचालक मण्डल या कोई लोग जिन बैंकों के लिए राज्य सरकार गारण्टी करती है तब रिजर्व बैंक से एपेक्स बैंक को मिलता है और एपेक्स बैंक से सेन्ट्रल बैंक को मिलता है और उनका संचालन एक संचालक मण्डल करता है। रिजर्व बैंक राज्य सरकार की गारन्टी पर यह रुपया देता है तो माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और पे-मास्टर इज दी से मास्टर....

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्रीजी आप यह मानते हैं क्या कि आप कोऑपरेटिव्ज के पे-मास्टर हैं। बड़ी बढ़िया बात कहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने उदाहरण दिया है।

श्री नत्थीसिंह : आप जन-आन्दोलन कह रहे हैं...

श्री सभापति : आप उनको बोलने दें। समय बहुत थोड़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पे-मास्टर हैं तो पेमेन्ट आप ही करेंगे। हम नहीं करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : राज्य सरकार पब्लिक एक्सचेकर के लिए जिम्मेदार है। जनता के पैसे का जहां दुरुपयोग होता है वहां राज्य सरकार आंख मींचकर नहीं चल सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री देवीदत्त गाड़िया : झुन्झुनूं सेन्ट्रल कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी अधिकारी को फाइनेन्स का काम दे रखा है। उसमें 12 लाख रुपये का गबन है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं?

श्री अमृतलाल यादव : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने कहा कि बैंकों में राज्य सरकार के अधिकारी भेजे हैं तो मेरा निवेदन यह है कि बैंकों की राज्य सरकार गारन्टी देती है। जिन बैंकों के अन्दर ओवर ड्यूज न हों, डिफाल्टिंग के केसेज न हों उनमें राज्य सरकार बिल्कुल दखल नहीं देना चाहती। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना

(श्री अमृतलाल यादव)

चाहता हूं कि राजस्थान की अधिकांश सहकारी बैंकों की हालत खराब है और उस खराब हालत के लिए राज्य सरकार एक्शन ले चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को कुछ लगे, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : भ्रष्टाचारी अधिकारी को रखना....

श्री अमृतलाल यादव : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। आप सब्र रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामकिशन : आप कहते हैं कि ओवरड्यूज चल रहे उन बैंकों में राज्य सरकार दखल देती है और केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकार में दखल देगी क्यों राजस्थान सरकार पर ओवर ड्यूज चल रहे हैं तो वहां से प्रशासक भेज देगी तो क्या आप बरदाश्त कर लेंगे ? आप समझ गये इसका मतलब ?

श्री सभापति : आप दो बार क्यों बोलते हैं ? वे पहली बार में ही समझ गये।

श्री रामकिशन : समझ गये तो आप तैयार हैं क्या इसमें ?

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय....

श्री रोशनलाल शर्मा : साढ़े 5 बजे से मुखबन्द किया जाने को है।

श्री सभापति : एक मिनट और बोलने दें।

श्री मोहनलाल मोदी : भ्रष्टाचार के बारे में जवाब दें एक मिनट में।

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि जिन बैंकों में प्राफिट हो, जिन बैंकों का काम सही ढंग से चल रहा है उन बकों में राज्य सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती और जिन बैंकों की हालत खराब है और ओवरड्यूज हैं उनमें राज्य सरकार दखल देना चाहती है। आप कहते हैं, उनके अन्दर राज्य के अधिकारी भेजते हैं (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उनके लिए पहले ऐसी प्रथा थी। मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई प्रथा का सवाल नहीं है। राज्य अधिकारी हैं, वह सब राज्य अधिकारी समान हैं। आप कहते हैं कि उनका पेनल भिजवायें और जिन अधिकारी को बतायें उनको भेजा जाय। तो राज्य अधिकारियों के बारे में राज्य सरकार ज्यादा जानती है या आप जानते हैं। यह बात आप सोचिये....

श्री हरिदेव जोशी : क्या कहना है !

श्री नत्थीसिंह : यह जवाब गजब दिया है आपने।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : इनका मुख बन्द हो गया है।

श्री सभापति : साढे पांच बज चुके हैं। मैं अब मुख बंद का प्रयोग करता हूं। मैं अब मांगें सदन के समक्ष पारित किये जाने को रखता हूं।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री सभापति)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,86,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,63,18,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,62,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71–विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,89,70,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18–संसद, राज्य संघ-राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,58,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

श्री रामकिशन : यह सारा गलत खर्चा हुआ है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,19,31,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है, कि मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 65–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72–निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,18,02,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि, मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर

(श्री सभापति)

पूंजी को लागत के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,82, 95,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि, मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 120–निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,00,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

फाइनेन्स मिनिस्टर टू मूव एप्रोप्रियेशन बिल।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 34 मिनिट पर बुधवार दिनांक 19-5-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No 181

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 821 की सूची)

ग्रामीण निर्माण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं चलाये गये कार्य (सिंचाई)

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1.	केसूली बांध	50000	23634=68
2.	गोराधड़ा प्रोजेक्ट	50000	137811=04
3.	फुलाद बांध	30000	70815=46
4.	खेमावास बांध	152000	179594=90
5.	खारड़ा बांध	80000	59413=47
6.	गुंमादड़ा बांध व नहर	20000	9773=00
7.	मांडीगढ़ बांध	—	—
8.	मालपुरिया खानावास बांध	10000	60712=45
9.	दीपावास नहर	45000	7213=00
10.	मीनीयावाला बांध	10000	2342=00
11.	बड़ेरका बास	30000	16954=00
12.	कोपरा बांध व नहर	40000	29014=00
13.	चंडावल खड़ी	25000	16052=00
14.	बोरीनाग नहर	20000	5564=00
15.	पोटलिया तालाब	18000	14097=00
16.	सिंदरू प्रोजेक्ट	40000	35719=00
17.	लखतगढ़ तालाब	20000	11806=00
18.	गिरोलिया प्रोजेक्ट	100000	185255=00
19.	जोगड़ावास बांध	20000	36248=00
20.	रानी तालाब	5000	8785=00
21.	इन्डला तालाब	5000	5339=00
22.	बोकीका वाला	10000	37800=00
23.	सोनगिरी का वाला	32000	4208=00
24.	गोगरा नहर	8000	12828=00
	योग	872000=00	970939=00

Page No 182

वन विभाग

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1.	कोट कम्पेट 44	35000	36866.84
2.	जोजावर	17500	22015.50
3.	केसूली	35000	21224.29
4.	नदाना	55000	25033.69
5.	श्रीयारी	17500	11933.50
6.	सेवारी नरसेरी	20000	18103.57
7.	रमसानिया एन्ड लसाका खुर्द	27000	25478.96
8.	पाली सीड स्टोर	8000	16570.23
9.	पाली फोरेस्टर क्वार्टर	8000	14770.37
10.	पाली नर्सरी	20000	26016.55
11.	पासच्योर इम्प पाली	137500	54075.00
12.	लॉबिया जोर	} 243000.00 (क्र० सं० 12 से 20)	937.00
13.	बाईबाक ट्रांसफर		191266.16
14.	सिधारली जोहड़		4152.52
15.	ठीकीमादपुर		44.00
16.	नन्दभाटाए		141.96
17.	केसूली		190.88
18.	बिजरवा		12869.00
19.	गुढा एन्डला		11074.55
20.	हरियारा		356.61
21.	फर्नीचर परचेज आफिस फार पाली	7000.00	7124.50
22.	स्टोर आर्टीकल फार फिलोजर (पासच्यर आर्टस)	137520.00	60366.54

वन विभाग

क्र० सं०	नाम कार्य		स्वीकृत धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1.	परिभ्रशित वनों का पुनर्वास	बीजाजी का गुढा	17500	17500
2.		बगडी	17500	17502
3.		बड़ा गुढा	17500	17505
4.		सुमेल सेंजड़ा रेंज	35000	34734
5.		चराई एवं चारण भूमि की उन्नति कालू जोहड़	82500	75566
6.		ग्रासरलाई,	55000	39905
7.	(पौधशाला नर्सरी का निर्माण)			
		सेंथडा	10000	10204
		चंडावला	10000	9916
8.	(फोडर बैंक)	खोडिया	18000	17993

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 826 की सूची)

(List)

1. Name of work:—Gurgaon Canal Project, Kama.

2. Item of work:—Laying 9" thick dry stone Pitching hammer dressed in courses including all leads & lifts of materials (Stones required will be supplied at site within a distance of 100' from C/L of canal).

   Rate as per 'G' Schedule=Rs.16/-

3. Date of Receipt 7. 2. 1970 and 11. 5. 1970.
   of tender:—

S. No.	Reach.	Amount as per 'G' Schedule	Name of Lowest tenderer	%. Above	Amount of tender	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	0-40	25361/-	M/s Shikhar chand Contractor Bharatpur.	50% above	38042/-	
2.	40-80	27264/-	Shri Rajendra Prasad Jain	50% above	40896/-	
3.	80-120	27264/-	M/s Arya const. Co. Bharatpur	50% above	40696/-	
4.	120-160	27264/-	Tenders rot accepted.	—	—	
5.	160-200	27264/-	M/s Maligaon Sharmic Theka Sahkari Samiti.	50% above	41169/-	
6.	200-240	27264/-	M/s Neem-ka-thana Sahkari Samiti.	49% above	40623/-	

Page No 185

7.	240-280	27264/-	M/s Prabhu Dayal Ram Lal.	51% above	41169/-
8.	280-320	27264/-	M/s Tirath Ram Shri Ram.	50% above	40896/-
9.	320-360	26491/-	Sh. Prakash Chand Jain	51% above	40001/-
10.	360-400	25792/-	Shri Mahendra Lal.	50% above	38688/-
11.	400-440	25792/-	No tenders received.	—	—
12.	440-480	25792/-	Sh. Kanhiya Lal Bansal.	50% above	38688/-
13.	480-500	12896/-	Sh. Kehar Singh Contractor.	50% above	19344/-
		3,32,972/-			3,20,212/-

Note;—1. There is only one item in 'G' Schedule of all tender stated above.

2. The rate of Rs. 16/-Per%-Sq. ft. as Provided in Estimate and 'G' Schedule was for Hammer dressed Pitching only. After preparation of Estimate a Additional Chief Engineer ordered at site to have Pitching in courses. Therefore nomenclature in 'G' Schedule was changed accordingly while calling tender. But the rate of Rs. 16/-was for uncoursed Pitching. Hence the tenders are 49% to 51% high. Had the rate of coursed Pitching was Paovided in the 'G' Schedule the tenders would have been at the most 5 to 10% above estimate.

Details of Tenders of supply of 9" Thick dry Stone Hammer dressed pitching Including all lead & lifts called by Executive Engineer

Date of Receipt of Tenders- 15.12.1969

S. No.	Reach	Name of lowest tenderer	Lowest Rate per% Cft.	Amount of lowest tender	No. of tender	% Above.	Remarks
1	0 to 40	Sh. Shekhar	35/-	41608/-	Not known	19%	Sanctioned by Executive Engineer.
2	40to80	,, Rajendra Pd.	35/-	44730/-	,,	19%	
3	80to120	M/s Arya Const. Company, Jaipur	35/-	44730/-	,,	19%	-do-
4	120to160	M/s Arya Cont. Co., Bharatpur.	35/-	44730/-	2	19%	submitted to Supdtg. Engineer.
5	160to200	M/s Maligaon Shrimik Theka Sehkari Samiti.	40/-	51120/-	2	35%	-do-
6	200to240	Neem- ka- thana Shrimik Theka Sehkari Samiti.	40/-	52398/-	2	39%	-do-
7	240to280	Sh. Prabhu Dayal Ramlal.	38/-	48564/-	Not known	29%	Sanctioned by Executive Engineer.
8	280to320	M/s Tirath Ram Shri Ram	40/-	51120/-	2	35%	-do-
9	320to360	Sh. Prakash Chandra Jain	42/-	52155/-	2	43%	-do-
10	360to400	Shri Radhasingh	48/-	58032/-	2	63%	-do-
11	400to440	Sh. Mahendralal	47/-	56823/-	2	60%	-do-
12	440to480	Sh. K.L. Bansal	47/-	56823/-	2	60%	-do-
13	480to500	Sh. Kehri Singh	48/-	29016/-	2	63%	-do-

परिशिष्ट 3

(वा. प्र. सं. 820 की सूची)

APPENDIX

Form of Application by Accounts Clerks for Appointment as Jr. Accountants in the Government of Rajasthan

The Chief Accounts officer,
Rajasthan, Jaipur.

Through : The Head of the Department concerned.

Sir,

I have passed the Accounts Clerks examination or the examination considered equivalent thereto, in the year .... (as per details given below) and request that I may kindly be considered for appointment as Jr. Accountant in the Government of Rajasthan, as per rules of the Government.

My service particulars are as unnder :—

1. Name of Department.
2. Name of the applicant with father's name in block letters.
3. Educational qualification.
4. Home District.
5. Date of birth.
6. Date of passing the Accounts Clerk's examination or equivalent Examination.
7. Roll Number.
8. Name of Authority holding the Accounts Clerks Examination or its equivalent.
9. Additional paper if any offered.
10. Date of appointment as L.D.C.
11. Date of confirmation as L.D.C.
12. Date of appointment as U.D.C.

13. Date of confirmation as U.D.C.
14. Date of appointment as A/Clerk.
15. Date of officiating appointment on higher post (if any) and designation.
16. Name of post and Department on which the applicants holds lien on 31-3-70
17. Name of Office and place of appointment on 31-3-70.
18. Designation as on 31-3-70.
19. Pay Scales
    any Pay Offg. Pay, Personal Pay, Spl. Pay if any on 31-3-70
    D.A.
    D.P.
20. Name of Office & Place of appointment on the date of application.
21. Serial Number of conditions fulfilled for automatic appointment as Jr. Accountants.
22. Remarks

Signature of the applicant

Certificates to be given by the Head of Department concerned :—

1 It it certified that the information given above has been duly checked with the Service records and other authorised documents and found correct:

2. It is certified tbat Gradutes and Matriculate substantive U. D. C's. who were working on higher post in officiating capacity on 31-3-70, would have coutinued to work Accounts Clerks but for the officiating appointment on the higher posts.

Signature & designation of the Head of the Department.

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समयाभाव पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मऊ इब्राहीमपुर की माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में परिवर्तित करने की योजना

832. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि इस वर्ष जिला सवाई माधोपुर की माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल में परिवर्तित करने की योजना है? यदि हां, तो कितनी स्कूलों को, कहां कहां पर ?

(2) क्या सरकार माध्यमिक शाला मऊ इब्राहीमपुर में बच्चों की संख्या व भवन की व्यवस्था आस-पास के क्षेत्र के लोगों की तथा वहां की आबादी को देखते हुए इस वर्ष उपरोक्त शाला को हाई स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1–वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

2–अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इन पर भी गुणावगुण के आधार पर, विचार किया जावेगा।

आयुर्वेद औषधालय

833. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई शहर, कस्बे तथा गांव ऐसे हैं जहां राज्य की ओर से एलोपैथिक डिस्पेन्सरियें चल रही हैं फिर भी वहां आयुर्वेद औषधालय हैं ?

(2) क्या सरकार जहां जहां एलोपेथिक सहायता उपलब्ध है वहां से आयुर्वेद औषधालय हटा कर ऐसे स्थानों पर ले जाने का विचार रखती है जहां किसी भी प्रकार की औषध-सेवा मौजूद नहीं है ?

उत्तर

1–जी हां।

2–जी नहीं।

डिप्लोमा होल्डर्स को प्रवेश

834. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त अधिदर्शक को पाँच वर्षीय डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर उन्हीं डिप्लोमा होल्डर्स को प्रवेश मिलता है जिन्होंने राजस्थान से ही डिप्लोमा प्राप्त किया है ?

(3) क्या यह सही है कि उन डिप्लोमा होल्डर्स को जिन्होंने डिप्लोमा तो राजस्थान के बाहर से किया है लेकिन राजस्थान सरकार की सेवा में कई वर्षों से हैं, उनको

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भी वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अपने ऐसे कर्मचारियों को प्रवेश दिलाना उचित नहीं समझती है ?

उत्तर

1-जी हां। यह सही है।

2-जी हां।

3-उन विद्यार्थियों को जिन्होंने डिप्लोमा राजस्थान से बाहर से पास किया है और राजस्थान का सेवा में रत है प्रवेश नहीं दिया जाता है।

4-राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जवाई बांध पर जाने के लिये सड़क

835. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जवाई बांध पर जाने के लिये सड़क बनाने के लिये कितनी धनराशि की बजट स्वीकृति गत वर्ष में थी ? कितनी राशि खर्च हुई और कितना कार्य किया गया ? क्या कार्य सम्पूर्ण हो गया है ? यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो अधूरा रहने का क्या कारण है ?

उत्तर

इस सड़क के लिए अलग से कोई विशेष प्रावधान गत वर्ष नहीं था। यह कार्य साई बांध के लिए किये गये प्रावधान में से किया गया था कार्य अभी अधूरा है। जिस जिस हिस्से में आवश्यक कार्य करना ज्यादा जरूरी था वहां कार्य करवाया जा चुका है बाकी के भाग में धन की उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाया जावेगा।

पुर पंचायत के सरपंच

836. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर जिले की पुर पंचायत के सरपंच श्री सोनाराम का चुनाव राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् श्री सोनाराम सरपंच नहीं रहा और उसके द्वारा की गई सभी कार्यवाही अवैधानिक कार्यवाही है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि श्री सोनाराम का चुनाव अवैध घोषित होने के पश्चात लोन व सबसिडी भी दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अवैधानिक कार्यवाही का कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

1. राज्य सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

3. प्रश्न ही नहीं उठता।

सीपेज व रसन को रोकने की योजना

837. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल नहर व माईनरों से सीपेज व रसन से कृषि योग्य भूमि उसर व हमेशा पानी भरे रहने से खराब होने से बचाने के

(श्री नन्दलाल बैरवा)

लिए जिला बूंदी में कौन-कौन सी नहर व माइनर पर अब तक कहां-कहां ड्रेनेज का कार्य किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीपेज व रसन को रोकने की क्या योजना है ?

उत्तर

1. सूची 'अ' संलग्न है।

2. सीपेज व रसन की समस्या के निवारण हेतु विभाग द्वारा पूरे चम्बल कमाण्ड के लिए एक कम्प्रेहेन्सिव ड्रेनेज योजना तैयार की गई है, जिसकी सी० डब्ल्यू० पी० सी० द्वारा जांच करा ली गई है तथा अब चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के पास विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सूची 'अ' में दर्शाई गई 12 योजनाओं पर कार्य किया जा चुका है। तीन पर कार्य चल रहा है, 6 पर सर्वे पूरा हो चुका है तथा 4 पर सर्वे चालू है।

जिला बूंदी में निम्न जलोत्सारण योजनाओं का कार्य किया जा चुका है:—

1. बल्लोप
2. भंवरिया कुआ
3. धनात्तरी
4. सीतापुरा
5. सीन्ता
6. माडुन्दा
7. खटकड़
8. अरडाना बरडाना
9. ईश्वरनगर
10. गुमानपुरा
11. जमीतपुरा
12. बाजड़

सूची "ब"

(1) बूंदी जिले की जलोत्सारण योजनायें जिन पर कार्य क्रियान्वित है :—

1. नान्ता
2. चितावा
3. रेढीचडी

(2) जलोत्सारण योजनायें जिनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है:—

1. रजवास
2. रामपुरिया अजेता
3. जलोदी
4. हीरापुरा हिंगोनिया
5. नया गांव बलकासा
6. अरनेडा

(3) निम्न योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है:—

1. नोताड़ा
2. सावलपुरा गादेगाल
3. झरवालापुरा रघुनाथपुरा
4. इन्द्रपुरिया।

गेहूँ की खरीद

838. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता):** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की विभिन्न मण्डियों में विभिन्न किस्मों के गेहूं की आमद नित्य हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अब तक राज्य सरकार अथवा खाद्य निगम ने बाजारों से गेहूं खरीदना शुरू नहीं किया है ?

(3) क्या राज्य सरकार स्वयं अथवा खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद शीघ्र प्रारंभ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो किन भावों पर कौन सी क्वालिटी खरीदेगी एवं कुल कितने टन माल खरीदने का राजस्थान में लक्ष्य है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं।

3. राज्य सरकार अपने खाते में गेहूं खरीदने का विचार नहीं रखती अलबत्ता केन्द्रीय सरकार के खाते में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार 75 हजार टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है।

भारत सरकार ने देशी लाल गेहूं के अलावा अन्य प्रकार के सब ही तरह के गेहूं के प्रोक्योरमेन्ट प्राईस 76)रु० प्रति क्विन्टल 1971–72 के वर्ष के लिये नियत की है।

देशी लाल गेहूं के भाव 74)रु० प्रति क्वि० निर्धारित हुऐ है।

स्थगित प्रश्न

(16-3-71, 29-3-71 व 12-4-71)

ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

6. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले आठ वर्षों में ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में कितने कितने क्षेत्र-फल की आबादी भूमि कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव बेची गई ?

(2) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग द्वारा सुझाई ग्राम विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखी जाने वाली आबादी भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा बेच दी गई ? यदि हां, तो किस किस विकास कार्य के लिये कितने क्षेत्रफल की कहां कहां (सुमेरपुर में) सुरक्षित रखी गई थी भूमि और वह सुरक्षित आबादी भूमि कितने कितने क्षेत्रफल की कब कब किस किस को कितने रुपयों में किस किस भाव से बेची गई ? इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) उपर्युक्त भाग संख्या (1) तथा (2) से संबंधित भूमि किस किस सरपंच के समय में बेची गई और बिक्री के समय पंचायत द्वारा बिक्री भाव व बाजार भाव (साइट वेल्यू) में कितना कितना फर्क था ? यदि फर्क था, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-5-71 व 10-5-71)

ग्राम पंचायत गंधेली द्वारा ईंटों की खरीद

594. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंधेली, पंचायत समिति नोहर (गंगानगर) के सरपंच द्वारा सिंचाई विभाग से विकास कार्यों के लिये पक्की ईंटें खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो कब और कितनी किस भाव से खरीदी गई और रुपया पंचायत की रोकड़ से जमा खर्च हुआ या नहीं ?

(2) इन ईंटों का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें दी गई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

लाखेरी में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर के लिये चन्दे से एकत्रित राशि

706. श्री केसरी सिंह हाडा (हिंडोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लाखेरी में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर कब शुरू हुआ था और कब बन्द हुआ था ?

(2) इस शिविर के लिये चन्दे से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई और सरकार की ओर से कितनी रकम अनुदान या सहायता के रूप में दी गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि शिविर की समाप्ति के बाद भी तहसील नैनवा द्वारा इस शिविर की प्रबन्ध समिति की रसीदों पर जनता से पैसा वसूल होता रहा है ? यदि नहीं, तो श्री चतरसिंह पुत्र श्री रामसिंह से तहसीलदार नैनवा द्वारा रसीद नम्बर 260 से चन्दा कब लिया गया था ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

डीजल सैट्स की खरीद

707. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सन् 1969-70 व 1970-71 में सिंचाई विभाग द्वारा भीलवाड़ा की किस किस फर्म से डीजल सैट्स खरीदे गये व कब कब व किस किस प्रयोजन हेतु और किस किस मूल्य से तथा किस प्रक्रिया से ?

(ख) उपरोक्त फर्म्स के मालिक कौन कौन हैं ? कृपया नाम, पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इन सैट्स का कहां कहां उपयोग हुआ है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(10-5-71)

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाएं

708. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इनके विकास को जन-स्वास्थ्य के लिए हितकर मानती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या प्रयत्न किये गए हैं और किए जा रहे हैं ?

(2) योग सम्बन्धी और प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी कितनी संस्थायें राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं और कितनी तत्सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थाओं के विकास में राज्य सरकार योग्य सहायता कर रही है व कितनी किस प्रकार की ? राज्य में कुल कितनी इस प्रकार की संस्थायें कहां कहां हैं ? कृपया इस की सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखी जाय ?

(3) जयपुर में एक ही जगह स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योगिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र बापू नगर के विकास की स्थिति क्या सन्तोषजनक है ? इनके विकास के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मामूली खर्च से रोग प्रतिबन्धक कार्यक्रमों में महत्व-पूर्ण योग दे सकते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपने विकास के लिए बापू नगर स्थित तत्सम्बन्धी संस्थाओं के पश्चिम में पड़ी सरकारी खुली भूमि की मांग काफी समय से कर रही है परन्तु उन्हें यह भूमि मिलने में विलम्ब होने के कारण उनके भावी विकास में बाधा आ रही है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 822 की सूची)

सद्भावना सप्ताह के मध्य खर्च की गई राशि के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:—

राष्ट्रदूत	2363.10		
राजस्थान पत्रिका	2389.28		
अमर राजस्थान	1381.79		
दैनिक न्याय	330.00		
जुल्ली ब्लाक	268.00		
हिन्दू	151.80		
		कुल	6883.97
प्रकाशन	1320.00		
कागज	1104.95		
लॉट्री का पुरस्कार	100.00		
		कुल	2524.95
दैनिक नवज्योति	2160.84		2160.84 (अभी भुगतान नहीं हुआ)
अन्य व्यय	430.24		430.24
		योग	12000.00

परिशिष्ट 6

(ता० प्र० सं० 830 की सूची)

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की सूची

क्रमांक	वर्षवार क्रमांक	अध्यापक का नाम
		सत्र 1958-59
1	1	श्री जगतनारायण नाग, स० अ०, राजकीय गांधी राष्ट्रीय स्कूल, अलवर (माध्यमिक)
2	2	श्री राजेन्द्रसिंह, प्र० अ०, बेसिक प्राथमिक विद्यालय, श्रीगंगानगर (प्राथमिक)
		सत्र 1959-60
3	1	श्री डी० एम० जैन, प्र० अ०, बहु० उच्चतर मा० विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर (माध्यमिक)
4	2	श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, प्र० अ०, राजकीय प्रा० शाला, श्री माधोपुर (प्राथमिक)
		सत्र 1960-61
5	1	श्री बी० एस० पाल, प्र० अ०, शिक्षा समिति हाई स्कूल, जयपुर (माध्यमिक)
6	2	श्री मथुरालाल, स० अ०, राजकीय मिडिल स्कूल, पोहाना (प्राथमिक)
		सत्र 1961-62
7	1	श्री भागीरथमल प्र० अ०, गौतम हाईस्कूल, अलवर (माध्यमिक)
8	2	श्री रामजीवन शर्मा, व० अ०, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर

1	2	3
9	3	श्री कन्हैई लाल शर्मा, प्र०अ०, राजकीय प्राथमिक शाला, कावट (सीकर) (प्राथमिक)
10	4	श्री देवीसिंह राठौड़, प्र० अ०, राजकीय प्राथमिक शाला, पीपाड़ सिटी (जोधपुर) (प्राथमिक)
		सत्र 1962-63
11	1	श्री मदनसिंह ढांबरिया, प्र० अ०, राजकीय महात्मा गांधी बहु उच्चत्तर माध्यमिक शाला, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) (माध्यमिक)
12	2	श्री गोवर्धनलाल जोशी, स० अ०, बहु० उच्चत्तर मा० शाला, विद्याभवन, उदयपुर (माध्यमिक)
13	3	श्री जगदीश नारायण, स० अ० (प्राथमिक) राजकीय माध्यमिक शाला, गांधी भवन, अजमेर
14	4	श्री भूरमल शर्मा, प्र० अ० (प्राथमिक)
		सत्र 1963-64
15	1	श्री रामचन्द जैन, प्र० अ० (माध्यमिक) श्री सेठ सम्पतराम दूगड़ विद्यालय, सरदारशहर
16	2	श्री के० एम० भार्गव, प्र० अ० (माध्यमिक) सरदार बहु० उच्चत्तर मा० शाला, जोधपुर
17	3	श्री मांगीलाल गुप्ता, प्र० अ० (माध्यमिक) राजकीय माध्यमिक शाला, पाटनपोल (कोटा)
18	4	श्री सबलसिंह चौहान, स० अ० (प्राथमिक) सरदार बहु० उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर
		सत्र 1964-65
19	1	श्री बी० पी० जोशी, प्र० अ० उच्चतर (माध्यमिक) लॅम्बरदार हाई स्कूल, उदयपुर

Page No 198

1	2	3
20	2	श्री मुरली सिंह प्र० उ० (माध्यमिक) एस० डी० प्राथमिक स्कूल, गंगानगर
21	3	श्रीमती सुशीला देवी, सहायक अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक स्कूल, नोहर
		सत्र 1965-66
22	1	श्री बी० पी० गुप्ता प्र० उच्चतर राजकीय बहु० उच्चतर माध्यमिक शाला, कोटा
23	2	श्री नागराज वर्मा प्र० अ० राजकीय मिडिल स्कूल नं० 3, बाड़मेर
24	3	श्री रामप्रसाद सहेल, प्र० उच्चतर अन्ध शाला, बीकानेर
		सत्र 1966-67
25	1	श्री एम० डी० भट्ट, राजकीय बहु० उच्चतर माध्यमिक शाला, डूंगरपुर
26	2	श्री रावतलाल प्र० अ० राजकीय पी० एस० नागौरी गेट, जोधपुर
27	3	श्रीमती सुशीला दशरथ, प्र० अ० विद्याभवन मोन्टेसरी स्कूल, उदयपुर
		सत्र 1967-68
28	1	रेवरेंड मदर उमियन, प्रिंसिपल सेंटमेरीज हायर सैकण्डरी स्कूल, अजमेर
29	2	श्री राम लालक, प्र० अ० राजकीय प्रथमिक शाला, भीममण्डी-6, कोटा
30	3	श्री ब्रजभूषण शर्मा, प्र० अ० प्राथमिक शाला, रहरई पो० आंगई (भरतपुर)

1	2	3
31	4	पं० नैनसुखदास, प्रिंसिपल जैन संस्कृत कालेज, जयपुर
		सत्र 1968–69
32	1	श्री दाऊलाल माथुर प्र० अ० महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर
33	2	कुमारी विश्वेश्वरी बी० जुत्सी, प्र० अ० राजकीय बाल विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर
34	3	श्री मूलराज व्यास, प्र० अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पावटा (जोधपुर)
		सत्र 1969–70
35	1	श्री झमनलाल माहेश्वरी, प्र० अ० माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
36	2	श्री रामसिंह, प्र० अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रातानाड़ा, जोधपुर
37	3	श्री सज्जनसिंह प्र० अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सायसर (अजमेर)
		सत्र 1970–71
38	1	श्री मालीराम शर्मा प्र० अ० राजकीय सादुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर
39	2	श्री रामस्वरूप पारीक प्र० अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चारभुजा मंदिर केकड़ी, (अजमेर)
40	3	श्री मांगीलाल वर्मा, प्र० अ० राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 722 की सूची)

राजर्षि कॉलेज, अलवर की कैन्टीन में वर्ष 1966-67, 67-68, 68-69, 69-70 एवं 1970-71 का आय व्यय का विवरण

वर्ष	आमद	खर्च	लाभ	हानि	विशेष विवरण
1966-67	8990.02	8949.93	40.09	—	—
1967-68	19344.42	19325.99	18.43	—	—
1968-69	22536.95	22997.48	—	460.53	इस वर्ष कैन्टीन में चोरी हो जाने के कारण हानि हुई।
1969-70	29253.51	28709.28	544.23	—	गतवर्ष की हानि इस वर्ष के लाभ से पूरी की गई।
1970-71	23513.77	23348.61	165.16	—	कैन्टीन में दिनांक 26-2-71 के पश्चात कोई बिक्री नहीं हुई।

नोटः—कैंन्टीन की कुछ लेनदारियां व देनदारियां बाकी हैं जिनका शीघ्र ही निपटारा किया जा रहा है।

बी० सिन्हा

आचार्य,
राजर्षि कालेज, अलवर।

Page No 201

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 723 की सूची)

LIST OF CLASS IV SERVANTS

Laboratory Bearers 7

1.	Shri Radhey Shyam Sharma	Physics Deptt.
2.	,, Prabhu Dayal Mina	Physics Deptt.
3.	,, Ganga Prasad Sharma	Chemistry Deptt.
4.	,, Sohan Lal	Chemistry Deptt.
5.	,, Bishan Singh	Chemistry Deptt.
6.	,, Hira Lal	Botany Deptt.
7.	,, Pooran	Zoology Deptt.

Book-lifter-3

1.	Shri Anant Lal Sharma	Library.
2.	,, Mohan Lal	
3.	,, Gyan Chand	

Pump Driver-1

1.	Shri Pooran Mal Saini	Ground

Gardener-1

1.	Shri Suraj	Botany Deptt.
1.	,, Ghur mal Singh	Animal Catcher Zoolog Deptt.

Other Class IV Servant-25

Shri Dariyai Singh	Chowkidar

2.	,,	Kajor	Office.
3.	,,	Ram Singh	
4.	,,	Jagdish Singh	
5.	,,	Shankar Lal	
6.	,,	Babu Lal Sweeper	College Hostel
7.	,,	Ram Pratap	
8.	,,	Puniya Sweeper	College Library.
9.	,,	Devi Sahai	Main College Building and Miscellaneous.
10.	Shri	Hira Lal	
11.	,,	Devi Singh	
12.	,,	Shri Ram	
13.	,,	Bodan Lal	
14.	,,	Surja	
15.	,,	Kudu Ram	
16.	,,	Pyare Lal Yadava	
17.	,,	Shiv Lal Sweeper	
18.	,,	Pyare Lal Saini	
19.	,,	Har Dayal	
20.	,,	Budha Ram Sain	Chemistry.
21.	,,	Kailash Chand Sain	Games.
22.	,,	Kishan Singh	
23.	,,	Badri Prasad	Post-Graduate block.
24.	,,	Lalu Ram	
25.	Post Vacant		

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 729 की सूची)

Abstract taken from the Rajasthan Irrigation and Drainage Rules, 1955—Rule No. 11.

Rule No. 11.

Alternation in Distribution of Canal Irrigation :—(1) No material change shall be made in on established system of canal distribution without previous consultation between the Divisional Irrigation Officer and the Collector. If there two Officers can not agree, the matter shall be decided after consultation between the Commissioner and the Superintending Irrigation Engineer, and if they also disagree, the matter shall be referred for orders to Government.

(2) Nothing in regard to the reduction and removal of outlets, with brief reasons therefor, shall be issued to the cultivators concered, so as to give them time to lodge objections before the proposals are submitted for the approval of the Collector of the district, and at last one clear FAUL before the changes are likely to take place, so that the GULS of the outlets concerned may be connected up. Before the changes are made existing Warabendis shall be revised where necessary.

(3) The size or position of an existing outlet shall not be altered without the sanction of the Divisional Irrigation Officer.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 18 मई, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
7	अन्तिम से	11	सेपेरेढ	सेपरेट
9	,,	7	इन्फोर्मेशन	इन्फोंमेशन
,,	,,	8	कि यह मेरे	कि मेरे
13		3	नियमें	नियमों
29		3	होगो	होगी
30		17	हों	हां
32		4	ज।	जमा
34	अन्तिम से	14	अधीक्षण अभियंता	अधिशासी अभियंता
44	,,	14	ता	तो
48	,,	9	असलमेर	जैसलमेर
51		8	कान्फ्रेंस	कान्फ्रेन्स
64		13	श्री आयं	श्री आर्य
70	अन्तिम से	1	मह	माह
82		2	डिस्ट्रीबूटरीज	डिस्ट्रीब्यूटरीज
84		15	की	का
86		6	प्रार्थनापत्र	प्रार्थना पत्र
91		12	जिससे	जिसमें
92	अन्तिम से	14	पूर्ण	पूर्व
99 से 131	शीर्षक		स्थ. प्र. पर अध्यक्षीय व्यवस्था खाद्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	
107		7	कय	क्रय
118		3	खाव	खाद
123	अन्तिम से	14	एफ. सी. अइ	एफ. सी. आई.
129	,,	13	अ र	और

1	2	3	4
132	19	बान	बाद
137	अन्तिम से 4	समझूंगा	चाहूंगा
183	7	अनुमोदन	अननुमोदन
233	13	सेट मोसन	कट मोसन
242	अन्तिम से 13	इसोलए	इसलिए
248	6	उनकी	उनको
249	अन्तिम से 1	कन्वेश्चन क्वेश्चन अवर	क्वेश्चन अवर
253	17	1 लाख	1 लाख
30€	6	बास	बसे